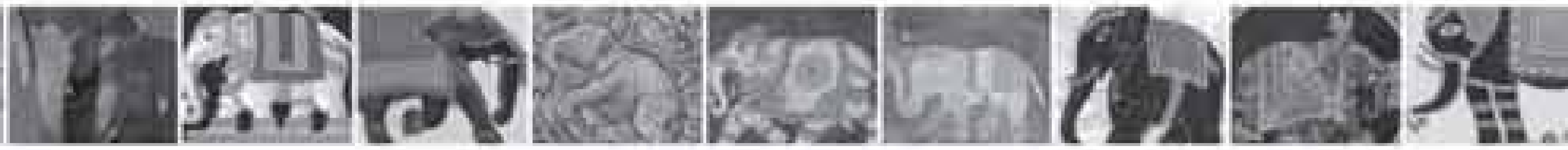

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड IDBI Bank Limited
वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2010-11

विषय सूची

1	**निदेशकों की रिपोर्ट**
	प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण
11	कारोबार परिदृश्य
13	कारोबार समीक्षा
19	जोखिम प्रबंध
21	प्रबंध, नियंत्रण एवं प्रणालियां
25	सूचना प्रौद्योगिकी
27	कॉर्पोरेट अभिशासन
	लेखे
69	बैंक के लेखे
135	समेकित लेखे

CONTENTS

5	**Directors' Report**
	Management Discussion & Analysis
39	Business Environment
41	Business Review
47	Risk Management
49	Management, Controls & Systems
53	Information Technology
55	Corporate Governance
	Accounts
69	Accounts of the Bank
135	Consolidated Accounts

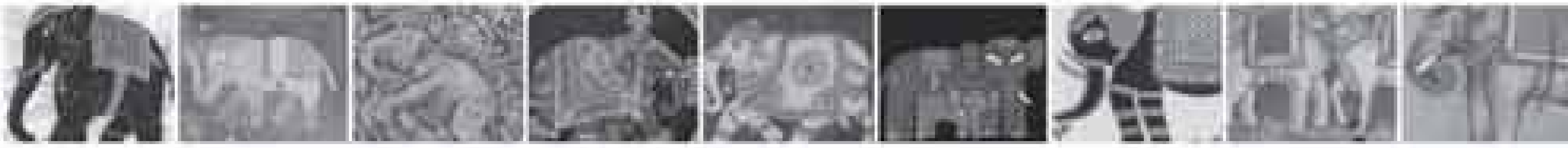

निदेशक मंडल (यथा 30 जून 2011)	BOARD OF DIRECTORS (As on June 30, 2011)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (संस्था के अंतर्नियम के नियम 116(1) (ए) के अंतर्गत नियुक्त)	Chairman & Managing Director (Appointed under Article 116(1) (a) of the Articles of Association)
श्री आर.एम. मल्ला	**Shri R.M. Malla**
उप प्रबंध निदेशक (संस्था के अंतर्नियम के नियम 116(1) (बी) के अंतर्गत नियुक्त)	Deputy Managing Director (Appointed under Article 116(1) (b) of the Articles of Association)
श्री बी.पी. सिंह	**Shri B.P. Singh**
संस्था के अंतर्नियम के नियम 116(1) (सी) के अंतर्गत नामित निदेशक	Directors nominated under Article 116(1) (c) of the Articles of Association
श्री राकेश सिंह	**Shri Rakesh Singh**
श्री आर. पी. सिंह	**Shri R.P. Singh**
संस्था के अंतर्नियम के नियम 116(1) (डी) के अंतर्गत नामित निदेशक	Directors nominated under Article 116(1) (d) of the Articles of Association
श्रीमती लीला फिरोज पूनावाला	**Smt. Lila Firoz Poonawalla**
संस्था के अंतर्नियम के नियम 116(1) (ई) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशक	Directors elected by the Shareholders under Article 116(1) (e) of the Articles of Association
श्री के. नरसिम्ह मूर्ति	**Shri K. Narasimha Murthy**
श्री एच.एल. जुत्शी	**Shri H.L. Zutshi**
श्री सुभाष तुली	**Shri Subhash Tuli**
डॉ.बी.एस. बिष्ट	**Dr. B.S. Bisht**

सांविधिक लेखा परीक्षक		Statutory Auditors	
चोकशी एंड चोकशी सनदी लेखाकार	**एस.पी. चोपड़ा एंड कं.** सनदी लेखाकार	**Chokshi & Chokshi** Chartered Accountants	**S.P. Chopra & Co.** Chartered Accountants

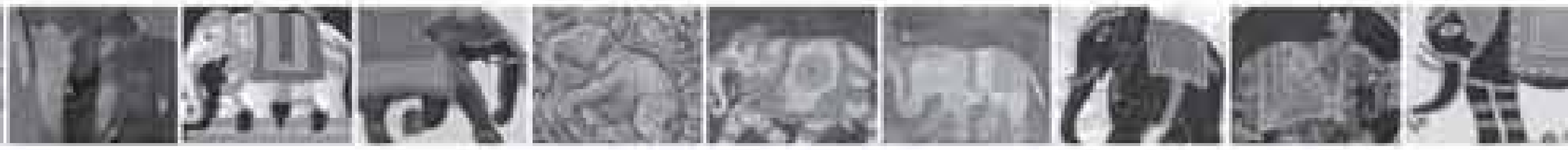

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की कलम से

प्रिय शेयरधारको,

आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल और प्रबंधन दल को वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है. मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी है कि हम विगत वित्त वर्ष में शानदार वित्तीय कार्य-निष्पादन प्रदर्शित करने में सफल रहे हैं. मैं इस सफलता का श्रेय अपने कर्मचारियों को देता हूँ, जिन्होंने आपके बैंक के ग्राहकों को सर्वोत्तम बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए गहन प्रयास किए. यह वार्षिक रिपोर्ट बैंक द्वारा विगत वित्तीय वर्ष की विकास यात्रा और इस यात्रा के दौरान हासिल उपलब्धियों से आपको परिचित कराती है. इसके अलावा आपके बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में सभी अंशधारकों से मुझे जो सहयोग एवं समर्थन मिला है, उसके लिए मैं आभारी हूँ.

हमारे माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने ठीक ही कहा है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र दुनिया के सबसे ज्यादा सुरक्षित बैंकिंग क्षेत्रों में से एक है. अच्छी आर्थिक वृद्धि, अनुकूल जनसांख्यिकी और बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच की संभावना के चलते देश के बैंकिंग क्षेत्र को लाभ हो रहा है. भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले वित्त वर्ष में 8.5% की वृद्धि दर्ज हुई और इस वर्ष भी इस वृद्धि के जारी रहने की आशा है. इसका लाभ उठाने के लिए आपका बैंक देश भर में फैली अपनी शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों को सुखद अनुभव प्रदान करने के अपने प्रयास जारी रखेगा. हम भारत की दीर्घकालिक उन्नति में सहभागी बने रहना चाहते हैं और देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंक शाखा नेटवर्क भी बढ़ा रहे हैं.

भारत में बैंकिंग परिचालन अब बहुत ग्राहक केंद्रित हो गए हैं. देश की युवा आबादी में अभूतपूर्व वृद्धि और बैंकिंग सेवाओं की बढ़ती माँग के चलते गति, सेवा गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि अब भारतीय बैंकिंग जगत में सफलता के मूल मंत्र बन गए हैं. भारत में विदेशी बैंकों तथा नई पीढ़ी के निजी बैंकों की बढ़ती संख्या और सरकारी क्षेत्र के बैंकों की प्रबंधन शैली में आमूल-चूल परिवर्तन हो गया है, जिससे ग्राहकों का पसंदीदा बैंक बनने और निरंतर प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाए रखने के लिए संतुष्टि, गुणवत्ता और निष्ठा का रणनीतिक महत्व बढ़ गया है और इसके लिए बैंक एक ठोस कारोबार रणनीति अपनाए हुए है. आपका बैंक प्रतिस्पर्धा के लिए पूरी तरह से तैयार है. आईडीबीआई बैंक ग्राहक आनंद में विश्वास रखता है, जिसमें महात्मा गाँधी का यह विचार प्रतिबिंबित होता है: ''ग्राहक हमारे परिसर में सबसे महत्वपूर्ण आगंतुक है. वह हम पर आश्रित नहीं है, हम उस पर आश्रित हैं. वह हमारे काम के बीच व्यवधान नहीं है, बल्कि वही हमारे कार्यों का प्रयोजन है. वह हमारे कारोबार के लिए बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह इसका हिस्सा है. उसे सेवा देकर हम उस पर कोई कृपा नहीं कर रहे हैं, बल्कि सेवा का मौका देकर वह हम पर कृपा कर रहा है.''

आने वाले वर्षों में आपका बैंक कॉरपोरेट बैंकिंग कारोबार में अपनी श्रेष्ठ स्थिति को बनाए रखते हुए रिटेल कारोबार में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता रहेगा. आईडीबीआई बैंक आज एक अत्यंत कुशल, समर्पित, युवा एवं अनुभवी कार्मिक तथा सुदृढ़ संगठनात्मक ढांचे के साथ एक ठोस कारोबार रणनीति अपनाए हुए है. आपका बैंक हर भारतीय के सपनों और आकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक सक्रिय साझेदार के रूप में हर संभव कदम उठा रहा है.

आप सभी को तथा आपके परिवार के सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं.

आपका,

आर. एम. मल्ला
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

19 अप्रैल 2011

From the CMD's Desk

Dear Shareholders,

The Board of Directors and the Management Team of IDBI Bank are privileged to present the Bank's Annual Report for the Financial Year 2010-2011. I am extremely happy to state that we have been able to exhibit robust financial performance during last financial year. I attribute this success to the stellar efforts of our employees in delivering impeccable banking service to your Bank's customers. This Annual Report takes you through the odyssey of your Bank during the previous financial year and presents before you the fruits of this journey. Also, I am grateful to all the stakeholders for extending support and co-operation to me during first year of my tenure as CMD of your Bank.

As rightly stated by our Hon'ble Union Finance Minister Shri Pranab Mukherjee, Indian banking sector is one of the most secured in the world. Good economic growth, favourable demographics and under-penetration is benefiting the growth of banking sector in the country. Indian economy grew by 8.5% last fiscal and all of us expect the growth momentum to continue this year as well. To capitalize on this, your Bank will continue providing a delightful experience to its customers across all branches in the country. We remain focused on partnering India's growth for the long-term and also are expanding the Bank's branch network in a bid to promote financial inclusion in the country.

Banking operations have become very customer centric in India. With phenomenal rise in the country's young population and increased demand for banking services, speed, service quality and customer satisfaction have become key parameters to succeed in the Indian banking sector. The presence of foreign and new-generation private banks in India, and the paradigm shift in management style of state-owned banks in the country have stressed the strategic importance of satisfaction, quality and loyalty for winning consumer preferences and maintaining sustainable competitive advantages. Your Bank is fully prepared to meet the competition. IDBI Bank believes in customer delight that reiterates the philosophy of Mahatma Gandhi: "A customer is the most important visitor on our premises; he is not dependent on us. We are dependent on him. He is not an interruption in our work. He is the purpose of it. He is not an outsider in our business. He is part of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing us a favor by giving us an opportunity to do so."

In the years to come, your Bank's focus on growth in retail business would continue, without compromising its pre-eminent position in the corporate banking business. IDBI Bank today rides on the back of a robust business strategy, highly skilled, dedicated and young but experienced workforce and efficient organization structure. Your Bank is taking all the necessary steps to be an effective partner to every Indian in fulfiling their dreams and aspirations.

With best wishes to each one of you and your family members.

Yours sincerely,

R. M. Malla
Chairman & Managing Director

April 19, 2011

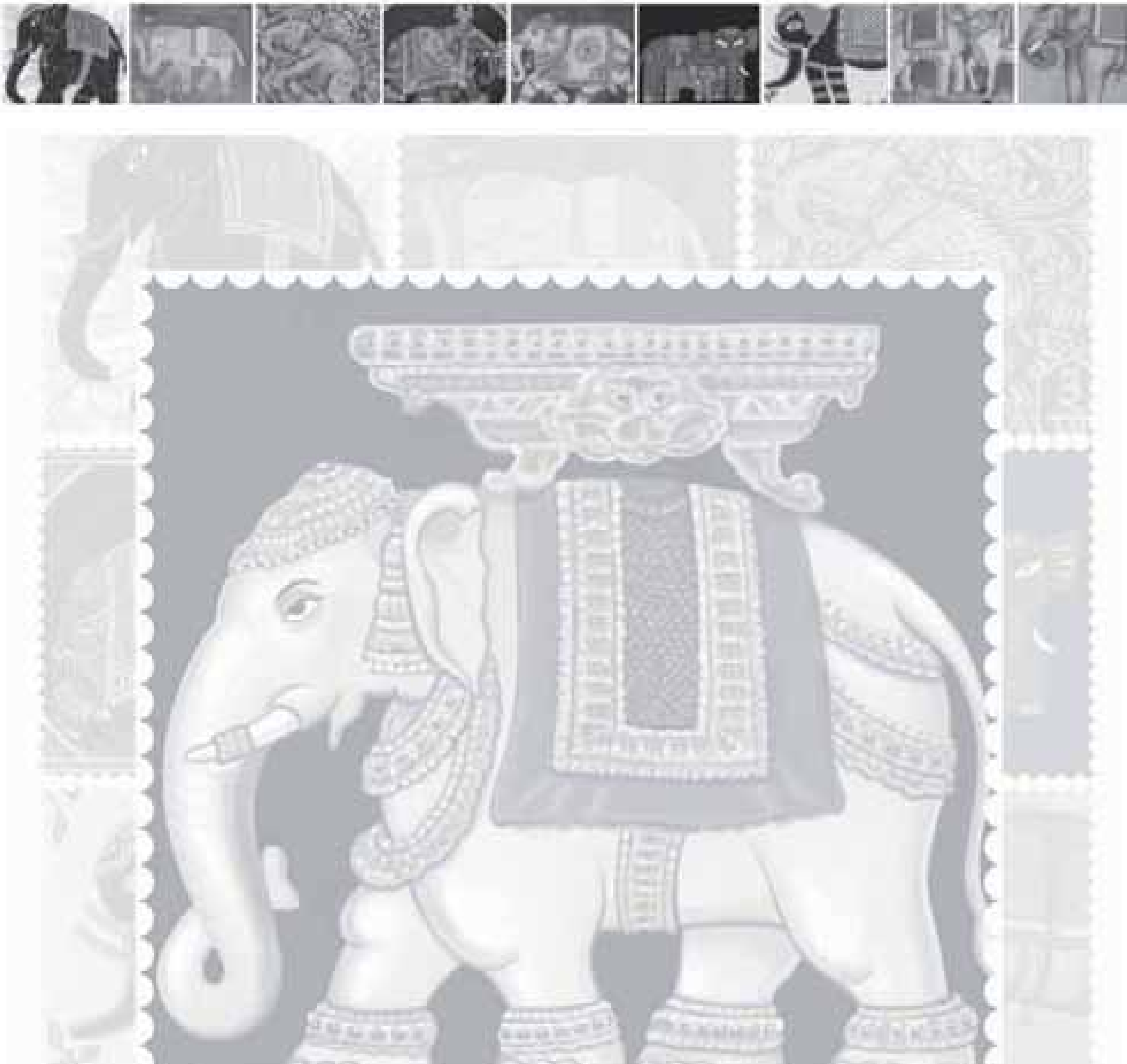

निदेशकों की रिपोर्ट
DIRECTORS' REPORT

निदेशकों की रिपोर्ट : 2010-11

आपके बैंक के निदेशक मंडल को 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपके बैंक के कारोबार तथा परिचालनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है.

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान आपके बैंक के परिचालनों में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई. सामरिक नीति में परिवर्तन करने, ग्राहक आनंद पर ध्यान केंद्रित करने तथा विशिष्ट योजनाएं व बेहतर सेवाएं प्रदान करने जैसी गतिविधियों से कारोबार तथा लाभप्रदता सूचकांक में वृद्धि हुई. यह नज़रिया बैंकिंग जगत में व्यापक परिवर्तन को दर्शाता है और इसी के कारण बैंक को अपनी योजनाओं व सेवाओं का विस्तार करने और ग्राहक, जो हमारे लिए सबसे अधिक मूल्यवान हैं, उनकी संख्या बढ़ाने में मदद मिली. 31 मार्च 2011 को आपके बैंक की कुल जमाराशियां तथा अग्रिम राशियां क्रमशः ₹ 1,80,485.8 करोड़ तथा ₹ 1,57,098.1 करोड़ रहे. समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं **तालिका** 1 में दी गई हैं :

तालिका 1 : वित्तीय विशेषताएं		
विवरण		**(₹ करोड़)**
वर्ष के अंत में	**2009-10**	**2010-11**
पूंजी	724.9	984.6
रिजर्व और अधिशेष	9,438.4	13,582.0
जमाराशियां	1,67,667.1	1,80,485.8
उधार राशियां	47,709.5	51,569.6
अन्य देयताएं और प्रावधान	8,032.9	6,754.8
कुल देयताएं	**2,33,572.8**	**2,53,376.8**
नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	13,903.5	19,559.0
बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय राशि	679.4	1,207.0
निवेश राशियां	73,345.5	68,269.2
अग्रिम राशियां	1,38,201.8	1,57,098.1
अचल और अन्य परिसंपत्तियां	7,442.6	7,243.5
कुल परिसंपत्तियां	**2,33,572.8**	**2,53,376.8**
इस अवधि में	**2009-10**	**2010-11**
कुल आय	17,563.0	20,684.5
कुल व्यय (प्रावधान छोड़कर)	14,836.6	16,526.6
प्रावधान (कर छोड़कर)	1,681.7	1,876.9
कर-पूर्व लाभ	1,044.7	2,281.0
कर के लिए प्रावधान*	13.6	630.7
कर-पश्चात् लाभ	1,031.1	1,650.3

** वर्तमान आयकर और आस्थगित आयकर को घटाकर*

लाभ एवं विनियोग

वित्तीय वर्ष अप्रैल 2010 - मार्च 2011 के दौरान आपके बैंक द्वारा अर्जित सकल आय ₹ 20,684.5 करोड़ रही, जिसमें ₹ 18,600.8 करोड़ की ब्याज आय तथा ₹ 2,083.7 करोड़ की अन्य आय शामिल है. वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 14,271.9 करोड़ के ब्याज व्यय तथा ₹ 2,254.7 करोड़ के परिचालन व्यय के चलते प्रावधान व आकस्मिकताओं को छोड़कर कुल व्यय ₹ 16,526.6 करोड़ रहा. इस अवधि के दौरान कुल ₹ 2,507.6 करोड़ के प्रावधान किये गये, जिनमें अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों और निवेश के लिए ₹ 1650.1 करोड़, पुनर्संरचित परिसंपत्तियों के लिए ₹ 122.6 करोड़, मानक परिसंपत्तियों के लिए वृद्धिशील विवेकपूर्ण प्रावधान हेतु ₹ 104.2 करोड़ तथा कर के लिए ₹ 630.7 करोड़ शामिल हैं.

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान आपके बैंक का कर-पूर्व लाभ ₹ 2281.0 करोड़ रहा. कराधान के लिए ₹ 630.7 करोड़ का प्रावधान करने के बाद कर-पश्चात् लाभ ₹ 1650.3 करोड़ रहा. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर-पश्चात् लाभ का विनियोग **तालिका 2** में दिया गया है.

तालिका 2 : लाभ का विनियोग		
		(₹ करोड़)
विवरण	**2009-10**	**2010-11**
वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि)	1,031.1	1,650.3
आगे लाया गया लाभ / (हानि)	71.2	470.4
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ	1,102.3	2,120.7
विनियोग		
सांविधिक रिज़र्व में अंतरित	258.0	413.0
पूंजी रिज़र्व में अंतरित	-	1.5
सामान्य रिज़र्व में अंतरित	100.0	600.0
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व में अंतरित	25.0	100.0
लाभांश		
- इक्विटी शेयर	217.4	344.6
- लाभांश पर कर	31.5	55.3
तुलन पत्र में ले जाया गया शेष लाभ	470.4	606.3

वर्ष के दौरान ₹ 10 अंकित मूल्य के प्रत्येक शेयर के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) ₹ 18.4 रही और मार्च 2011 के अंत में प्रति शेयर बही मूल्य ₹ 128.4 रहा. निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी पूंजी पर 35% लाभांश की सिफारिश की है.

पूंजी पर्याप्तता

आपका बैंक बासेल-II अनुपालक है और इसलिए जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात (सीआरएआर) की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाती है. ऋण जोखिम की गणना के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाता है, बाज़ार जोखिम का निर्धारण मानकीकृत दृष्टिकोण की अवधि पद्धति से किया जाता है और परिचालनगत जोखिम ऋण निवेश मूल संकेतक दृष्टिकोण पर आधारित है. वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 3119.04 करोड़ की नई इक्विटी पूंजी लगाई, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2011 के अंत में सरकार की इक्विटी धारिता बढ़कर 65.13% हो गई. रिज़र्व बैंक द्वारा कुल सीआरएआर के लिए निर्धारित 9% और मूल सीआरएआर के लिए 6% के मानदंड की तुलना में आपके बैंक का कुल सीआरएआर मार्च 2011 के अंत में 8.03% के टीयर I सीआरएआर के साथ 13.64% रहा.

कारोबार रणनीति

बैंक ने संपर्क आधार को सुदृढ़ कर उन्नत विशेषताओं वाले प्रॉडक्ट पेश करने की आक्रामक रणनीति अपनाई. कासा और रिटेल जमाराशियों के अंतर्गत अधिक से अधिक राशि जुटाने के लिए बैंक ने अपने बुनियादी ढांचे को सुव्यवस्थित करने के अलावा कई ठोस कदम उठाए. अपनी ऋण बही को व्यापक बनाने के लिए बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों पर जोर देने तथा कॉरपोरेट-रिटेल ऋणों के संयोजन में सुधार करने की योजना बना रहा है. निवेश बैंकिंग प्रमुख कार्यकलाप बना रहा, जिसकी शुल्क आधारित आय बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका रही. वर्ष के दौरान आपके बैंक की रणनीति के फलस्वरूप लाभप्रदता मानदंडों में सुधार हुआ और कारोबार मानदंडों में मजबूती आई, जिससे बैंक मौजूदा उद्योग मानदंडों पर खरा उतर सका है.

नये कारोबारी पहल कार्य

वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए नए कारोबारी प्रयासों का मुख्य उद्देश्य बढ़ते ग्राहक आधार को मूल्य व सुविधा प्रदान करना, संबद्ध लाभ प्राप्त करना तथा आपके बैंक को उल्लेखनीय प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए सामरिक संकल्प हासिल करना था. भारतीय बैंकिंग जगत में 2010-11 का वित्तीय वर्ष इस बात के लिए याद रखा जाएगा कि आपके बैंक ने अपने 'ग्राहक आनंद' के लिए कासा और रिटेल जमा खातों को सभी प्रभारों से मुक्त कर दिया. इससे बैंक की जमा योजनाएं अन्य प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले विशिष्ट बन गईं. इन कदमों से आपके बैंक को कारोबार पोर्टफोलियो से संबद्ध जोखिम प्रतिफल मैट्रिक्स को इष्टतम बनाने में सहायता मिली है.

बैंक ने अपने डेबिट कार्डों के जरिए ई-कॉमर्स लेन-देन के लिए ऑन लाईन भुगतान सुविधा भी प्रदान की. महिला ग्राहकों के लिए विशुद्ध रूप से एक अलग ही डेबिट कार्ड शुरू किया गया. ग्राहकों को डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से डेबिट कार्ड के उपयोग पर कैश बैक योजना भी ऑफर की गई. विनियामक ढांचे के तहत विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से डेबिट कार्ड पर नकदी आहरण की अनुमति भी दी गई.

बैंक समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और निम्न आय समूहों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार की पहल को सहायता देने के लिए सतत् प्रतिबद्ध है और इसीलिए इसने अन्य के साथ-साथ शहरी निर्धनों को आवास के लिए ब्याज उपदान योजना (ईशप) की शुरुआत की. बेहतर वित्तीय समावेशन के लिए आपके बैंक ने गुजरात सरकार के आदिवासी विकास विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं तथा कुछ और राज्य सरकारों से भी ऐसी ही साझेदारी के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं. बैंक ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पंजीयक के रूप में कार्य करने के लिए भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.

आपका बैंक एमएसएमई ग्राहकों की विभिन्न ज़रूरतों को समझता है और इन्हें पूरा करने वाली नई योजनाएं पेश करने के लिए सदैव तत्पर रहा है. वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान आपके बैंक ने एमएसएमई के लिए उनकी परिसंपत्तियों / संपत्तियों के मूल्य संवर्धन हेतु 'संपत्ति पर ऋण' योजना शुरू की. 'एसएमई स्मार्ट लाइन ऑफ क्रेडिट' योजना भी शुरू की गई ताकि एमएसएमई उभरते कारोबारी अवसरों का लाभ उठा सके. इसके अलावा आपके बैंक ने देश के कारीगर समुदाय की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय बैंक संघ द्वारा शुरू की गई 'शिल्पकार क्रेडिट कार्ड' योजना भी लागू की. स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा स्रोतों की दिशा में बढ़ने के उद्देश्य से आपके बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च इंस्टीट्यूट 'वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट' (डब्ल्यूआरआई), यूएसए के साथ गठबंधन किया, जोकि ऊर्जा बचत परियोजनाएं लागू करने के लिए समावेशी आधार पर एक ऋण प्रॉडक्ट तैयार कर रहा है.

इनके अलावा आपके बैंक ने एमएसएमई ग्राहकों को उनकी जरूरतों के मुताबिक त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं. इसी भावना के मद्देनज़र तथा एमएसएमई ऋण आधार व्यापक बनाने के लिए आपके बैंक ने सिडबी के साथ चुनिंदा शहरों की एमएसएमई इकाइयों के संयुक्त वित्तपोषण के लिए विशेष व्यवस्था की है. शुरुआत में यह योजना 10 केंद्रों अर्थात अहमदाबाद, बंगलुरू, चैन्नै, कोयंबत्तूर, दिल्ली, इंदौर, जयपुर, लखनऊ, लुधियाना और राजकोट के लिए होगी, बाद में इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा.

कार्रवाई में लगने वाले समय में सुधार लाने, लंबित सूची को छोटा करने और विभिन्न परिचालनों में त्रुटिहीन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष के दौरान कई नई पहलें शुरू की गईं / नई परियोजनाएं कार्यान्वित की गईं. बैंक के कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर के साथ जोड़कर नयी लॉकर प्रणाली शुरू की गई. इससे बैंक को किसी भी समय लॉकर की उपलब्धता और उनके किराए के बारे में ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध हो सकेगी.

आपके बैंक ने शाखाओं में शिकायत निवारण प्रबंध (सीआरएम) के लिए सॉफ्टवेयर भी लगाया. सीआरएम मॉड्यूल के तहत त्वरित कार्रवाई व्यवस्था निर्मित की गई, जिसके द्वारा किसी शिकायत का निपटान निर्धारित समय में न होने पर उसे अगली कार्रवाई के लिए कॉरपोरेट कार्यालय के ग्राहक सहायता केंद्र को अग्रेषित कर दिया जाता है.

बैंक ने शाखाओं के लिए द्विभाषिक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर की एक नई प्रणाली शुरू की है, जिसे कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ा गया है. इस मॉड्यूल से लागत के साथ-साथ कागजी कार्रवाई में उल्लेखनीय कमी लाने में सहायता मिलेगी.

आपके बैंक ने अपनी सभी करेंसी चेस्टों के लिए आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन प्राप्त किया है. कोची में एक नई करेंसी चेस्ट खोली गई, जिसे मिलाकर आपके बैंक में करेंसी चेस्टों की संख्या बढ़कर छः हो गई है.

बैंक को अपनी सभी केंद्रीय समाशोधन यूनिटों (सीसीयू) के लिए आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन प्राप्त हुआ. अपने केंद्रीकृत परिचालनों, करेंसी चेस्टों और सीसीयू के लिए आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन मिल जाने पर आईडीबीआई बैंक रिटेल बैंकिंग के सभी परिचालनों के लिए आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन पानेवाला अनूठा बैंक बन गया है. इसके अलावा आईडीबीआई बैंक ने अपने केंद्रीकृत परिचालनों के लिए लीन सिक्स सिगमा प्रॉजक्ट भी लागू किया है. यह अपने ग्राहकों को त्रुटिहीन और सामयिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंक द्वारा की गई एक विशेष पहल है.

रिटेल असेट पोर्टफोलियो में काम के बढ़ते दबाव के मद्देनजर तथा आईडीबीआई बैंक में आईडीबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड के विलय होने के फलस्वरूप कार्य की बढ़ी हुई मात्रा को देखते हुए आपके बैंक ने उत्तर-दिनांकित चेकों के प्रबंध के लिए विशिष्ट सॉफ्टवेयर लगाया है. इस प्रणाली से बैंक को कम कार्रवाई समय में अधिक लिखतों पर कार्रवाई करने में सहायता मिलेगी.

संगठनात्मक संरचना

आपके बैंक ने संगठनात्मक संरचना को सुदृढ़ करने पर जोर देना जारी रखा, जिसके तहत ग्राहक संपर्क को ही बैंकिंग का सार माना जाता है. तद्नुसार आपका बैंक वर्तमान में ''ग्राहक संकेन्द्रित वर्टिकल'' मॉडल के अनुरूप गठित है, जोकि बेहतर सेवाएं मुहैया कराने में सक्षम है. इस मॉडल से ग्राहक संपर्क प्रबंध बढ़ाने, ऋण वितरण में सुधार लाने और उपयुक्त व लाभदायक कारोबार की ओर ध्यान देने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है.

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान विशेष कॉरपोरेट शाखाओं सहित 107 नई शाखाएं खोली गईं जिससे 31 मार्च 2011 को देशी शाखाओं की संख्या 815 तक हो गई. इसके अलावा डीआईएफसी, दुबई में एक विदेशी शाखा भी है. देशी शाखा नेटवर्क में 238 महानगरीय शाखाएं, 307 शहरी शाखाएं, 184 अर्ध-शहरी शाखाएं तथा 86 ग्रामीण शाखाएं शामिल हैं. परिचालन क्षेत्र में सुधार सुनिश्चित करने के लिए कुछ केंद्रों की शाखाएं पुनः अवस्थित की गईं और कुछ को बैंक की अन्य शाखाओं की तरह आकर्षक रूप देने के लिए उनकी नवीन साजसज्जा की गई. बैंक अपने शाखा नेटवर्क को बढ़ाने के लिए सतत रूप से प्रयासरत है, ताकि समुचित रूप से व्यापक ग्राहक आधार तैयार करने, ग्राहक सेवा में सुधार लाने और कासा योगदान बढ़ाने की रणनीति को कार्यान्वित किया जा सके. बैंक की विशेष कॉरपोरेट शाखाएं और रिटेल खंड के अंतर्गत ऋण प्रोसेसिंग केंद्र बढ़ाने की योजना है.

निदेशक मंडल

आपके बैंक के निदेशक मंडल में विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 1956 और बैंक के संस्था अन्तर्नियमों से शासित होता है और यह स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार में वर्णित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं को पूरा करता है. बोर्ड स्वयं और बैंक के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए बोर्ड की विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है.

31 मार्च 2011 को बोर्ड में 10 निदेशक थे, जिनमें दो कार्यपालक निदेशक (अध्यक्ष सहित), दो गैर-कार्यपालक निदेशक और छः स्वतंत्र निदेशक थे. कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में श्री आर.एम. मल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकः पूर्णकालिक निदेशक के रूप में श्री बी. पी. सिंह, उप प्रबंध निदेशक; गैर-कार्यपालक निदेशकों के रूप में श्री राकेश सिंह और श्री आर. पी. सिंह, केंद्र सरकार के अधिकारी; तथा स्वतंत्र निदेशकों के रूप में श्री अनलजीत सिंह, श्रीमती लीला फिरोज पूनावाला, श्री के. नरसिम्ह मूर्ति, श्री एच. एल. जुत्शी, श्री सुभाष तुली और डॉ. बी. एस. बिष्ट बोर्ड में शामिल हैं.

आपके बैंक के बोर्ड का कोई भी निदेशक बैंक के बोर्ड के किसी अन्य निदेशक से किसी भी रूप में संबद्ध नहीं है.

शीर्ष समितियां

बोर्ड की कुल आठ समितियां अर्थात् कार्यपालक समिति, लेखा परीक्षा समिति, शेयरधारक / निवेशक शिकायत निवारण समिति, धोखाधड़ी निगरानी समिति, जोखिम प्रबंध समिति, ग्राहक सेवा समिति, सूचना प्रौद्योगिकी समिति और पारिश्रमिक समिति हैं.

कॉरपोरेट अभिशासन

आपका बैंक कॉरपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. आपके बैंक की यह मान्यता है कि उचित कॉरपोरेट अभिशासन सिर्फ नियामक अनुपालन की आवश्यकता मात्र नहीं है बल्कि शेयरधारिता मूल्य में वृद्धि के लिए एक सुसाध्यकारक भी है. आपके बैंक में अपनाई जा रही कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों का विस्तृत विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण के अंतर्गत एक अलग खंड के रूप में दिया गया है.

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत कथन

ऐसा कोई कार्मिक पूरे वर्ष बैंक की सेवा में नहीं रहा जिसे ₹ 60 लाख से अधिक वार्षिक परिश्रमिक प्राप्त हुआ हो. इसके अतिरिक्त, बैंक की सेवा में वर्ष की किसी आंशिक अवधि के लिए ऐसा कोई कार्मिक नहीं था जिसे बैंक की सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह ₹ 5 लाख से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ.

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अपनाने से संबंधित अधिनियम की धारा 217 (1) (ई) के प्रावधान आपके बैंक पर लागू नहीं होते हैं.

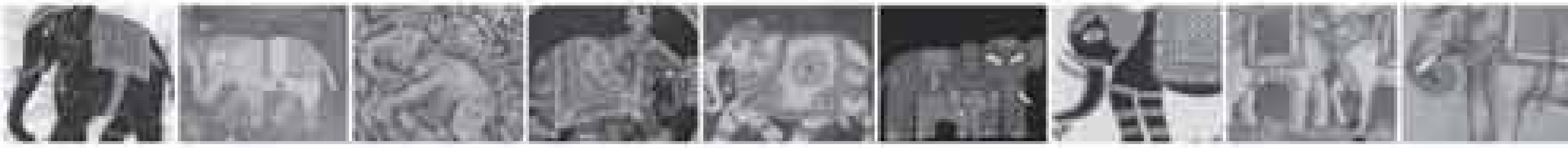

निदेशकों की जिम्मेदारी के संबंध में कथन

निदेशक मंडल एतद्द्वारा यह घोषणा और पुष्टि करता है कि :

i. लेखों को तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है. साथ ही तात्विक रूप से अनुसरण न किये गये मामलों में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है.

ii. निदेशकों ने ऐसी लेखाकंन नीतियों को अपनाया है और उन्हें सुसंगत रूप से प्रयुक्त किया है तथा ऐसे निर्णय लिए एवं अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि लेखा वर्ष के अंत में आपके बैंक की स्थिति और इसी अवधि में आपके बैंक के लाभ अथवा हानि की सही एवं उचित तस्वीर प्रस्तुत की जा सके.

iii) निदेशकों ने आपके बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए विनियामक प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रख-रखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है.

iv) निदेशकों ने चालू संस्था के आधार पर लेखे तैयार किये हैं.

आभार

आपके बैंक का निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) और अन्य सभी सांविधिक / विनियामक प्राधिकरणों को उनके बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन के लिए पूरे आदर के साथ हार्दिक धन्यवाद देता है. निदेशक मंडल राज्य सरकारों और अन्य बैंकिंग / वित्तीय संस्थाओं का भी उनके द्वारा दिये गये सहयोग और सहायता के लिए आभार मानता है. निदेशक मंडल विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतरर्राष्ट्रीय बैंकों / संस्थाओं से समय-समय पर मिले सहयोग तथा समर्थन के लिए उन्हे धन्यवाद देता है. बोर्ड अपने सभी शेयरधारकों और ग्राहकों को भी वर्ष के दौरान उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए धन्यवाद देता है और आने वाले वर्षों में भी उनसे निरंतर सहयोग की आशा करता है. वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को बैंकिंग क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं. बैंक के प्रयासों को मिली सराहना के लिए बोर्ड इन सभी संगठनों / एजेंसियों का आभारी है. निदेशक मंडल अपने समस्त स्टाफ की निष्ठापूर्ण और समर्पित सेवाओं की सराहना करता है और आपके बैंक के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने में उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान करता है.

स्थान: मुंबई
दिनांक : 19 अप्रैल 2011

आर. एम. मल्ला
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

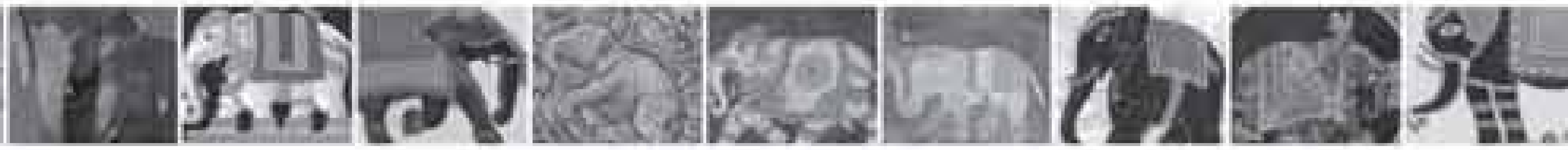

Directors' Report : 2010-11

The Board of Directors of your Bank takes pleasure in presenting its Report, reflecting the business and operations of your Bank for the financial year ended March 31, 2011.

During the financial year 2010-11, the operations of your Bank witnessed considerable progress driven by strategic policy realignments, focus on customer delight, superior product characteristics, service delivery among others, which consequentially led to improvement in business and key profitability indicators. The approach *per se* reflects a paradigm shift in banking space, enabling your Bank to expand its products and services range, availed by increased number of customers which we value the most. As on March 31, 2011 aggregate deposits and advances of your Bank reached ₹ 1,80,485.8 crore and ₹ 1,57,098.1 crore respectively. Performance highlights of your Bank for the period under review are presented in **Table 1.**

Table 1 : Financial Highlights

Particulars		**(₹ crore)**
As at year-end	**2009-10**	**2010-11**
Capital	724.9	984.6
Reserves & Surplus	9,438.4	13,582.0
Deposits	1,67,667.1	1,80,485.8
Borrowings	47,709.5	51,569.6
Other Liabilities & Provisions	8,032.9	6,754.8
Total Liabilities	**2,33,572.8**	**2,53,376.8**
Cash & Balances with RBI	13,903.5	19,559.0
Balances with Banks and Money at Call & Short Notice	679.4	1,207.0
Investments	73,345.5	68,269.2
Advances	1,38,201.8	1,57,098.1
Fixed & Other Assets	7,442.6	7,243.5
Total Assets	**2,33,572.8**	**2,53,376.8**
For the period	**2009-10**	**2010-11**
Total Income	17,563.0	20,684.5
Total Expenses (other than provisions)	14,836.6	16,526.6
Provisions (other than tax)	1,681.7	1,876.9
Profit Before Tax	1,044.7	2,281.0
Provision for Tax*	13.6	630.7
Profit After Tax	1,031.1	1,650.3

**Net of Current Income Tax and Deferred Income Tax*

Profit and Appropriations

During the financial year April 2010 - March 2011, total income of your Bank increased to ₹ 20,684.5 crore with the contribution of interest income at ₹ 18,600.8 crore and other income at ₹ 2,083.7 crore. Interest expenses of ₹ 14,271.9 crore and operational expenses of ₹ 2,254.7 crore, led to total expenditure, excluding provisions and contingencies, of ₹ 16,526.6 crore during FY 2010-11. Total provisions during the period remained at ₹ 2,507.6 crore, comprising ₹ 1650.1 crore towards bad & doubtful debts and investments, ₹ 122.6 crore towards restructured assets, ₹ 104.2 crore towards incremental prudential provisions for standard assets, and ₹ 630.7 crore towards tax.

Profit Before Tax (PBT) of your Bank during the FY 2010-11 came to ₹ 2281.0 crore. After making a provision of ₹ 630.7 crore towards taxation, Profit After Tax (PAT) amounted to ₹ 1650.3 crore. Appropriation of PAT as approved by the Board of Directors is given in **Table 2.**

Table 2 : Appropriation of Profits

		(₹ crore)
Particulars	**2009-10**	**2010-11**
Net Profit/(Loss) for the year	1,031.1	1,650.3
Profit/(Loss) brought forward	71.2	470.4
Profit available for appropriations	1,102.3	2,120.7
Appropriations		
Transferred to Statutory Reserve	258.0	413.0
Transferred to Capital Reserve	-	1.5
Transferred to General Reserve	100.0	600.0
Transferred to Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of IT Act, 1961	25.0	100.0
Dividend		
- Equity Shares	217.4	344.6
- Tax on Dividend	31.5	55.3
Balance of Profit carried to Balance Sheet	470.4	606.3

For each share with face value of ₹ 10, Earning Per Share (EPS) during the year stood at ₹ 18.4 and Book Value Per Share stood at ₹ 128.4 as at end-March 2011. The Directors

have pleasure in recommending dividend at 35% on the fully paid-up equity capital for the financial year 2010-11.

Capital Adequacy

Your Bank is Basel-II compliant and the Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) is computed in adherence to norms prescribed by RBI in this regard. Credit Risk is computed using the Standardized Approach, Market Risk is arrived by using Duration Method of Standardized Approach and Operational Risk exposure is based on Basic Indicator Approach. During FY 2010-11, Government of India infused fresh equity capital to the extent of ₹ 3119.04 crore, thereby increasing its equity holding to 65.13% as at end-March 2011. Against the stipulated RBI norm of 9% for total CRAR and 6% for core CRAR, your Bank's total CRAR worked out to 13.64% with Tier-I CRAR of 8.03% as at end-March 2011.

Business Strategy

The Bank's strategy covered a very aggressive scale up of relationship base and product offerings with elevated features. Suitable measures have been undertaken along with infrastructure repositioning, so as to realize more amounts of CASA and other retail deposits. The Bank, in its quest to granularize its loan book, plans to build priority sector lending and improve upon composition of corporate-retail loans. Investment Banking continued to be a focus area which contributed significantly to growth in fee based income. Your Bank's strategy during the year resulted in improving its profitability parameters and consolidating its business parameters so as to bring them more in line with the prevailing industry benchmarks.

New Business Initiatives

Fresh business efforts undertaken during the fiscal principally aim to impart value and comfort to our increasing clientele, derive associated benefits and realize the strategic vision of escalating your Bank to a sustainable growth path. The financial year 2010-11, would be remembered in the Indian Banking space wherein your Bank, in its quest "delight for its customers" freed all charges on CASA and retail deposit accounts. This shows improved product characteristics of the Bank's deposit products over its competitors. The measure empowers your Bank to optimize its risk-return matrices associated with its business portfolio.

The Bank has also provided facility of making on-line payments for e-commerce transactions though its debit card. A new variant debit card was launched exclusively for women customers. In order to encourage customers with regard to usage of debit card, a cash back scheme for debit card usage was also offered. Within the regulatory framework, cash withdrawal was allowed on debit card at various merchant establishments.

The Bank is increasingly committed to support government initiatives offering financial services to Economically Weaker Sections (EWSs) and Lower Income Groups (LIG) of society and accordingly offered, along with others, Interest Subsidy Scheme for Housing the Urban Poor (ISHUP). In its efforts to ensure improved financial inclusion, your Bank has signed MOU with Tribal Development Department, Government of Gujarat and is exploring similar partnership with other State Governments. The Bank has also signed MOU with Unique Identification Authority of India (UIDAI) for acting as a registrar.

Your Bank understands various needs of the MSME clients and is always on the lookout to offer new products that are customized to take care of such needs. During FY2010-11, your Bank launched *'Loan Against Property'* for the MSMEs to unlock value of their assets/properties. *'SME Smart Line of Credit'* was also introduced so that MSMEs could take advantage of emerging business opportunities. In addition, your Bank implemented the *'Artisan Credit Card'* scheme of Indian Banks' Association (IBA) to take care of the credit needs of the artisan community of the nation. With a view to move towards cleaner and green energy sources, your Bank joined hands with World Resource Institute (WRI), USA, one of the top international research institutes on a non-exclusive basis in developing a loan product for implementation of Energy Saving projects.

Apart from these, your Bank has taken steps to offer tailor-made, faster solutions to the MSME clients. In this spirit, and to further enrich the MSME loan basket, your Bank has tied-up with SIDBI in an exclusive arrangement to jointly finance MSME units, initially in 10 centres viz., Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Coimbatore, Delhi, Indore, Jaipur, Lucknow, Ludhiana and Rajkot, subsequently to be rolled out across the country.

A series of new initiatives / projects were implemented during the year in order to improve Turn Around Time (TAT), soften cost and provide error free services in various facets of our operations. A new locker management system was launched linked to Core Banking software of the Bank. It helps the Bank to have online position of locker availability and rentals at any given point of time.

Your Bank has also launched a software for Complaint Resolution Management (CRM) at branches. An escalation mechanism has been built in the CRM module whereby if the complaint is not resolved within the stipulated time, the same is forwarded to the Customer Care Centre at Corporate Office for further action.

The Bank has introduced a new system of electronic registers in bilingual form at branches which is linked to Core Banking Software. This module was launched in

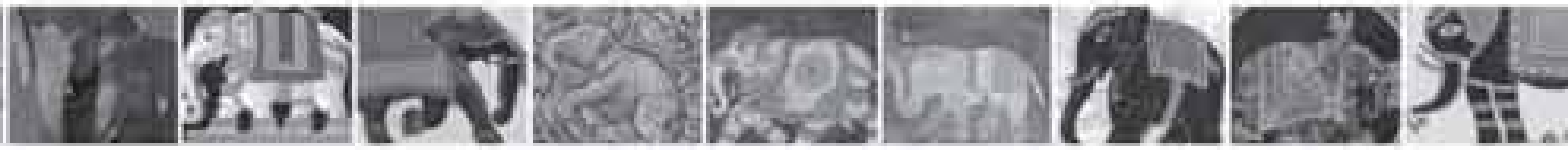

order to achieve significant reduction in the cost as well as paper work.

Your Bank has received ISO 9001:2008 certification for all its Currency Chests. A new Currency Chest was opened at Kochi taking the number of Currency Chests of your Bank to six.

The Bank has also received ISO 9001:2008 certification for all its Centralised Clearing Units (CCUs). Equipped with ISO 9001:2008 Certification for its Centralised Operations, Currency Chests and CCUs, IDBI Bank is in the unique position to have its entire operations for retail banking as ISO 9001:2008 certified. This apart, IDBI Bank has also implemented Lean Six Sigma Project for its Centralised Operations, another feather in its cap, to provide error-free and timely services to its customers.

Keeping pace with the ever increasing work load in retail assets portfolio and also to take care of the additional volumes arising out of merger of IDBI Home Finance Ltd. with IDBI Bank, your Bank has installed a state-of-the-art software for management of post-dated cheques. The system will facilitate the Bank to handle more number of instruments with reduced Turn Around Time.

Organizational Structure

Your Bank has continued thrust on improving organizational structure, which values customer relations as the epitome of banking. Accordingly, your Bank is currently organized on the lines of "customer focused vertical" model, capable of delivering improved services. The model has achieved significant success in enhancing customer relationship management, improving credit delivery and bringing sharper focus to business lines which are sustainable and remunerative.

With the addition of 107 branches during FY2010-11, including Specialized Corporate Branches, total number of domestic branches went up to 815 as on March 31, 2011 in addition to an overseas branch at DIFC, Dubai. Of the domestic branch network, 238 are located in metropolitan centres, 307 in urban centres, 184 in semi-urban centres and 86 in rural centres. In order to ensure improved operating domain, branches at a few locations were relocated and renovated to provide fresh look and feel, similar to other branches of the Bank. The Bank constantly endeavours to expand its branch network to execute its strategy of building sufficiently larger customer base, improved customer service and improved CASA contribution. Your Bank also has plans to increase the number of Specialized Corporate Branches and Loan Processing Centers in retail segments.

Board of Directors

Your Bank's Board of Directors is broad based and constitution thereof is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 1956, the Articles of Association of the Bank and satisfy the requirements of good corporate governance as envisaged in the Listing Agreement with the Stock Exchanges. The Board functions directly as well as through various Board Committees constituted to provide focussed governance in important functional areas of the Bank.

As on March 31, 2011, the Board comprised of 10 Directors with two Executive Directors (including Chairman), two Non Executive Directors and six Independent Directors. Shri R.M. Malla, Chairman & Managing Director as Executive Chairman, Shri B.P. Singh, Dy. Managing Director as Whole Time Director, Shri Rakesh Singh and Shri R.P. Singh, Central Government Officials as Non Executive Directors, Shri Analjit Singh, Smt. Lila Firoz Poonawalla, Shri K. Narasimha Murthy, Shri H.L. Zutshi, Shri Subhash Tuli and Dr. B.S. Bisht as Independent Directors constitute the Board.

No Director on the Board of your Bank is in any way related to any other Director on the Board of the Bank.

Apex Committees

The Board has in total eight committees, namely, Executive Committee, Audit Committee, Shareholders'/Investors' Grievance Committee, Frauds Monitoring Committee, Risk Management Committee, Customer Service Committee, Information Technology Committee and Remuneration Committee.

Corporate Governance

Your Bank is committed to adopting the best practices in the area of corporate governance. Your Bank believes that proper corporate governance is not just a requirement for regulatory compliance, but also a facilitator for enhancement of stakeholders' value. The details of corporate governance practices followed in your Bank are given in this Annual Report as a separate section under Management Discussion and Analysis.

Statement under Section 217(2A) of the Companies Act, 1956

There were no personnel in the services of the Bank for the whole year, who were in receipt of remuneration of over ₹ 60 lakh per annum. Further, no personnel, who were in the service of the Bank for part of the year, received remuneration in excess of ₹ 5 lakh per month for the period they were in the service of the Bank.

The provisions of Section 217(1)(e) of the Act relating to conservation of energy and technology absorption do not apply to your Bank.

Directors' Responsibility Statement

The Board of Directors hereby declares and confirms that:

i. in the preparation of accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departure.

ii. the Directors had adopted such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of your Bank at the end of accounting year and of the profit or loss of your Bank for that year.

iii. the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records, in accordance with the regulatory provisions, for safeguarding the assets of your Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

iv. the Directors had prepared the accounts on a going concern basis.

Acknowledgements

The Board of Directors of your Bank accords immense value to the direction, co-operation and guidance extended by Government of India, Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) and all other Statutory/ Regulatory Authorities. The Board also acknowledges the co-operation and support rendered by the State Governments and other banking/financial institutions. The Board thanks various multilateral institutions and international banks/ institutions for their periodic support. The Board takes this opportunity to thank all its shareholders and customers for extending their support during the year and looks forward to their continued association in the years ahead. During the financial year, the Bank has received various recognitions and accolades for its excellence in banking domain. The Board indeed is thankful to all such organizations/agencies for their appreciation to the Bank's efforts. The Board appreciates the sincere and devoted services displayed by its entire staff and highly values their commitment in improving your Bank's performance.

Place : Mumbai
Date : April 19, 2011

R. M. Malla
Chairman & Managing Director

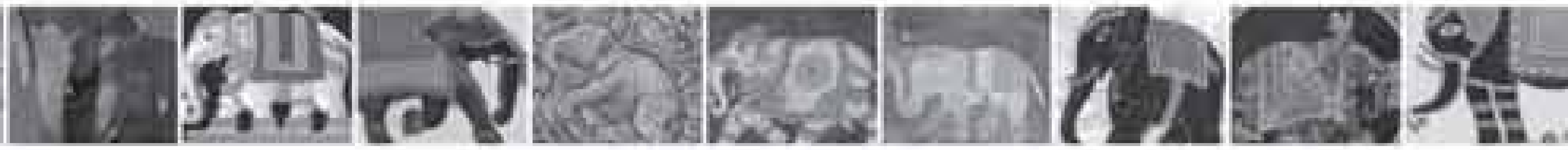

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

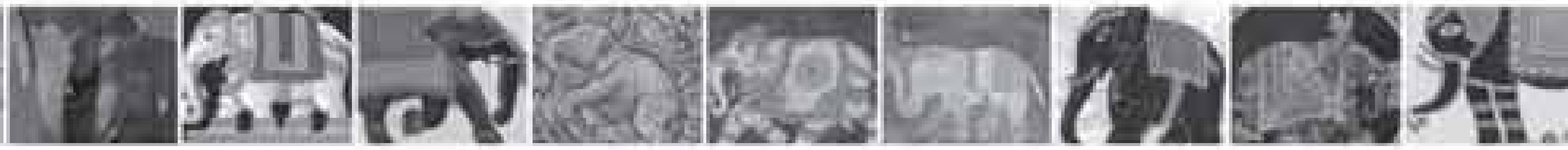

कारोबार परिदृश्य

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक अर्थव्यवस्था वित्तीय गिरावट से जुड़े संकट में कमी और उपभोक्ता मांग में पुनरुत्थान दर्शाती है जो तुलनात्मक रूप से बेहतर संभावनाएं प्रस्तुत करती है. तथापि, यूरो क्षेत्र की घटनाओं और साथ ही उत्तर अफ्रीका में राजनीतिक स्थितियों ने अधोमुखी दबाव को हवा दी. बेरोजगारी में वृद्धि के साथ बढ़ती ऊर्जा कीमतों के चलते उच्चतर स्फीतिकारी अपेक्षाएं संबंधित क्षेत्रों में बनी रहीं. संवृद्धि पूरक के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन के बढ़ते आश्रय ने, हालांकि जिसने तात्कालिक रूप में उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया, स्फीतिकारी अपेक्षाओं को काफी हद तक बढ़ाया और बढ़ते राजकोषीय दबाव को दर्शाया है. विकास पर अधिक प्रभाव डाले बिना स्फीतिकारी अपेक्षाओं में कमी और सुधारों की गति पर पर्याप्त नीतिगत ध्यान प्रमुखतः उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एक चुनौतीपूर्ण कार्य के रूप में विद्यमान है. विश्व भर में पण्यों की कीमतों में तेजी के चलते परिसंपत्तियों में अचानक उछाल निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है.

दीर्घकालिक सुधार और कमजोर कारोबारी प्रवृत्ति ने वित्तीय कार्यकलापों को काफी प्रभावित किया है. दुनिया भर में पूंजी बाजार गतिविधियों ने गिरावट पर प्रतिक्रिया दिखाई है और राजकोषीय वर्ष के अधिकांश समय में उनमें मंदी रही है. पूंजी का सीमा-पार आवागमन भी संकीर्ण रहा. उभरती अर्थव्यवस्थाओं से आशाजनक विकास गाथाओं के बावजूद, उन्नत देशों में कमजोर वृद्धि से अंततः वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि गति धीमी हुई.

देशी कारोबार परिदृश्य

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 8.5% पर वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का संशोधित अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था सुधारों की मंद गति से गुजर रही है. सभी संघटक क्षेत्रों ने व्यापक वृद्धि फलक दर्शाते हुए अच्छा योगदान दिया है. प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि विगत वर्ष के 0.4% की तुलना में सुधरकर वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 6.6% के स्तर पर रही. वास्तव में प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि में सुधार समग्र रूप में अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है क्योंकि यह अन्य क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन को बढ़ाने के लिए उनके साथ मजबूत मंच तथा सम्बद्धता प्रदान करता है. देशी मांग के समर्थन से कॉरपोरेट आय प्रत्याशित स्तर से अधिक रही. वित्तीय क्षेत्र ने सुव्यवस्थित वृद्धि गति प्रदर्शित की और ब्याज दरों में क्रमिक रूप से बढ़ोत्तरी दर्ज की. आईडीबीआई बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकार द्वारा नई पूंजी लगाने से बैंकों की जोखिम वहन करने की क्षमता में काफी सुधार हुआ है.

संपदा क्षेत्र

सकल देशी उत्पाद (जीडीपी)

केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) के संशोधित अनुमानों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि गति विगत वर्ष के 8.0% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान सुधरकर 8.5% हो गयी. इसके सभी संघटक क्षेत्रों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसमें सेवा क्षेत्र का 65.62% के साथ सर्वाधिक योगदान रहा और उसके बाद उद्योग द्वारा 20.02% तथा कृषि द्वारा 14.36% का योगदान दिया गया. देशी बाजार के आकार ने विभिन्न आर्थिक कारकों को विपुल परिचालन क्षेत्र प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है. तथापि, बढ़ती ऊर्जा कीमतों, खाद्य मदों की कीमतों में तेजी, विदेश व्यापार में मंद कार्यकलाप और पूंजीगत माल में मंदी की प्रवृत्ति के साथ उच्चतर स्फीतिकारी दबाव नीति निर्माताओं के लिए गंभीर चिंता दर्शाती है.

निवेश और औद्योगिक परिदृश्य

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान सकल देशी निवेश विगत वर्ष के 34.5% की तुलना में बढ़कर 36.5% रहा. जैसाकि **रेखा चित्र 1** में दर्शाया गया है, देशी बचत में विगत वर्ष के 32.2% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान 33.7% का सुधार हुआ है.

रेखाचित्र 1: निवेश एवं बचत की प्रवृत्तियां
(जीडीपी के % रूप में)

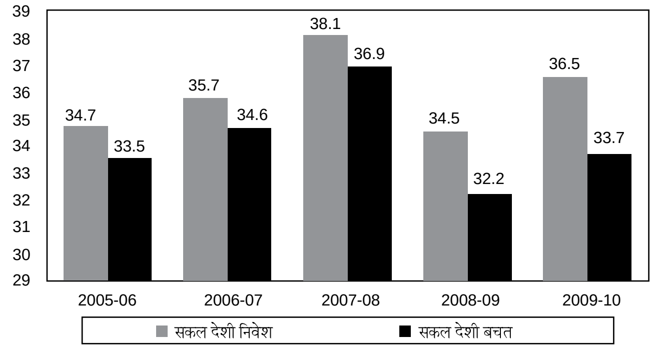

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के उतार-चढ़ाव के अनुसार आकलित औद्योगिक वृद्धि वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान 10.5% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 7.8% के स्तर पर मंद रही. औद्योगिक विकास की वृद्धि दर काफी अस्थिर रही और राजकोषीय वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान काफी मात्रा में कम हुई. पूंजी माल क्षेत्र में धीमी वृद्धि गंभीर चिंता का विषय है जो उद्योग के अन्य खंडों और उसकी उत्पादनोत्तर तथा उत्पादन-पूर्व सुविधाओं में विकास को संकुचित कर सकता है.

रेखाचित्र 2: आईआईपी की खंडवार वृद्धि %

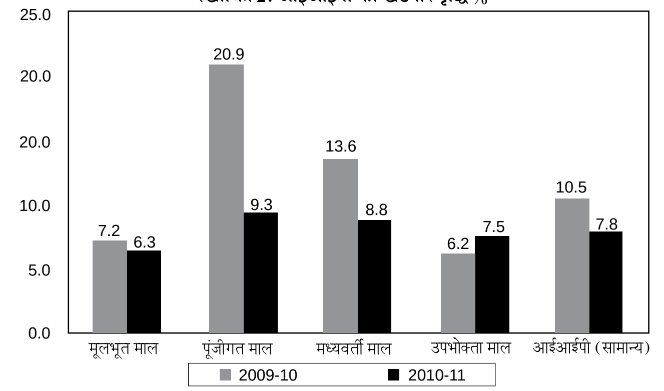

विदेशी मुद्रा भंडार और विनिमय दरें

31 मार्च 2011 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 305.5 बिलियन यूएस डालर रहा जो मार्च 2010 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में 26.4 बिलियन यूएस डालर अधिक है. 2010-11 के दौरान विदेशी मुद्रा बाजार स्थिर रहा. विदेशों में बाजार स्थितियों में सुधार के चलते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से विदेशी निधियों के प्रवाह में मंदी रही. मार्च 2011 के अंत में यूएस डालर के लिए विनिमय दर मार्च 2010 के अंत में ₹ 45.14 की तुलना में ₹ 44.65 रही जो भारतीय रुपये में मजबूती दर्शाती है.

मुद्रास्फीति

मांग तथा आपूर्ति दोनों पक्ष के कारक मुद्रास्फीति के स्तर को उच्चतर सीमा तक ले गये जिससे अधिकांश आर्थिक क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए. खासकर, बढ़ी हुई क्रय शक्ति के साथ अनिवार्य खाद्य वस्तुओं की कमी ने खाद्य मुद्रास्फीति को उत्प्रेरित किया है. तेल उत्पादों की बढ़ी हुई कीमतों के साथ खाद्य कीमतों ने स्फीतिकारी अपेक्षाओं को बढ़ावा दिया. तेल अन्वेषक देशों के भीतर अशांति ने स्फीतिकारी दबाव को और बल दिया जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए 9.5% रही.

चलनिधि और ब्याज दरें

वित्तीय बाजार, जो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में चलनिधि की दृष्टि से सुखद स्थिति में था, स्फीतिकारी दबाव पर अंकुश लगाने के लिए नीतिगत परिवर्तनों के कारण दबाव में आ गया. विभिन्न बाजार लिखतों में ब्याज दरों में तेजी आयी है जो प्रतिफल वक्र में मंदी दर्शाती है. चलनिधि को खींचने और मांग में तेजी के दबाव को कम करने के लिए नीतिगत दरों और प्रशासनिक दरों में संशोधन किया गया. वित्तीय मध्यवर्तियों ने अधिक स्थिर निधियां आकर्षित करने के लिए अपनी देयता कीमत लागत को अनुकूल बनाया है और साथ ही अपने मार्जिन को बनाये रखने के लिए कठोर मानदंडों तथा बेहतर कीमत-निर्धारण का अनुसरण किया है.

भावी संभावना

वास्तविक जीडीपी तथा आईआईपी की वृद्धि प्रवृत्ति हालिया तिमाहियों के दौरान मंदी दर्शाती है. स्फीतिकारी अपेक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्याशित नीतिगत पुनर्निर्धारण और इस संबंध में अब तक किये गये उपायों से अल्पावधि में समग्र वृद्धि पर अधोमुखी दबाव पड़ने की उम्मीद है. मूल्यों में तेजी पर अंकुश लगाने के लिए प्राथमिकता आधार पर नीतिगत दृष्टिकोण से, हालांकि अल्पावधि में वृद्धि अवरुद्ध होगी, दीर्घावधि में लाभकारी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है. खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमत, आपूर्ति बाधाएं, ब्याज दरों में तेजी, मूल कच्चे माल तथा तेल की कीमतों सहित बढ़ती निविष्टि लागत और पूंजी बाजार में मंदी से आर्थिक कार्यकलापों की गुंजाइश सीमित रहने की आशंका है.

विशेषकर उन्नत राष्ट्रों में मंद कारोबार माहौल के साथ विस्तारित सुधार से वृद्धि की संभावनाएं और मंद पड़ने की उम्मीद है. अतिरिक्त राजकोषीय समर्थन प्रदान करने की गुंजाइश भी बढ़ते राजकोषीय भार और राजस्व वसूली की कमजोर संभावनाओं के कारण सीमित है. ऊर्जा सहित बढ़ती निविष्टि लागत से कॉरपोरेट मार्जिन कम होने की आशंका है जो नये निवेश तथा क्षमता विस्तार के लिए कमजोर प्रवृत्ति दर्शाती है.

सकारात्मक पक्ष, यद्यपि संकीर्ण है, फिर भी उत्साहजनक है. पहला, खाद्य की ऊंची कीमतें कृषि / फार्म उत्पादन के लिए व्यापार की शर्तों में सुधार का मार्ग प्रशस्त करेंगी. इससे सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों से प्राथमिक क्षेत्र के लिए अधिक निवेश आकर्षित होगा. वास्तव में यह प्रधान क्षेत्रों में समक्रमण को बहाल करेगा और वृद्धि गति को क्रमिक रूप से उत्प्रेरित करेगा. तथापि, ऐसे सकारात्मक प्रभाव दूसरी छमाही में और वित्तीय वर्ष के अंत में उत्पन्न हो सकते हैं. केंद्रीय बजट 2011-12 में प्राथमिक क्षेत्र के लिए आबंटन तथा एजेंडा में सुधार किया गया है. सामान्य मानसून मानकर चलने से प्राथमिक कार्यकलापों के लिए वृद्धि संभावनाएं बेहतर रहने की उम्मीद है. प्राथमिक तथा बुनियादी क्षेत्र में निवेश में सुधार के बावजूद, वृद्धि निवारक कारकों द्वारा अदा की गई प्रमुख भूमिका को देखते हुए अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका है.

कारोबार समीक्षा

कॉरपोरेट वित्त

आपका बैंक कॉरपोरेट वित्त के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक है और यह उनकी विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादों की एक समूची श्रृंखला पेश करता है. इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने और बेहतर ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए आपके बैंक ने कॉरपोरेट वित्त को तीन प्रमुख कॉरपोरेट वर्टिकलों यथा इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त, बृहत कॉरपोरेट तथा मध्यम कॉरपोरेट समूहों में विभाजित किया है. इस समय बैंक ने भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर 32 शाखाएं विशेष कॉरपोरेट शाखाओं के रूप में विनिर्दिष्ट की हैं. इन केंद्रों पर कॉरपोरेट घनत्व ज्यादा है और उनकी सेवा संबंधी आवश्यकताएं उतनी ही अधिक हैं.

विभिन्न कारोबार खंडों में सामजंस्य बिठाते हुए ज़रूरत के मुताबिक तैयार किए गए उत्पादों के अलावा आपके बैंक के कॉरपोरेट वित्त विभाग के पास कई संरचित उत्पाद हैं, जिनमें नवोन्मेषी विशेषताओं से युक्त चालू खाता, थोक एवं गैर-थोक जमाराशियां, साथ ही व्यापार वित्त, नकदी प्रबंध सेवाओं जैसे परिसंपत्ति-आधारित उत्पाद, कर वसूली के लिए सरकारी एजेंसी कारोबार तथा संव्यवहार बैंकिंग उत्पाद शामिल हैं. कॉरपोरेट वित्त समूह अपने ग्राहकों को ट्रेजरी उत्पाद और ऋण-समूहन सेवाएं भी प्रदान करता है.

आपके बैंक ने व्यापार वित्त कारोबार में नई ऊँचाइयां छूना जारी रखा है. वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान साख-पत्र (एलसी) व बैंक गारंटी (बीजी) खंड के गैर-निधि आधारित कारोबार 18% बढ़कर ₹ 60,000 करोड़ से भी आगे निकल गये. व्यापार वित्त कार्यकलापों से शुल्क आधारित आय में 30% की बढ़ोतरी हुई. आपके बैंक ने आयात-निर्यात व्यापार वित्त को सुगम बनाते हुए एक बहु -मुद्रा विप्रेषण उत्पाद शुरू किया, जिसके जरिए ग्राहकों को 100 से अधिक मुद्राओं में विप्रेषण करने का विकल्प प्रदान किया जाता है.

आपका बैंक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों के ई-भुगतान के लिए तेजी से लोगों का पसंदीदा बैंक बनता जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान लगभग ₹ 1 लाख करोड़ की कर वसूली की गई. सेंट्रल प्लान स्कीम, निगरानी प्रणाली, माल एवं सेवा कर तथा स्टांप ड्यूटी संग्रहण में इलेक्ट्रॉनिक पहल जैसे कई कार्यों में यह सरकार के साथ भागीदार रहा है. चालू वर्ष में बैंक ने रेल्वे तथा हरियाणा सरकार के लेन-देनों के लिए भुगतान व प्राप्तियां स्वीकार करना शुरू किया. आपके बैंक ने नकदी प्रबंध सेवाओं पर भी जोर दिया है. इस कारोबार खंड में इसने मजबूती से पैर जमा लिए हैं और इस सेवा का लाभ उठाने वाले कॉरपोरेटों की संख्या बढ़ती जा रही है. सार्वजनिक व निजी, दोनों ही क्षेत्र की कंपनियों से प्रतिष्ठित लाभांश अधिदेश प्राप्त किए गए हैं. आपके बैंक ने आईपीओ / एफपीओ निर्गमों, विशेष रूप से भारत सरकार के विनिवेश कार्यक्रम में, एक निर्गम बैंकर के रूप में अपनी सेवाओं के लिए बाज़ार में अच्छी साख बनाई है और यह रिटेल खंड के प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है. अपने सीएमएस उत्पाद को सतत उन्नत करने की बैंक की रणनीति अब काफी फलदायी साबित हो रही है.

बुनियादी क्षेत्र को वित्त

आपका बैंक बुनियादी क्षेत्र के वित्तपोषण में सतत् जुड़ा है और इस संबंध में यह देश के सपनों को साकार करने में सदैव तत्पर रहा है. बुनियादी क्षेत्र के वित्तपोषण में उत्पादन-पूर्व अवधि लंबी होती है और इसमें एक सुस्पष्ट जोखिम तथा प्रतिलाभ रूपरेखा निहित होती है, जिसके लिए नवोन्मेषी संरचना की जरूरत होती है. बुनियादी क्षेत्र के निजी क्षेत्र के लिए खुलने के समय से ही यह बिजली, दूरसंचार, सड़क, हवाईअड्डा, बंदरगाह, रेलवे तथा संभार-तंत्र के क्षेत्रों में बुनियादी परियोजनाओं की संरचना और वित्तपोषण में अग्रणी रहा है और इसकी कुल ऋण सहायता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बुनियादी क्षेत्र को मिलता है.

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में बुनियादी क्षेत्र के विकास की महती भूमिका और साथ ही इस क्षेत्र के लिए आवश्यक भारी निवेश की ज़रूरत को महसूस करते हुए बुनियादी क्षेत्र की कंपनियों को सभी प्रकार के समाधान जैसे कॉरपोरेट सलाह, ऋण-इक्विटी समूहन, वित्तीय संरचना, मीयादी ऋण, कार्यशील पूंजी, प्रतिभूतिकरण और अन्य सम्बद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए संकेन्द्रित दृष्टिकोण अपनाया गया. आपका बैंक ऋण समूहन के क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है.

आपके बैंक ने सार्वजनिक - निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्ग के अंतर्गत शहरी बुनियादी परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (सौर, पवन तथा बायो-मास आधारित बिजली परियोजनाएं), बंदरगाह तथा हवाई-अड्डों के निधीयन के लिए भी पहल कार्य किए हैं. विदेश में शाखा खोलने के साथ ही आपका बैंक अब बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं को चुनिंदा आधार पर विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान करने की स्थिति में भी आ गया है.

खुदरा वित्त और वित्तीय समावेशन

आपका बैंक अपने कारोबार संमिश्र को बढ़ाना चाहता है और इसीलिए वह खुदरा कारोबार का संयोजन बढ़ाने के लिए प्रयासरत है. इस सिलसिले में शाखा नेटवर्क और कुशल कार्मिकों के रूप में बुनियादी सहयोगी आधार तैयार है. राजकोषीय वर्ष के अंत में आपके बैंक की 815 देशी शाखाएं थीं, जिनमें से महानगर क्षेत्र में 238, शहरी क्षेत्र में 307, अर्ध-शहरी क्षेत्र में 184 और ग्रामीण क्षेत्र में 86 शाखाएं तथा एक शाखा विदेश में स्थित थी. अपने शाखा नेटवर्क को बढ़ाने की योजना के साथ-साथ आपका बैंक ग्राहकों का संतुष्टि स्तर बेहतर करने के लिए अपने मौजूदा उत्पादों में सुधार लाने के लिए भी सतत प्रयत्न कर रहा है. आपके बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए आनंद लाकर भारतीय बैंकिंग उद्योग में एक मिसाल कायम की है. इस अभियान के तहत आपके बैंक ने चालू व बचत खातों में ग्राहकों से लिए जानेवाले प्रभार हटा लिए हैं. इस अनूठे प्रयोग से आपका बैंक लगभग नौ लाख ग्राहकों को ₹ 3200 करोड़ की आरंभिक जमाराशि के साथ जोड़ने में समर्थ रहा है. आपका बैंक वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर सामान्य जमा दरों के मुकाबले अतिरिक्त ब्याज दर ऑफर कर रहा है. अपने ग्राहकों से जुड़ने की दृष्टि से आपके बैंक ने देश भर में 102 शाखाओं में 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' की सौवीं वर्षगांठ मनाई.

अपने बढ़ते ग्राहकों तक बेहतर ढंग से पहुँचने की दृष्टि से आपके बैंक ने प्रमुख केंद्रों पर 169 नए एटीएम खोले, जिन्हें मिलाकर 31 मार्च 2011 को एटीएमों की कुल संख्या 1370 हो गई. दरअसल आपका बैंक एटीएम प्रसार के लिए वैकल्पिक मॉडलों के उपयोग पर ज़ोर दे रहा है ताकि एटीएम नेटवर्क के विस्तार को गति दी जा सके. आपका बैंक एटीएमों में नवोन्मेषी विशेषताएं व सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी सतत रूप से प्रयासरत है. बैंक की एटीएम के जरिए प्रत्यक्ष कर भुगतान शुरू करने की भी योजना है.

आपका बैंक वैकल्पिक चैनलों को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए इनके माध्यम से नए उत्पाद व सेवाएं प्रदान करने के लिए सतत प्रयासरत है. इन पहल कार्यों के एक हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान आपके बैंक ने डेबिट कार्ड के माध्यम से ई-वाणिज्य लेने-देनों के लिए ऑन-लाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई. आपके बैंक ने अपनी महिला ग्राहकों के लिए विशुद्ध रूप से महिला कार्ड नामक नया डेबिट कार्ड भी शुरू किया. वित्तीय वर्ष के दौरान बिक्री बिंदु पर तथा ई-वाणिज्य लेन-देनों के लिए कैश बैक योजना भी शुरू की. इसके अलावा आपके बैंक ने डेबिट कार्डों के जरिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अनुमत सीमा में नकदी आहरण की सुविधा आरंभ की. इसने देश भर में सभी बैंकों के डेबिट कार्डधारकों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भी चुनिंदा प्रतिष्ठानों से गठजोड़ किया है. आपका बैंक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की साझेदारी में मोबाइल फोन के माध्यम से बैंक के ग्राहकों की निधियों को आपके बैंक के साथ-साथ अन्य बैंकों के ग्राहकों को अंतरित करने की सुविधा भी आरंभ करने जा रहा है.

अपनी इंटरनेट बैंकिंग सेवा को और अधिक सुरक्षित बनाने के सतत् प्रयासों के एक हिस्से के रूप में आपके बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए निधियों के अंतरण के लिए किसी लाभार्थी को पंजीकृत करने से पूर्व द्वितीय कारक अभिप्रमाणन (एसएमएस के ज़रिए भेजे गए एकबारीय पासवर्ड के माध्यम से) की सुविधा शुरू की है. ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के इस्तेमाल को बढ़ाने के उद्देश्य से आपके बैंक ने स्वयं ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन पासवर्ड उत्पन्न करने की सुविधा भी प्रदान की है.

आपके बैंक को डाक विभाग से उसके खाताधारकों के प्री-पेड कार्ड कार्यक्रम में साझेदारी करने के लिए प्रतिष्ठित अधिदेश प्राप्त हुआ है. आपका बैंक बॉम्बे कस्टम हाउस एजेंट्स एसोसिएशन (बीसीएचएए) के साथ नवोन्मेषी भुगतान लिखत जारी करने में भी साझेदारी कर रहा है. इसके अंतर्गत सीमित उपयोगकर्ता समूह के डेबिट कार्ड के जरिए मालभाड़े और सीमा-शुल्क आदि का ई-भुगतान किया जाएगा.

आपका बैंक खुदरा वित्त खंड में एक प्रमुख और प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी के रूप में उभरा है. खुदरा ग्राहकों की विविध ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भावी खुदरा ग्राहकों को ज़मानती और बेज़मानती, दोनों ही प्रकार के नवोन्मेषी उत्पादों की श्रृंखला पेश की जाती है. आपके बैंक ने बंधक ऋण इंटरेस्ट सेवर नामक नवोन्मेषी उत्पाद शुरू किया है, जिसके अंतर्गत कोई ऋणी संपत्ति पर लिए गए ऋण पर अपने ऋण खाते से जुड़े चालू खाते में रखी गई अतिरिक्त निधियों की सीमा तक ब्याज बचा सकता है.

चालू खाते और बचत खाते (कासा) का स्तर बढ़ाने के लिए जिन वेतनभोगियों के आपके बैंक में वेतन खाते हैं, उनके लिए अंतःनिर्मित ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ वेतन खाता शुरू किया है. आपका बैंक मेधावी, जरूरतमंद और सुयोग्य छात्रों की शिक्षा के लिए ऋण को विशेष महत्व दे रहा है. आपके बैंक ने शिक्षा ऋण की मंजूरी के लिए शिक्षा संस्थानों से गठजोड़ किया है. ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र कवर करने और अंतर्निहित अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपके बैंक ने वर्ष के दौरान 9 और रिटेल असेट सेंटर (आरएसी) खोले. ये केंद्र टीयर II और टीयर III श्रेणी के शहरों में खोले गए हैं ताकि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के आवास ऋणों का दायरा बढ़ाया जा सके. आपके बैंक ने मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड से रिश्ते बनाते हुए 19 शहरों के व्यक्तियों के कारोबार विचारों और उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देने के लिए 'मारुतिज़ थिंक बिग चैलेंज-II' कार्यक्रम का सह-प्रायोजन किया. समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और निम्न आय समूहों को वित्तीय सेवाएं पेश करने की सरकारी पहल को सहयोग देने के लिए आपका बैंक अपने खुदरा ग्राहकों को 'शहरी निर्धनों के आवास के लिए ब्याज उपदान योजना' (ईशप) और शिक्षा ऋण (केंद्रीय ब्याज उपदान योजना) जैसी सरकार द्वारा प्रायोजित योजना पेश कर रहा है. आज आपका बैंक अपने समकक्षों के बीच सबसे पहले याद किए जाना वाला बैंक बन गया है.

आपके बैंक ने अपने ग्राहकों को विविध वित्तीय उत्पाद प्रदान करने के लिए आईडीबीआई म्यूचुअल फंड सहित 34 असेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) के साथ गठजोड़ किया है. यह पूंजी अभिलाभ, भारत सरकार के बांड और विभिन्न कर बचत बांड जैसी नियत आय प्रतिभूतियों का भी वितरक है. आपका बैंक पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद आय की सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सुरक्षित और लचीली योजना 'नई पेंशन प्रणाली' (एनपीएस) के वितरण के लिए पॉइंट ऑफ प्रेज़ेंस (पीओपी) के रूप में पंजीकृत है.

ग्राहकों की निवेश और बीमा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपका बैंक आईडीबीआई फेडरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के माध्यम से विभिन्न ग्राहक खंडों के अनुरूप जीवन बीमा समाधान उपलब्ध कराता है. आपका बैंक बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एजेंट के रूप में परिसंपत्तियों, स्वास्थ्य व व्यक्तिगत दुर्घटना जैसे 'गैर-जीवन' बीमा उत्पाद पेश करता है.

आपका बैंक एनआरआई ग्राहकों से अपने संबंधों को बहुत मान देता है. इन संबंधों को प्रगाढ़ करने तथा कुछ नए संबंध जोड़ने के लिए इसने प्लेटिनम, गोल्ड और इकॉनॉमी नामक तीन श्रेणियों में 'आईडीबीआई हेल्थ केयर स्कीम' शुरू की है. इस योजना के अंतर्गत एनआरआई ग्राहकों के आश्रितों को विभिन्न डायग्नॉस्टिक सेंटरों के ज़रिए स्वास्थ्य जाँच की सुविधा प्रदान की जाती है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने खाड़ी देशों से विप्रेषण के लिए अल फरधान एक्सचेंज और ओमान यूएई एक्सचेंज से करार किया. इसके माध्यम से खाड़ी देशों के 12 एक्सचेंज हाउसों से विप्रेषण सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं. आपके बैंक ने एनआरआई जमाराशियां जुटाने के लिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) देशों में यूएई एक्सचेंज से समझौता किया है. आपके बैंक ने विभिन्न एनआरआई अभियान और एनआरआई ग्राहक संपर्क कार्यक्रम चलाने के साथ-साथ भारत व विदेश में एनआरआई कार्यक्रम/ सम्मेलन में सहभागिता की है ताकि एनआरआई ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के साथ एनआरआई उत्पादों व सेवाओं का प्रचार किया जा सके.

आपके बैंक ने अनिवासी भारतीयों को सेकंडरी बाज़ार में प्रत्यावर्तनीय और अप्रत्यावर्तनीय, दोनों ही आधार पर ऑन-लाइन व ऑफ-लाइन रूप में निवेश हेतु पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) शुरू की है. इसके अंतर्गत ऑन-लाइन ट्रेडिंग के लिए आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लिमिटेड से और ऑफ-लाइन ट्रेडिंग के लिए अन्य प्रमुख स्टॉकब्रोकरों से ट्रेडिंग गठजोड़ किया गया है. आपका बैंक एनआरआई ग्राहकों को बड़ी संख्या में शामिल करने के लिए अन्य संस्थागत ब्रोकरों को भी ऑन-लाइन ट्रेडिंग की सुविधा देने पर विचार कर रहा है.

भारत सरकार द्वारा परिकल्पित वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013 को समाप्त होने वाले पहले तीन वर्षों के लिए वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) शुरू की है. बैंक को वित्तीय वर्ष 2012 तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और दादरा-नगर हवेली के 2000 से अधिक जनसंख्या वाले कुल 119 गाँवों को कवर करना है. वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने बैंकिंग सुविधा से वंचित 55 गाँवों में वित्तीय समावेशन योजना शुरू करने का लक्ष्य पूरा कर लिया है. बैंकिंग सुविधा से वंचित शेष 64 गाँवों को वित्तीय वर्ष 2012 में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा. इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 2000 से कम जनसंख्या वाले 5000 गाँवों को भी शामिल किया जाएगा. गांव के अलावा आपका बैंक बैंकिंग सुविधा से रहित शहरी बस्तियों में भी वित्तीय समावेशन अभियान चला रहा है.

आपके बैंक की वित्तीय समावेशन योजना कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के ज़रिए सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित स्मार्ट कार्ड द्वारा लागू की जा रही है. वित्तीय समावेशन अभियान के लिए विभिन्न भौगोलिक खंडों / केंद्रों में प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) की सेवाएं ली जा रही हैं. ये टीसीपी बीसी / ग्राहक सेवा बिंदुओं (सीएसपी) के प्रबंधन सहित संपूर्ण समाधान प्रदान करेंगे. बैंकिंग सुविधा से वंचित गांवों के सभी ग्राहकों को बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) विनिर्देशनों के अनुसार बायोमैट्रिक स्मार्ट कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं, जिनमें लगभग दस कार्य शामिल करने की क्षमता है. शुरू में आबंटित गाँवों में प्रदान की जानेवाली बैंकिंग सेवाएं ऑफलाइन मोड पर उपलब्ध होंगी. आपका बैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है जिसके ज़रिए ग्राहकों को तात्कालिक आधार पर सेवाएं मुहैया कराई जा सकें.

आपके बैंक ने बैंकिंग सुविधा से वंचित 46 गाँवों और मुंबई के एक शहरी निर्धन केंद्र में एफआईपी चलाकर अपना समावेशी बैंकिंग अभियान शुरू किया. इन गाँवों में हुई प्रगति की समीक्षा उच्च प्रबंधन द्वारा पहुंच कार्यक्रम के तहत की जा रही है. फिलहाल आपका बैंक स्मार्ट कार्ड के ज़रिए केवल जमा, आहरण और बैलेंस जानकारी की सुविधाएं ही दे रहा है, लेकिन आगे इसका सूक्ष्म ऋण, बीमा, उपयोगिता भुगतान आदि के लिए भी सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है.

वित्तीय समावेशन पहल के अनुक्रम में आपके बैंक ने गुजरात राज्य के चार आदिवासी विकास खंडों में वित्तीय सेवाएं देने और लाभार्थियों को सरकारी योजनाएं अंतरित करने के लिए गुजरात सरकार के आदिवासी विकास विभाग के साथ समझौता किया है. ऐसी ही कुछ और सहभागिताएं अन्य राज्यों के साथ करने के लिए भी आपका बैंक कार्रवाई कर रहा है.

आपके बैंक ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पंजीयक के रूप में कार्य करने के लिए समझौता किया है और यह यूआईडीएआई परियोजना शुरू हो चुकी है.

एसएसएमई पहल कार्य

आपके बैंक के प्रगति चार्टर में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है. आपका बैंक यह मानता है कि लंबे समय तक चलने वाला प्रगति मॉडल एक मजबूत नींव पर ही खड़ा किया जा सकता है. एमएसएमई ग्राहकों तक पहुंचने के प्रयास में आपके बैंक ने 30 प्रमुख शहरों में एमएसएमई केयर सेंटर स्थापित किए हैं. इन सेंटरों के आसपास प्रमुख कारोबारी क्षेत्रों में एसएसएमई डेस्क स्थापित किए गए हैं. इसी के साथ आपके बैंक ने अधिकांश एमएसएमई क्षेत्रों / प्रमुखता प्राप्त क्लस्टरों को शामिल करते हुए एसएसएमई क्षेत्र में 84 से अधिक केंद्रों में अपनी पहुंच बना ली है.

आपका बैंक एमएसएमई ग्राहकों की विभिन्न ज़रूरतों को समझता है और इन्हें पूरा करने के लिए वह हमेशा नए उत्पाद तैयार करने की कोशिश में लगा रहता है. वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान आपके बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र में चार नए उत्पाद शुरू किए. आपके बैंक ने एमएसएमई के लिए 'संपत्ति पर ऋण' शुरू किए ताकि वे अपनी अनुप्रयुक्त परिसंपत्तियों / संपत्तियों का लाभ उठा सकें. बैंक ने एमएसएमई को नए कारोबार अवसरों का लाभ उठाने में समर्थ करने के लिए 'एसएमई स्मार्ट लाइन ऑफ क्रेडिट' शुरू की. इसके अलावा आपके बैंक ने देश के कारीगर समुदाय की ऋण ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की 'शिल्पकार क्रेडिट कार्ड' योजना को भी लागू किया. स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा स्रोतों की दिशा में बढ़ते हुए आपके बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च इंस्टीट्यूट 'वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट' (डब्ल्यूआरआई), यूएसए के साथ गठबंधन किया, जोकि ऊर्जा बचत परियोजनाएं लागू करने के लिए समावेशी आधार पर एक ऋण उत्पाद तैयार कर रहा है.

इनके अलावा आपके बैंक ने एमएसएमई ग्राहकों को उनकी ज़रूरतों के मुताबिक त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं. इसी भावना के मद्देनजर तथा एमएसएमई ऋण आधार व्यापक बनाने के लिए आपके बैंक ने सिडबी के साथ चुनिंदा शहरों की एमएसएमई इकाइयों के संयुक्त वित्तपोषण के लिए विशेष व्यवस्था की है. शुरुआत में यह योजना 10 केंद्रों अर्थात् अहमदाबाद, बंगलुरू, चेन्नै, कोयंबत्तूर, दिल्ली, इंदौर, जयपुर, लखनऊ, लुधियाना और राजकोट के लिए होगी, बाद में इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा.

आपका बैंक एमएसएमई की आर्थिक स्थिति में क्लस्टरों की भूमिका के महत्व को समझता है. आपके बैंक ने कोयंबत्तूर में क्लस्टर विकास पहल करते हुए एक विमर्श सत्र रखा, जिसमें उद्योग जगत के विभिन्न विशिष्ट वर्ग के महत्वपूर्ण वक्ताओं ने उस क्लस्टर के एमएसएमई के समक्ष अपने विचार रखते हुए विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान के बारे में बताया.

विभिन्न औद्योगिक संगठनों द्वारा एमएसएमई निर्माण पहल कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आपके बैंक ने पिछले वर्ष एमएसएमई प्रोत्साहन संबंधी कई गतिविधियों में सहभागिता की.

कृषि और ग्रामीण विकास

कृषि भारतीय किसानों को विरासत में मिली जीवन-चर्या का अभिन्न हिस्सा है. बैंकिंग जगत के समक्ष यह चुनौती है कि वह हमारे कृषक समुदाय को ज्ञान-आधारित ऋण प्रदान करे, ताकि कृषि की उत्पादकता बढ़े और इसी के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से जुड़े लोगों का जीवन बेहतर हो सके. किसानों तक अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने के लिए आपके बैंक ने वर्ष के दौरान समर्पित शाखाओं के अलावा अन्य शाखाओं में कृषि कारोबार देखने के लिए कुशल कर्मचारी तैनात करने सहित कई बुनियादी साधनों को बढ़ाया ताकि किसानों की जरूरतें पूरी हो सकें. फिलहाल आपके बैंक में कृषि कारोबार 14 एग्री प्रोसेसिंग केंद्रों से जुड़ी 300 शाखाओं के जरिए किया जाता है.

आपके बैंक के कृषि कारोबार में किसानों या किसान समूहों को प्रत्यक्ष ऋण देना, कॉरपोरेट और सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण देना; कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण में लगे कॉरपोरेटों या सहकारी समितियों तथा कृषि क्षेत्र को सहयोग करने वाली इकाइयों को सहायता देना आदि शामिल हैं. आपके बैंक ने किसानों को खेती की आधुनिक तकनीक और उसमें उभर रहे नए चलन के बारे में अवगत कराने के लिए कई कार्यक्रम चलाए. इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के जानकारों को आमंत्रित कर किसान सभाएं आयोजित करना, कृषि प्रदर्शनी में सहभागिता और नाबार्ड आदि के सहयोग से किसान क्लब का गठन जैसे कई कार्य शामिल हैं.

आपके बैंक के लिए कृषि ऋण सिर्फ आर्थिक कार्यकलापों के लिए वित्तपोषण नहीं है, बल्कि यह तो हमारे देश के ग्रामीण विकास के मिशन में सहभागिता का एक अवसर है. आपके बैंक ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण आबादी को डेरी, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, पशुपालन व अन्य संबद्ध कार्यकलाप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया और इस हेतु सहयोग भी दिया. आपके बैंक ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी ग्रामीण गतिविधियों में सहभागिता कर ग्रामीणों के साथ अपने संबंध मजबूत किए. आपका बैंक यह महसूस करता है कि ग्रामीण आबादी के बीच वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरूकता के बिना ग्रामीण विकास मुश्किल है.

ग्रामीण जनसमुदाय के बीच वित्तीय साक्षरता का प्रसार करने और उन्हें जागरूक बनाने की दृष्टि से बैंक नाबार्ड के सहयोग से 'नुक्कड़ नाटक' का वित्तीय साक्षरता-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में उपयोग कर रहा है. आपका बैंक संबद्धता कार्यक्रम के अंतर्गत गाँवों में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) भी स्थापित करने पर ज़ोर दे रहा है.

ग्रामीण युवकों में बेरोज़गारी की समस्या हमारे देश के समक्ष एक ज्वलंत विषय है. आपके बैंक ने यह निश्चय किया है कि वह भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश भर में 'ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान' (आरएसईटीआई) स्थापित करने के अभियान में सहभागिता करे और इसी सिलसिले में उसने पहला आरएसईटीआई स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र के सातारा जिले का चयन किया है. इस संस्थान में सातारा जिले के ग्रामीण बेरोज़गार युवकों के लिए कौशल और उद्यमिता विकास पर निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि वे अपने लघु उद्यम स्थापित कर सकें. आपका बैंक इस गतिविधि को कृषि तथा ग्रामीण विकास गतिविधियों के साथ एक पृथक ट्रस्ट के अंतर्गत चलाएगा.

पर्यावरण संरक्षण योजनाएं

आपके बैंक ने पर्यावरण बैंकिंग के क्षेत्र में भारतीय बैंकिंग जगत में एक अग्रणी भूमिका निभायी है. विभिन्न बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के अलावा आपका बैंक क्योटो प्रोटोकॉल तथा स्वैच्छिक उत्सर्जन न्यूनीकरण (वीईआर) के अंतर्गत स्वच्छता विकास व्यवस्था (सीडीएम) / कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर रहा है. आपका बैंक वर्ष 1991 से चिलर क्षेत्र में ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस (ओडीएस) को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने तथा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए तैयार की गई अनूठी परियोजना 'भारत में चिलर ऊर्जा कार्यकुशलता परियोजना' (आईसीप) के अंतर्गत विश्व बैंक निधीयन के लिए वित्तीय मध्यवर्ती के रूप में कार्य कर रहा है.

आपके बैंक ने कॉरपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में हरित पहल करते हुए भारत सरकार के कंपनी कार्य मंत्रालय की अनुमति से सदस्यों को महासभा का नोटिस / अन्य सूचनाएं, वार्षिक रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजने की पहल की है.

कार्बन क्रेडिट सेवाएं

आपके बैंक ने स्वच्छ विकास व्यवस्था (सीडीएम) पर विशेषीकृत कार्बन क्रेडिट / उत्सर्जन व्यापारिक सलाह पर जोर देने के लिए एक टीम का गठन किया है. बैंक सीडीएम परियोजनाओं तथा कार्बन क्रेडिट बाजार से संबंधित सभी सेवाओं जैसे सीडीएम परियोजनाओं का निधीयन, सीडीएम परियोजना के पंजीयन हेतु तकनीकी परामर्शी सेवा प्रदान करना, सीईआर तथा वीईआर ट्रेडिंग के लिए सलाहकारी सेवाएं, कार्बन क्रेडिट / कार्बन क्रेडिट प्राप्तियों पर अपफ्रंट वित्तपोषण तथा व्यावहारिक सीडीएम के लिए सलाहकारी सेवाओं को सुगम बना रहा है.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने नौ सलाहकारी / ट्रेडिंग नियत-कार्य पूरे किये और पंद्रह से अधिक नियत-कार्य प्रगति पर हैं. आपका बैंक अलग से युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) में हाइड्रो-प्रोजेक्ट के पंजीयन के लिए संपूर्ण सीडीएम तकनीकी सलाहकारी सेवा प्रदान कर रहा है. कार्बन क्रेडिट प्राप्तियों पर अपफ्रंट वित्तपोषण हेतु योजना के अंतर्गत दो परियोजनाओं को सहायता दी गई.

ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टैंस (ओडीएस) फेज़-आउट परियोजनाएं

आपका बैंक मांट्रियल प्रोटोकॉल में अपेक्षित रूप में भारत में क्लोरोफ्लोरो कार्बन (सीएफसी) तथा कार्बन टेट्रा क्लोराइड (सीटीसी) के उत्पादन और प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने में लगी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक की ओजोन ट्रस्ट फंड (ओटीएफ) द्वारा संचालित ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टैंस (ओडीएस) फेज आउट परियोजनाओं (ओडीएस III तथा IV) के लिए वित्तीय एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है. विश्व बैंक और भारत सरकार ने ओडीएस III तथा IV परियोजनाओं की अवधि क्रमशः दिसंबर 2011 और दिसंबर 2012 तक बढ़ा दी है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने दो परियोजनाओं के लाभार्थियों को कुल 0.67 मिलियन अमरीकी डॉलर की अनुदान निधियों के संवितरण पर 0.011 मिलियन अमरीकी डॉलर फीस आधारित आय अर्जित की. ओडीएस III तथा IV परियोजनाओं के अंतर्गत आपके बैंक के माध्यम से 31 मार्च 2011 तक संचयी रूप से कुल 116.80 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य निधियां संवितरित की गयी हैं.

भारत में चिलर ऊर्जा कार्यकुशलता परियोजना (आईसीप)

आपका बैंक ऊर्जा कार्यकुशलता अपकेंद्री सीएफसी आधारित चिलरों को अधिक ऊर्जा कार्यकुशल गैर-सीएफसी आधारित चिलरों से शीघ्र प्रतिस्थापित करने के लिए 'भारत में चिलर ऊर्जा कार्यकुशलता परियोजना' (आईसीप) के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक के वित्तीय मध्यस्थ और परियोजना कार्यान्वयन संस्था के रूप में कार्य कर रहा है. आईसीप की शुरुआत सितंबर 2009 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने की थी और अब यह कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है. इस परियोजना को वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) के अंतर्गत 6.3 मिलियन अमरीकी डॉलर और बहुपक्षीय निधि (एमएलएफ) के अंतर्गत 1 मिलियन अमरीकी डॉलर की अनुदान राशि प्राप्त हुई है. यह परियोजना सीडीएम कार्यक्रम की एक छोटी गतिविधि (पीओए) के रूप में विकसित की जा रही है तथा कार्बन क्रेडिट के लिए इसे युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) में पंजीकृत करने का प्रस्ताव है, जिससे वैयक्तिक लाभार्थियों की 370 लघु उप-परियोजनाओं के पंजीकरण की ऊँची लागत को दूर करने में मदद मिलेगी.

भारत में पात्र लाभार्थियों को दो विकल्पों के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा. विकल्प I के अंतर्गत नए कार्यकुशल अपकेंद्री चिलरों की लागत के 20% की अप-फ्रंट अनुदान सहायता 400 अमरीकी डॉलर प्रति टीआर (₹ 18,000 प्रति टीआर) के नियामक मूल्य के आधार पर उपलब्ध होगी. विकल्प II के अंतर्गत चिलर मालिक नए चिलरों द्वारा प्राप्त वास्तविक ऊर्जा बचत से उत्पन्न होनेवाली सीडीएम आय का लगभग 60% प्राप्त करने के पात्र होंगे.

वर्ष के दौरान 23 चिलरों के प्रतिस्थापन के लिए 12 पात्र परियोजनाएं पंजीकृत की गईं, जिन्हें मिलाकर अब तक निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के सीएफसी आधारित 55 चिलरों के प्रतिस्थापन हेतु 18 परियोजनाओं के लिए कुल 1.95 मिलियन अमरीकी डॉलर की अनुदान राशि प्राप्त हुई है. आपके बैंक ने बेसलाइन परिमाणन और पात्र चिलरों पर वार्षिक निगरानी के लिए सिस्टम तैयार किया है तथा इससे कार्बन क्रेडिट के लिए सीडीएम पीओए के रूप में यूएनएफसीसीसी में पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के लिए भी सहायता मिलती है.

ट्रेज़री परिचालन

आपके बैंक के प्रधान कार्यालय में एकीकृत ट्रेज़री है जिसमें कुशल ग्राहक सेवा प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार के ट्रेज़री उत्पाद प्रदान करते हुए निधियों के बेहतर प्रबंधन तथा प्रतिलाभ के लिए मुद्रा बाजार, नियत आय, विदेशी मुद्रा विनिमय, डेरिवेटिव और इक्विटी क्रय-विक्रय परिचालनों के विभिन्न कार्य किए जाते हैं.

वर्ष के दौरान चलनिधि का कुशलतापूर्वक और प्रभावशाली ढंग से प्रबंध किया गया. वर्ष की शुरुआत में प्रणाली में रुपया चलनिधि की स्थिति सुखद थी. चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अधिकतम अतिरिक्त राशि 7 अप्रैल 2010 को ₹ 119,655 करोड़ थी. अप्रैल 2010 में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 25 आधार बिंदु बढ़कर 6% होने, 3 जी/बी डब्ल्यू ए स्पेक्ट्रम नीलामी के कारण निधियों के बहिर्वाह, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा व्यय में कमी करने के कारण प्रणाली में चलनिधि में तंगी आई. वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में औसत एलएएफ में ₹ 5,762 करोड़ की कमी रही. सबसे अधिक कमी 22 दिसंबर 2010 को ₹ 170,485 करोड़ की रही. रुपये में कमी के प्रबंधन के लिए रिज़र्व बैंक ने एसएलआर में निवल मांग एवं समय देयताओं (एनडीटीएल) में 1% की कमी कर लगभग उतनी ही राशि के सरकारी बांड की पुनर्खरीद सहित कई कदम उठाए. वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में औसत एलएएफ में ₹ 88,919 करोड़ की कमी रही.

आपके बैंक ने तुलन पत्र में वृद्धि और देयताओं के भुगतान हेतु चलनिधि का प्रबंध करने के लिए जमा प्रमाणपत्र, अंतर बैंक उधार राशियां और विदेशी मुद्रा उधार राशियां सहित विभिन्न लिखतों का प्रयोग किया. अल्पावधि चल निधि का प्रबंधन माँग, सीबीएलओ, एलएएफ और रेपो बाज़ार परिचालनों के जरिए किया गया.

वर्ष की पहली छमाही में बांड बाज़ार में भारी अस्थिरता देखी गई. वर्ष की दूसरी छमाही में बांड बाज़ार में सीमित कारोबार हुआ. विशेष रूप से ऊँची मुद्रास्फीति और रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति को कठोर बनाने के कारण बाज़ार की प्रतिकूल परिस्थिति बनी, जिसके चलते प्रतिलाभ पर दबाव बना. 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों की आधार दर वित्तीय वर्ष 2010-11 की शुरुआत में 7.82% थी जो मई 2010 के मध्य तक कम होकर 7.37% तक रह गई और फिर यह धीमे-धीमे स्थिर रूप से बढ़ते हुए जनवरी 2011 के मध्य तक 8.23% तक जा पहुँची और फिर एक बार कम होते हुए वर्ष की समाप्ति तक 7.98% हो गई. वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने रेपो दर में 175 आधार बिंदु की बढ़ोत्तरी करते हुए इसे 6.75% कर दिया और रिवर्स रेपो में 225 आधार बिंदु की वृद्धि कर इसे 5.75% कर दिया.

आपके बैंक ने ग्राहकों को उनकी विदेशी मुद्रा जरूरतों को पूरा करने और उनकी ब्याज दर जोखिम तथा विदेशी विनिमय दर जोखिम से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राहकीकृत समाधान प्रदान किये. आपके बैंक की ट्रेज़री ने कॉरपोरेट ग्राहकों को उनके विदेशी मुद्रा लेन-देनों की विभिन्न जरूरतों के लिए प्रतिस्पर्धी दरें उपलब्ध कराई जिससे ग्राहकों की संख्या तथा विदेशी मुद्रा आय, दोनों में तीव्र वृद्धि हुई. आपके बैंक की ट्रेज़री की एक परिपूर्ण मार्केटिंग टीम है जो कॉरपोरेट ग्राहकों से निरंतर संपर्क में रहती है और विभिन्न मुद्राओं के बारे में उन्हें तत्परतापूर्वक राय देती है ताकि वे मुद्रा बाजारों में अस्थिरता का कुशलतापूर्वक प्रबंध कर सकें.

डेरिवेटिव खंड में आपका बैंक ग्राहकों को उनके संबंधित जोखिमों की बचाव-व्यवस्था के लिए मुद्रा तथा ब्याज दर डेरिवेटिव उत्पाद उपलब्ध कराता है. ग्राहकों को बचाव व्यवस्था के रूप में विकल्प संरचनाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं. वर्ष के दौरान बैंक ने अपने ग्राहकों को सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय आदि के लिए ऋण विक्रय सेवा भी उपलब्ध कराई. बैंक ने विनिमय व्यापारित मुद्रा विकल्प (इटको) में स्वामित्व व्यापार शुरू किया. इससे पूर्व वित्तीय वर्ष 2009-10 में विनिमय व्यापारित ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) और वित्तीय वर्ष 2008-09 में विनिमय व्यापारित मुद्रा फ्यूचर्स में स्वामित्व व्यापार शुरू किए गए थे.

सीमा-पार शाखाएं

वैश्वीकरण की बढ़ती गति के साथ आपके बैंक के अनेक प्रतिष्ठित ग्राहकों को विदेशी वित्त की जरूरत पड़ती है. इस दिशा में आपके बैंक ने विदेशी बाजारों में प्रवेश किया ताकि इसके भारतीय ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं को

पूरा करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पाद ऑफर करते हुए घरेलू बैंकिंग को सुदृढ़ किया जा सके. आपका बैक दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी) शाखा के ज़रिए अपने भारतीय ग्राहकों की भारतीय परिचालनों और विदेशी उपक्रमों के लिए निधि संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ईसीबी विस्तार, विदेशी मुद्रा ऋण समूहन व व्यापार वित्त उत्पादों सहित कॉरपोरेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है. यह शाखा आपके बैंक के लिए विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाने के लिए नोडल पॉइंट का भी काम करती है. आपके बैंक ने सिंगापुर में अपतटीय बैंकिंग इकाई (ओबीयू) खोलने के लिए मॉनिटरी ऑथारिटी ऑफ सिंगापुर (एमएएस) के पास तथा शंघाई में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के लिए चाइना बैंकिंग रेग्युलेटरी कमीशन (सीबीआरसी) के पास भी आवेदन प्रस्तुत किये हैं.

विदेशी मुद्रा संसाधन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने 1784.87 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य राशि जुटाई, जिसमें से (i) 830.37 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य राशि विदेशी बैंकों / भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से समूहित / द्विपक्षीय ऋणों और रिज़र्व बैंक की अतंर-बैंक कारोबार योजना के अंतर्गत अंतर बैंक सौदों के माध्यम से जुटाई गई; (ii) 205 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि क्लब / समूहित ऋण के जरिए जुटाई गई; (iii) 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के मध्यावधि नोट (एमटीएन) कार्यक्रम के अंतर्गत बांडों के निर्गम के ज़रिए 350 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि जुटाई गई; तथा (iv) 399.5 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य राशि बैंकों से अल्पावधि उधारियों के ज़रिए जुटाई गई. आपके बैंक ने अपनी डीआईएफसी शाखा, दुबई के माध्यम से निर्यात ऋण एजेंसी (ईसीए) समर्थित 100 मिलियन यूरो के समतुल्य राशि की ऋण व्यवस्था के लिए संविदा की. यही ऋण व्यवस्था (एलओसी) भारतीय कॉरपोरेटों द्वारा पश्चिमी यूरोप के देशों से आयातित पूंजीगत सामान तथा निवेश के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध रहेगी.

31 मार्च 2011 के अनुसार रिज़र्व बैंक की अतंर-बैंक लेनदेन योजना के अंतर्गत उधारियों की बकायाराशियां 1176.37 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य थीं, जोकि रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए अनुसार टीयर I पूंजी के 50% की सीमा में ही थीं. जैसाकि पहले बताया गया है, आपके बैंक ने अपने 350 मिलियन अमरीकी डॉलर के बेंचमार्क रेग एस बांड निर्गम की दर 30 जुलाई 2010 को 4.75% वार्षिक तय की है. बांड की परिपक्वता अवधि 5.5 वर्ष है तथा इसे बैंक के 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के मध्यावधि नोट (एमटीएन) कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किया गया, जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है. बेंचमार्क बांड निर्गम डीआईएफसी में आपके बैंक की शाखा के माध्यम से जुटाया गया है. सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइल किए गए 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर मध्यावधि नोट (एमटीएन) के इस कार्यक्रम से रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधान ऋण और साथ ही सतत टीयर I और अपर टीयर II पूंजी के माध्यम से विदेशी मुद्रा निधियां जुटाने में सहायता मिलेगी. एमटीएन कार्यक्रम के अंतर्गत जुटायी जाने वाली निधियों का उपयोग भारतीय और विदेशी कंपनियों की विदेशी मुद्रा निधियों की आवश्यकताओं के वित्तपोषण हेतु आपके बैंक की विदेश शाखा के निधीयन के लिए किया जाएगा.

रेटिंग

आपका बैंक देशी तथा विदेशी मुद्रा उधार-राशियों दोनों के लिए क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करता है. रुपया संसाधनों के लिए रेटिंग नीचे **तालिका 3** में दी गई है:

तालिका 3 : देशी मुद्रा उधार राशियों की रेटिंग (यथा 31 मार्च 2011)

	क्रिसिल	इक्रा	फिच
सावधि जमाराशियां	एफएएए / स्टेबल	एमएए+	टीएएए (इंड)
अल्पावधि उधार राशियां (जमा प्रमाणपत्र)	पी1 +	ए1+	एफ1 + (इंड)
दीर्घावधि रुपया बांड (सीनियर एवं लोअर टीयर II बांड)	एए+/ स्टेबल	एलएए+ / स्टेबल	एए+ (इंड)
संकर पूंजी - अपर टीयर II बांड	एए / स्टेबल	एलएए/ स्टेबल	एए-(इंड)
संकर पूंजी - आईपीडीआई	एए / स्टेबल	एलएए / स्टेबल	

आपके बैंक की विदेशी मुद्रा उधार राशियों की रेटिंग अंतर्राष्ट्रीय रेटिग एजेंसियों अर्थात् मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज़ (मूडीज़) तथा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (एस एंड पी) द्वारा दी जाती है, दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा रेटिंग और बैंक की वित्तीय सुदृढ़ता की रेटिंग (बीएफएसआर) **तालिका 4** में दर्शाई गई है.

तालिका 4 : प्रधान ऋण के लिए विदेशी मुद्रा उधार राशियों की रेटिंग (यथा 31 मार्च 2011)

रेटिंग एजेंसी	दीर्घकालिक रेटिंग	बीएफएसआर
मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज़ (मूडीज़)	बा2	डी -
स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (एस एंड पी)	बीबीबी - / स्टेबल	सी

दीर्घावधि रुपया उधार राशियां

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने अपने सीआरएआर में सुधार लाने के लिए बांडों के निर्गम के ज़रिए ₹ 2,443 करोड़ की राशि जुटाई, जिसमें से टीयर I पूंजी (₹ 245 करोड़), अपर टीयर II बांडों (₹ 1000 करोड़) और लोअर टीयर II बांडों (₹ 1198 करोड़) के लिए पात्र नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) शामिल हैं.

परिसंपत्ति गुणवत्ता

मार्च 2011 के अंत में आपके बैंक की 98.94% ऋण निवल परिसंपत्तियां मानक थीं. मार्च 2011 के अंत में आपके बैंक की ऋण परिसंपत्तियों में अवमानक ऋण परिसंपत्तियां 0.85% थीं, जबकि निवल संदिग्ध परिसंपत्तियां 0.21% रहीं जिनके लिए मौजूदा विवेकपूर्ण विनियमों के अनुरूप पर्याप्त प्रावधान किये गये. आपके बैंक ने अपने पोर्टफोलियो में से अनर्जक परिसंपत्तियों / पूरी तरह से बट्टे खाते डाले गये मामलों के निपटान के लिए कई उपाय किये. प्रत्येक मामले की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार देयताओं की पुनर्संरचना, एकबारीय निपटान / बातचीत से तय निपटान, कानूनी कार्रवाई, सरफाइसी अधिनियम के तहत कार्रवाई, प्रबंधन-वर्ग में परिवर्तन, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) को परिसंपत्तियों की बिक्री, रणनीतिक निवेशकों को शामिल करने जैसे विभिन्न उपाय किये.

31 मार्च 2011 को आपके बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 70% की विनियामक सीमा के मुकाबले 74.66% था.

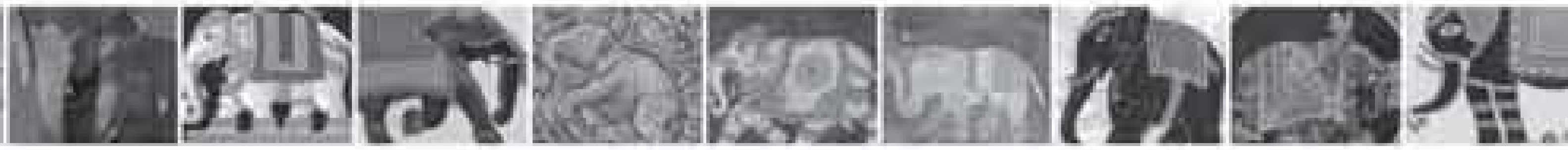

जोखिम प्रबंध

जोखिम बैंकिंग कारोबार का एक अभिन्न अंग है और यह आपके बैंक की कारोबारी रणनीति का एक प्रमुख घटक रहा है. जोखिम के संबंध में आपके बैंक का दर्शन दो उद्देश्यों से निर्देशित होता है. शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि और दूसरा, पूंजी का इष्टतम आबंटन. सतत आर्थिक मूल्य अर्जित करने के लिए पूरे बैंक में जोखिम के प्रति जागरूकता पैदा करना, जोखिम की कुशलतापूर्वक तथा प्रभावशाली ढंग से पहचान, आकलन, निगरानी तथा नियंत्रण को उचित प्राथमिकता दी जाती रही है.

आपके बैंक में एक समन्वित जोखिम प्रबंध कार्यप्रणाली है जो उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंध के सभी पहलुओं को देखती है. समग्र जोखिम प्रबंध की जिम्मेदारी निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) की है. जोखिम प्रबंध के क्षेत्र में उपयुक्त संरचना, नीतियाँ तथा समीक्षा प्रणालियाँ लागू की गई हैं. पूरे बैंक में जोखिम के प्रति सावधानी बरतने और निर्णय लेने में अनुशासित रहने की दृष्टि से बैंक में जोखिम प्रबंध प्रणालियों के संपूरक के तौर पर एक सुस्थापित, प्रभावी तथा स्वतंत्र आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था मौजूद है.

आपका बैंक पर्याप्त प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) क्षमता स्थापित करने के लिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का प्रयोग करता है. इससे जोखिम प्रबंधन में बढ़ती हुई परिष्कृत वित्तीय प्रणाली की चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा. जोखिम-तंत्र प्रणाली को और भी अधिक सदृढ़ तथा तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के उद्देश्य से आपके बैंक ने एकीकृत जोखिम प्रबंध संरचना (आईआरएमए) को कार्यान्वित किया है जिसमें सॉफ्टवेयर समाधान, अर्थात् जोखिम आकलन मॉड्यूल (आरएएम), पूंजी आकलन मॉडल (सीएएम) और क्रिसिल का परिचालनगत जोखिम मूल्यांकक (कोर) शामिल है. आरएएम एक द्विआयामी वेब आधारित रेटिंग प्रणाली है, सीएएम ऋण जोखिम के लिए एक पूंजी गणना प्रणाली है और कोर परिचालनगत जोखिम का पता लगाने की प्रणाली है. इन प्रणालियों द्वारा बासेल-II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोणों से संभावित अंतरण में सुविधा होगी. आईआरएमए प्रणाली को बैंकिंग उद्योग में सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंध प्रणाली के लिए भारतीय बैंक में सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंध प्रणाली के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा पुरस्कृत किया गया है.

बासेल-II मानदंडों का कार्यान्वयन

आपके बैंक ने 31 मार्च 2009 से रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित बासेल-II मानदंड अपना लिए हैं. बासेल-II के अंतर्गत पिलर-I मानदंडों के अनुपालन में बैंक ने 31 मार्च 2011 को ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकता की गणना की है और बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 13.64% और टीयर-I अनुपात 8.03% रहा जो क्रमशः 9% और 6% की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से अधिक है.

आपके बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है और बासेल-II के उन्नत (आंतरिक रेटिंग आधारित) दृष्टिकोणों में संभावित अंतरण की दिशा में तैयारी के लिए अपनी ऋण जोखिम प्रबंध प्रणाली को और उन्नत तथा मजबूत बनाने की प्रक्रिया में है. इसी तरह, बाज़ार जोखिम के लिए आपके बैंक ने पूंजी की गणना करने के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है और पूंजी की गणना के लिए आतंरिक मॉडल दृष्टिकोण (आईएमए) में निर्बाध अंतरण के लिए जोखिम-मूल्य आधारित प्रणाली कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है.

आपके बैंक ने परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) अपनाया है. उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) में अंतरण प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में, मुख्य जोखिम संकेतकों का एक नया सेट और जोखिम एवं नियंत्रण स्व-निर्धारण (आरसीएसए) ढाँचा भी तैयार किया गया है.

इसी तरह, बासेल-II के अंतर्गत पिलर-2 मानदंडों के अनुपालन में बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) संबंधी नीति लागू की है. इस नीति द्वारा बैंक उन जोखिमों का आतंरिक मूल्यांकन और गणना कर सकेगा जो पिलर-1 में सामने नहीं आ पाए हैं और साथ ही सामान्य तथा दबावग्रस्त परिस्थितियों में ऐसे जोखिमों के प्रबंध के लिए समुचित रणनीतियाँ भी बना सकेगा. तद्नुसार आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2010 के लिए आईसीएएपी की कार्रवाई पूरी कर ली है जिसे निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत कर दिया गया है.

बासेल-II के पिलर-3 मानदंडों के अनुपालन में आपके बैंक ने एक प्रकटन नीति तैयार की है और तद्नुसार 31 मार्च 2011 तक के प्रकटनों को वित्तीय वर्ष 2010-11 की बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया गया है और उन्हें बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है. पूंजी पर्याप्तता अनुपात के संबंध में भी प्रकटन को तिमाही आधार पर बैंक की वेबसाइट पर अद्यतन किया जाता है.

आपका बैंक बासेल-II मानदंडों के कार्यान्वयन के मूल्य सृजित करने पर विशेष ध्यान देने के साथ जोखिम प्रबंध में सर्वोत्तम पद्धतियां अपनाने के लिए रणनीतिक तथा पथ प्रदर्शक प्रक्रिया मानता है.

ऋण जोखिम

आपका बैंक बैंकिंग कारोबार में ऋण जोखिम के महत्व को समझता है और इसीलिए इसने उचित जोखिम प्रबंध कौशल से युक्त ऋण जोखिम प्रबंध प्रणाली अपनाई है. आपका बैंक एक सक्रिय ऋण नीति का अनुसरण करता है जिसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और कारोबारी तथा आर्थिक परिदृश्य में होने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इसे अद्यतन किया जाता है. उपयुक्त ऋण वितरण प्रक्रियाओं तथा पोर्टफोलियो एवं लेखा निगरानी के जरिए सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है.

आपके बैंक ने ऋण समीक्षा व्यवस्था-तंत्र (एलआरएम) को कार्यान्वित किया है जो उचित ऋण मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी साधन है, साथ ही निगरानी मानक बनाए रखे गए हैं. वर्ष के दौरान आपके बैंक की आंतरिक रेटिंग प्रक्रियाओं को और भी कारगर बनाया गया है ताकि कार्रवाई समय में तीव्रता और ऋण वितरण में तेजी लायी जा सके. शीर्ष स्तरीय रेटिंग समिति ऋण रेटिंगों को वैधता प्रदान करती है और जोखिम विश्लेषकों तथा संपर्क प्रबंधकों को मार्गदर्शन भी देती है. एक सक्रिय उपाय के रूप में आपका बैंक संवेदनशील क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों को दी जानेवाली ऋण सीमाओं तथा ऋण निवेशों की नियमित रूप से निगरानी करता है.

बाज़ार जोखिम

आपका बैंक अपनी समग्र जोखिम प्रबंध प्रणाली के एक अभिन्न हिस्से के रूप में चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम तथा ट्रेजरी कार्यकलापों से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम जैसे सभी प्रकार के बाज़ार जोखिमों का समाधान करता है. बाज़ार जोखिमों की समग्र स्थितियां तथा कार्य परिसंपत्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति, बाज़ार जोखिम नीति, निवेश नीति और डेरिवेटिव नीति में परिभाषित नीतिगत ढांचे के अनुसार किए जाते हैं. सामान्य तौर पर ये नीतियां जोखिम उठाने के उपयुक्त स्तरों का निर्धारण करती हैं और जोखिमों और अपवादों के आकलन, रिपोर्टिंग तथा वृद्धि हेतु व्यवस्थाएं तय करती हैं.

आपके बैंक ने चल निधि व ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए बोर्ड के अनुमोदन से जोखिम सीमाएं विनिर्दिष्ट की हैं. परिसंपत्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) वास्तविक जोखिम स्थिति पर नियमित निगरानी रखती है और आवश्यकतानुसार परिसंपत्ति-देयता के अंतर को विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर रखने के लिए कदम उठाए जाते हैं. आपके बैंक की परिसंपत्ति देयता प्रबंध (एएलएम) स्थिति के बारे में एल्को, बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) तथा रिज़र्व बैंक को आवधिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है.

परिचालन जोखिम

'परिचालन जोखिम प्रबंध नीति' के अनुसार परिचालनगत जोखिम प्रबंध ढांचा तैयार करने और उसके कार्यान्वयन का दायित्व स्वतंत्र परिचालन जोखिम कक्ष को दिया गया है. इसके अलावा, एक विवेकपूर्ण जोखिम न्यूनीकरण उपाय के रूप में, परिचालनगत जोखिमों पर गहन निगरानी रखने के लिए शीर्ष स्तरीय कार्यपालकों के एक परिचालन जोखिम समूह (ओआरजी) का गठन किया गया है.

आपका बैंक प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) आंकड़ा संग्रहण ढांचे और विनिर्दिष्ट मानदंडों की तुलना में परिचालनगत कार्य-निष्पादन के आधार पर शाखाओं की रेटिंग के माध्यम से परिचालनगत जोखिम की निगरानी करता है. जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) रूपरेखा विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों में नियंत्रण व्यवस्था-तंत्र की प्रभावशीलता का आकलन करने और उसे मज़बूत बनाने का एक अन्य साधन है.

इसके अलावा, परिचालनगत जोखिम का सावधानीपूर्वक प्रबंध करने के लिए, 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) तथा धन शोधन निवारण (एएमएल) नीति' लागू की गई है. यह नीति काले धन को वैध बनाने के कार्यकलापों के लिए आपराधिक तत्वों द्वारा बैंकों का इरादतन या गैर-इरादतन इस्तेमाल किये जाने से रोकती है. परिचालनगत जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने और उनसे निपटने में परिचालन से जुड़े अधिकारियों को सचेत करने के उद्देश्य से, परिचालनगत जोखिम प्रबंध, धोखाधड़ी निगरानी, धन शोधन निवारण तथा केवाईसी जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये.

आपदा की स्थिति में महत्वपूर्ण बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अच्छी तरह से आजमाई गयी एक कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) लागू की गयी है. इस योजना से कारोबार व्यवधान या आपदा की अप्रत्याशित घटना की स्थिति में मूल्यवान ग्राहकों को यथासंभव शीघ्र समय में चौबीसों घंटे बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सहायता मिलेगी. कारोबार व्यवधान या आपदा की स्थिति में कारोबार निरंतरता योजना की प्रभावशीलता का आकलन उचित परीक्षण द्वारा किया गया है. कारोबार निरंतरता योजना के वास्तविक जीवंत परीक्षण से पूर्व अधिसूचना तथा कालआउट परीक्षण तथा टेबल-टॉप परीक्षण/ संरचित वॉक थ्रू परीक्षण किये जाते हैं. इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी निरंतर तथा अविच्छिन्न ग्राहक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से एक डिजास्टर रिकवरी (डीआर) साइट की स्थापना की गयी है और आवधिक रूप से डिजास्टर रिकवरी ड्रिल किये जाते हैं.

उत्पाद जोखिम

आपका बैंक नये उत्पाद हेतु एक सुदृढ़ अनुमोदन प्रक्रिया का अनुसरण करता है जिसमें संकल्पना वैधीकरण, महत्वपूर्ण धारणाओं की पुष्टि, प्रौद्योगिकीय क्षमता आदि जैसे व्यापक जोखिम मूल्यांकन तथा न्यूनीकरण प्रणाली शामिल हैं. साथ ही, जोखिमों की निरंतर निगरानी तथा नियंत्रण करने के उद्देश्य से मौजूदा उत्पादों तथा सेवाओं की भी नियमित रूप से आवधिक समीक्षा की जाती है.

सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम

जहां एक ओर आपका बैंक अपने ग्राहकों तथा अन्य अंशधारकों को बेहतर सेवाएं / योजनाएं प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का प्रयोग करने में अग्रणी रहा है, वहीं इसने प्रभावी आईटी जोखिम प्रबंध की आवश्यकता को भी समझा है. बैंक की आईटी जोखिम न्यूनीकरण रणनीति में सूचना सुरक्षा पहलुओं के अलावा अनुपालन व निजता पहलू भी शामिल हैं. सूचना सुरक्षा नीति (आईएसपी) लागू करने का उद्देश्य यह है कि सूचनाएं अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित रहें और सूचनाओं की गोपनीयता तथा विश्वसनीयता बनी रहे, साथ ही अधिकृत उपयोगकर्ताओं को यह समय पर उपलब्ध हो सकें. उच्च-स्तरीय सूचना सुरक्षा संवीक्षा समिति (आईएसएससी) यह सुनिश्चित करती है कि आईटी संसाधनों के सतत संरक्षण की व्यवस्था बनी रहे. कर्मचारियों के लिए सूचना सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों के नियमित आयोजन के अलावा ग्राहकों को विभिन्न सूचना सुरक्षा सावधानियों के बारे में भी सूचित किया जाता है.

आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सिस्टम को एक सुदृढ़ सूचना सुरक्षा ढांचे के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया है. बैंक के केंद्रीकृत डाटा सेंटर को आईएसओ 27001 प्रमाणन प्राप्त है जो एक प्रतिष्ठित सूचना सुरक्षा प्रमाणन है. फायरवाल, गेटवे फिल्टर्स, डिमिलिटराइज़्ड ज़ोन जैसे बहुविध सूचना सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन से गहन सुरक्षा की जा रही है. 'फिशिंग' हमलों के प्रति कारगर कार्रवाई करने हेतु सुरक्षा स्तरों को बढ़ाने के उपाय किए गए हैं. सूचना सुरक्षा पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है.

आपके बैंक की जोखिम प्रबंध रूपरेखा कोई नया संव्यवहार करने तथा प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों को बदलने या नई प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों को कार्यान्वित करने से पूर्व अंतर्निहित जोखिमों का विश्लेषण करने और उन्हें समझने पर विशेष जोर देती है. इससे सभी जोखिमों का व्यापक आकलन किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि संव्यवहार तथा प्रक्रियाएं बैंक की जोखिम उठाने की क्षमता और विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप हों. इसे अभिशासन संरचना के समूहन के माध्यम से हासिल किया जाता है जिसमें संव्यवहारों तथा प्रक्रियाओं के लिए एक बहुस्तरीय अनुमोदन स्तर शामिल है. इस व्यवस्था - तंत्र में सहायता के लिए संव्यवहार की वार्षिक समीक्षा, पोर्टफोलियों की नियमित समीक्षा, नियंत्रण स्व-मूल्यांकन तथा प्रमुख जोखिम संकेतकों की निगरानी शामिल है.

प्रबंध, नियंत्रण एवं प्रणालियां

मानव संसाधन पहल कार्य

वर्ष 2010-11 के दौरान आपके बैंक ने 2509 कर्मचारियों (1800 अधिकारी, 709 एक्ज़ीक्यूटिव) की भर्ती की, जिनमें से अनुसूचित जाति (अजा) के 239, अनुसूचित जनजाति (अजजा) के 80, अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव) के 457 और अशक्त व्यक्ति श्रेणी के 19 कर्मचारी हैं. 31 मार्च 2011 को आपके बैंक में 13598 कर्मचारी कार्यरत थे जिनमें 9912 अधिकारी, 1150 एक्ज़ीक्यूटिव, 1386 लिपिकीय स्टाफ (श्रेणी III) और 1150 अधीनस्थ कर्मचारी (श्रेणी IV) थे. इसके अलावा आपके बैंक की दो सहायक संस्थाओं अर्थात् आईडीबीआई होम फाइनेंस लि. और आईडीबीआई गिल्ट्स लि. के विलय के फलस्वरूप बैंक के कर्मचारियों की कुल संख्या 31 मार्च 2011 को बढ़कर 13828 हो गयी.

आपके बैंक ने एक व्यापक मानव संसाधन आईटी संरचना प्रारंभ करने की अपनी पहल के एक हिस्से के रूप में, कर्मचारियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ऑरेकल एचआरएमएस प्लेटफार्म पर विभिन्न मॉड्यूलों को अनुकूलित तथा कार्यान्वित किया है जिससे ऑनलाइन प्रक्रिया प्रवाह के जरिए कार्रवाई समय में कमी आयी है और कागज का इस्तेमाल भी कम हुआ है और इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण में एक छोटा-सा योगदान दिया गया है. वर्ष के दौरान की गयी एक अन्य महत्वपूर्ण पहल कार्य-निष्पादन मापन प्रणाली (पीएमएस) के कार्यान्वयन की दिशा में प्रगति है जो परीक्षण के अंतिम चरण में है. पीएमएस में प्रत्येक कर्मचारी के लिए प्रमुख कार्य-निष्पादन का आकलन करने में सहायता मिलेगी. आपके बैंक में औद्योगिक संबंध का माहौल वर्ष के दौरान सौहार्द्रपूर्ण रहा जिससे कोई हड़ताल नहीं हुई या कार्य में कोई व्यवधान नहीं हुआ.

अनुसूचित जातियों (अजा), अनुसूचित जनजातियों (अजजा) और अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव) का प्रतिनिधित्व

आपका बैंक अप्रैल 1977 से सीधी भर्ती में और फरवरी 1980 से पदोन्नति में अजा/अजजा के लिए आरक्षण के नियमों को लागू कर रहा है. आपका बैंक सीधी भर्ती में सितंबर 1993 से अपिव के लिए भी आरक्षण लागू कर रहा है. भारत सरकार के संशोधित अनुदेशों के अनुसार, पद आधारित रोस्टर प्रणाली को विधिवत् अपनाया गया है. आपके बैंक में 31 मार्च 2011 को विभिन्न संवर्गों की कुल संख्या में अजा, अजजा और अपिव का प्रतिनिधित्व **तालिका 5** में दिया गया है.

तालिका 5 : अजा / अजजा / अपिव का प्रतिनिधित्व

मानव शक्ति	कुल संख्या	जिनमें से		
		अजा	अजजा	अपिव
अधिकारी	9912	1025	299	1319
एक्ज़ीक्यूटिव	1150	183	39	388
लिपिकीय	1386	147	42	127
अधीनस्थ स्टाफ (स्वीपरों को छोड़कर	905	213	66	151
स्वीपर	245	66	19	45
कुल	13598*	1634	465	2030
कुल संख्या का %		12.02	3.42	14.93

* आईडीबीआई होम फाइनेंस लि. और आईडीबीआई गिल्ट्स लि. के कर्मचारियों को छोड़कर.

31 मार्च 2011 को बैंक में 49 भूतपूर्व सैनिक और 127 शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति थे. आपका बैंक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अशक्त व्यक्तियों (पीडब्लूडी) के लिए अलग से रोस्टर रखता है.

आपके बैंक ने अजा / अजजा / पीडब्ल्यूडी तथा अपिव के कर्मचारियों की शिकायतों का प्रभावी रूप से निराकरण करने के लिए संबंधित श्रेणी में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की है. आपके बैंक ने वर्ष के दौरान अजा / अजजा / अपिव कर्मचारी कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ चार तिमाही बैठकें आयोजित कीं. संपर्क अधिकारियों और अजा / अजजा संघ के प्रतिनिधियों तथा भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों को संबंधित कार्यक्रमों में नामित किया गया ताकि उन्हें आरक्षण नीति की अद्यतन जानकारी / परिवर्तनों से अवगत कराया जा सके. इस अवधि के दौरान आपके बैंक ने अधिकारियों तथा एक्ज़ीक्युटिवों के पद के लिए लिखित परीक्षा / साक्षात्कार देने वाले 4752 अजा / अजजा उम्मीदवारों हेतु भर्ती पूर्व कार्यक्रम आयोजित किए. इसके अलावा अजा / अजजा श्रेणी से संबंधित अधिकारियों के लिए पदोन्नति पूर्व कार्यक्रम आयोजित किए गए.

मानव संसाधन - प्रशिक्षण एवं विकास

आपके बैंक की विकास योजनाओं और प्रतिस्पर्धी माहौल के परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षण का कार्य एक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया रहा है. निःस्संदेह, मानव संसाधन की गुणवत्ता प्रतिस्पर्धी बढ़त प्रदान करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है. आपके बैंक में एक प्रमुख कार्य यह हुआ है कि व्यावसायिक योग्यता रखने वाले युवा अधिकारियों की बड़ी संख्या में भर्ती की गई है और उन्हें इस प्रकार समर्थ बनाया गया है कि त्रुटिरहित परिचालन सुनिश्चित किया जा सके और बैंक के विकास में उनका प्रभावी योगदान लिया जा सके. मध्यम व वरिष्ठ स्तर के वर्तमान कर्मचारियों को बाज़ार शक्तियों से उभरती नई मांगों को पूरा करने के लिए निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

प्रभावी शाखा संचालन, प्रणालियों, प्रक्रियाओं, अनुपालन, उत्पादों, विपणन, बिक्री और उत्कृष्ट सेवा के जरिए बैंक की बाजार में हिस्सेदारी और कारोबार में रैंकिंग बढ़ाने के लिए स्टाफ की दक्षता को सुधारने और बढ़ाने हेतु गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सुव्यवस्थित प्रयास किए गए. इसके अलावा स्टाफ को टीम का बेहतर सदस्य / नेतृत्वकर्ता बनाना प्रशिक्षण के अन्य क्षेत्र रहे हैं. प्रणाली में नए अधिकारियों को शामिल करने के अलावा मध्यम और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को कार्यशालाओं के माध्यम से अपने निर्णय कौशल को और भी बेहतर बनाने तथा व्यावसायिक दृष्टिकोण को व्यापक करने का अवसर भी प्रदान किया गया.

वर्ष के दौरान कारोबारी प्रमुखों के परामर्श से आपके बैंक ने प्रशिक्षण की जरूरतों की योजना बनाई और 695 कार्यक्रमों के माध्यम से 10,988 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया. इनमें से 470 बैंक के आतंरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम थे जिनमें 10,499 प्रतिभागियों को शामिल किया गया. इसके अलावा भारत में अन्य संस्थानों / प्रशिक्षण संगठनों द्वारा संचालित 194

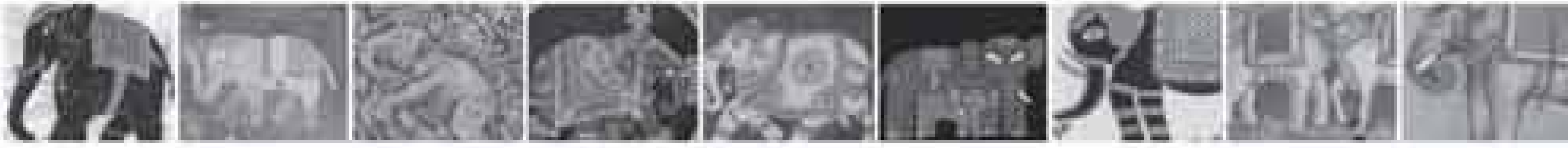

बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 430 अधिकारियों को नामित किया गया और विदेश में 31 प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सम्मेलनों/सेमिनारों के लिए 59 अधिकारियों को नामित किया गया.

मानव संसाधन के समस्त कार्यक्षेत्रों के लिए व्यापक प्रशिक्षण की भारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने चार प्रशिक्षण केंद्रों अर्थात् मुंबई (बेलापुर), चेन्नई, कोलकाता तथा दिल्ली के साथ-साथ हैदराबाद में स्थित जेएन आईडीबीआई स्टाफ कॉलेज में मौजूदा प्रशिक्षण क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग किया है. अत्याधुनिक सुविधा से युक्त एक नया प्रशिक्षण भवन और 100 प्रशिक्षार्थियों के लिए एक छात्रावास का स्टाफ कॉलेज कैम्पस में निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है. इस अतिरिक्त प्रशिक्षण व्यवस्था से आपके बैंक की बढ़ती प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी.

इससे आगे बढ़ते हुए, आपका बैंक चर्चापरक कक्षा सत्रों, देशी और अंतरराष्ट्रीय बाहरी कार्यक्रमों एवं संरचित ई-लर्निंग मॉड्यूलों के संयोजन की मदद लेकर तथा सही प्रकार के संसाधनों से प्रशिक्षण प्रणाली को मजबूत कर अपने मानव संसाधन के विकास के लिए प्रतिबद्ध है.

आंतरिक लेखा परीक्षा

आपके बैंक में सुसज्जित आंतरिक लेखा परीक्षा और विनियामक अनुपालन विभाग है जो विभिन्न कारोबारी वर्टिकलों / सहायता वर्टिकलों तथा शाखाओं द्वारा किये जा रहे सभी कार्यकलापों का नियमित स्वतंत्र मूल्यांकन करता है. इस कार्य के प्रमुख वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के अधिकारी हैं जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं. लेखा परीक्षा कार्य में नियत कार्यों को करते समय अपनी स्वतंत्रता तथा वस्तुनिष्ठता को बनाए रखा जाता है. यह सतत् आधार पर आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता, नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करता है और विभिन्न जोखिमों को समय पर दूर करने के लिए नियंत्रणों को सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाने हेतु उपाय सुझाता है. आपके बैंक ने अपने कार्यों के लिए जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा को अपनी रणनीति के रूप में अपनाया है. संगठनात्मक ढाँचे में आये परिवर्तन, कारोबारी नीतियों, रणनीतियों, कार्य प्रणालियों, प्रक्रियाओं तथा नयी योजनाओं के अनुरूप वर्ष के दौरान जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा नीति की समीक्षा की गई.

परिचालनों के स्वरूप और जटिलताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकी और आईटी सुरक्षा (आईएस) संबंध मुद्दों के समाधान के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा व्यवस्था के हिस्से के रूप में सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा (आई एस ऑडिट) मौजूद है. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा की भी समीक्षा की गयी. आपके बैंक में विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य के पूरक के रूप में व्यापक संगामी लेखा परीक्षा प्रणाली और आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ बनाने के लिए धोखाधड़ी निगरानी प्रणाली मौजूद है. संगामी लेखा परीक्षा प्रणाली की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है.

परिचालन संबंधी कार्यकुशलता को बढ़ाने एवं प्रक्रियाओं संबंधी कार्यकुशलता को बढ़ाने एवं प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने हेतु लेखा परीक्षा एवं अन्य परिचालन खंडों के बीच उचित तालमेल है. सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने के प्रयासों के रूप में आपके बैंक की पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं को बेंचमार्क बनाने पर जोर दिया जाता है. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति तथा कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति कार्य-निष्पादन की निरंतर समीक्षा करती है, आंतरिक लेखा परीक्षा करने वाले अधिकारियों को दिशा-निर्देश देती है तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता तथा विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करती है.

सतर्कता तंत्र

आपके बैंक के प्रधान कार्यालय में पूर्ण रूप से सुसज्जित सतर्कता विभाग कार्य करता है. सतर्कता विभाग सतर्कता से जुड़ी शिकायतों की जांच करने के लिए शीर्ष प्रबंधन को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने तथा नियंत्रण प्रणालियों को बेहतर बनाने हेतु सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हैं, सुझाने और निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है. आपका बैंक सतर्कता प्रशासन में सुधार लाने के लिए समय-समय पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित करता रहा है और इसने एक ऐसी प्रणाली शुरू की है जिसमें जनता / किसी अन्य स्रोत से प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है.

आपके बैंक के इंट्रानेट पर सतर्कता विभाग साइट शामिल की गयी है. यह साइट सतर्कता विभाग का परिचय, बैंक की सभी शाखाओं / कार्यालयों में प्रदर्शित किये जानेवाले सीवीसी के मानक नोटिस, सीवीसी, सीवीसी के मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन (सीटीईओ) तथा आपके बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले महत्वपूर्ण परिपत्र / दिशा-निर्देश / प्रकाशन और निवारक सतर्कता संबंधी 'क्या करें क्या न करें' के बारे में जानकारी प्रदान करती है.

वर्ष के दौरान बिना पूर्व सूचना दिए विभिन्न शाखाओं के सतर्कता दौरे किये गये ताकि वहां भ्रष्टाचार की स्थिति, कदाचार तथा निर्दिष्ट प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अननुपालन का पता लगाया जा सके और जहां आवश्यक समझा गया वहां सुधारात्मक उपाय सुझाये गए. वर्ष के दौरान सतर्कता जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने के लिए विभिन्न स्थानों पर 'निवारक सतर्कता' पर केंद्रित सतर्कता जागरूकता विषय पर कई चर्चापरक कार्यशालाएं तथा विशेषज्ञों के व्याख्यान और वार्ताएं आयोजित की गईं. इन कार्यक्रमों में सभी स्टाफ सदस्यों द्वारा अपने दैनंदिन कार्यों में निवारक सतर्कता बरतने की आवश्यकता और संगठनात्मक कार्यकुशलता के व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सतर्कता जागरूकता की आवश्यकता पर समुचित बल दिया गया.

सीवीसी के निर्देशानुसार कर्मचारियों को भ्रष्टाचार की बुराइयों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आपके बैंक के प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालयों में 25 अक्तूबर 2010 से 1 नवंबर 2010 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया. इस अवसर पर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर. एम. मल्ला ने सीवीसी के निर्देशों के अनुसार भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक समर्पित, टोल-फ्री, हॉटलाइन नं. 1800-22-8444 का शुभारंभ किया.

विनियामक अनुपालन

आपके बैंक ने विभिन्न सांविधिक और विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं. विनियामक दिशानिर्देशों की सतत आधार पर समीक्षा करने, समन्वय करने और अनुपालन बढ़ाने के लिए आपके बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी को विनियामक अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है.

ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का कोड

आपका बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है. आपके बैंक के निदेशक मंडल ने ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का कोड (अगस्त 2009 में संशोधित, अर्थात् कोड 09) और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम कोड (एमएसई कोड, मई 2008 में जारी) कार्यान्वियन हेतु अपनाया है. दोनों कोड स्वैच्छिक हैं जो बैंकों के लिए वैयक्तित ग्राहकों के साथ और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के साथ भी संव्यवहार करने के लिए अपनायी जाने वाली बैंकिंग पद्धतियों के न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं तथा यह स्पष्ट करते हैं कि बैंकों को उनके दैनंदिन कार्यों के लिए उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए.

बैंक द्वारा उपर्युक्त कोड के अनुपालन के अभिन्न भाग के रूप में कोड संबंधी जानकारी ग्राहकों को बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर, शाखाओं में, एटीएम में और साथ ही ग्राहकों के खाता विवरणों के साथ उपलब्ध कराई जाती है. कोड की प्रतियां शाखाओं के जरिए व्यापक रूप से वितरित की गई हैं.

ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के कोड के प्रावधानों के अनुपालन के लिए आपके बैंक की सभी शाखाओं में पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें यह बताया गया है कि विभिन्न नीतिगत दस्तावेज आपके बैंक की वेबसाइट और शाखाओं में उपलब्ध हैं, जिन्हें ग्राहक की मांग पर उपलब्ध कराया जा सकता है. कोड अनुपालन अधिकारियों के नाम और संपर्क संबंधी ब्योरे भी शाखाओं और बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये गये हैं. आपका बैंक बीसीएसबीआई के दिशा-निर्देशों का नियमित आधार पर अनुपालन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है. साथ ही, बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) और ग्राहक सेवा स्थायी समिति यह सुनिश्चित करती है कि ग्राहक संतुष्टि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बैंक की योजनाओं, प्रक्रियाओं और सेवाओं को समय-समय पर बीसीएसबीआई के अपेक्षित उद्देश्य को पूरा करने के लिए बेहतर किया जाए.

इसके अलावा, स्टाफ सदस्यों के बीच जागरूकता लाने के लिए बैंक के इंट्रानेट पर कोड 09 तथा एमएसई कोड की प्रति प्रदर्शित की गई हैं. सभी शाखाएं अपने शाखा स्टाफ, बिक्री टीमों और संग्रहण टीमों को कोड के प्रावधानों से अवगत कराने के लिए और ग्राहकों तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के साथ संव्यवहार करते समय सावधानी बरतने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं. इसके अलावा, बैंक के प्रशिक्षण केंद्रों में कोड के प्रावधानों पर विशेष प्रशिक्षण सत्र चलाये जा रहे हैं.

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पहल कार्य

विभिन्न लोक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'सूचना का अधिकार (आरटीआई)' अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया है. आपके बैंक ने बैंक के कामकाज के विभिन्न पहलुओं पर आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत जानकारी माँगते हुए नागरिकों से प्राप्त आवेदनों का उत्तर देने के लिए एक पुख्ता व्यवस्था की है. बैंक ने कार्य के विभिन्न क्षेत्रों पर आवेदनों का उत्तर देने के लिए 21 केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किये हैं. इसके अलावा सभी शाखा प्रमुखों को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने और प्राप्त आवेदनों को नामित सीपीआईओ के पास भेजने के लिए केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है. बैंक ने व्यथित आवेदकों की अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को अपील प्राधिकारी के रूप में नामित किया है. इसके अलावा सीआईसी के दिनांक 15 नवंबर 2010 के निदेश और 9 दिसंबर 2010 की अधिसूचना के अनुसार बैंक ने संस्थागत पारदर्शिता को बढ़ावा देने और आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक कार्यपालक निदेशक को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया है. आरटीआई अधिनियम के विभिन्न पहलुओं के बारे में सीपीआईओ को नियमित आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है. इसके अलावा आरटीआई अधिनियम के महत्व के बारे में बैंक के अधिकारियों को अवगत कराने के उद्देश्य से, बैंक के जेएन आईडीबाआई स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद और विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के एक हिस्से के रूप में आरटीआई अधिनियम पर एक विशिष्ट मॉड्यूल शामिल किया जा रहा है. बैंक के कामकाज से संबंधित समस्त जानकारी को शामिल करते हुए बैंक की वेबसाइट पर आरटीआई अधिनियम पर एक अलग मेनू की व्यवस्था की गई है.

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत जानकारी मांगते हुए 596 आवेदन प्राप्त हुए. अधिकांश आवेदन बैंक के खुदरा बैंकिंग परिचालन कार्यों से संबंधित थे. आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी आवेदनों के उत्तर दिए गए.

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

आपके बैंक ने सरकारी निर्देशों के अनुसार राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना जारी रखा. आपके बैंक ने राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रखे. बैंक ने प्रधान कार्यालय के विभागों / वर्टिकलों तथा शाखाओं में हिंदी के प्रयोग के संबंध में लक्ष्यों को प्राप्त करने पर विशेष जोर दिया. व्यापक जन समूह तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए बैंक ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया. ग्राहकों की सुविधा के लिए आपके बैंक ने अधिकांश एटीएमों में हिंदी और अंग्रेजी, दोनों में अनुदेश प्रदर्शित किए हैं. बैंक की वेबसाइट पर हिंदी में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, प्रौद्योगिकी सक्षम वातावरण में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए गए. स्टाफ सदस्यों को हिंदी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण दिया गया. बैंक में हिंदी के प्रयोग का बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान वार्षिक राजभाषा शील्ड प्रोत्साहन योजना शुरू की गई, जिसके अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र की 5 शाखाओं और प्रधान कार्यालय में 3 विभागों को हिंदी के प्रयोग में उत्कृष्ट कार्य के लिए शील्ड, प्रमाण-पत्र व नकद पुरस्कार प्रदान किए गए.

स्टाफ सदस्यों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से और उन्हें राजभाषा नीति और भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के प्रावधानों से परिचित कराने के लिए देश भर में विभिन्न केन्द्रों पर राजभाषा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए. हिंदी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में अखिल भारतीय स्तर और प्रधान कार्यालय में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं. प्रधान कार्यालय में स्टाफ सदस्यों के लाभ के लिए प्राकृतिक चिकित्सा और स्वास्थ्य, मीडिया व जनभाषा हिंदी विषयों पर व्याख्यान आयोजित किये गये. वर्ष के दौरान बैंक की योजनाओं पर हिंदी में पोस्टर व फ्लायर/पुस्तिकाएं मुद्रित की गईं. इनके अलावा हिंदी सप्ताह के दौरान हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष स्टिकर प्रकाशित किए गए. आपके बैंक ने ''राजभाषा संदर्भ सहायिका'' नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें कृषि, प्रशासन, रिटेल बैंकिंग, विधि क्षेत्र के शब्दों सहित टिप्पण, लैटिन शब्दों एवं संक्षेपाक्षरों की जानकारी दी गई.

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख और साक्ष्य समिति ने आपके बैंक के कोयंबतूर शाखा के प्रभारी के साथ विचार-विमर्श किया और इस शाखा द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की.

कारोबार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में आपके बैंक के प्रयासों को विभिन्न स्तरों पर सराहना मिली. बैंक को हिंदी कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, महाराष्ट्र से पुरस्कार मिला. साथ ही हिंदी के प्रयोग में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए कोलकाता नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा कोलकाता शाखा को पुरस्कृत किया गया. आपके बैंक की त्रैमासिक हिंदी पत्रिका 'विकास प्रभा' को एसोसिएशन ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई), पब्लिक रिलेशन काउन्सिल ऑफ इंडिया (पीआरसीआई) और आशीर्वाद संस्था से विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए.

कॉरपोरेट संवाद

वर्ष के दौरान आपके बैंक द्वारा विज्ञापन और प्रचार के लिए जो कदम उठाये गये वे 'सभी के लिए बैंकिंग' सुविधाएं मुहैया कराने के कारोबारी दर्शन के अनुरूप थे. वर्ष के दौरान विज्ञापन एवं प्रचार पहलों में विगत वर्ष के छवि निर्माण पर विशेष ध्यान देना जारी रहा, जिसमें ग्राहकों के साथ आपके बैंक के मजबूत रिश्तों पर जोर दिया गया था. इस ब्रांड संदेश को आगे बढ़ाते हुए आपके बैंक ने चालू तथा बचत खाता लेन-देनों पर सभी बैंकिंग प्रभारों को हटाकर बैंकिंग उद्योग में एक अग्रगामी पहल की है. इसका उद्देश्य जहां एक ओर 'ग्राहक आनंद' की भावना लाना था, वहीं दूसरी ओर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना भी था. तदनुसार, इसके कार्य को विभिन्न संचार माध्यमों अर्थात् टीवी, प्रिंट, रेडियो, आउटडोर तथा ऑनलाईन के जरिए एक अभिनव तथा गहन 'ग्राहक आनंद अभियान' के माध्यम से प्रचारित किया गया. इसे समय-समय पर कारोबारी जरूरतों के अनुसार अन्य उत्पाद विज्ञापनों के साथ भी जोड़ा गया.

विज्ञापन जगत की तरह ही, आपके बैंक द्वारा जन-संपर्क के क्षेत्र में भी कई पहल-कार्य किए गए. इन जन-संपर्क पहल कार्यों का मुख्य लक्ष्य रहा है - आईडीबीआई बैंक की ब्रांड छवि को ग्राहकों (मौजूदा और भावी दोनों) के दिलो-दिमाग में स्थापित करना और मीडिया जगत में बैंक की सकारात्मक मौजूदगी सुनिश्चित करना. इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि आपके बैंक के विभिन्न कारोबारी संप्रेषण पहल कार्यों को श्रेष्ठतम विज्ञापनों में चुना गया है और इसके लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं.

श्री वयम्

लोकप्रिय तिमाही द्विभाषी गृहपत्रिका 'श्री वयम्' में बैंकिंग, वित्त, खेल-कूद जैसे विभिन्न विषयों और ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे समसामायिक विषयों पर मौजूदा एवं सेवानिवृत्त दोनों स्टाफ सदस्यों द्वारा दिए गए समाचार, विचार, लेख तथा फोटोग्राफ प्रकाशित किए जाते हैं.

वर्ष 2010-11 के दौरान, गृह पत्रिका को अधिक समृद्ध तथा पठनीय बनाने के लिए 'श्री वयम्' में कई परिवर्तन किए गए. 'श्री वयम्' को अखिल भारतीय गृह पत्रिका प्रतियोगिता में रोटरी क्लब ऑफ कोचिन मिडटाउन द्वारा 'उत्कृष्टता प्रमाणपत्र' से पुरस्कृत किया गया. एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई) द्वारा इस गृह पत्रिका को वर्ष 2010 में 'सर्वश्रेष्ठ द्विभाषी प्रकाशन' तथा 'फीचर्स (भाषा हिंदी)' के लिए दो स्वर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पहल कार्य

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) स्थानीय समुदाय की आजीविका में सुधार लाने के लिए उनके साथ मिलकर कार्य करते हुए और कारोबार तथा बड़े पैमाने पर समुदाय को लाभान्वित करते हुए सतत् आर्थिक विकास में योगदान देने के प्रति कारोबारी प्रतिबद्धता का द्योतक है. आईडीबीआई बैंक ने अपने तात्कालिक व्यापार लक्ष्यों से ऊपर उठकर सदैव समाज की बेहतरी के लिए कार्य किया है.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने जम्मू व कश्मीर के लेह क्षेत्र में एक गांव को अपनाया है. बैंक गांव के व्यापक पुनर्वास तथा विकास के क्षेत्रों में कार्य करेगा जिनमें आपदा के समय सहायता तथा जोखिम में कमी (मलबा हटाना, कृषि बुनियादी सुविधाओं की बहाली तथा आजीविका कार्यकलापों का पुनरुत्थान), मूलभूत सेवाओं (स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पीने का पानी, साफ-सफाई आदि) में सुधार लाना और सामुदायिक व्यवस्था-तंत्र (अर्थात् लघु आयोजना, आय तथा रोजगार निर्माण) को मजबूत बनाना शामिल है. बैंक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है. किसान समुदाय के लाभ के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि जागरूकता कैम्प लगा रहा है. धर्मादा संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, अस्पतालों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है और स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर कॉरपोरेट सेंटर में तथा समूचे भारत में सभी शाखाओं में रक्तदान शिविर लगा रहा है. संकेंद्रित ध्यान प्रदान करने के लिए बैंक शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पर्यावरण, ग्रामीण बुनियादी सुविधा, सामाजिक सशक्तिकरण आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सीएसआर पहल कार्यों पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्यापक कार्यक्रम चला रहा है.

आपका बैंक आधुनिकतम प्रौद्योगिकी से परिचालित होने वाले देश के अग्रणी बैंकों में से एक है. बैंक ग्राहक केंद्रित उत्पाद प्रदान करने और परिचालनगत उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल करना चाहता है. इस दृष्टिकोण की बदौलत अभिनव प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने में बैंक अपने प्रतियोगियों से आगे रहा है. आपके बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी संरचना उत्पाद एवं प्रक्रिया नवोन्मेषण बैक ऑफिस परिचालनों और अत्यधिक प्रौद्योगिकी आधारित राष्ट्रीय संपर्क केंद्र सेवाओं के प्रभावी प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि प्रौद्योगिकी बैंक की सेवाओं तथा आंतरिक परिचालनों का आधार बनी रहे. सभी सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कार्यकलापों का प्रबंधन आपके बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था आईडीबीआई इंटेक लि. द्वारा व्यावसायिक तौर पर किया जाता है.

बैंक ने बेहतरीन ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए कई पहल कार्य किए हैं जिनसे आपके बैंक के विकास में काफी सहायता मिली है. परिचालनगत कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए बैंक ने प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल किया है. ग्राहक केंद्रित सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक ने कई नए उत्पाद शुरू किए हैं और अपने मौजूदा उत्पादों में उन्नत प्रौद्योगिकी विशेषताएं शामिल की हैं. नकदी प्रबंध सेवाओं के अंतर्गत बैंक ने नकदी प्रबंध समाधान के साथ ग्राहक ईआरपी प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए इंटरफेस प्रदान किया है ताकि दोनों प्रणालियों के बीच आंकड़ों का निर्बाध तथा अविच्छिन्न आदान-प्रदान किया जा सके. इससे न केवल सेवा का स्तर बढ़ा है बल्कि कॉरपोरेट ग्राहकों को निधियों का अधिक कुशलतापूर्वक प्रबंध करने में सहायता भी मिली है. बेहतर सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए आपके बैंक ने कई पहल कार्य किए हैं ताकि प्रणालियों के बीच आंकड़ों का पारेषण कूटीकृत, सुरक्षित तथा भरोसेमंद हो.

बैंक ने ग्राहक सेवा बढ़ाने के लिए कई पहल कार्य किए हैं. आपके बैंक ने मुंबई में पीओएस में नकदी सुविधा आरंभ की है और यह सुविधा प्रदान करने वाले पहले कुछ बैंकों में से एक है. इस सुविधा से भारत में किसी भी बैंक के डेबिट कार्डधारक पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल में अपने डेबिट कार्ड को स्विप करके नामित मर्चेंट प्रतिष्ठानों से नकदी निकाल सकते हैं.

ग्राहकों की सुविधा के लिए आपके बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की इंडिया-पे मोबाईल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) का भी कार्यान्वयन किया है जिससे ब्रांड नाम एम-रेमिट के साथ मोबाईल के जरिए अंतर बैंक तथा अंतः बैंक निधियों के अंतरण में सुविधा होगी. आपके बैंक ने मालभाड़े के भुगतान के लिए भारतीय रेलवे के साथ गठजोड़ किया है और इस प्रकार ग्राहकों को आईडीबीआई बैंक में खोले गए खातों को नामे करते हुए सीधे रेलवे को रेल मालभाड़े के भुगतान की सुविधा प्रदान करता है. उत्पाद नवोन्मेषण के अलावा आपके बैंक ने समग्र परिचालनगत कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विभिन्न सहायक प्रक्रियाओं को भी स्वचालित और मजबूत किया है.

ग्राहक खातों की संख्या में बढ़ोत्तरी के साथ ही एटीएम लेन-देनों में कई गुना वृद्धि हो गई है. त्वरित तथा भरोसेमंद सेवा प्रदान करने के लिए आपके बैंक ने अपने एटीएम स्विच को सीधे राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (एनएफएस) से जोड़ दिया है. इससे सम्मानित ग्राहकों को निर्बाध एटीएम सेवा सुनिश्चित की जा सकी है और विफलता में कमी आई है.

जोखिमों पर बेहतर नियंत्रण रखने और लाभप्रदता आकलन में सुधार लाने के उद्देश्य से आपके बैंक ने ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज़ मॉड्यूल अर्थात परिसंपत्ति देयता प्रबंधन तथा ऑरेकल हाइपरियन योजना को कार्यान्वित किया है. ऑरेकल निधि अंतरण प्राइसिंग तथा ऑरेकल लाभप्रदत्ता प्रबंधन प्रणालियों के साथ इनके कार्यान्वयन से बैंक को एकल रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म से युक्त एक पूर्ण एकीकृत प्रबंध लेखांकन प्रणाली रखने का गौरव प्राप्त हुआ है. इस एकीकृत प्रणाली से बैंक निर्णय लेने की प्रक्रिया में कारोबारी सूचना के बहु-आयामी स्वरूप का विश्लेषण कर सकेगा. एकीकृत प्रणाली के कार्यान्वयन से बैंक के विभिन्न खंडों के लिए ग्राहक-वार तथा लेनदेन-वार लाभप्रदत्ता की गणना करने में बैंक को सहायता मिली है. इससे बैंक को अपने ग्राहकों के साथ रिश्तों का मूल्य समझने में भी सहायता मिली है. अंतर्निर्मित आसूचना के साथ बैंक लाभप्रदता सुनिश्चित करते हुए ग्राहकों को न्यूनतम दरें ऑफर करने की स्थिति में है.

बैंक ने बड़ी संख्या में लेन-देनों की प्रोसेसिंग की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विभिन्न कोर प्रणालियों के हार्डवेयर को उन्नत किया है. इसने अधिक मात्रा में लेने-देन का निपटान करने के लिए और इस प्रकार ग्राहकों की सुविधा के लिए अधिक त्वरित निधि अंतरण प्रोसेसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए प्रणाली की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए आरटीजीएस / एनईएफटी जैसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयरों को भी उन्नत किया है.

आपके बैंक ने छवि आधारित सॉल्यूशन के साथ उत्तर दिनांकित चेकों के स्वचालन के लिए सॉल्यूशन का कार्यान्वयन किया है. बैंक ने इन कार्यों को करने के लिए उच्च गति का एक परिष्कृत स्कैनर लगाया है. यह प्रणाली ग्राहकों के प्रश्नों का तुरंत उत्तर देने और समाशोधन लेन-देनों की बढ़ती संख्या का निपटान करने में सहायक होगी तथा चेक ट्रंकेशन प्रणाली को भी समर्थन देगी.

आपके बैंक ने जोखिम प्रबंधन को कार्यान्वित करने के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन समाधान प्राप्त किया है. इसमें जोखिम आकलन, पूंजी मूल्यांकन तथा परिचालनगत जोखिम मूल्यांकक जैसे मॉड्यूल शामिल हैं. इस समाधान के प्रापण तथा कार्यान्वयन से आपका बैंक जोखिम प्रबंधन में उन्नत दृष्टिकोणों की ओर अंतरित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर सकेगा.

आपके बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए हमेशा पहल कार्य किए हैं. इस दिशा में आपके बैंक ने एक शिकायत समाधान प्रबंधन प्रणाली लागू की है जिसमें अन्तर्निर्मित एस्कलेशन मैट्रिक्स निहित है. ई-मेल अलर्ट जनरेट होते हैं और संबंधित अधिकारियों को ऑनलाईन सूचित किए जाते हैं.

आपका बैंक वरिष्ठ नागरिकों, खासकर पेंशनरों को प्रदान की जानेवाली सेवाओं के बारे में सचेत है. इसने नई पेंशन प्रणाली के लिए प्वॉइंट ऑफ प्रजेंस कस्टमर इंटरफेस के रूप में कार्य करने के लिए पेंशन विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से अधिदेश प्राप्त किया है. प्राधिकृत शाखाएं अब नियमानुसार आम जनता के लिए नई पेंशन योजना टीयर I तथा टीयर II खाते खोल सकती हैं

इंटरनेट के जरिए ग्राहक के लेन-देन की जानकारी को सुरक्षित करने के लिए आपके बैंक ने यूआरएन (यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर) लागू किया है. यह नंबर लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करते समय एसएमएस के जरिए ग्राहक को उसके मोबाईल नंबर पर भेजा जाता है. इस अतिरिक्त अधिप्रमाणन से फिशिंग तथा धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आयी है.

आंतरिक परिचालनगत कार्य-कुशलता बढ़ाने और कागज़रहित अभिलेख प्रबंध प्रणाली की दिशा में अग्रसर होने के उद्देश्य से आपके बैंक ने 'ई रजिस्टर' सॉल्यूशन विकसित किया है. यह प्रणाली देश-भर में शाखाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना प्राप्त करने और इस प्रकार भौतिक रजिस्टरों को समाप्त करने में समर्थ बनाती है.

आपका बैंक यह मानता है कि धोखाधड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए एक सुविचारित रणनीति लागू की जानी चाहिए. इसीलिए बैंक ने एक सुस्पष्ट धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाई है जिससे रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार धोखाधड़ियों की निगरानी करने और उनकी रिपोर्टिंग करने तथा बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने में बैंक को सहायता मिलेगी.

आपके बैंक ने ग्राहकों तथा शाखाओं के नकदी प्रबंधन की संपूर्ण प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए एक नई प्रणाली कार्यान्वित करने की पहल की है. यह प्रणाली बाहरी एजेंसियों के जरिए न केवल नकदी लाने व ले जाने की संपूर्ण प्रक्रिया पर नज़र रखती है, बल्कि भुगतानों के निपटान में भी सहायता करती है.

आपके बैंक ने आईएसओ 27001 रूपरेखा पर अमल करते हुए सूचना सुरक्षा की बेहतरीन पद्धतियों को लागू किया है. ग्राहकों को निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए आपका बैंक नियमित अंतरालों पर योजनाबद्ध डिजास्टर रिकवरी (डीआर) अभ्यास करता है. इस ड्रिल के एक भाग के रूप में कोर बैंकिंग तथा अन्य महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, जिसमें एटीएम, इंटरनेट, मोबाईल और फोन बैंकिंग जैसे वैकल्पिक चैनल शामिल हैं, डिजास्टर रिकवरी साइट से सफलतापूर्वक परिचालित किए जाते हैं. सतत् तथा अविच्छिन्न सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में यह आपके बैंक की ओर से एक और पहल है.

आपके बैंक ने आवधिक आधार पर ग्राहकों को ई-मेल तथा एसएमएस भेजकर मीडिया के जरिए ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग आदि के बारे में जागरूक करना जारी रखा है. बैंक का राष्ट्रीय संपर्क केंद्र ग्राहकों के प्रश्नों का समाधान करने के लिए सुसज्जित है. सूचना सुरक्षा नीति के एक भाग के रूप में बैंक के कर्मचारियों को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न जोखिमों और बैंक द्वारा उनमें कमी लाने के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी दी जाती है.

आपके बैंक को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) तथा ट्रेड फेयर एंड कॉन्फरेंसेस इंटरनेशनल (टीएफसीआई) द्वारा आयोजित बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2010 समारोह में प्रौद्योगिकीय पहलों के लिए ''बेस्ट यूज ऑफ बिज़नेस इंटेलिजेंस'', ''बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट'' तथा ''बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रेनिंग एंड ई-लर्निंग इनीशिएटिव्स'' जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. आपके बैंक की वेबसाइट को एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में विकास वित्तीय संस्थाओं के संघ (एडफिएप) द्वारा ''सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट पुरस्कार'' से सम्मानित किया गया है.

निधि अंतरण प्राइसिंग (एफटीपी), परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) तथा आयोजना के लिए आईडीबीआई बैंक के ऑरेकल प्रणाली कार्यान्वयन को सर्वोत्तम आंकड़ा एवं विश्लेषण परियोजना श्रेणी में प्रतिष्ठित 'एशियाई बैंकर 2011 प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है.

यह ग्राहकों के लाभ के लिए अभिनव उत्पाद एवं सेवाएं प्रारंभ करने में प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सबसे आगे रहने के बैंक के प्रयासों को दर्शाता है.

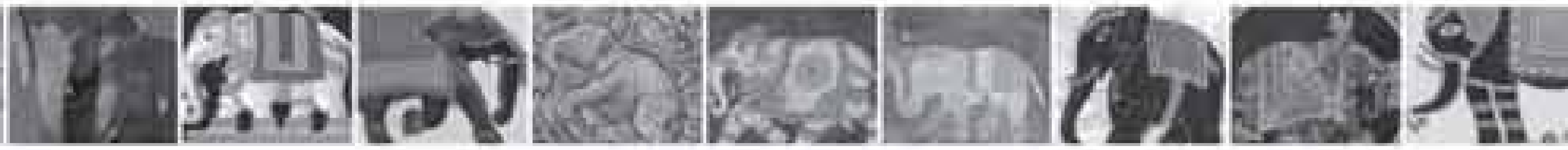

कॉरपोरेट अभिशासन का दर्शन

बैंक अपने परिचालनों में कॉरपोरेट अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक की नीतियां व पद्धतियां न सिर्फ सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, बल्कि अपने अंशधारकों के सर्वोत्तम हित में काम करने की हमारी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करती हैं. अभिशासन के उच्च मानकों को बनाये रखने का दायित्व आपके बैंक के निदेशक मंडल तथा बोर्ड की विभिन्न समितियों पर है जिन्हें विधिक एवं विनियामक प्रावधानों तथा बैंकिंग परंपराओं के ढांचे के भीतर आवश्यक प्रकटीकरण करने सहित बेहतरीन कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के अधिकार प्राप्त हैं.

इस दिशा में बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि बैंक के निदेशक मंडल का गठन निर्धारित मानदंडों के अनुसार होता रहे, निर्धारित अंतराल पर इसकी नियमित बैठकें हों, यह प्रभावी नेतृत्व प्रदान करे, प्रबंधन पर नियंत्रण रखे, कार्यपालकों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखे तथा समुचित प्रकटीकरण करे. इसके अतिरिक्त, रणनीतिक नियंत्रण ढांचे की स्थापना और इसकी प्रभावशीलता की निरंतर समीक्षा तथा नीति निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए स्पष्ट दस्तावेजीकृत तथा पारदर्शी प्रबंध प्रक्रियाओं की स्थापना, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण तथा रिपोर्टिंग आदि अन्य नीतिगत दिशा-निर्देश हैं. बैंक बोर्ड को सभी संबद्ध जानकारी, सूचनाएं तथा संसाधन उपलब्ध कराता है जिससे वे अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभा सकें.

निदेशक मंडल

बैंक के निदेशक मंडल का दायरा व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 1956 एवं बैंक के संस्था अन्तर्नियमों से शासित है तथा यह स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार में वर्णित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं को पूरा करता है. बोर्ड स्वयं और बैंक के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए गठित बोर्ड की विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है.

31 मार्च 2011 को बोर्ड में 10 निदेशक थे, जिनमें दो कार्यपालक निदेशक (अध्यक्ष सहित), दो-गैर-कार्यपालक निदेशक और छः स्वतंत्र निदेशक थे. 31 मार्च 2011 को बोर्ड में कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में श्री आर.एम. मल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक; पूर्णकालिक निदेशक के रूप में श्री बी.पी.सिंह, उप प्रबंध निदेशक; गैर-कार्यपालक निदेशकों के रूप में श्री राकेश सिंह और श्री आर.पी. सिंह, केंद्र सरकार के अधिकारी; तथा स्वतंत्र निदेशकों के रूप में श्री अनलजीत सिंह, श्रीमती लीला फिरोज पूनावाला, श्री के. नरसिम्ह मूर्ति, श्री एच.एल. जुत्सी, श्री सुभाष तुली और डॉ. बी.एस. बिष्ट बोर्ड में शामिल थे.

निदेशकों के बीच परस्पर संबंध

आपके बैंक के बोर्ड में कोई भी निदेशक बैंक के बोर्ड के अन्य निदेशक से किसी भी रूप में संबद्ध नहीं है.

बोर्ड की आठ समितियां हैं, अर्थात कार्यपालक समिति, लेखा परीक्षा समिति, शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति, धोखाधड़ी निगरानी समिति, जोखिम प्रबंध समिति, ग्राहक सेवा समिति, सूचना प्रौद्योगिकी समिति और पारिश्रमिक समिति.

निदेशक मंडल की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2010 - 31 मार्च 2011) के दौरान बोर्ड की कुल 7 बैठकें हुईं जो 30 अप्रैल 2010, 30 जून 2010, 22 जुलाई 2010, 09 सितंबर 2010, 28 अक्तूबर 2010, 03 दिसंबर 2010 और 25 जनवरी 2011 को संपन्न हुईं. सभी सातों बैठकें मुंबई में आयोजित हुईं.

आपके बैंक के प्रत्येक निदेशक की बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति, गत वार्षिक महासभा (एजीएम) में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में निदेशकता और समितियों में सदस्यता का ब्योरा **तालिका 6** में दिया गया है.

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

31 मार्च 2011 को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) में एक कार्यपालक निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशकों सहित पांच सदस्य थे. श्री सुभाष तुली, सनदी लेखाकार लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष थे तथा श्री बी. पी. सिंह, उप प्रबंध निदेशक, श्री अनलजीत सिंह, श्रीमती लीला फिरोज पूनावाला एवं डॉ. बी.एस. बिष्ट इसके अन्य सदस्य थे. श्री बी. पी. सिंह कार्यपालक निदेशक थे और शेष चार सदस्य स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक थे. एसीबी की भूमिका और उसके अधिकार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए के प्रावधानों, रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों और सूचीबद्धता करार के संशोधित खंड 49 के अनुसार थे, जो नीचे उल्लिखित हैं:

लेखा-परीक्षा समिति के अधिकार (संशोधित खंड 49 के अनुसार)

1. विचारार्थ विषयों के अंतर्गत किसी भी कार्यकलाप की जांच-पड़ताल करना
2. किसी भी कर्मचारी से सूचना मांगना
3. जहाँ कहीं आवश्यक हो, बाहरी कानूनी या व्यावसायिक सलाह लेना
4. आवश्यक समझे जाने पर संबद्ध क्षेत्र की विशेषज्ञता रखने वाले बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना.

तालिका 6 : बोर्ड की बैठकों एवं वार्षिक महासभा में निदेशकों की उपस्थिति, उनकी निदेशकता और समितियों की सदस्यता				
निदेशकों के नाम	बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (आयोजित बैठकों की कुल संख्या-7)	22 जुलाई 2010 को संपन्न गत वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशकता	अन्य कंपनियों में एसीबी / एसजीसी सदस्यता (अध्यक्षता)
पूर्णकालिक निदेशक				
श्री आर. एम. मल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (09.07. 10 से)	5	उपस्थित	6	शून्य
श्री योगेश अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (05.06.10 तक)	1	लागू नहीं	6	शून्य
श्री बी पी सिंह, उप प्रबंध निदेशक	7	उपस्थित	3	1
गैर-कार्यपालक निदेशक				
श्री जी सी चतुर्वेदी (29.10. 10 तक)	2	अनुपस्थित	1	शून्य
श्री राकेश सिंह (29.10. 10 से)	1	लागू नहीं	शून्य	शून्य
श्री आर पी सिंह	1	अनुपस्थित	2	शून्य
स्वतंत्र निदेशक				
श्री अनलजीत सिंह	0	अनुपस्थित	13	शून्य
श्रीमती लीला फिरोज पूनावाला	5	उपस्थित	4	1(1)
श्री के नरसिम्हं मूर्ति	7	उपस्थित	5	4(3)
श्री एच एल जुत्शी	6	उपस्थित	4	1(1)
श्री सुभाष तुली	7	उपस्थित	शून्य	शून्य
डॉ शैलेंद्र नारायण (04.11.10 तक)	4	उपस्थित	1	शून्य
डॉ. बी. एस. बिष्ट (22.07.10 से)	2	लागू नहीं	शून्य	शून्य

अंतिम कॉलम में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े समितियों की अध्यक्षता की संख्या दर्शाते हैं.

लेखा-परीक्षा समिति की भूमिका (संशोधित खंड 49 के अनुसार)

1. वित्तीय विवरणों की शुद्धता, पर्याप्तता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की जाँच तथा इसकी वित्तीय सूचनाओं का प्रकटीकरण
2. रिजर्व बैंक और शेयरधारकों से अनुमोदन की शर्त पर बोर्ड को नियुक्ति, पुनः नियुक्ति और लेखा परीक्षा शुल्क निर्धारण की सिफारिश करना.
3. सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा दी गई अन्य सेवाओं, यदि कोई हो, के लिए भुगतान की सिफारिश करना.
4. वार्षिक वित्तीय विवरणों को बोर्ड के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले निम्नलिखित संदर्भों में प्रबंधन के साथ समीक्षा करनाः
   (क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के खंड (2एए) की शर्तों के अनुसार निदेशक के दायित्व संबंधी विवरण में शामिल किए जाने वाले विषयों को बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल करना,
   (ख) लेखांकन से जुड़ी नीतियों और पद्धतियों में बदलाव, यदि कोई हो, तथा उसके कारण
   (ग) प्रबंधन के निर्णय के प्रयोग पर आधारित प्रमुख लेखा प्रविष्टियां
   (घ) लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के आधार पर वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन
   (ङ) सूचीबद्धता तथा वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन
   (च) किसी संबद्ध पार्टी के साथ लेन-देनों का प्रकटीकरण
   (छ) लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में शर्तें

5. बोर्ड के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा

6. सांविधिक और आंतरिक लेखा-परीक्षकों के कार्यनिष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता के बारे में प्रबंधन के साथ समीक्षा

7. आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्तता के बारे में समीक्षा, जिसमें आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफ की संख्या तथा विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग ढांचे और आंतरिक लेखा-परीक्षा की आवधिकता शामिल हो.

8. किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई पर आंतरिक लेखा-परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श.

9. लेखा परीक्षा के स्वरूप और कार्य-क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखा-परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श और साथ ही चिंताजनक विषय का पता लागने के लिए लेखा परीक्षा के उपरांत विचार-विमर्श.

10. लेखा-परीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में उल्लिखित कोई अन्य कार्य.

लेखा परीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा (संशोधित खंड 49 के अनुसार)

1. प्रबंधन से विचार-विमर्श तथा वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणामों की समीक्षा

2. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत विशेष महत्व वाले संबद्ध पक्ष लेन-देनों का विवरण (लेखा-परीक्षा समिति द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार)

3. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन संबंधी पत्र / आंतरिक नियंत्रण में शिथिलता संबंधी पत्र

4. आंतरिक नियंत्रण संबंधी शिथिलता के बारे में आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट.

बैठकों की संख्या

1अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक की अवधि के दौरान एसीबी की 10 बैठकें हुईं, जो 30 अप्रैल 2010 (दो बार), 30 जून 2010, 22 जुलाई 2010, 23 जुलाई 2010, 16 अगस्त 2010, 28 अक्तूबर 2010, 24 जनवरी 2011, 25 जनवरी 2011 और 18 मार्च 2011 को हुई.

एसीबी की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्योरा **तालिका 7** में दिया गया है.

तालिका 7 : एसीबी की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

निदेशकों के नाम	सदस्य के कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री सुभाष तुली, अध्यक्ष	10	10
श्री बी. पी. सिंह, उप प्रबंध निदेशक	10	10
श्री एच एल जुत्शी (27.10.10 तक)	6	6
श्रीमती लीला फिरोज पूनावाला	10	10
श्री अनलजीत सिंह (28.10.10 से)	4	शून्य
डॉ. बी. एस बिष्ट (28.10.10 से)	4	2
डॉ. शैलेंद्र नारायण (28.10.10 से 04.11.10 तक)	1	शून्य

निदेशकों को पारिश्रमिक

पारिश्रमिक नीति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और उनका पारिश्रमिक एवं परिलब्धियां भारत सरकार द्वरा तय की जाती हैं. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक का विवरण **तालिका** 8 में दिया गया है. अन्य स्वतंत्र निदेशकों और उप प्रबंध निदेशकों को बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रति बैठक ₹5,000 (बोर्ड, कार्यपालक समिति और लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के लिए) और प्रति बैठक ₹2,500 (बोर्ड की अन्य समितियों की बैठक) की दर से केवल बैठक शुल्क अदा किया गया है. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशकों को पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा बैंक द्वारा उनकी यात्रा, रहने तथा परिवहन पर हुए खर्च को छोड़कर, निदेशकों को कोई और पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया. गैर-कार्यपालक निदेशकों के बैंक के साथ समीक्षाधीन अवधि के दौरान आर्थिक संबंध/लेन-देन शून्य रहे.

तालिका 8 : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशकों के पारिश्रमिक के घटक

वेतन और भत्ते	श्री आर. एम. मल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - ₹ 80,000/- प्रति माह का वेतन और 35% की दर से ₹ 28,000 महंगाई भत्ता-कुल ₹ 1,08,000 श्री बी. पी. सिंह, उप प्रबंध निदेशक - ₹ 68,960/- प्रति माह का वेतन और 27% की दर से ₹ 18,619.20 महंगाई भत्ता-कुल ₹ 87,579.20
आतिथ्य	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक, दोनों के संबंध में प्रत्येक के लिए ₹ 6000 प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन वास्तविक आतिथ्य (क्लब की सदस्यता उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर समायोज्य).
आवास	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशक दोनों को किराया-मुक्त सज्जित आवास.
छुट्टी यात्रा रियायत	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशक दोनों के लिए आधिकारिक दौरे हेतु लागू पात्रता श्रेणी के अनुसार स्वयं एवं परिवार के लिए भारत में किसी भी स्थान की यात्रा के लिए 2 वर्षों के ब्लॉक में एक बार.
पेंशन	बैंक, जहां वे कैरियर पद पर हैं, के नियमों और विनियमों के अनुसार कैरियर पद में (बोर्ड स्तर से नीचे) स्वीकार्य पेंशन, यदि कोई है, प्राप्त करने के लिए पात्र हैं.
ग्रेच्युटी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / उप प्रबंध निदेशक के रूप में सेवा के प्रत्येक पूर्ण किए वर्ष अथवा 6 माह से अधिक की सेवा के लिए आधे माह के वेतन की दर से.
कार्यकाल	श्री आर. एम. मल्ला - 07 जुलाई 2010 की भारत सरकार की अधिसूचना एफ.सं. 9/12/2009-बीओ. I द्वारा 9 जुलाई 2010 से 31.05.2013 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त. श्री बी. पी. सिंह - 19 फरवरी 2010 की भारत सरकार की अधिसूचना एफ.सं.9/14/2009-बीओ. I द्वारा 20 फरवरी 2010 से उनकी अधिवर्षिता आयु (31.01.2012) तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त.
कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि / स्टॉक ऑप्शन	बैंक के अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने से संबंधित भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में बोर्ड की पारिश्रमिक समिति ने 18 जनवरी 2011 को संपन्न अपनी बैठक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का अनुमोदन दिया था.

बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

31 मार्च 2011 को आपके बैंक में पाँच सदस्यों वाली जोखिम प्रबंध समिति थी. श्री एच. एल. जुत्शी इस समिति के अध्यक्ष थे और श्री बी. पी. सिंह, उप प्रबंध निदेशक, श्री आर. पी. सिंह, सरकारी निदेशक, श्री अनलजीत सिंह और श्रीमती लीला फिरोज़ पूनावाला दोनों निदेशक इसके सदस्य थे. यह समिति आपके बैंक के कारोबार से जुड़े विभिन्न जोखिमों का आकलन, उनमें कमी लाने और परिसंपत्ति देयता असंतुलन से जुड़े मुद्दों का भी समाधान करती है.

बैठकों की संख्या

1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक की अवधि के दौरान जोखिम प्रबंध समिति की तीन बैठकें - 30 जून 2010, 25 जनवरी 2011 और 17 मार्च 2011 को हुई.

बोर्ड की शेयरधारक / निवेशक शिकायत निवारण समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

31 मार्च 2011 को आपके बैंक की चार सदस्यों वाली शेयरधारक / निवेशक शिकायत निवारण समिति में एक कार्यपालक निदेशक और तीन स्वतंत्र

गैर-कार्यपालक निदेशक यथा सर्वश्री बी. पी. सिंह, उप प्रबंध निदेशक, के. नरसिम्ह मूर्ति, सुभाष तुली तथा डॉ. बी. एस. बिष्ट सदस्य के रूप में शामिल थे.

इस समिति का गठन शेयर-अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने आदि से संबंधित शेयरधारकों एवं निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए किया गया है.

बैठकों की संख्या

1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 की अवधि के दौरान इस समिति की तीन बैठकें - 30 जून 2010, 09 सितंबर 2010 और 25 जनवरी 2011 को हुईं.

बोर्ड की कार्यपालक समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

बोर्ड के अलावा आपके बैंक की कार्यपालक समिति भी कार्यरत है, जो नीतिगत मामलों के साथ-साथ खास तौर पर ऐसे मामलों, जिन पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है, पर विचार करती है और बोर्ड द्वारा इसे प्रत्यायोजित अन्य शक्तियों का प्रयोग करती है. 31 मार्च 2011 को इस समिति के अध्यक्ष श्री आर.एम. मल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक थे और सर्वश्री बी पी सिंह, उप प्रबंध निदेशक, के. नरसिम्ह मूर्ति, एच. एल. जुत्शी, सुभाष तुली और डॉ. बी.एस. बिष्ट इसके सदस्य थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि 1 अप्रैल 2010 - 31 मार्च 2011 के दौरान कार्यपालक समिति की 9 बैठकें - 30 अप्रैल 2010, 26 मई 2010, 30 जून 2010, 22 जुलाई 2010, 09 सिंतबर 2010, 28 अक्तूबर 2010, 03 दिसंबर 2010, 24 जनवरी 2011 और 17 मार्च 2011 को हुईं.

बोर्ड की धोखाधड़ी निगरानी समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

बैंक में धोखाधड़ी से संबंधित पहलुओं को देखने के लिए धोखाधड़ी निगरानी समिति गठित की गई थी. 31 मार्च 2011 को इस समिति के अध्यक्ष श्री आर. एम. मल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक थे और सर्वश्री बी पी सिंह, उप प्रबंध निदेशक, के नरसिम्ह मूर्ति और सुभाष तुली इसके सदस्य थे.

बैठकों की संख्या

1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 की अवधि के दौरान धोखाधड़ी निगरानी समिति की छः बैठकें - 30 अप्रैल 2010, 23 जुलाई 2010, 09 सितंबर 2010, 03 दिसंबर 2010, 25 जनवरी 2011 और 17 मार्च 2011 को हुईं.

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

रिटेल बैंकिंग खंड में ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने और ग्राहकों को कारगर सेवा देने के लिए आपके बैंक द्वारा एक ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया था. 31 मार्च 2011 को श्रीमती लीला फिरोज पूनावाला इसकी अध्यक्ष थीं और सर्वश्री बी पी सिंह, उप प्रबंध निदेशक, आर. पी. सिंह, सरकारी निदेशक और डॉ. बी. एस. बिष्ट इसके सदस्य थे.

बैठकों की संख्या

1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 के दौरान ग्राहक सेवा समिति की दो बैठकें 23 जुलाई 2010 और 18 मार्च 2011 को हुईं.

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने, दृष्टिकोण को सुसंगत बनाने में सहायता करने, योजनाएं शुरू करने और सेवाओं का प्रावधान करने हेतु प्रौद्योगिकीय प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए आपके बैंक द्वारा उठाये गये कदमों को ध्यान में रखते हुए आपके बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया था. 31 मार्च 2011 को श्री के. नरसिम्ह मूर्ति इस समिति के अध्यक्ष थे और सर्वश्री बी पी सिंह, उप प्रबंध निदेशक, आर. पी, सिंह, सरकारी निदेशक, एच एल जुत्शी और श्रीमती लीला फिरोज पूनावाला इसके सदस्य थे.

बैठकों की संख्या

1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी समिति की तीन बैठकें - 26 मई 2010, 09 सितंबर 2010 और 17 मार्च 2011 को हुईं.

बोर्ड की परिश्रमिक समिति

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशकों को वार्षिक कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन पर विचार करने और उसके भुगतान का अनुमोदन करने के लिए एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है. 31 मार्च 2011 को श्री राकेश सिंह, सरकारी निदेशक इस समिति के अध्यक्ष थे तथा श्री आर. पी. सिंह, सरकारी निदेशक, श्री एच.एल. जुत्शी, श्री अनलजीत सिंह, श्री के. नरसिम्ह मूर्ति और श्रीमती लीला फिरोज पूनावाला इसके सदस्य थे.

1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 की अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशकों को वार्षिक कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि की अदायगी का अनुमोदन करने के लिए पारिश्रमिक समिति की दो बैठकें 10 जून 2010 और 18 जनवरी 2011 को हुईं.

महासभा की बैठकें

आपके बैंक की पिछली वार्षिक महासभा (एजीएम) 22 जुलाई 2010 को हुई थी. आईडीबीआई बैंक लि. की वार्षिक महासभाओं का विवरण **तालिका 9** में दिया गया है.

तालिका 9 : वार्षिक महासभाओं का विवरण	
गत तीन वार्षिक महासभाओं के आयोजन का स्थान व समय	1) 22 जुलाई 2008 को अपराह्न 3.30 बजे नेहरू सेन्टर ऑडिटोरियम, वरली, मुंबई - 400 018 में (बैंक की चौथी वार्षिक महासभा) 2) 15 जुलाई 2009 को अपराह्न 3.30 बजे नेहरू सेन्टर ऑडिटोरियम, वरली, मुंबई - 400 018 में (बैंक की पांचवीं वार्षिक महासभा) 3) 22 जुलाई 2010 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 में (बैंक की छठी वार्षिक महासभा)
क्या पिछली वार्षिक महासभा में विशेष संकल्प पारित किये गये थे.	हां, 22 जुलाई 2010 को संपन्न बैंक की पिछली वार्षिक महासभा में (i) अधिनियम की धारा 224ए के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हेतु तथा (ii) बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹ 1250 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 2000 करोड़ करने के संबंध में विशिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत करने के प्रस्ताव का शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु विशेष संकल्प पारित किए गए थे.
क्या कोई विशेष संकल्प डाक मतपत्र के माध्यम से पारित करने का प्रस्ताव है	नहीं
क्या गत वर्ष डाक मतपत्रों के जरिए विशेष संकल्प प्रस्तुत किये गये थे तथा मतदान पद्धति का ब्योरा	नहीं
व्यक्ति, जिसने डाक मतदान का कार्य संचालित किया	
डाक मतदान हेतु प्रक्रिया	

प्रकटन

1 अप्रैल 2010 - 31 मार्च 2011 के दौरान ऐसी किसी भी कंपनी को सहायता प्रदान नहीं की गई, जिसमें आपके बैंक के किसी निदेशक की हितबद्धता थी. आपका बैंक नियमित रूप से सूचीबद्धता करार के संशोधित खंड 49 की अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन करता है. जैसे - (i) संबद्ध पक्ष लेने-देनों, यदि कोई हों, की जानकारी बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को दी जाती है; (ii) लेखांकन पद्धति का स्पष्ट प्रकटन वित्तीय विवरणों में किया जाता है; (iii) बैंक जोखिम आकलन और उन्हें न्यूनतम रखने की पद्धतियों की समीक्षा बोर्ड को प्रस्तुत करता है.

31 जुलाई 2010 को भारत सरकार को ₹ 10 प्रत्येक मूल्य के 25,95,09,110 इक्विटी शेयरों का ₹ 110.19 प्रीमियम पर ₹ 3119.04 करोड़ का अधिमान्य निर्गम जारी किया गया.

पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-अनुपालन / दंड आदि की स्थिति शून्य रही.

आचार संहिता और सदाचार

आपके बैंक के निदेशक मंडल ने निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार संहिता तथा सदाचार को अपनाया है. सूचीबद्धता करार के संशोधित खंड 49 की अपेक्षाओं के अनुपालन में, आपके बैंक के निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्यपालकों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि के बारे में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है:

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा घोषणा

सूचीबद्धता करार के खंड 49 के प्रावधानों के अनुसरण में, सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्यपालकों ने आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है.

ह/-

आर.एम. मल्ला

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

18 अप्रैल 2011

भेदिया व्यापार की रोकथाम

सेबी (भेदिया व्यापार निषेध) विनियम, 1992 की अपेक्षाओं के अनुसरण में बैंक ने भेदिया व्यापार की रोकथाम के लिए व्यापक आचार संहिता बनाई है.

सीईओ / सीएफओ द्वारा प्रमाणन

सूचीबद्धता करार के संशोधित खंड 49 के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित वित्तीय विवरणों और आंतरिक नियंत्रणों पर सीईओ और सीएफओ से प्रमाणन प्राप्त कर बोर्ड को प्रस्तुत कर दिया गया है.

विसल ब्लोअर नीति

आपके बैंक के बोर्ड ने विसल ब्लोअर नीति को अपनाया है. इस नीति के अनुसार कर्मचारी बैंक के परिचालनों से संबंधित मुद्दों, यदि कोई हैं, को उठाने और निर्दिष्ट चैनलों के जरिये लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं. इस व्यवस्था के संबंध में परिपत्र जारी किया गया है और बैंक के इंट्रानेट पर भी रखा गया है.

सहायक कंपनियां

31 मार्च 2011 को आपके बैंक के पूर्ण स्वामित्ववाली चार सहायक कंपनियां थीं, जिनके नाम हैं : आईडीबीआई इंटेक लि., आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. और आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. भारत सरकार के कंपनी कार्य मंत्रालय के 8 अप्रैल 2011 के आदेश द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391-394 के तहत बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली दो कंपनियों यथा आईडीबीआई होम फाइनेंस लि. और आईडीबीआई गिल्ट्स लि. का बैंक के साथ समामेलन कर दिया गया. समामेलन योजना की नियत तारीख 1 जनवरी 2011 अनुमोदित की गई. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 394 (3) के अनुसार भारत सरकार का उपर्युक्त आदेश मानक फॉर्म 21 के जरिए कंपनी रजिस्ट्रार को 26 अप्रैल 2011 को प्रस्तुत कर दिया गया है. आपके बैंक के बोर्ड के किसी भी स्वतंत्र निदेशक को इसकी सहायक कंपनियों के बोर्ड में रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई भी सहायक कंपनी संशोधित खंड 49 के अंतर्गत परिभाषित किये अनुसार तात्विक रूप से असूचीबद्ध सहायक कंपनी नहीं हैं. बैंक की लेखा परीक्षा समिति वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किये गये निवेशों की समीक्षा करती है. असूचीबद्ध सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त आपके बैंक की बोर्ड बैठकों में नियमित रूप से प्रस्तुत किये जाते हैं.

सहायक कंपनियों के वार्षिक लेखे

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुसार नियंत्रक कंपनी को अपनी सहायक कंपनियों के वार्षिक लेखे व अन्य दस्तावेज अपने तुलन पत्र के साथ संलग्न करने चाहिए. इस संबंध में भारत सरकार के कंपनी कार्य के मंत्रालय (एससीए) ने दिनांक 8 फरवरी 2011 के परिपत्र सं. 5/12/2007-सीएल-III द्वारा उक्त परिपत्र में निहित शर्तों को पूरा करनेवाली कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 (8) के तहत प्रकटन से सामान्य छूट प्रदान की है. तदनुसार बैंक ने इस छूट को लेते हुए अपनी सहायक कंपनियों के वार्षिक लेखे व अन्य दस्तावेज अपने तुलन पत्र के साथ संलग्न नहीं किए हैं. प्रत्येक सहायक कंपनी की सारांशीकृत वित्तीय जानकारी बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई है.

बैंक की प्रत्येक सहायक कंपनी के वार्षिक लेखे और अन्य संबंधित विस्तृत जानकारी नियंत्रक व सहायक कंपनियों के शेयरधारकों को किसी भी समय माँगने पर उपलब्ध करायी जाएगी. इस संबंध में इच्छुक शेयरधारक बैंक के बोर्ड विभाग को लिख सकते हैं.

बैंक की प्रत्येक सहायक कंपनी के वार्षिक लेखे और अन्य संबंधित विस्तृत जानकारी नियंत्रक व सहायक कंपनियों के शेयरधारकों को किसी भी समय माँगने पर उनके प्रधान कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी. बैंक और इसकी सहायक कंपनियों के पते कॉरपोरेट अभिशासन अध्याय के अंत में दिए गए हैं.

सूचना के साधन

आपके बैंक के कामकाज पर विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें निदेशकों की रिपोर्ट (जिसमें प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण होता है) और वार्षिक लेखे शामिल हैं, उपलब्ध कराने के अलावा आपका बैंक अपने शेयरधारकों की जानकारी के लिए तिमाही कार्य-परिणामों को राष्ट्रव्यापी प्रसार वाले एक अंग्रेजी समाचार पत्र में और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में नियमित रूप से प्रकाशित करता है. उपर्युक्त जानकारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति तथा संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों के समक्ष की गई प्रस्तुतियों के साथ आपके बैंक की वेबसाइट (**www.idbi.com**) पर भी उपलब्ध कराई गई थी.

ऐसे दस्तावेज, जो वर्णित हैं लेकिन वार्षिक महासभा की सूचना पाने के पात्र व्यक्तियों को भेजे नहीं गये हैं, वार्षिक महासभा की तारीख से 21 दिन पहले से बैंक के पंजीकृत कार्यालय में कार्य समय के दौरान शेयरधारकों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे

आम शेयरधारकों के लिए सूचना

1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 के दौरान शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव तथा शेयरधारकों से संबंधित अन्य सामान्य सूचनाओं का ब्योरा क्रमशः **रेखाचित्र 3, तालिका 10 और तालिका 11** में दिया गया है.

तालिका 10: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में आईडीबीआई बैंक लि. के शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव : अप्रैल 2010-मार्च 2011

(₹)

माह	उच्च	निम्न	माह	उच्च	निम्न
अप्रैल-10	127.25	115.25	अक्तूबर-10	188.40	153.55
मई-10	128.85	105.85	नवंबर-10	202.25	146.55
जून-10	128.90	109.10	दिसंबर-10	173.80	144.95
जुलाई-10	126.60	116.10	जनवरी-11	168.30	136.25
अगस्त-10	133.90	117.05	फरवरी-11	143.00	122.65
सितंबर-10	155.50	122.05	मार्च-11	147.10	131.20

रेखाचित्र 3: आईडीबीआई बैंक लि. का शेयर मूल्य (₹) और बीएसई सूचकांक: अप्रैल 2010 - मार्च 2011

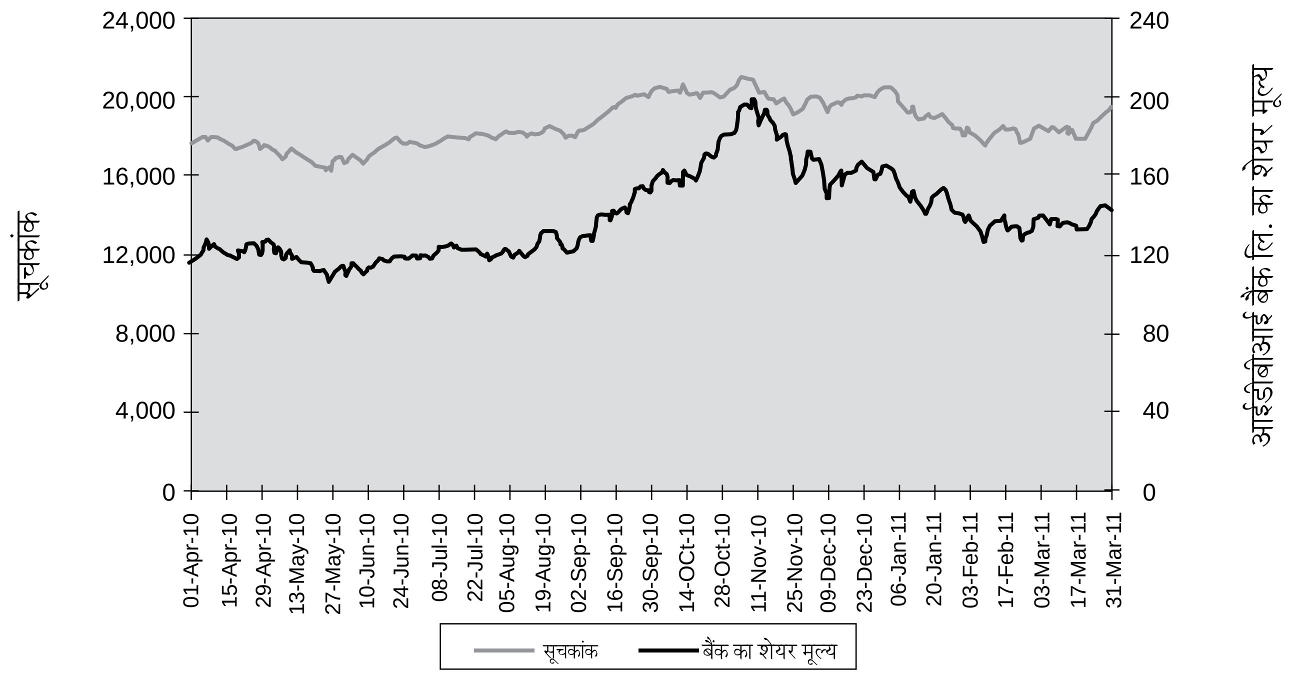

तालिका 11 : आम शेयरधारकों के लिए सूचना	
वित्तीय कैलेंडर	1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक
	1) 30 जून 2010 को समाप्त तिमाही के परिणामों पर 22 जुलाई 2010 को विचार किया गया. 2) 30 सितंबर 2010 को समाप्त तिमाही / छमाही के परिणामों पर 28 अक्तूबर 2010 को विचार किया गया. 3) 31 दिसंबर 2010 को समाप्त तीसरी तिमाही / नौमाही के परिणामों पर 25 जनवरी 2011 को विचार किया गया 4) 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों पर 19 अप्रैल 2011 को विचार किया गया.
लेखाबहियों के बंद रहने की तारीख	06 सितंबर 2011 से 08 सितंबर 2011 तक
प्रॉक्सी फॉर्म प्राप्त होने की अंतिम तारीख	06 सितंबर 2011
वार्षिक महासभा की तारीख, समय व स्थान	गुरुवार 08 सितंबर 2011 को अपराह्न 3.30 बजे, नेहरू सेन्टर ऑडिटोरियम, वरली, मुंबई - 400 018
लाभांश भुगतान की तारीख	04 अक्टूबर 2011
लाभांश वारंट प्रेषण की तारीख	27 सितंबर 2011
तिमाही परिणामों पर विचार करने के लिए बोर्ड की बैठक	संबंधित तिमाही की समाप्ति से एक माह के भीतर
स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई)
स्टॉक कोड / प्रतीक	बीएसई - 500116, एनएसई - आईडीबीआई /ईक्यू
रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट	इन्वेस्टर सर्विसेज ऑफ इंडिया लि., दूसरी मंजिल, ए विंग, आईडीबीआई बिल्डिंग, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई- 400 614
शेयर अंतरण प्रणाली	शेयरों के अंतरण का अनुमोदन कार्यपालक निदेशक / मुख्य महा प्रबंधक से युक्त एक आंतरिक समिति द्वारा साप्ताहिक आधार पर किया जाता है.
गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयरों तथा परिवर्तनीय लिखतों की संख्या	शून्य

शेयरधारिता का वितरण

मार्च 2011 के अंत में आपके बैंक के शेयरधारकों की प्रमुख श्रेणियों द्वारा शेयरधारिता का ब्योरा और वितरण अनुसूची नीचे **तालिका 12** और **तालिका 13** में दी गई है.

तालिका 12 : मार्च 2011 के अंत में शेयरधारिता का स्वरूप

शेयरधारकों की श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
भारत सरकार	641287110	65.13
कर्मचारी	1313391	0.13
जनता	109825430	11.15
हिन्दू अविभक्त परिवार	2962194	0.30
कंपनी निकाय	34291521	3.48
संस्थाएं (अर्थात् बैंक, विदेशी संस्थागत निवेशक, रावि निगम, वित्तीय संस्थाएं, म्यूचुअल फंड एवं विदेशी कंपनी निकाय)	115008467	11.68
सोसायटी	28960	0.00
न्यास	585328	0.07
बीमा कंपनियां	71899636	7.30
अनिवासी भारतीय	5823775	0.59
निदेशक एवं रिश्तेदार	640	0.00
एनएसडीएल (अंतरणाधीन)	1541647	0.17
कुल योग	**984568099**	**100.00**

तालिका 13: मार्च 2011 के अंत में वितरण अनुसूची

क्रम सं.	श्रेणी		शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों का %	राशि (₹)	कुल राशि का %
	से	तक				
1	1	5000	412806	92.38	615680480	6.25
2	5001	10000	20602	4.61	158482900	1.61
3	10001	20000	7728	1.73	114174160	1.16
4	20001	30000	2062	0.46	52540610	0.53
5	30001	40000	833	0.19	29894440	0.30
6	40001	50000	713	0.16	33689820	0.34
7	50001	100000	1061	0.24	78548580	0.80
8	100001 व अधिक		1033	0.23	8762670000	89.01
कुल			**446838**	**100.00**	**9845680990**	**100.00**

शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशक शिकायत निवारण

शेयर अंतरण प्रक्रिया को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से अंतरण ज्ञापन (एमओटी) को साप्ताहिक आधार पर अनुमोदित करने के लिए कार्यपालक निदेशक / मुख्य महा प्रबंधक की आंतरिक समिति गठित की गई है. आपके बैंक ने श्री पवन अग्रवाल को बैंक के कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया है.

1 अप्रैल 2010 को 716 निवेशक शिकायतों का निवारण लंबित था और 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 के दौरान आपके बैंक के रजिस्ट्रार और

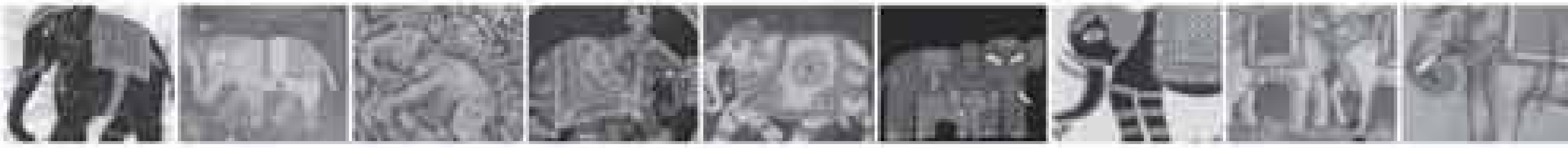

अंतरण एजेंटों को शेयरधारकों/निवेशकों से 19,061 शिकायतें प्राप्त हुईं. वर्ष के दौरान 19775 शिकायतों का निवारण किया गया और 31 मार्च 2011 को 2 शिकायतों का निवारण लंबित था. शेयरों/बांडों के संबंध में 1 अप्रैल 2010 को अंतरण के लिए 87 मामले लंबित थे. 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 की अवधि के दौरान आपके बैंक के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंटों को शेयरों / बांडों के अंतरण के लिए 3129 अनुरोध प्राप्त हुए. इनमें से 3158 पर कार्रवाई की गई और 31 मार्च 2011 को 58 मामले लंबित थे.

अदावी उचंत खाते के विवरण का प्रकटन (सूचीबद्धता करार के खंड 5ए के अधीन)

सूचीबद्धता करार के संशोधित खंड 5ए के अनुसार बैंक भौतिक रूप में उपलब्ध अदावी शेयर प्रमाण-पत्रों के संबंध में 'अदावी उचंत खाता' खोलने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन कर रहा है. संबंधित शेयरधारकों को 10 फरवरी 2011, 24 फरवरी 2011 और 10 मार्च 2011 को तीन स्मरण-पत्र भेजे गए थे. शेयरधारकों से मिले जवाब के आधार पर 31 मार्च 2011 को 5489 शेयरधारकों से संबंधित 1306817 शेयरों की आईडीबीआई बैंक में खोले जानेवाले अदावी उचंत खाते में जमा किए जाने हेतु पहचान की गई. बैंक के बोर्ड ने 19 अप्रैल 2011 की अपनी बैठक में डीमेट खाता खोलने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है. इस प्रकार उपर्युक्त डीमेट खाता 31 मार्च 2011 के बाद खोला जाएगा तथा सूचीबद्धता करार के खंड 5ए (एच) के अनुसार अदावी उचंत खाते के विवरण का प्रकटन वित्तीय वर्ष 2011-12 की वार्षिक रिपोर्ट से आरंभ किया जाएगा.

तालिका 14: डिमटेरियलाजेशन का विवरण तथा पत्राचार के लिए पता	
शेयरों का डिमटेरियलाइजेशन और चलनिधि	आईडीबीआई बैंक लि. की पूर्णतः प्रदत्त पूंजी ₹ 984.56 करोड़ है जिसमें ₹ 10 प्रत्येक के 98.45 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल हैं. कुल लगभग 4.46 लाख निवेशकों में से 3.59 लाख निवेशकों द्वारा 96.44 करोड़ शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित हैं. इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों का प्रतिशत 97.96% है. आईडीबीआई बैंक के स्क्रिप की बीएसई एवं एनएसई पर सक्रिय रूप से ट्रेडिंग होती है. वर्ष 2011-12 की सूचीबद्धता फीस इन एक्सचेंजों को अदा कर दी गई है.
बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख तथा इक्विटी पर संभावित प्रभाव	आईडीबीआई बैंक लि. ने जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किए हैं.
प्लांट का स्थान	लागू नहीं. तथापि, बैंक की शाखाओं के स्थान के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट **www.idbi.com** पर उपलब्ध है.
पत्राचार हेतु पते	आईडीबीआई बैंक लि. इक्विटी कक्ष - बोर्ड विभाग, बीसवीं मंज़िल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 फोन : 022-66552779, 66553062, 66552620 फैक्स: 022-2218 2352 ई-मेल :- idbiequity@idbi.co.in रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट इंवेस्टर सर्विसेज ऑफ इंडिया लि., दूसरी मंजिल, ए विंग, आईडीबीआई बिल्डिंग, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614 फोन : 022-27571615, 27579636-44 फैक्स : 022-27579645 ई-मेल : idbiequity@isilindia.com

तालिका 14: डिमटेरियलाजेशन का विवरण तथा पत्राचार के लिए पता *(जारी...)*	
सहायक कंपनियों के पते	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लिमिटेड 5वीं मंज़िल, मफतलाल सेंटर नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड आईडीबीआई बिल्डिंग, पहली मंजिल, प्लॉट नं. 39-41 सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614 आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 टिप्पणी: आईडीबीआई होम फाइनेंस लि. और आईडीबीआई गिल्ट्स लि. (भारत सरकार के 08 अप्रैल 2011 के आदेश के अनुसार आईडीबीआई बैंक के साथ समामेलन अनुमोदित).

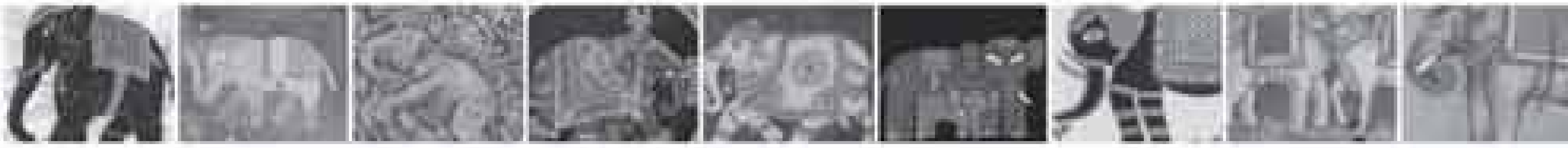

कॉरपोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण,

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात बैंक के रूप में निर्दिष्ट) के भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार के खंड 49 में बताये अनुसार 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए उपर्युक्त बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है.

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारी जांच कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी. यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर राय जाहिर करना है.

हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी तथा निदेशकों एवं प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों व प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीबद्धता करार की शर्तों के अनुसार कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है.

हम स्पष्ट करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन की बैंक के कार्यों को संचालित करने की कार्यकुशलता अथवा प्रभावशीलता का द्योतक है.

कृते **एस. पी. चोपड़ा एंड कं.**
सनदी लेखाकार

(पवन के. गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता सं. 92529
फर्म रजि. सं. 000346N

कृते **चोकशी एंड चोकशी**
सनदी लेखाकार

(निलेश आर. जोशी)
साझेदार
सदस्यता सं. 114749
फर्म रजि. सं. 101872W

स्थान : मुंबई
तारीख : 19 अप्रैल 2011

Business Environment

Global Economic Scenario

The global economy witnessed easing out of adversities associated with financial meltdown and revival of consumer demand, which outlined comparatively improved prospects. However, developments in Euro region, coupled with political conditions in North Africa, led to strengthening of pull down pressure. Higher inflationary expectations backed by accentuated energy prices along with edged up unemployment continued to dominate the concern areas. Increasing recourse to fiscal stimulants as growth supplements, though instantly acted as catalyser, fuelled inflationary expectations to a large extent and signified growing fiscal stress. Taming inflationary expectations without impinging much the pace of recovery, received considerable policy attention and persists as a challenging task ahead, prominently among the emerging economies. With the edging up of commodity prices across the globe, strengthening of asset bubble is rather discernible.

Prolonged recovery and weak business appetite affected financial activities considerably. Capital market activities across the globe reacted to the downturn and remained subdued during the large part of the fiscal. Even cross border movement of capital resided in tighter corridor. Despite optimistic growth stories from emerging economies, feeble growth in advanced nations ultimately narrowed down growth momentum of the global economy.

Domestic Business Environment

Revised estimate of real GDP growth at 8.5% during FY2010-11 reflects robustness of Indian Economy, while global economy is reeling under slow recovery. All the constituent sectors contributed well signifying wider growth platform. Growth in primary sector improved significantly to 6.6% during FY2010-11 as compared to 0.4% during the previous year. Indeed, the improved growth in primary sector augurs well for the economy as a whole, as it bestows stronger platform and linkages with other sectors to augment their performance. Supported by domestic demand, corporate earnings remained above the expected level. Financial sector displayed orderly momentum and experienced gradual stiffening of interest rates. With fresh infusion of capital by Government in Public Sector Banks (PSBs) including IDBI Bank, the risk shouldering capabilities of banks improved to a significant extent.

REAL SECTOR

Gross Domestic Product (GDP)

As per the revised estimate of Central Statistical Organization (CSO), growth momentum of Indian economy improved to 8.5% during FY2010-11 as compared to 8.0% during a year before. All its constituent sectors contributed significantly, with a lions share of 65.62% from services sector, 20.02% from industry and 14.36% from agriculture. Size of the domestic market played a key role, offering ample operating domain to various economic agents. However, higher inflationary pressure along with heating energy prices, hardening up of food prices and slowing down of growth movement in capital goods signify severe concern to policy makers.

Investment & Industrial Scenario

During FY2009-10, gross domestic investment moved up to 36.5% as compared to 34.5% during previous year. As depicted in **Figure I**, domestic savings improved to 33.7% during FY2009-10 against 32.2% a year before.

Figure I : Trends in Investments and Savings
(As % of GDP)

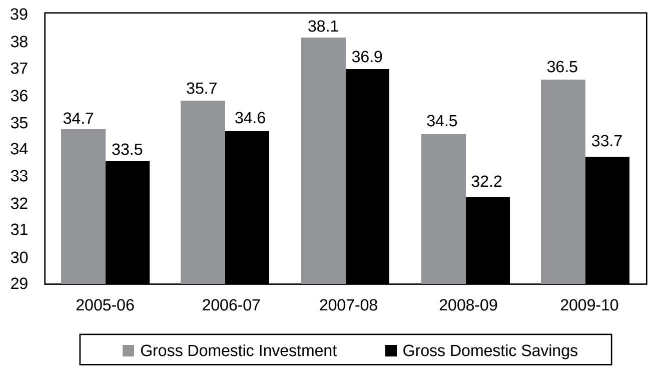

Industrial growth measured in terms of movement of Index of Industrial Production (IIP) remained sluggish with 7.8% during FY2010-11 as compared to 10.5% during FY2009-10. Growth of Industrial Production exhibited lack of stability and slowed down to a considerable degree during the second half of the fiscal. Weak growth in capital goods

Figure 2 : Sectoral Growth of IIP (%)

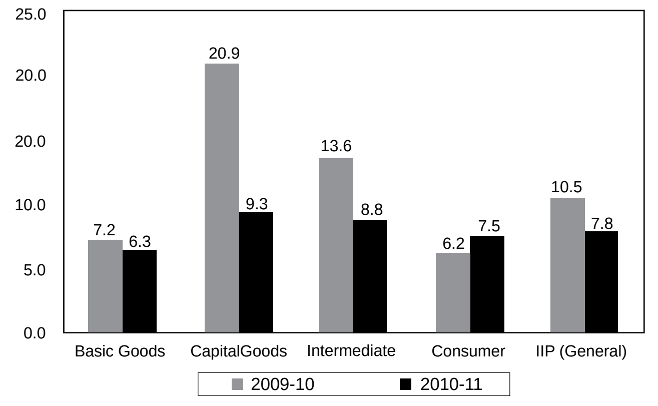

sector is a matter of serious concern, which may restrict growth in other segments of industries as well, through its forward and backward linkages.

Foreign Exchange Reserves & Exchange Rates

As at March 31, 2011, India's foreign exchange reserves stood at USD 305.5 billion, which were higher by USD 26.4 billion compared to end-March 2010. During 2010-11, forex market remained steady. Flow of overseas funds through FDI slowed down due to improved market conditions abroad. Exchange rate for USD as at end-March 2011 stood at ₹44.65 as compared to ₹45.14 as at end-March 2010, reflecting appreciation of INR.

Inflation

Both demand and supply side factors pulled up inflation level to a higher extent wherein majority of economic sectors were impacted adversely. Particularly, paucity of essential food articles along with bloated purchasing power, charged up food inflation. Food prices couple with increased prices of oil products, fuelled inflationary expectations to a considerable extent and subsequently spearheaded the manufacturing inflation as well. Disturbances within the oil exploring nations further encouraged inflationary pressure as a result the inflation (YoY) remained at 9.5% for FY2010-11.

Liquidity and Interest Rates

The financial market, which was comfortable with regard to liquidity at the beginning of the financial year, migrated to deficit mode due to policy movements to curb inflationary pressure. Interest rates across various market instruments hardened, exhibiting flattening of yield curve. Policy rates and administered rates were revised to suck out liquidity and weaken the demand-pull pressures. Financial intermediaries realigned their liability pricing to attract more stable funds and at the same time followed tighter norms and better pricing to protect their margin.

Future Outlook

Growth trend of real GDP and IIP have shown sluggishness during recent quarters. Expected policy realignment to rein in inflationary expectations and measures considered so far in this regard, are expected to generate downward pressure on overall growth in the short run. Policy stance to calm down price rise on priority basis, though deter growth in short run, is expected to have beneficial impact in the long run. Higher food prices, supply constraints, hardening of interest rates, rising input costs including cost of basic raw materials & oil and weakening capital market are expected to restrict scope of economic activities.

Elongated recovery coupled with bearish business sentiment, especially in advanced nations, is expected to further dampen the growth prospects. Even the scope of extending further fiscal support is limited due to growing fiscal burden and frail prospects of revenue collections. Rising input cost, including energy, is expected to corrode corporate margin, indicating weak appetite for fresh investment and capacity expansion.

The positive side, though narrow, is rather encouraging. Firstly, higher food prices would pave the way towards improved terms of trade for agricultural output. This would attract higher investments in primary sector, both from public and private sectors. Indeed this would pave the way towards synchronization among the principal sectors and would sequentially catalyse the growth momentum. However, such positive influence may occur during the second half and towards the tail-end of the financial year. Union Budget 2011-12 has improved allocation and agenda for primary sector. With an assumption of normal monsoon, the growth prospect of primary activities is expected to be brighter. However, growth deterrent factors are expected to remain dominant and thereby moderate the growth process, despite improved investments in primary and infrastructure sector.

Corporate Finance

Your Bank is pioneer in the field of corporate finance and offers array of products catering to their diversified requirements. In order to draw focused attention and ensure improved customer service, corporate finance in your Bank operates on three broad corporate verticals viz. Infrastructure Finance, Large Corporate and Mid Corporate Groups. At present the Bank has 32 dedicated Specialised Corporate Branches (SCBs) at key geographical locations wherein corporate density is high and their service requirement is immense.

In addition to tailor made products dovetailing niche segment, Corporate finance domain of your Bank has structured products which includes current account with innovative features, bulk & non-bulk deposits, various asset-based products as well as transaction banking products like trade finance, cash management services and government agency business of tax collection. Corporate finance group also offers treasury products and loan syndication services to its clients.

Your Bank continues to scale new heights in Trade Finance business. During the financial year 2010-11, the non-fund based business in LCs and BGs segment grew by 18% crossing ₹60,000 crore. Fee income from Trade Finance activities rose by 30%. Your Bank facilitated Export-Import Trade Finance considerably and launched a multi-currency remittance product that allows customers the option of making remittance in more than 100 currencies.

Your Bank is fast emerging as a preferred bank for e-payment of direct and indirect taxes. Tax collection was almost ₹1 lakh crore during FY2010-11. There has been growing involvement with the Government's initiatives such as the Central Plan Scheme Monitoring System, Goods & Services Tax and e-initiatives in respect of Stamp Duty collection. In the current year, your Bank initiated payment and receipt related transactions for the Railways and the Government of Haryana. Cash Management Services have been a thrust area of your Bank. It has established a firm foothold in this business segment and is extending its services to an increasing number of corporates. Prestigious dividend mandates have been obtained from companies, both in public as well as the private sectors. Your Bank has also earned market recognition for its services as Bankers to Issue for IPO / FPO assignments, especially in the disinvestment programme of the Government of India, and has emerged as a major player in the retail segment. Your Bank's strategy to continuously upgrade its CMS product offering has been reaping rich rewards.

Infrastructure Finance

Your Bank has increasingly been associated with infrastructure financing and always remained proactive to realize the dreams of the nation in this regard. Infrastructure financing involves long gestation periods and have a distinct risk and return profile requiring innovative structuring. It has been in the forefront in structuring and financing of infrastructure projects in the areas of power, telecom, roads, airports, seaports, railways and logistics, ever since the infrastructure sector was opened to private investment, and a significant share of its aggregate assistance goes to infrastructure sector.

Recognising the critical role of infrastructure development in the growth of national economy and also the huge investment required in the sector, focused approach was followed to provide end-to-end solutions to the infrastructure companies viz. corporate advisory, syndication of debt / equity, financial structuring, term loans, working capital, securitization and other related services. Your Bank has emerged as leading player in debt syndication field.

Your Bank has also taken initiatives in funding urban infrastructure projects; renewable energy projects (solar, wind and bio mass-based power projects); seaports and airports under the Public-Private Partnership (PPP) route. With the opening of overseas branch, your Bank is in a position to extend, selectively, foreign currency denominated loans to infrastructure projects.

Retail Finance & Financial Inclusion

Your Bank aims to improve its business mix and thereby endeavors to augment composition of retail business. Supportive infrastructure set up in terms of branch network and skilled manpower provides good scope in this regard. At the end of the fiscal, your Bank has 815 domestic branches comprising 238 at metropolitan centres, 307 at urban centres, 184 at semi-urban centres, 86 at rural centres and one overseas. In addition to its plan of expanding branch network, your Bank is in the continuous process of bringing improvement in existing products to increase customer satisfaction level. Your Bank is a pioneer in the Indian Banking industry in embarking upon a special mission to bring about "Delight for its customers". Under this mission, your Bank has introduced Current and Savings account services free from all charges to its customers. With this unique measure, your Bank has been able to attract about nine lakh customers with an initial account opening amount of ₹ 3200 crore. Your Bank is also offering additional interest on fixed deposits above the normal deposit rates to the `Golden-Aged' customers. As part of customer rendezvous, your Bank celebrated the 100th anniversary of `International Women's Day' at 102 branches across the nation.

Your Bank, in its efforts to realize improved reach to its growing clientele, added 169 ATMs at key locations, taking the total number of ATMs to 1370 as on March 31, 2011. In fact, your Bank envisages utilizing alternate models of ATM deployment so as to increase the pace of expansion of its

ATM network. Your Bank continuously attempts to develop innovative features and facility in its ATMs. Accordingly, the Bank has the plan of introducing, along with others, ATM enabled payment of direct taxes.

Your Bank thrusts on promoting Alternate Channels and increasingly endeavors to deliver new products and services through these channels. As a part of these initiatives, your Bank, during the financial year 2010-11, provided the facility of making on-line payments for e-commerce transactions through its debit cards. Your Bank also launched a new variant of the debit card, i.e. Women's Card exclusively for its women customers. Cash back scheme for debit card usage at Point of Sale as well as for e-commerce was also rolled out during the financial year. In addition, your Bank has also enabled its debit cards for withdrawing cash at merchant locations within the permissible limits. It has also tied up with select merchants for offering this facility to the debit cardholders of all the banks in the country. The facility for transfer of funds by your Bank's customers to other customers of your Bank as well as customers of any other bank through mobile phones is also being introduced in partnership with the National Payment Corporation of India.

As a part of its efforts towards making its internet banking service more secure, your Bank has introduced a facility of second factor authentication (by way of an one time password delivered through SMS) before registering any beneficiary for transfer of funds through internet banking. With a view to enhancing customer experience and increasing usage of its internet banking facility, your Bank has also provided the facility of creating passwords online by the customers themselves.

Your Bank has bagged the prestigious mandate of being the partner for Department of Posts in their pre-paid card programme for their account holders. Your Bank is also partnering with Bombay Custom House Agents Association (BCHAA) for issue of an innovative payment instrument to enable e-payment of freight, custom duties etc. through a closed user group debit card.

Your Bank has emerged as one of the dominant and competitive players in the retail finance segment. To meet the diversified needs of the retail customers, an array of innovative products, both Secured and Unsecured, are offered to prospective retail customers. Your Bank has launched Mortgage Loan Interest Saver, an innovative product, where borrower can save interest on Loan against Property to the extent of surplus funds parked in his current account linked to loan account.

To increase the level of Current Account and Savings Account (CASA), your Bank has introduced Salary account with in-built overdraft facility for salaried individuals, having their salary account with your Bank. Your Bank attaches great importance to Education Loan for the meritorious, needy and deserving students. The Bank has a tie-up with Educational institutes for granting education loan. To ensure wider geographical coverage and to tap the latent opportunities, your Bank has increased its footprints by adding 9 new Retail Asset Centers (RACs) during the year. These new centers were started in Tier II and Tier III cities with a view to increase home loans in the ambit of priority sector. With a view to leveraging the relationship with Maruti Suzuki India limited, your Bank has co-sponsored Maruti's Think Big Challenge-II event for encouraging business ideas and entrepreneurship skill of individuals across 19 cities. To support government initiative of offering financial services to Economically Weaker Section (EWS) and Lower Income Groups (LIG) of the society, your Bank is offering government sponsored scheme called Interest Subsidy Scheme for Housing the Urban Poor (ISHUP) and Education Loan (Central Interest subsidy scheme) to its retail customers. Today your Bank enjoys `Top of Mind Recall' amongst its peers.

Your Bank has tied up with over 34 Asset Management Companies (AMCs), including IDBI Mutual Fund to provide a bouquet of diversified financial products to its customers. It is also a distributor of Fixed Income Securities viz. Capital Gain Bonds, Government of India Bonds, and various Tax Saving Bonds. Your Bank is registered with Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), as a Point of Presence (PoP), for the distribution of New Pension System (NPS), a safe and flexible system, introduced by Govt. of India to provide the citizens with regular post-retirement income stream.

To cater to the investment and insurance needs of the customers, your Bank offers Life Insurance solutions to suit various customer segments, through IDBI Federal Life Insurance Company Ltd. Your Bank is a Corporate Agent of Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd. to offer `Non-life' insurance products ranging from asset, health and personal accident.

Your Bank highly values its relationship with the NRI clients. In its effort to deepen existing relationship and also to build new relationship, it has launched "IDBI Health Care Scheme" under three different packages viz. Platinum, Gold and Economy. Under the scheme, health check-up facilities are offered to the dependents of NRI clients through a wide network of diagnostic centers. Your Bank has entered into an agreement with Al Fardhan Exchange and Oman UAE Exchange during the year for routing remittances from Gulf Countries. With this, the remittance services from Gulf countries can now be availed from 12 Exchange houses. Your Bank has also entered into an MOU with UAE Exchange in Gulf Cooperation Council (GCC) countries for sourcing NRI deposits. Your Bank has various NRI campaigns and NRI customer meets and also participated in NRI events/conferences held in India and overseas to improve the services to NRI customers and expand visibility of NRI products and services.

Your Bank offered Portfolio Investment Scheme (PIS) services to NRIs for investment in the secondary market on both repatriable and non-repatriable basis by trading in online as well as offline modes. The trading tie-up includes IDBI Capital Market Services Limited for online trading and other major stockbrokers for the purpose of off-line trading. Your Bank also proposes to extend facilities of online trading to other institutional brokers to cover a larger number of NRI customers.

In meeting the objective of Financial Inclusion as articulated by the Government of India, your Bank has initiated Financial Inclusion Plan (FIP) for the first three years ending FY 2013. The Bank is required to cover total 119 villages, with a population of over 2000, by FY 2012, in the states of Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, West Bengal, Himachal Pradesh, and Dadra & Nagar Haveli. During the financial year 2010-11, the Bank had met the target of launching Financial Inclusion Plan (FIP) in 55 unbanked villages. The remaining 64 unbanked villages will suitably be covered during FY 2012. In addition to these villages, bank will also cover 5000 villages with a population of less than 2000 by FY 2012-13. Apart from the villages, your Bank is also launching Financial Inclusion drive in the urban unbanked habitations.

The FIP of your Bank is being implemented by using Information Communication Technology (ICT) based smart card solution through Business Correspondent (BC) model. Services of various Technology Service Providers (TSPs) across geographical segments/locations are being used for Financial Inclusion drive. The TSPs would provide end-to-end solution including management of BCs/Customer Service Points (CSPs). Every customer in the unbanked villages is being provided with a biometric smart card as per Institute for Development and Research in Banking Technology (IDRBT) specifications and capable of incorporating around ten functions. To start with, the banking services being provided in the allotted villages are in offline mode. Your Bank is in the process of developing a platform where the customers can be provided the services on a real-time basis.

Your Bank has also commenced its Inclusive Banking drive by launching its FIP in 46 unbanked villages and 1 urban poor location in Mumbai. The progress in these villages is being reviewed by top management as part of the Outreach Programme. Presently, your Bank is only rendering services such as deposit, withdrawals and balance enquiry through smart cards. However, it proposes to extend the facilities for micro credit, insurance, utility payments, etc.

As part of the Financial Inclusion initiative, your Bank has signed MOU with Tribal Development Department, Government of Gujarat, for delivering financial services, including all transfers from Government Schemes to the beneficiaries of four tribal blocks of the State of Gujarat. Your Bank is also in the process of exploring such partnership with other state governments.

Your Bank has signed MOU with Unique Identification Authority of India (UIDAI) for acting as a Registrar and implementation of the UIDAI project has already been commenced.

MSME Initiatives

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have been accorded an important role in your Bank's growth charter. Your Bank understands that a sustainable growth model in the long-term can be built only on a strong foundation. With its endeavor to take the MSME Banking facilities proximate to MSME clients, your Bank has set up dedicated MSME Care Centres in 30 major cities. Each MSME desks, mapped to one of these cities, have been established in major business areas in the vicinity of these Centres. With that, your Bank has enhanced presence in the MSME space at more than 84 centres covering most of the MSME sectors/ clusters of prominence.

Your Bank understands various needs of the MSME clients and is always on the lookout to offer new products that are customized to take care of such needs. During FY 2010-11, your Bank introduced four new products in the MSME space. Your Bank launched 'Loan Against Property' for the MSMEs to take advantage of their assets/properties lying idle. The Bank introduced 'SME Smart Line of Credit' so that MSMEs could take advantage of emerging business opportunities. In addition, your Bank implemented the 'Artisan Credit Card' scheme of Indian Banks' Association (IBA) to take care of the credit needs of the artisan community of the nation. With a view to move towards cleaner and green energy sources, your Bank joined hands with World Resource Institute (WRI), USA, one of the top international research institutes on a non-exclusive basis in developing a loan product for implementation of Energy Saving projects.

Apart from these, your Bank has taken steps to offer tailor-made, faster solutions to the MSME clients. To further enrich the MSME loan basket, the Bank has tied-up with Small Industries Development Bank of India (SIDBI) in an exclusive arrangement to jointly finance MSME units, initially in 10 centres viz., Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Coimbatore, Delhi, Indore, Jaipur, Lucknow, Ludhiana and Rajkot which would subsequently be rolled out across the country.

Your Bank understands the important role that the clusters play in the economic health of the MSMEs. Your Bank organized a cluster development initiative at Coimbatore by holding an interactive session where prominent speakers belonging to different specialized streams of industry offered their ideas, highlighting the problem areas and offering solutions to specific problems of the MSMEs of the cluster.

With a view to promote MSME building initiatives taken-up by various Industry Associations, your Bank participated in a number of MSME promotional events throughout the past year.

Agriculture and Rural Development

Agriculture is a way of life inherited by Indian farmers. It is one of the challenges before banking industry to extend knowledge-based credit to our farming community to improve farm productivity, thereby improving quality of life of the people associated with primary sector. In order to ensure adequate reach to the farmers, your Bank during the course of the year has positioned larger banking infrastructure including skilled manpower in agri-business along with dedicated branches catering to the needs of the farmers. At present Agri-Business, in your Bank, is transacted through 300 branches, which are attached to 14 Agri-Processing Centers.

Agri-Business of your Bank comprises direct lending to the farmers or group of farmers; lending to farmers through corporates and cooperatives; assistance to corporates or cooperatives engaged in processing of agriculture produce; and entities involved in supporting agriculture sectors. Your Bank, with a view to increase awareness of farmers on modern farming techniques and emerging trends, has undertaken various programmes. These include organising farmers' meeting with experts in the relevant field, participation in Agri-exhibitions, formation of Farmers' Clubs in association with NABARD etc.

For your Bank, agriculture lending is not just financing an economic activity but it is also an opportunity to participate in the Rural Development mission of our country. Your Bank, to improve income profile of farmers, has also encouraged and supported the rural population for undertaking allied activities under dairy, poultry, fishery, animal husbandry and other related categories. Your Bank has participated in various village level activities, related to education, health and social aspects to strengthen its bond with villagers. Rural Development, as your Bank perceives, is difficult without inculcating desired financial literacy among the rural population.

With a view to spreading financial literacy and awareness amongst rural populace, the Bank is using "Nukkad-Natak" as a tool for Financial Literacy-cum-Training programme in collaboration with NABARD. Your Bank is also focusing on establishing Self-Help Groups (SHGs) in the villages under the linkage program.

Unemployment of rural youth is one of the major issues before our country. Your Bank has decided to participate in the mission promoted by Ministry of Rural Development, Government of India to establish Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) across the country and has identified Satara district of Maharashtra for establishing the first RSETI. The institute would conduct free residential training programmes for rural unemployed youth from this district on skill and entrepreneurship developments so that they could set up their own small enterprises. Your Bank would undertake this activity and other agriculture and rural development activities under a separate trust.

Environment Protection Schemes

Your Bank has undertaken the pioneering role in the Indian banking sector in the area of environmental banking. Besides offering various banking services, your Bank has been providing services in the area of Clean Development Mechanism (CDM)/Carbon Credits under Kyoto Protocol and Voluntary Emission Reductions (VERs). Your Bank has also been acting as financial intermediary for World Bank (WB) funding under Ozone Depleting Substance (ODS) phase out schemes since 1991 and India Chiller Energy Efficiency Project (ICEEP), a unique project aimed at mitigating global warming and phasing out of ODS in the chiller sector.

Your Bank has taken a step towards the Green Initiative in Corporate Governance by going paperless by sending all documents like General Meeting Notices / other notices, Annual Report and other documents to members in electronic form as permitted by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

Carbon Credit Services

Your Bank has set up a team for providing specialized carbon credits/emission trading advisory on Clean Development Mechanism (CDM). The Bank is facilitating all the services related to CDM projects and carbon credit market, viz. Funding of the CDM projects; Providing Technical Advisory Services for registration of CDM project, Providing Advisory Services for Trading of CERs and VERs; Upfront Financing against the Carbon Credits/Carbon Credits Receivables, Advisory Services for Programmatic CDM.

During the year, your Bank has completed nine technical advisory/trading assignments and more than fifteen assignments are in progress. Your Bank is independently providing complete CDM technical advisory service for registration of one hydro-project with United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Two projects have been assisted under the scheme for upfront financing against carbon credit receivables.

Ozone Depleting Substances (ODS) Phase-out projects

Your Bank is acting as Financial Agent (FA) for the World Bank administered Ozone Depleting Substances (ODS) Phase-out projects (ODS III & IV) of Ozone Trust Fund (OTF) for implementation of the projects aimed at phasing out production and use of Chlorofluoro Carbon (CFC) and Carbon Tetrachloride (CTC) in India as required under Montreal Protocol. World Bank and Govt. of India have extended the tenure of ODS III and ODS IV projects upto December 2011 and December 2012 respectively. During the year your Bank earned USD 0.011 million as fee based income for disbursement of grant funds aggregating USD 0.67 million to the beneficiaries under the two projects. Cumulatively, upto March 31, 2011, grant funds aggregating USD 116.80 million have been released through your Bank under ODS III & IV projects.

India Chiller Energy Efficiency Project (ICEEP)

Your Bank is acting as financial intermediary and project implementing entity of the World Bank for implementing India Chiller Energy Efficiency Project (ICEEP), aimed at accelerated replacement of energy inefficient centrifugal CFC based chillers with more energy efficient non-CFC based chillers as a programmatic activity. ICEEP has been launched by the Ministry of Environment & Forest (MoEF), Government of India since September 2009 and is in the advance stage of implementation. The project received part of the grant funds of USD 6.3 million under Global Environment Facility (GEF) and USD 1 million under Multilateral Fund (MLF). The project is being developed as small CDM Programme of Activity (PoA) and proposed to be registered with United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) for carbon credits, which will overcome high cost of registration of 370 small sub-projects of individual beneficiaries.

The eligible beneficiaries in India would receive financial incentives under two options. Under Option I, up-front grant subsidy of 20% of the cost of new efficient centrifugal/ screw chillers would be available, based on a normative price of USD 400 per TR (₹18000/TR). Under Option II, the Chiller owners would be eligible to receive around 60% of the CDM revenues to be generated from actual energy savings achieved by the new chillers.

During the year, 12 eligible projects have been registered for replacement of 23 chillers out of 18 projects cumulatively registered for replacement of 55 CFC based chillers from private and public sectors with total grant subsidy of USD 1.95 million under the scheme. Your Bank has set up a system for baseline measurement and annual monitoring of eligible chillers and has taken a step forward for development of required documents for registration of ICEEP as CDM PoA with UNFCCC for carbon credits.

Treasury Operations

Your Bank has an integrated Treasury at its Head Office covering various operations including Money Market, Fixed Income, Foreign Exchange, Derivatives and Equities trading operations for optimum management of funds and returns while providing a range of products to offer efficient customer service.

Liquidity management was undertaken efficiently and effectively during the year. During the year, rupee liquidity was comfortable in the system in the beginning of the year. The maximum surplus of ₹ 119,655 crore was witnessed on 7 April, 2010 in the Liquidity Adjustment Facility (LAF). The hike in Cash Reserve Ratio (CRR) in April 2010 by 25 bps to 6%, outflow of funds on account of 3G/BWA spectrum auctions, lower spending by the Government as a tool to control inflation, resulted in liquidity tightness in the system. The average LAF during the first half of the financial year was deficit at ₹ 5,762 crore. The maximum liquidity deficit of ₹170,485 crore was seen on 22nd December 2010. Reserve Bank introduced a number of measures to manage the scale of rupee deficit, including reduction in SLR by 1 per cent of Net Demand and Time Liabilities(NDTL) accompanied by a roughly equivalent amount of government bond buy back. During the second half of the financial year, average LAF was deficit at ₹88,919 crore.

Your Bank used various instruments including Certificates of Deposits, Inter Bank borrowing, issuance of Bonds, Refinance from various institutions, bulk deposits and foreign currency borrowing to manage liquidity for balance sheet growth and maturity of liabilities. The short term liquidity was managed through call, CBLO, LAF and Repo market operations.

The first half of the year witnessed sharp volatility in the bond market. In the second half of the year, the bond market traded in a narrow range. Adverse market conditions, mainly on account of higher inflation and monetary tightening measures by RBI resulted in keeping the pressure on yields. The bench-mark 10 year G-Sec yield started the FY 2010-11 at 7.82%, softened to 7.37% by mid May 2010 and then rose slowly and steadily to 8.23% by mid January 2011 and then softened again to close the year at 7.98%. During the course of the year, RBI had increased the repo rate by 175 bps to 6.75% and the reverse repo rate by 225 bps to 5.75%.

Your Bank provided various types of customized solutions to customers for their foreign exchange requirements and hedging of their interest rate and exchange rate risks. Bank's Treasury provided competitive rates for various requirements of corporate clients for their foreign exchange transactions, thereby ensuring a quantum jump in customer volumes as well as Forex revenues. Your Bank's Treasury has a full-fledged marketing team, which interacts constantly with the corporate clients and proactively provides them solutions to effectively manage the volatilities in the currency markets.

In the derivative segment, Bank offers currency and interest rate derivative products to clients to hedge their respective risks. Option structures also are offered as a hedge product to clients. During the year, Bank offered its customers debt sales service i.e. for purchase and sale of government securities, etc. Bank also started proprietary trading in Exchange Traded Currency Options (ETCO) following proprietary trading initiated in Exchange Traded Interest Rate Futures (IRF) in the previous FY 2009-10 and Exchange Traded Currency Futures in the year before (FY 2008-09).

Cross-Border Branches

With the faster pace of globalization, many of your Bank's valuable customers require cross-border finance. In this

direction, your Bank has made a foray into the overseas markets to cater to the financing needs of its Indian clientele and also leverage its domestic banking strengths to offer competing products internationally. From Dubai International Financial Centre (DIFC) Branch, your Bank provides a range of corporate banking services, including extending of ECB's, foreign currency loan syndication and trade finance products for its Indian Clients' fund requirements for their Indian operations and overseas ventures. It also serves as the nodal point for your Bank for raising foreign currency resources. Your Bank has also submitted applications to Monetary Authority of Singapore (MAS) for setting up an Offshore Banking Unit (OBU) at Singapore and to the China Banking Regulatory Commission (CBRC), China for setting up a Representative Office at Shanghai.

Foreign Currency Resources

During the year under review, your Bank raised a sum of USD 1784.87 million equivalent, of which (i) USD 830.37 million equivalent was raised from overseas banks/overseas branches of Indian Banks/Institutions under the Inter-bank Dealings Scheme of RBI; (ii) USD 205 million by way of club/syndicated loan; (iii) USD 350 million by way of Bond issuance under the USD 1.5 billion Medium Term Note (MTN) programme; and (iv) USD 399.5 million equivalent by way of short term borrowings from banks. Your Bank, through its DIFC Branch, Dubai has also contracted an Export Credit Agency (ECA) backed Line of Credit of EURO 100 million equivalent. The Line of Credit (LoC) will be available for financing of investment and capital goods, imported by Indian corporates from Western European countries.

As on March 31, 2011, the outstanding amount of borrowings under the Inter-bank Dealings scheme of RBI, (USD 1176.37 million equivalent) was within the permitted overall RBI stipulated limit of 50% of Tier I capital. As stated earlier, your Bank priced its USD 350 million-benchmark Reg S Bond issue at 4.75% p.a. on July 30, 2010. The bond has a maturity of 5.5 years and was issued under bank's USD 1.5 billion MTN programme, listed on the Singapore Stock Exchange. The benchmark bond issue has been raised through your Bank's branch at DIFC. The MTN programme of USD 1.5 billion, filed with the Singapore Stock Exchange, will facilitate raising foreign currency funds, by way of senior debt and also Perpetual Tier I and Upper Tier II capital, in conformity with RBI guidelines. The funds to be raised under the MTN programme will be utilized for meeting the funding requirement of your Bank's overseas branch for financing Indian & Overseas Corporates.

Ratings

Your Bank obtains credit ratings for both domestic and foreign currency borrowings. The ratings for the rupee resources are indicated in **Table 3.**

Table 3 : Ratings for Domestic Currency Borrowings (As on March 31, 2011)

	CRISIL	ICRA	Fitch
Fixed Deposits	FAAA/ Stable	MAA+	tAAA (Ind)
Short-Term Borrowings (Certificate of Deposits)	P1+	A1+	F1+ (Ind)
Long-Term Rupee Bonds (Senior & Lower Tier II Bonds)	AA+/ Stable	LAA+/ Stable	AA+ (Ind)
Hybrid - Upper Tier II Bonds	AA/ Stable	LAA/ Stable	AA- (Ind)
Hybrid – IPDI	AA/ Stable	LAA/ Stable	--

The foreign currency borrowings of your Bank are rated by international rating agencies, viz., Moody's Investor Services (Moody's) and Standard & Poor's (S&P). The long-term foreign currency ratings and Bank Financial Strength Ratings (BFSR) are indicated in **Table 4.**

Table 4 : Ratings for Foreign Currency Borrowings for Senior Debt (As on March 31, 2011)

Rating Agency	Long Term Rating	BFSR
Moody's Investor Services (Moody's)	Baa3	D -
Standard & Poor's (S&P)	BBB - / Stable	C

Long Term Rupee Borrowings

During the year, your Bank raised an aggregate amount of ₹2,443 crore through bond issuance comprising Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) qualifying for Tier I capital (₹245 crore), Upper Tier II bonds (₹1,000 crore) and Lower Tier II bonds (₹1,198 crore) to shore up its CRAR.

Asset Quality

As at end-March 2011, 98.94% of your Bank's net loan assets were standard assets. As at end-March 2011, sub-standard assets formed 0.85%, while doubtful assets constituted 0.21% of your Bank's net loan assets. Adequate provisions were made in conformity with extant prudential regulations. Your Bank continues to pursue various recovery efforts to improve asset quality and also augment bottom line of the Bank. During the year, your Bank initiated several steps to settle the Non-Performing Assets / Fully Written-Off (NPA/FWO) cases in its portfolio. Among the various steps undertaken were restructuring of liabilities, One Time Settlements / Negotiated Settlements (OTS/NS), legal action, action under the SARFAESI Act, change of management, sale of assets to Asset Reconstruction Companies (ARCs), induction of strategic investors etc. depending on the specific requirements of each case.

The Provision Coverage Ratio (PCR) of your Bank works out to 74.66% as on March 31, 2011 as against the regulatory threshold of 70%.

Risk Management

Risk is an inherent part of banking business and therefore, managing risk optimally has been a key element of your Bank's business strategy. The philosophy of your Bank with regard to risk is guided by the twin objectives of enhancement of shareholders' value and optimum allocation of capital. Spreading awareness of risk across the Bank, identification, measurement, monitoring and controlling of risk, efficiently & effectively to yield sustained economic value, continued to receive due priority.

Your Bank has an integrated risk management function that looks after all aspects of enterprise-wide risk management. Overall risk management is the responsibility of the Risk Management Committee (RMC) of the Board of Directors. Appropriate structure, policies and review processes are in place in the area of risk management. A well-established, effective and independent internal control mechanism exists for supplementing the risk management systems to build risk consciousness and discipline into decision-making throughout the entire Bank.

Your Bank leverages on core banking solution to build up adequate Management Information System (MIS) capability. This enables risk management process to meet the challenges of an increasingly sophisticated financial system. In order to make the Risk Management System more robust and technologically advanced, your Bank has implemented Integrated Risk Management Architecture (IRMA), which comprises software solutions, viz. Risk Assessment Module (RAM), Capital Assessment Model (CAM) and CRISIL's Operational Risk Evaluator (CORE). RAM is a two-dimensional web-based rating system, CAM is a capital computation system for credit risk and CORE is a system to track operational risk. These systems would facilitate eventual migration to advanced approaches under Basel-II. The IRMA system has received an award from Indian Banks' Association (IBA) for Best Risk Management System in the Banking Industry.

Implementation of Basel-II Norms

Your Bank has migrated to Basel-II norms with effect from March 31, 2009, as stipulated by RBI. In compliance to the Pillar-1 norms under Basel-II, the Bank has computed capital requirement for credit, market & operational risk as on March 31, 2011 and the Capital Adequacy Ratio (CAR) of the Bank works out to 13.64% and tier-I ratio stood at 8.03%, which are above the minimum regulatory requirement of 9% and 6% respectively.

Your Bank has adopted the Standardized Approach for credit risk and is in the process of further upgrading and strengthening its Credit Risk Management System to be in readiness for eventual migration to the advanced (Internal Rating Based) approaches of Basel-II. Similarly for market risk, your Bank has adopted standardized method to compute capital and is in the process of implementing VaR based system for smooth migration to Internal Models Approach (IMA) for capital computation.

Your Bank has adopted Basic Indicator Approach (BIA) to compute capital charge for operational risk. As a part of migration process to Advance Measurement Approach (AMA), a new set of Key Risk Indictors (KRIs) and Risk & Control Self Assessment (RCSA) framework have been rolled out.

To comply with the Pillar-2 norms under Basel-II, your Bank has put in place a Board approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). This policy enables the Bank to internally assess and quantify those risks, which are not captured under Pillar-1 and also develop appropriate strategies to manage such risks under normal and stress scenarios. Accordingly, your Bank carried out the ICAAP exercise for 2010, which was approved by the Board and thereafter submitted to RBI.

In compliance to Pillar-3 norms of Basel-II, your Bank has put in place a Disclosure Policy and accordingly, the disclosures as on March 31, 2011 are included in the Annual Report of the Bank for FY 2010-11 and also made available on Bank's website. The disclosures pertaining to Capital Adequacy Ratio are also updated on your Bank's website on a quarterly basis.

Your Bank views the implementation of the Basel-II norms as strategic, forward looking process to adopt the best practices in risk management with a focus on creating value.

Credit Risk

Your Bank recognizes the significance of credit risk in banking business and has put in place a Credit Risk Management System with appropriate risk management skill sets. Your Bank follows a proactive Credit Policy, which is regularly reviewed and updated to take into account the developments in the business & economic environment. Best practices are employed through appropriate credit delivery processes and portfolio & account monitoring.

Your Bank has implemented Loan Review Mechanism (LRM), which is an effective tool to ensure that proper credit evaluation and monitoring standards are maintained. During the year, the internal rating processes have been fine-tuned for achieving faster turnaround time and accelerate credit delivery. The Rating Committee at the apex level continues to validate credit ratings and also provides guidance to Risk Analysts and Relationship Managers. As a proactive measure, your Bank regularly monitors various exposure limits and exposure to different sectors including sensitive sectors.

Market Risk

Your Bank addresses different forms of market risks, viz., liquidity risk, interest rate risk and foreign exchange risk arising out of the treasury activities as an integral part of its overall risk management system. The overall positions and functions of market risks are carried out under the policy framework defined in Asset-Liability Management (ALM) Policy, Market Risk Policy, Investment Policy and Derivative Policy. The policies, in general, determine the appropriate levels of risk appetite and lay down mechanism for measurement, reporting and escalation of risks & exceptions.

With a view to limit your Bank's exposure to liquidity & interest rate risk, risk limits have been specified with Board approval. Asset-Liability Management Committee (ALCO) regularly monitors the actual risk positions and depending upon requirements, steps are taken to keep the gap positions within the specified level. The ALM position of your Bank is being periodically reported to ALCO, RMC of the Board and also to RBI.

Operational Risk

An independent Operational Risk Cell is responsible for design and implementation of operational risk management framework in accordance with 'Operational Risk Management Policy'. Further, as a prudent risk mitigation measure, an Operational Risk Group (ORG) of top level executives has been constituted to closely monitor operational risks.

Your Bank monitors operational risk through Key Risk Indicator (KRI) data gathering framework and rating of branches based on operational performance *vis-à-vis* identified parameters. Risk & Control Self Assessment (RCSA) framework is another tool for measuring and strengthening the effectiveness of control mechanisms across various critical functions.

In addition, to manage operational risk prudently, 'Know Your Customer (KYC) and Anti Money Laundering (AML) Policy' is put in place, which helps to prevent the Bank from being used intentionally or unintentionally by criminal elements for money laundering activities. In order to sensitise the operating officers in understanding and managing operational risks in finer ways, training programmes are conducted on an ongoing basis covering areas like operational risk management, fraud monitoring, AML & KYC.

In order to render critical banking services in the event of disaster, a well tested Business Continuity Plan (BCP) has been put in place, which will help in providing round the clock services to valued customers within shortest possible time in the unlikely event of business disruption or disaster. Effectiveness of BCP in the event of a business interruption or disaster has been gauged by proper testing. Notification & callout test and table-top test/ structured walkthrough tests are conducted prior to real life testing of BCP. In addition, in order to provide continued and uninterrupted customer service even during natural disasters, a Disaster Recovery (DR) Site is in place and Disaster Recovery drills are conducted periodically.

Product Risk

Your Bank follows a strong new product approval process comprising of comprehensive risk evaluation and mitigation system such as concept validation, confirmation of critical assumptions, technological capability, etc. Also, regular periodic reviews of existing products and services are carried out with a view to continuously monitor and control the risks.

Information Technology Risk

While your Bank has been in the forefront in leveraging Information Technology (IT) to extend better products & services to customers and other stakeholders, it recognizes the need for effective IT risk management. Apart from Information Security aspects, the Bank's IT risk mitigation strategy includes aspects of compliance & privacy. Information Security Policy (ISP) is in place to ensure that information is protected from unauthorized access and confidentiality & integrity of the information are maintained along with timely availability of IT resources to legitimate users. A high-level Information Security Steering Committee (ISSC) ensures that systems are in place for continued protection of IT resources. Apart from conducting regular information security awareness programs for the employees, various Information Security precautions are also communicated to Customers.

IT systems have been implemented within a robust information security framework. The centralized Data Centre of the Bank has been accredited with ISO 27001, a reputed information security certification. 'Defense in depth' is achieved by multi-level information security implementations such as Firewalls, Gateway filters, De-militarized Zone (DMZ) etc. Measures to enhance the security levels for taking effective action against 'Phishing' attacks are in place. A dedicated team monitors the information security infrastructure of the Bank on a 24x7 basis.

Your Bank's risk management framework lays significant emphasis on analyzing and understanding the underlying risks before undertaking new transactions, and changing or implementing new processes and systems. This enables exhaustive assessment of all risks and ensures that the transactions and processes conform to the Bank's risk appetite and regulatory requirements. This is achieved through a combination of a governance structure, which includes a multi-tiered approval levels for transactions and processes. This mechanism is aided by annual reviews of transactions, regular review of portfolio, control self assessments and monitoring of key risk indicators.

HR Initiatives

During 2010-11, your Bank recruited 2509 employees (Officers 1800, Executives 709) of which 239 belong to Scheduled Castes (SCs), 80 belong to Scheduled Tribes (STs), 457 belong to Other Backward Classes (OBCs) and 19 belong to Persons With Disabilities (PWDs). As on March 31, 2011, your Bank had 13598 employees on its rolls, comprising 9912 Officers, 1150 Executives, 1386 Clerical (Class-III) and 1150 Sub-staff (Class-IV) employees. In addition, with the merger of two of its subsidiaries viz. IDBI Home Finance Limited and IDBI Gilts Limited, total number of employees of the Bank increased to 13828 as on March 31, 2011.

Your Bank has, as part of its initiative to usher in a comprehensive Human Resource IT architecture, customized and implemented various modules on Oracle HRMS platform to cater to the employee's requirements. This has reduced the turn-around-time and reduced usage of paper, by way of online process flow, thereby contributing in a small way to the environment. Another significant initiative taken during the year is the progress towards implementing a Performance Measurement System (PMS), which is in its final stages of testing. The PMS would detail Key Result Areas for every employee and enable measurement of performance. The industrial relations climate in your Bank has been cordial during the year with no unrest/strikes or disruption in work.

Representation of Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs) and Other Backward Classes (OBCs)

Your Bank has been implementing the Rules of Reservation for SCs / STs with effect from April 1977 in direct recruitment and from February 1980 in promotion. Your Bank has also been implementing reservation for Other Backward Classes (OBCs) with effect from September 1993 in direct recruitment. In terms of revised instructions of the Government of India, Post-Based Roster System has been duly adopted. The representation of SCs, STs and OBCs in the total strength of your Bank in various cadres as on March 31, 2011 is presented in **Table 5**.

Table 5 : Representation of SCs/STs/OBCs

Manpower	Total Strength	Out of which SCs	STs	OBCs
Officers	9912	1025	299	1319
Executives	1150	183	39	388
Clerical	1386	147	42	127
Sub-staff (excluding Sweepers)	905	213	66	151
Sweepers	245	66	19	45
Total	13598*	1634	465	2030
% of Total Strength		12.02	3.42	14.93

** Excluding employees of IDBI Home Finance Ltd. and IDBI Gilts Ltd.*

There were 49 Ex-Servicemen and 127 Persons With Disabilities (PWDs) in the Bank as on March 31, 2011. Your Bank maintains separate Rosters for PWDs, as per Government of India guidelines.

Your Bank has appointed Liaison Officers for SCs/STs/PWDs and OBCs to effectively redress the grievances of SC/ST/OBC employees. Your Bank conducted four quarterly meetings with representatives of the SC/ST/OBC Welfare Association during the year. Liaison Officers and representatives of SC/ ST Association and officers dealing with implementation of the Reservation Policy of Government of India were nominated for relevant programmes to keep them abreast of the latest developments/changes in Reservation Policy. During the period, your Bank organized pre-recruitment programmes for 4752 SC/ST candidates appearing for written test/ interview for the post of Officers and Executives. Additionally, pre-promotion programmes were held for Officers belonging to SC/ST categories.

Human Resources – Training & Development

Training continues to remain pro-active and assumed greater significance in the context of growth plans and competitiveness of your Bank. Indeed, quality of the human resources plays a very critical role in providing a competitive edge. A major development in your Bank has been the recruitment of a large contingent of young officers with professional qualifications and equip them with competencies to ensure flawless operations and derive effective contribution towards Bank's growth. The existing employees at the middle and senior level are constantly facing challenges with new demands placed on them by market forces.

Systematic efforts have been made to provide quality training in improving and enhancing competencies of the staff on effective branch operations, systems, procedures, compliance, products and on marketing and service excellence to increase the Bank's market share and ranking in business. In addition, making the staff better team players/leaders have been the other areas of training. Apart from inducting new officers into the system, middle and senior level officers were also provided opportunities through workshops to hone their decision-making skills and broaden their business perspective.

During the year, in consultation with the business heads, your Bank planned the training requirements and trained 10,988 employees, through 695 programmes. Of these, 470 were in-house training programmes covering 10,499 participants. In addition 430 officers were nominated for 194 external training programmes conducted by other institutes/training organizations in India and 59 officers

were nominated for 31 training programmes /conferences/ seminars abroad.

To meet the vast training requirements for the entire spectrum of our human resources, your Bank has been fully utilizing its existing training capacity at JN IDBI Staff College at Hyderabad, besides the four Regional Training Centers at Mumbai (Belapur), Chennai, Kolkata and New Delhi. A new Training Block with state-of-the-art facilities and a Hostel Block for accommodating 100 trainees is nearing completion on the Staff College campus. This additional infrastructure would provide the much needed facilities for the growing training requirements of your Bank.

Going forward, your Bank is committed to the development of its human resources through a combination of interactive classroom sessions, external programmes both domestic and international and structured e-learning modules.

Internal Audit

Your Bank has a well-equipped Internal Audit & Regulatory Compliance Department carrying out regular independent appraisal of all activities undertaken by different business verticals / support verticals and branches. The function is headed by Senior Management Personnel with reporting lines to Chairman and Managing Director (CMD) and Audit Committee of the Board. The audit function maintains its independence and objectivity while carrying out the assignments. It evaluates, on a continuous basis, the adequacy and effectiveness of internal control mechanism, adherence to policies & procedures and suggests measures to strengthen and streamline control for timely address of various risks. Your Bank adopted risk-based internal audit as its strategy while carrying out the activities. Risk Based Internal Audit Policy was reviewed during the year in line with the change in organizational structure, business policies, strategies, procedures, processes and new products.

There is an Information System Audit (IS Audit) in place as a part of Internal Audit mechanism to address technology and IT security issues commensurate with the nature and complexities of the operations. IS Audit Policy also was reviewed during the year under review. Your Bank has, in line with the regulatory requirements, put in place a comprehensive concurrent audit system to supplement the internal audit function and a fraud monitoring system to strengthen internal controls. The concurrent audit system is reviewed on yearly basis.

There exists proper co-ordination between audit and other operational wings for enhancing operational efficiency and fine-tuning of the processes. Emphasis is placed on benchmarking your Bank's practices and procedures in an endeavour to migrate to the best practices. The Audit Committee of the Board and Audit Committee of Executives review the performance on continuous basis, give directions to the internal audit functionaries and review effectiveness of internal control systems as also compliance with regulatory guidelines.

Vigilance Mechanism

A full-fledged Vigilance Department operates at your Bank's Head Office. The Department continues to operate as a channel for providing inputs to the Top Management for carrying out investigation into vigilance related complaints and to suggest corrective measures, if any, for improving the control systems and laid down procedures. Your Bank has been implementing the guidelines laid down by the Central Vigilance Commission (CVC) from time-to-time for improving Vigilance Administration and has put in place a system wherein complaints received, from the public/any other sources are attended to promptly.

A Vigilance Department Site has been incorporated on the Intranet of your Bank. The Site provides an overview of the Vigilance Department, Standard Notice of CVC to be displayed at all Branches/Offices of your Bank, Important Circulars/Guidelines issued from time-to-time by CVC, Chief Technical Examiner's Organization (CTEO) of CVC, as also by your Bank and Dos & Don'ts of Preventive Vigilance.

During the year, Surprise Vigilance Visits were made to various branches to detect existence of corruption, malpractices and non-adherence to laid down systems and procedures and suitable corrective measures were suggested, wherever deemed necessary. With a view to spreading Vigilance Awareness, numerous interactive Workshops and talks on Vigilance Awareness with focus on Preventive Vigilance were organized during the year. During the said events, due emphasis was laid on the need for Preventive Vigilance to be exercised by all the staff members in their day-to-day work and the need for Vigilance Awareness in achieving the larger goal of organizational efficiency.

As directed by CVC, Vigilance Awareness period was observed during October 25, 2010 to November 01, 2010, at Head Office and Branch Offices of your Bank to sensitize the employees about the evils of corruption. On this occasion Shri R.M.Malla, Chairman & Managing Director of the Bank launched a dedicated, toll-free, hotline no. 1800-22-8444 for receiving complaints against corruption as per the directives of CVC.

Regulatory Compliance

Your Bank has taken adequate steps to ensure compliance with various Statutory & Regulatory guidelines. A senior functionary of your Bank has been designated as Regulatory Compliance Officer to review, co-ordinate and enhance the compliance of regulatory guidelines on an ongoing basis.

Code of Bank's Commitments to Customers

Your Bank is a member of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI), set up by Reserve Bank of India. The Board of Directors of your Bank adopted the Code of Bank's Commitment to Customers (revised in August 2009, viz., Code 09) and also Micro and Small Enterprises (MSE Code, released in May 2008). Both the Codes are voluntary and set minimum standards of banking practices for banks to follow, when they are dealing with individual customers and also with micro and small enterprises and explain how banks are expected to deal with them for their day-to-day operations.

As an integral part of your Bank's compliance with the above Codes, information on the Codes is provided to customers through display on the Bank's website, at the branches, ATMs and with the Customer Statements of Accounts. Copies of the Codes have been widely distributed through the branches.

In further compliance with the provisions of the Bank's Code for commitment to customers, posters have been displayed at all branches of your Bank notifying availability of various policy documents on your Bank's website as well as at branches, which can be provided to the customers on demand. Name and contact details of the Code Compliance Officers are also displayed at branches and on the Bank's website. Your Bank is undertaking all necessary steps to comply with the evolving BCSBI guidelines on an ongoing basis. Also, it has in place Customer Service Committee of the Board (CSCB) and Standing Committee on Customer Service (SCCS) to ensure that Bank's products, processes and services are periodically fine-tuned to meet the desired objective of BCSBI of achieving customer satisfaction.

Furthermore, to bring awareness amongst the staff members, a copy of the Code 09 and MSE Code are hosted on the Bank's intranet. All the branches conduct training programmes for the branch staff, sales teams and collection teams for familiarizing them with the provisions of the Code and ensuring care while dealing with customers and micro and small enterprises. Besides, special training sessions on the provisions of the Codes are being conducted at the Bank's training centres.

Right to Information Act

The Right to Information Act (RTI Act) 2005 was enacted with a view to promoting transparency and accountability in the working of various public authorities. Your Bank has put in place a robust mechanism to respond to applications from citizens seeking information under the RTI Act on various aspects of the Bank's functioning. The Bank has designated 21 Central Public Information Officers (CPIOs) to respond to applications on various functional areas. In addition, all the Branch Heads have been designated as Central Assistant Public Information Officers (CAPIOs) to receive and forward applications received under the RTI Act to designated CPIOs. The Bank has designated a Senior Officer as Appellate Authority for dealing with appeals of aggrieved applicants. Further, in terms of CIC Directive dated November 15, 2010 and notification dated December 09, 2010, the Bank has designated an Executive Director as the Transparency Officer for the promotion of Institutional Transparency and effective implementation of Section 4 of the RTI Act. Training is being provided to the CPIOs on various aspects of the RTI Act on regular basis. Further, to sensitize the officers of the Bank about the importance of the RTI Act, a specific module on the RTI Act is being included as part of all training programmes being conducted by the Bank at the JN IDBI Staff College, Hyderabad and at various Regional Training Institutes of the Bank. A separate menu on the RTI Act has been provided on the Bank's website (www.idbi.com) capturing all information relevant to the Bank's functioning.

During FY 2010-11, the Bank received 596 applications seeking information under the RTI Act. Bulk of the applications pertained to the retail banking operations of the Bank. All applications have been responded to as per the provisions of the RTI Act.

Progressive Use of Hindi

Your Bank continued to promote the use of Official Language Hindi as per the directives of Central Government. Your Bank continued its endeavour to ensure compliance of various provisions of Official Language Act & Rules. Special efforts were made to achieve the targets regarding use of Hindi by departments at Head Office and branches of the Bank. The increased use of Hindi in both print and electronic media enabled your Bank to reach wider section of people. In order to facilitate the customers, most of ATMs of your Bank provide the display of instructions both in Hindi and English. On Bank's website, information is made available in Hindi also. During the period under review, concerted efforts were made to increase the use of Hindi in the technology-enabled environment. Training on Hindi software was also imparted to the staff-members. With a view to encourage use of Hindi in the Bank, Annual Rajbhasha Shield Protsahan Yojna was initiated during the year wherein five branches in each region and three departments in Head Office doing excellent work in use of Hindi were awarded with Shield, Certificates and Cash Prize.

In order to create awareness among staff members and familiarize them with the provisions of Official Language Policy and Annual Programme issued by Government of India, Rajbhasha Awareness Programmes were organized at various centres pan India. As a part of Hindi Day celebration, various Hindi competitions were organized at all India

level and also at Head Office. Lectures were organized for the benefit of staff members at Head Office on "Prakritik chikitsa evam swasthya" and "Media aur Janbhasha Hindi". During the year posters/fliers/leaflets on the Bank's schemes were printed in Hindi. Also stickers promoting use of Hindi were brought out during Hindi week. Your Bank brought out a publication entitled "Rajbhasha Sandarbha Sahayika" covering glossary of Agriculture, Administration, Retail Banking and Legal words, along with standard HIndi notings, Latin words and abbreviations.

The Draft and Evidence Sub-committee of Parliament on Official Language had discussions with the in-charge of your Bank's Coimbatore branch and commended the efforts made by the branch in implementing the Official Language Policy.

Your Bank's efforts in increasing the use of Hindi in its day-to-day work and other areas of communication have been recognized at various levels. Your Bank received award for implementation of Hindi from State Level Bankers' Committee, Maharashtra; and Kolkata branch of your Bank received award from Town Official Language Implementation Committee for excellent performance in use of Hindi. Your Bank's quarterly Hindi Magazine 'Vikas Prabha' received awards in various categories from the Association of Business Communicators of India (ABCI), Public Relation Council of India (PRCI) and Aashirvad Sanstha.

Corporate Communications

The advertisement & publicity activities undertaken by your Bank during the year was commensurate with its business philosophy of providing 'banking for all'. The advertisement & publicity initiatives for the year under review continued its focus on the last years brand proposition which emphasised on your Bank's deep relationships with its customers. Taking this brand proposition forward, your bank launched a pioneering initiative in the banking industry by removing banking charges on current and savings account transactions. This, on one hand, was aimed at bringing in 'Customer Delight' while simultaneously promoting Financial Inclusion. Accordingly, this was communicated through an innovative and intensive 'Customer Delight Campaign' in different mediums of communication viz. TV, Print, Radio, Outdoors and On-line. This was interspaced with other product ads depending on business requirements at different points of time.

As in the advertising arena, several initiatives were undertaken by your Bank in the Public Relations (PR) domain. The overlying accent of the PR initiatives has been to migrate IDBI Bank brand to the mind space of customers (both existing and potential) and ensuring positive visibility of the Bank in the media domain. It may be noted in this context that the various communications of your Bank were ranked one of the best and bagged many awards and recognitions.

Shree Vayam

The popular quarterly bilingual House Journal (HJ) 'Shree Vayam', carries news, views, articles and photographs from staff-members both existing & retired on varied subjects like Banking, Finance, Sports, Literature and current issues like Global Warming etc.

During the year 2010-11, many changes were effected in 'Shree Vayam' to make the HJ richer and more readable. 'Shree Vayam' was awarded a 'Certificate of Excellence' by Rotary Club of Cochin Midtown in an All India House Magazine Contest. The Association of Business Communicators' of India (ABCI) awarded the HJ two Gold Trophies for 'Best Bilingual Publication' and 'Features (Language – Hindi) respectively in 2010.

Corporate Social Responsibility Initiatives

Corporate Social Responsibility (CSR) is a commitment of businesses to contribute to sustainable economic development by working with the local community to improve their lives, benefiting the business as well as the community at large. IDBI Bank has consistently gone beyond the immediate business objectives and has taken various initiatives to contribute for the betterment of society.

During the year, your Bank has adopted a village in the Leh region of Jammu & Kashmir. The Bank would work in the areas of comprehensive rehabilitation and development of the village which includes disaster response and risk reduction (debris removal, restoration of agricultural infrastructure and revival of livelihood activities), improving basic services (health care, education, drinking water, sanitation, etc.), livelihood improvement (strengthening income sources) and strengthening community mechanisms (e.g. Micro planning, income and employment generation). The Bank has also been conducting programs on Financial Inclusion, Agri awareness camps in rural areas to benefit farming communities, providing financial support to Charitable Organisations, NGOs, Hospitals, organising blood donation camps at Corporate Centre as also branches across India, on important occasions such as Foundation Day. To provide focussed attention, the Bank is putting in place a Board approved comprehensive programme on CSR initiatives in key focus areas such as Education, Health, Community Welfare, Environment, Rural Infrastructure, Social Empowerment, etc.

Information Technology

Your Bank is one of the leading banks in the country operating on the state-of-the-art technology. The Bank intends to leverage technology to provide customer centric products and achieve operational excellence. This approach has enabled the Bank to stay ahead of competitors in innovative technology service offerings. The effective management of IT infrastructure, product and process innovation, back office operations and highly technology enabled National Contact Centre Services of your Bank have ensured that technology continued to remain backbone of the Bank's services and internal operations. All the IT and IT enabled activities are professionally managed by IDBI Intech Ltd., a wholly owned subsidiary of your Bank.

The Bank has taken many initiatives to render excellent customer service, which supported growth of your Bank significantly. For improving operational efficiency the Bank has made extensive usage of technology. With a view to provide customer centric services, the Bank has implemented many new products and added improved technology features to our existing products. Under Cash Management Services, the Bank has provided interfaces to integrate clients' ERP systems with Cash Management Solution of the Bank to offer seamless and uninterrupted data exchange between the two systems. This has not only enhanced the service levels but also enabled corporate clients to manage funds more effectively. To provide better security features, your Bank has taken various initiatives so that data transmission between systems is encrypted, secure and reliable.

The Bank has taken up number of initiatives to enhance customer services. Your Bank has launched the Cash at POS facility at Mumbai and is amongst the first few banks to provide this facility. The facility would enable debit card holders of any banks in India to withdraw cash at designated merchant establishments by swiping their debit cards on the Point of Sales (POS) terminals.

For greater convenience of customers, your Bank has implemented India-Pay Mobile Payment Services (IMPS) of National Payments Corporation of India (NPCI) which enables inter-bank and intra-bank funds transfer through Mobile with brand name M-Remit. Your Bank has tied up with Indian Railways for payment of freight charges and has thus facilitating its customers to pay the railway freight charges directly to the Railways by debiting their account maintained with IDBI Bank. In addition to product innovation, your Bank has also automated and strengthened various back-end processes to enhance the overall operational efficiency.

With the increase in number of customer accounts, ATM transactions have increased many folds. To provide faster and reliable service, your Bank has now connected its ATM switch directly to National Financial Switch (NFS). This has ensured uninterrupted ATM services for esteemed clients by reducing the point of failures.

In order to have better control over risks and improve profitability measurement, your Bank has implemented Oracle Financial Services modules viz. Asset Liability Management and Oracle Hyperion Planning. With these implementations along with Oracle Funds Transfer Pricing and Oracle Profitability Management systems, the Bank has the distinction of having a wholesome Integrated Management Accounting System with a single reporting platform. The integrated system enables the Bank to analyze multi-dimensional nature of business information for decision making purpose. The implementation of integrated system has facilitated Bank in calculating customer-wise and transaction-wise profitability for various segments of the Bank. It also enabled the Bank in knowing value of relationship for its corporate customers. With the in-built intelligence, the Bank is in a position to offer finer rates to customers ensuring profitability for the Bank.

The Bank has upgraded hardware of various core systems to increase the efficiency of processing large number of transactions. It has also upgraded critical software like RTGS / NEFT for increasing the efficiency and scaling the system to handle higher transaction volume and thus providing much faster funds transfer processing infrastructure for the convenience of customers.

Your Bank has implemented solution for automation of Post Dated Cheques (PDCs) with image based solution. The Bank has installed a sophisticated high speed scanner to carry out these operations. The system will help to provide instant reply to customer queries and handle growing number of clearing transactions and also support cheque truncation system.

Your Bank has procured Integrated Risk Management Solution for implementing Risk Management. It consists of modules such as Risk Assessment, Capital Assessment and Operational Risk Evaluator. The procurement and implementation of solution will enable your Bank to be in line with RBI directions for migrating to advanced approaches in Risk Management.

Your Bank has always taken initiatives to redress customer complaints quickly. In this direction, your Bank has put in place a Complaint Resolution Management System which

has inbuilt escalation matrix. E-mail alerts are generated and on-line communicated to the concerned officials.

Your Bank is conscious about the services extended to senior citizens especially pensioners. It has obtained mandate from Pension Regulatory and Development Authority (PFRDA) to function as Point of Presence Customer Interface for the New Pension System. Authorized branches can now open New Pension Scheme Tier I and Tier II accounts in favour of general public as per rules.

To enhance the Information Security (IS) for customer's transaction through Internet, your Bank has introduced Unique Registration Number (URN). This number is sent to customers on his mobile number through SMS while doing the beneficiary registration. This additional authentication has resulted in reducing phishing incidents and frauds.

In order to increase the internal operational efficiency and move towards paperless record management system, your Bank has developed ''E Register'' solution. This system enables branches across the country to capture information electronically and thus eliminating the physical registers.

Your Bank understands that it is not sufficient to detect and investigate frauds but a well thought strategy should be in place to curb frauds. It has therefore embraced a well rounded Fraud Reporting system which will help the Bank in monitoring and reporting frauds as per RBI requirements and in analyzing trends to ensure better controls.

Your Bank has taken a new initiative of implementing a new system for automating the entire process of Cash Management of the Clients and branches. This system not only tracks the entire process of Cash Delivery and Pick up through external agencies, but also helps in settlement of the payments.

Your Bank has implemented best practices of Information Security by implementing ISO 27001 framework. For ensuring uninterrupted services to the customers, your Bank is carrying out planned Disaster Recovery (DR) exercises at regular intervals. As a part of this drill, the Core Banking and other critical applications including Alternate Channels like ATM, Internet, Mobile and Phone Banking are successfully operated from the disaster recovery site. This is one more initiative of your Bank in ensuring continuous and uninterrupted service.

Your Bank continues to educate its customers about online fraud, phishing etc. through media, by sending e-mails and by sending SMSes on periodic basis. The National Contact Centre of the Bank is well-equipped to resolve queries from customers by educating them. As part of its IS policy, employees of the Bank are made aware of various IT threats and mitigation measures.

Your Bank has won the most coveted awards "Best Use of Business Intelligence", "Best Risk Management" and "Best Use of Technology in Training & e-Learning Initiatives" for its technological initiatives at the Banking Technology Award 2010 ceremony organized by Indian Banks Association (IBA) and Trade Fair and Conferences International (TFCI). Your Bank's Website has won the "Best Website Award" from Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP).

IDBI Bank's implementation of Oracle system for Fund Transfer Pricing (FTP), Asset Liability Management (ALM) and Planning has won the prestigious Asian Bankers 2011 Technology Implementation Award in the category of Best Data & Analytics Project.

This portrays your Bank's endeavor to be the front-runner using technology for launching innovative products for the benefit of its customers.

Corporate Governance

Philosophy of Corporate Governance

The Bank is committed to upholding the highest standards of Corporate Governance in its operations. The Bank's policies and practices are not only in line with the statutory requirement but also reflect its commitment to operate in the best interest of its stakeholders. The responsibility for maintaining high standards of governance lies with the Bank's Board of Directors and various Committees of the Board, which are empowered to monitor implementation of the best Corporate Governance practices including making of necessary disclosures within the framework of legal and regulatory provisions and banking conventions.

In this direction, the Bank is committed to ensure that the Bank's Board of Directors continues to be constituted as per the prescribed norms, meets regularly as per the prescribed frequency, provides effective leadership, exercises control over the management, monitors executive performance and makes appropriate disclosures. In addition, establishment of framework of strategic control and continuous reviewing of its efficacy and establishment of clearly documented and transparent management processes for policy development, implementation and review, decision-making, monitoring, control and reporting are the other policy directives. The Bank provides free access to the Board to all relevant information and resources to enable it to carry out its role effectively.

Board of Directors

The Bank's Board of Directors is broad-based and constitution thereof is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 1956, the Articles of Association of the Bank and satisfies the requirements of corporate governance as envisaged in the Listing Agreement with the Stock Exchanges. The Board functions directly as well as through various Board Committees constituted to provide focussed governance in important functional areas of the Bank.

As on March 31, 2011, the Board comprised of 10 Directors with two Executive Directors (including Chairman), two Non Executive Directors and six Independent Directors. Shri R.M. Malla, Chairman & Managing Director as Executive Director, Shri B.P. Singh, Dy. Managing Director as Executive Director, Shri Rakesh Singh and Shri R.P. Singh, Central Government officials as Non Executive Directors, Shri Analjit Singh, Smt. Lila Firoz Poonawalla, Shri K. Narasimha Murthy, Shri H.L. Zutshi, Shri Subhash Tuli and Dr. B.S. Bisht as Independent Directors constituted the Board as on March 31, 2011.

Relationship between Directors inter-se

No Director on the Board of the Bank is in any way related to any other Director on the Board of the Bank.

The Board has in total eight committees, namely, Executive Committee, Audit Committee, Shareholder's/Investor's Grievance Committee, Frauds Monitoring Committee, Risk Management Committee, Customer Service Committee, Information Technology Committee and Remuneration Committee.

Board Meetings

During the period under review (April 01, 2010 – March 31, 2011), a total of seven Board Meetings were held on April 30, 2010, June 30, 2010, July 22, 2010, September 09, 2010, October 28, 2010, December 03, 2010 and January 25, 2011. All the seven meetings were held in Mumbai.

Details in respect of each Director of the Bank regarding attendance at Board Meetings, attendance at the last Annual General Meeting (AGM), directorships in other companies and memberships of committees are given in **Table 6.**

Audit Committee of the Board

Composition and brief terms of reference

As on March 31, 2011, Audit Committee of the Board (ACB) comprised of five members with one Executive Director and four Independent Directors. Shri Subhash Tuli, a Chartered Accountant was the Chairman of the Audit Committee and Shri B.P. Singh, DMD, Shri Analjit Singh, Smt. Lila Firoz Poonawalla and Dr. B.S. Bisht were the other members. Shri B.P. Singh was the Executive Director and the remaining four members were Independent Non-Executive Directors. The Role & Powers of ACB are in line with the provisions of Section 292A of the Companies Act, 1956, relevant RBI guidelines and revised Clause 49 of the Listing Agreement enumerated hereunder:

Powers of Audit Committee (as per revised clause 49)

1. To investigate any activity within its terms of reference.
2. To seek information from any employee.
3. To obtain outside legal or other professional advice, wherever required.
4. To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

Table 6 : Directors' Attendance at the Board Meetings and AGM, their Directorships and Committee Memberships				
Names of Directors	**Attendance at the Bank's Board Meetings (Total No. of Meetings held - 7)**	**Attendance at the last AGM held on July 22, 2010**	**Directorships in other companies**	**ACB/SGC Memberships (Chairmanships) in other Companies**
Whole Time Directors				
Shri R.M. Malla, CMD (w.e.f. 09.07.10)	5	Present	6	Nil
Shri Yogesh Agarwal, CMD (upto 05.06.10)	1	Not Applicable	6	Nil
Shri B.P. Singh, DMD	7	Present	3	1
Non Executive Directors				
Shri G.C. Chaturvedi (upto 29.10.10)	2	Absent	1	Nil
Shri Rakesh Singh (w.e.f. 29.10.10)	1	Not Applicable	1	Nil
Shri R.P. Singh	1	Absent	2	Nil
Independent Directors				
Shri Analjit Singh	0	Absent	13	Nil
Smt. Lila Firoz Poonawalla	5	Present	4	1(1)
Shri K. Narasimha Murthy	7	Present	5	4(3)
Shri H.L. Zutshi	6	Present	4	1(1)
Shri Subhash Tuli	7	Present	Nil	Nil
Dr. Sailendra Narain (upto 04.11.10)	4	Present	1	Nil
Dr. B.S. Bisht (w.e.f. 22.07.10)	2	Not Applicable	Nil	Nil

Figures in parantheses in the last column indicate chairmanships of committees

<u>*Role of Audit Committee (as per revised clause 49)*</u>

1. Oversight of the company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible.

2. Recommending to the Board, the appointment, re-appointment of Auditors and the fixation of audit fees subject to RBI's approval as well as shareholders' approval.

3. Recommending payment to statutory auditors for other services, if any, rendered by the statutory auditors.

4. Reviewing, with the management, the annual financial statements before submission to the board for approval, with particular reference to:

   a. Matters required to be included in the Director's Responsibility Statement to be included in the Board's report in terms of Clause (2AA) of Section 217 of the Companies Act, 1956.

   b. Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;

   c. Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management.

   d. Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings.

   e. Compliance with listing and other legal requirements relating to financial statements.

   f. Disclosure of any related party transactions.

   g. Qualifications in the draft audit report.

5. Reviewing, with the management, the quarterly financial statements before submission to the board for approval.

6. Reviewing, with the management, performance of statutory and internal auditors, adequacy of the internal control systems.

7. Reviewing the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure coverage and frequency of internal audit.

8. Discussion with internal auditors any significant findings and follow-up there on.

9. Discussion with statutory auditors about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern.

10. Carrying out any other function as is mentioned in the terms of reference of the Audit Committee.

Review of information by Audit Committee (as per revised clause 49)

1. Management discussion and analysis of financial condition and results of operations.

2. Statement of significant related party transactions (as defined by the audit committee), submitted by management.

3. Management letters/letters of internal control weaknesses issued by the statutory auditors.

4. Internal audit reports relating to internal control weaknesses.

Number of Meetings

ACB met ten times during the period April 1, 2010 – March 31, 2011 on April 30, 2010 (two times), June 30, 2010, July 22, 2010, July 23, 2010, August 16, 2010, October 28, 2010, January 24, 2011, January 25, 2011 and March 18, 2011.

Details of attendance of Directors at ACB meetings are given in **Table 7.**

Table 7 : Directors' Attendance at ACB Meetings		
Names of Directors	**Meetings held during the Member's tenure**	**Meetings Attended**
Shri Subhash Tuli, Chairman	10	10
Shri B.P. Singh, DMD	10	10
Shri H.L. Zutshi (upto 27.10.10)	6	6
Smt. Lila Firoz Poonawalla	10	10
Shri Analjit Singh (w.e.f. 28.10.10)	4	Nil
Dr. B.S. Bisht (w.e.f 28.10.10)	4	2
Dr. Sailendra Narain (w.e.f. 28.10.10 upto 04.11.10)	1	Nil

Remuneration of Directors

Remuneration Policy

Remuneration and perquisites of the Chairman & Managing Director and Deputy Managing Directors, who are appointed by Government of India, are fixed by Government of India. The details of remuneration paid to CMD and DMDs are given in **Table 8**. Other Independent Directors were paid only the sitting fees for each Board / Committee Meeting attended by them @ ₹5,000/- per meeting (for Board, Executive Committee and Audit Committee Meetings) and ₹2,500/- per meeting (for other Committee Meetings of the Board). Apart from the remuneration to CMD and DMDs and sitting fees to Independent Directors, no other remuneration was paid to the Directors except the reimbursement of expenditure upon their travel, stay and transport by the Bank. The pecuniary relationship/transactions of non-executive Directors vis-à-vis the Bank have been nil during the period under review.

Table 8 : Elements of Remuneration of Chairman & Managing Director and Deputy Managing Directors

Salary & Allowances	Shri R.M. Malla, CMD - Pay ₹ 80,000/- p.m. and DA @ 35% ₹ 28,000/-. Total ₹ 1,08,000/-. Shri B.P. Singh, DMD - Pay ₹ 68,960/- p.m. and DA @ 27% ₹ 18,619.20. Total ₹ 87,579.20.
Entertainment	Actual entertainment subject to ceiling of ₹6000 p.a. (membership of club adjustable within the above ceiling) in respect of both CMD and DMDs.
Housing	Rent-free furnished accommodation in respect of both CMD and DMDs.
Leave Travel Concession	For self and family once in a block of 2 years for visiting any place in India as per entitled class as applicable for official tour in respect of both CMD and DMDs.
Pension	Entitled to draw pension, if any, admissible in the career post (below board level) as per the rules and regulations of the Bank where the career post is held.
Gratuity	At the rate of half month's pay for every completed year of service or more than 6 months of service as Chairman & Managing Director / Deputy Managing Directors.
Tenure	Shri R.M. Malla – Appointed as CMD vide Govt. of India's Notification F.No.9/12/2009-BO.I dated July 07, 2010 with effect from July 09, 2010 for a period upto 31.05.2013 or until further orders, whichever is earlier. Shri B.P. Singh – Appointed as DMD vide Govt. of India's Notification F.No.9/14/2009-BO.I dated February 19, 2010 with effect from February 20, 2010 till the date of superannuation (31.01.2012) or until further orders, whichever is earlier.
Performance Linked Incentives / Stock Option	In view of the Government Guidelines for payment of incentives to Bank's Chairman and Whole Time Directors, a Remuneration Committee of the Board had approved grant of performance linked incentives to the Chairman & Managing Director and Deputy Managing Directors for the FY 2009-10 at its meeting held on January 18, 2011.

Risk Management Committee of the Board

Composition and brief terms of reference

The Risk Management Committee of the Bank consisted of five members as on March 31, 2011, viz., Shri H.L. Zutshi, as Chairman and Shri B.P. Singh, DMD, Shri R.P. Singh, Govt. Director, Shri Analjit Singh, and Smt. Lila Firoz Poonawalla, Directors as its members. The Committee assesses various risks associated with the business of the Bank, their mitigation and also addresses the issues relating to asset liability mismatch.

Number of Meetings

During the period April 1, 2010 – March 31, 2011, three meetings of the Risk Management Committee were held on June 30, 2010, January 25, 2011 and March 17, 2011.

Shareholders' / Investors' Grievance Committee of the Board

Composition and brief terms of reference

As on March 31, 2011, the Shareholders' / Investors' Grievance Committee (S/IGC) of the Bank comprised of four

members with one Executive Director and three Independent Non-Executive Directors, viz., S/Shri B.P. Singh, DMD, K. Narasimha Murthy, Subhash Tuli and Dr. B.S. Bisht as members.

The Committee has been constituted to look into the redressal of shareholders' and investors' grievances pertaining to transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividend, etc.

Number of Meetings

During the period April 1, 2010 – March 31, 2011, three S/IGC meetings were held on June 30, 2010, September 09, 2010 and January 25, 2011.

Executive Committee of the Board

Composition and brief terms of reference

Apart from the Board, the Bank continues to have an Executive Committee to consider the matters apart from the policy matters and those specifically required to be considered by the Board and to exercise such other powers as delegated to it by the Board. As on March 31, 2011, Shri R.M. Malla, CMD was the Chairman of the Committee with S/Shri B.P. Singh, DMD, K. Narasimha Murthy, H. L. Zutshi, Subhash Tuli and Dr. B.S. Bisht as members.

Number of Meetings

During the period April 1, 2010 – March 31, 2011, nine meetings of the Executive Committee were held on April 30, 2010, May 26, 2010, June 30, 2010, July 22, 2010, September 09, 2010, October 28, 2010, December 03, 2010, January 24, 2011, and March 17, 2011.

Frauds Monitoring Committee of the Board

Composition and brief terms of reference

A Frauds Monitoring Committee had been set up to look into fraud related aspects of the Bank. As on March 31, 2011, the Committee comprised of Shri R.M. Malla, CMD as Chairman of the committee and S/Shri B.P. Singh, DMD, K. Narasimha Murthy and Subhash Tuli as its members.

Number of Meetings

During the period April 1, 2010 - March 31, 2011, six meetings of the Frauds Monitoring Committee were held on April 30, 2010, July 23, 2010, September 09, 2010, December 03, 2010, January 25, 2011 and March 17, 2011.

Customer Service Committee of the Board

Composition and brief terms of reference

To look into the customer grievances and effective service to customers in the retail banking segment, a Customer Service Committee had been set up by the Bank. As on March 31, 2011, it comprised of Smt. Lila Firoz Poonawalla as Chairperson and S/Shri B.P. Singh, DMD, R.P. Singh, Govt. Director & Dr. B.S. Bisht as its members.

Number of Meetings

During the period April 1, 2010 – March 31, 2011, two meetings of the Customer Service Committee were held on July 23, 2010 and March 18, 2011.

Information Technology Committee of the Board

Composition and brief terms of reference

In view of the measures taken by the Bank to put in place a technology platform for rendering various services to the clients, to help in streamlining the approach, launch of products and provision of services, Information Technology Committee had been set up by the Bank. As on March 31, 2011, it comprised of Shri K. Narasimha Murthy as Chairman and S/Shri B.P. Singh, DMD, R.P. Singh, Govt. Director, H.L. Zutshi & Smt. Lila Firoz Poonawalla as its members.

Number of Meetings

During the period April 1, 2010 - March 31, 2011, three meetings of the Information Technology Committee were held on May 26, 2010, September 09, 2010 and March 17, 2011.

Remuneration Committee of the Board

Composition and brief terms of reference

As per the directives of Government of India, a Remuneration Committee has been set up to consider and approve the payment of Annual Performance Linked Incentives to CMD and DMDs. As on March 31, 2011, it comprised of Shri Rakesh Singh, Government Director as Chairman and S/Shri R.P. Singh, Govt. Director, H.L. Zutshi, Analjit Singh, K. Narasimha Murthy and Smt. Lila Firoz Poonawalla as members

Number of Meetings

During the period April 1, 2010 – March 31, 2011, two meeting of Remuneration Committee were held on June 10, 2010 and January 18, 2011 to approve the Annual Performance Linked Incentives to be paid to CMD and DMDs for FY 2009-10.

General Body Meetings

The last Annual General Meeting (AGM) of the Bank was held on July 22, 2010. Details of AGMs of IDBI Bank Ltd. are given in **Table 9**.

Table 9 : Details of Annual General Meetings

Location and time where the last three AGMs were held	1) July 22, 2008 at Nehru Centre Auditorium, Worli, Mumbai 400 018 at 3.30 p.m. (4th AGM of the Bank). 2) July 15, 2009 at Nehru Centre Auditorium, Worli, Mumbai 400 018 at 3.30 p.m. (5th AGM of the Bank). 3) July 22, 2010 at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai 400 021 at 3.30 p.m. (6th AGM of the Bank).
Whether Special Resolutions were passed in the last AGM	Yes, special resolutions (i) for appointment of Statutory Auditors of the Bank under section 224A of the Act and (ii) to take shareholders approval to the proposal for enabling the Bank to raise capital empowering the Board to take specific decision in this regard and increase in Authorised Share Capital from ₹1250 crore to ₹2000 crore was passed at the last AGM of the Bank held on July 22, 2010.
Whether any Special Resolution is proposed to be conducted through postal ballot	No.
Whether Special Resolutions were put through postal ballot last year and details of voting pattern	No.
Person who conducted the postal ballot exercise	
Procedure for postal ballot	

Disclosure

No company was assisted during April 1, 2010 - March 31, 2011, in which any of the Directors of the Bank was interested. The Bank complies with the mandatory requirements of revised Clause 49 of the Listing Agreement such as (i) related party transactions, if any, are being reported to Audit Committee of the Board; (ii) Disclosure of Accounting Treatment is clearly made in the financial statements; (iii) The Bank submits to the Board the review on risk assessment and minimization procedures.

A preferential allotment of 25,95,09,110 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹110.19 each aggregating to ₹3119.04 crore was made to Government of India on July 31, 2010.

Non-compliance / penalties, etc., during the last three years, were NIL.

Code of Conduct and Ethics

The Board of Directors of the Bank has adopted a Code of Conduct and Ethics for Directors, Officers and Employees of the Bank. In compliance of the requirement of revised Clause 49 of the Listing Agreement, a declaration signed by Chairman & Managing Director about affirmation of compliance of the code of conduct by Board members and Senior Management Personnel of the Bank is as follows:

Declaration by CEO

Pursuant to the provisions of Clause 49 of the Listing Agreement, it is hereby declared for the information of all concerned that all the Board Members and Senior Management Personnel of IDBI Bank Ltd. have affirmed compliance with the Code of Conduct for Directors, Officers and Employees of IDBI Bank Ltd. for the FY 2010-11

Sd/-
R.M. Malla
Chairman & Managing Director
April 18, 2011

Prevention of Insider Trading

In accordance with the requirements of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 1992, the Bank has instituted a comprehensive code of conduct for Prevention of Insider Trading.

CEO/CFO Certification

In terms of the revised Clause 49 of the Listing Agreement, the certification by the CEO and CFO on the financial statements and internal controls relating to financial reporting has been obtained and submitted to the Board.

Whistle Blower Policy

The Bank's Board has adopted a whistle blower policy. In terms of this policy, employees are free to raise issues, if any, pertaining to Bank's operations and report them to the Audit Committee through specified channels. This mechanism has been circulated and also posted on the Bank's intranet.

Subsidiary Companies

As on March 31, 2011, the Bank had four wholly owned subsidiaries, viz. IDBI Intech Ltd., IDBI Capital Market Services Ltd., IDBI Asset Management Ltd. and IDBI MF Trustee Company Ltd. During the year, two wholly-owned subsidiaries viz. IDBI Home Finance Ltd. and IDBI Gilts Ltd. were amalgamated with the Bank under Section 391-394 of the Companies Act, 1956 vide Government of India, Ministry of Corporate Affairs order dated April 08, 2011. The appointed date under the scheme of amalgamation has been approved as January 01, 2011. In terms of Section 394(3) of the Companies Act 1956, the Government of India's above Order has been filed with the Registrar of Companies on April 26, 2011 on the prescribed Form 21. No Independent Director on the Board of the Bank is required to be inducted on the Board of its subsidiaries as none of the subsidiary is a material non listed subsidiary company as defined under revised clause 49. The Audit Committee of the Bank reviews the financial statements, in particular, the investments made by the unlisted subsidiary companies. The minutes of the Board meetings of unlisted subsidiary companies are regularly placed at the Board meetings of the Bank.

Annual Accounts of the Subsidiary Companies

Ministry of Corporate Affairs (MCA), Govt. of India has, vide circular No.5/12/2007-CL-III dated February 08, 2011, issued general exemption under section 212(8) of the Companies Act, 1956 to the companies fulfilling the conditions contained in the above circular from complying with the provisions of section 212 of the Companies Act, 1956 which requires holding companies to attach annual accounts and other documents of subsidiary companies to its balance sheet. Accordingly, the Bank has availed this exemption and has not attached the annual accounts and other documents of its subsidiaries to this Annual Report. Summarised financial information of each subsidiary has been included in the disclosures to Consolidated Financial Statements of the Bank.

Annual Accounts of each of Bank's subsidiary companies and the related detailed information will be made available to the shareholders of the holding and subsidiary companies seeking such information at any point of time. Interested shareholders may write to Board Department of the Bank in this regard.

The annual accounts of each of the Bank's subsidiary companies will also be available for inspection by any shareholder in the head offices of the holding and subsidiary companies. Addresses of the Bank and the subsidiary companies are given at the end of the corporate governance chapter.

Means of Communication

Apart from providing detailed Annual Report on the working of the Bank, consisting of Directors' Report (containing Management Discussion and Analysis) and Annual Accounts, the Bank regularly brings out its quarterly results for information of its shareholders through publications thereof in one English language newspaper, having nation-wide circulation and in one regional language newspaper. The aforesaid information was also placed on the Bank's web-site (**www.idbi.com)** along with the official press release and presentation made to institutional investors and analysts.

The documents referred to but not sent to the persons entitled to receive notice of the Annual General Meeting will be made available for inspection of shareholders at the registered office of the Bank during working hours for a period of 21 days before the date of AGM.

General Shareholders' Information

Details of share price movement during April 01, 2010 to March 31, 2011 and other general information relevant to shareholders are provided in **Figure 3, Table 10 and Table 11** respectively.

Table 10 : IDBI Bank Ltd.'s Share Price Movement on the Bombay Stock Exchange Limited (BSE) : April 2010 - March 2011

(Rupees)

Month	High	Low	Month	High	Low
April - '10	127.25	115.25	October - '10	188.40	153.55
May - '10	128.85	105.85	November - '10	202.25	146.55
June - '10	128.90	109.10	December - '10	173.80	144.95
July - '10	126.60	116.10	January - '11	168.30	136.25
August - '10	133.90	117.05	February - '11	143.00	122.65
September - '10	155.50	122.05	March - '11	147.10	131.20

Figure 3 : Share Price (₹) of IDBI Bank Ltd. and Sensex at BSE - April 2010 to March 2011

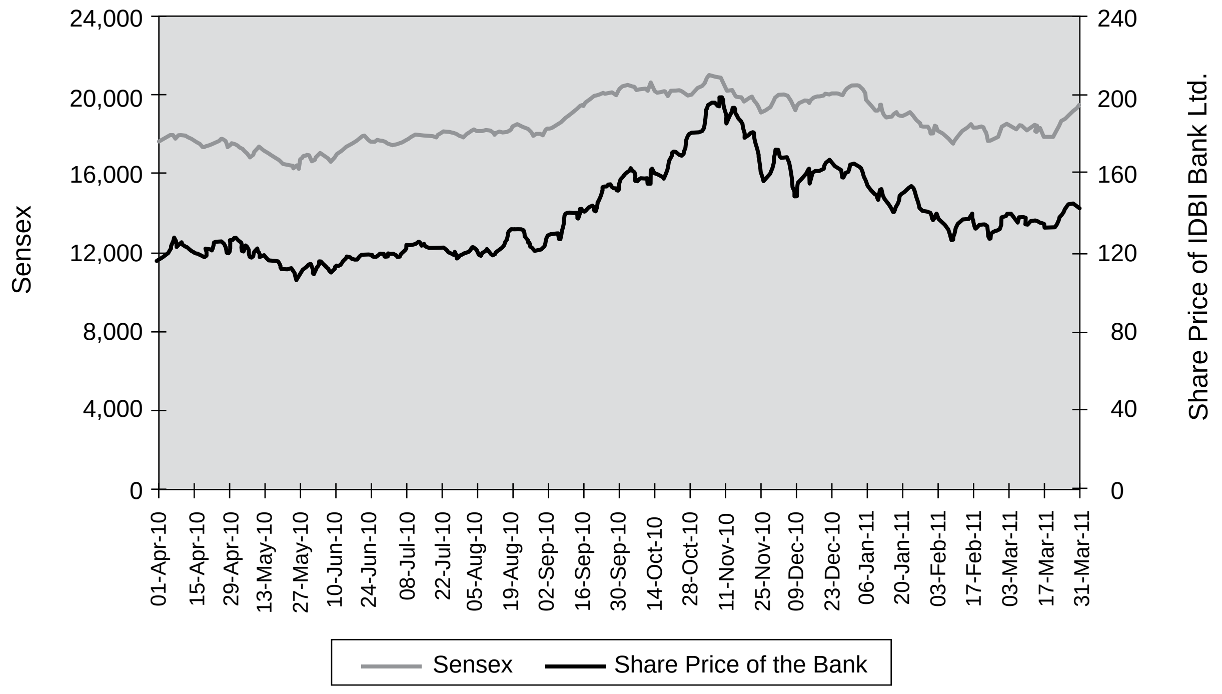

Table 11 : General Shareholders' Information	
Financial Calendar	April 1, 2010 to March 31, 2011:
	1) Results for the quarter ended June 30, 2010 were considered on July 22, 2010. 2) Results for the quarter / half year ended September 30, 2010 were considered on October 28, 2010. 3) Results for the third quarter / nine months ended December 31, 2010 were considered on January 25, 2011. 4) Audited Results for the year ended March 31, 2011 were considered on April 19, 2011.
Book closure date	September 06, 2011 to September 08, 2011
Last date for receipt of proxy forms	September 06, 2011
Date, time and venue of AGM	3.30 p.m. on Thursday, September 08, 2011 at Nehru Centre Auditorium, Worli, Mumbai – 400 018.
Dividend payment date	October 04, 2011
Date of despatch of dividend warrants	September 27, 2011
Board Meeting for considering the quarterly results	Within one month of the closure of respective quarter.
Listing on Stock Exchanges	Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) and National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Stock code / Symbol	BSE – 500116, NSE – IDBI/EQ
Registrar and Transfer Agents	Investor Services of India Ltd., 2nd floor, A Wing, IDBI Building, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400 614.
Share Transfer system	Share Transfers are approved on weekly basis by an internal committee comprising of Executive Director / Chief General Manager.
No. of shares and convertible instruments held by Non-Executive Directors	Nil

Distribution of shareholding

The details of shareholding in the Bank by major categories of shareholders and distribution schedule as at end-March 2011, is presented in **Table 12** and **Table 13** below.

Table 12 : Shareholding Pattern as at end-March 2011

Category of Shareholders	No. of Shares Held	% to Total
Government of India	641287110	65.13
Employees	1313391	0.13
Public	109825430	11.15
Hindu Undivided Family	2962194	0.30
Bodies corporate	34291521	3.48
Institutions (viz. Banks, FIIs, SFCs, FIs, Mutual Funds & OCBs)	115008467	11.68
Societies	28960	0.00
Trusts	585328	0.07
Insurance Companies	71899636	7.30
NRI's	5823775	0.59
Directors & Relatives	640	0.00
NSDL (transit)	1541647	0.17
GRAND TOTAL	**984568099**	**100.00**

Table 13 : Distribution Schedule as at end - March 2011

S. No.	Category		No. of shareholders	% to total shareholders	Amount (₹)	% to total Amount
	From	To				
1	1	5000	412806	92.38	615680480	6.25
2	5001	10000	20602	4.61	158482900	1.61
3	10001	20000	7728	1.73	114174160	1.16
4	20001	30000	2062	0.46	52540610	0.53
5	30001	40000	833	0.19	29894440	0.30
6	40001	50000	713	0.16	33689820	0.34
7	50001	100000	1061	0.24	78548580	0.80
8	100001 & above		1033	0.23	8762670000	89.01
Total			**446838**	**100.00**	**9845680990**	**100.00**

Share Transfer System & Redressal of Investor Grievances

To expedite the process of share transfers, an internal committee of Executive Director /Chief General Manager has been set up to approve the Memorandum of Transfers (MoTs) on a weekly basis. The Bank has named Shri Pawan Agrawal as Company Secretary and Compliance Officer.

As on April 01, 2010, 716 investor grievances were pending for redressal and during the period April 01, 2010 to March 31, 2011, 19061 investor grievances were received from shareholders / investors by the Bank's Registrar & Transfer Agents. 19775 grievances were redressed during the year and 2 grievances were pending for redressal as on March 31, 2011. In respect of shares/bonds, 87 cases of transfers were pending on April 01, 2010. During the period April 01, 2010 to March 31, 2011, 3129 requests for transfer of shares / bonds were received by the Bank's Registrar & Transfer Agents. Of these, 3158 requests for transfer of shares / bonds were processed and 58 requests were pending as on March 31, 2011.

Disclosure of details of Unclaimed Suspense Account (under Clause 5A of the Listing Agreement)

In terms of the amended Clause 5A of the Listing Agreement, the Bank is following the prescribed procedure for opening the 'Unclaimed Suspense Account' in respect of the unclaimed physical share certificates. Three reminders were sent to the concerned shareholders on February 10, 2011, February 24, 2011 and March 10, 2011. Based on the responses received from the shareholders, finally 1306817 shares pertaining to 5489 shareholders as on March 31, 2011have been identified for credit to the unclaimed suspense account being opened by the Bank as a Demat Account in IDBI Bank. The Board of the Bank has approved opening of the Demat Account at its meeting held on April 19, 2011. The aforesaid Demat Account, thus, will be opened after March 31, 2011 and the disclosure of details of the unclaimed suspense account in terms of Clause 5A(h) of the Listing Agreement will accordingly commence with effect from the Annual Report for the FY 2011-12 onwards.

Table 14 : Details of de-materialisation and address for correspondence	
Dematerialisation of shares and liquidity	The fully paid-up capital of IDBI Bank Ltd. is ₹984.56 crore comprising 98.45 crore equity shares of ₹10 each. Out of the total investor base of approximately 4.46 lakh, 3.59 lakh investors are holding 96.44 crore shares in electronic mode. The total number of shares in electronic form works out to 97.96%. IDBI Bank scrip is actively traded at BSE and NSE. Listing fees for the year 2011-12 has been paid to these Exchanges.
Outstanding GDRs / ADRs / Warrants or convertible instruments, conversion date and likely impact on equity	IDBI Bank Ltd. has not issued GDRs/ADRs/Warrants or convertible instruments.
Plant Locations	Not applicable. However, information about locations of the Bank's branches is available on the Bank's web-site **www.idbi.com**.
Address for correspondence	IDBI Bank Ltd. Equity Cell - Board Department, 20th Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005 Phone : 022 - 66552779, 66553062, 66552620 Fax - 022 - 22182352 E-mail - idbiequity@idbi.co.in Registrar & Transfer Agents Investor Services of India Ltd. 2nd Floor, A Wing, IDBI Building, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400 614. Phone : 022 - 27571615, 27579636 - 44 Fax – 022 - 27579645 E-mail - idbiequity@isilindia.com

Table 14 : Details of de-materialisation and address for correspondence *(Contd.)*

Address of Subsidiary Companies	IDBI Capital Market Services Ltd. 5th Floor, Mafatlal Center, Nariman Point, Mumbai – 400 021. IDBI Intech Ltd. IDBI Building, 1st Floor, Plot No.39-41, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400 614. IDBI MF Trustee Company Ltd. IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005. IDBI Asset Management Ltd. IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005. *NB : IDBI Home Finance Ltd. and IDBI Gilts Ltd. [Amalgamation with IDBI Bank Ltd. approved by GoI's order dated April 08, 2011]*

Auditors' Report on Corporate Governance

To the Members of

IDBI Bank Limited

We have examined the Compliance of the conditions of Corporate Governance by IDBI Bank Limited (hereinafter referred to as the Bank) for the year ended March 31, 2011 as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement of the said Bank with Stock Exchange of India.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to a review of the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance with the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given and representations made by the Directors and the Management, we certify that the Bank has compiled with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **S. P. Chopra & Co.**
Chartered Accountants

Sd/-
Pawan K. Gupta
Partner
Membership No. 92529
Firm Regn. No. 000346N

For **Chokshi & Chokshi**
Chartered Accountants

Sd/-
Nilesh R. Joshi
Partner
Membership No. 114749
Firm Regn. No. 101872W

Place: Mumbai
Date: April 19, 2011

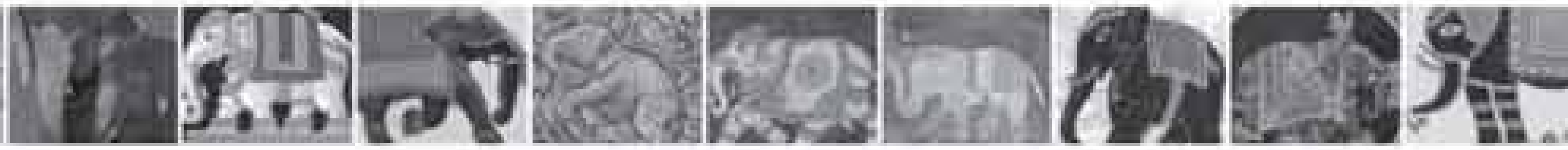

लेखे
ACCOUNTS

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** (बैंक) के 31 मार्च 2011 के संलग्न समेकित तुलन-पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके साथ संलग्न लाभ-हानि लेखों तथा नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है. इन वित्तीय विवरणों के लिए बैंक का प्रबंधन उत्तरदायी है. हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है. उक्त वित्तीय विवरणों में बैंक की दुबई शाखा की विवरणियां शामिल की गई हैं जिनकी लेखा परीक्षा अन्य परीक्षक द्वारा की गई है.

2. हमने यह लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतया मान्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है. इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखा परीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सभी महत्वपूर्ण मामलों में अभिनिर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार किये गये हैं और इनमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी भ्रामक नहीं है. लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल है. लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त लेखांकन सिद्धान्तों एवं प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के अलावा समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती है.

3. हमने बैंक की दुबई शाखा के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है जो यथा 31 मार्च 2011 को ₹ 40815739 हजार की कुल परिसंपत्तियां, तत्समय समाप्त वर्ष के लिए ₹ 561948 हजार के कुल राजस्व और ₹ 7593870 हजार के नकदी प्रवाह दर्शाते हैं. इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा उक्त शाखा के निगमन के देश में लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् योग्यता प्राप्त अन्य लेखा परीक्षक द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमने बैंक के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय बनाने के लिए उनका आधार लिया है.

Report of the Auditors to the Members of IDBI Bank Limited

1. We have audited the attached Balance Sheet of **IDBI Bank Limited** (the Bank) as at March 31, 2011 and also the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement of the Bank annexed thereto for the year ended on that date. These financial statements are the responsibility of the Bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. Incorporated in the said financial statements are the returns of the Dubai branch of the Bank, audited by another auditor.

2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. We did not audit the financial statements of the Dubai branch of the Bank, whose financial statements as at March 31, 2011 reflect total assets of ₹ 40815739 Thousand, total revenues of ₹ 561948 Thousand and cash flows of ₹ 7593870 Thousand for the year then ended. These financial statements have been audited by another auditor, duly qualified to act as auditor in the country of incorporation of the said branch, whose report has been furnished to us and which was relied upon by us for our opinion on the financial statements of the Bank.

4. तुलन पत्र तथा लाभ-हानि लेखा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं.

5. हम यह रिपोर्ट देते हैं कि:

   (i) लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो जानकारी और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किये हैं और वे संतोषजनक है.

   (ii) हमारे ध्यान में आए बैंक के लेनदेन बैंक की अधिकार सीमा के भीतर रहे हैं.

   (iii) कोर बैंकिंग एप्लिकेशन के माध्यम से बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां / आंकड़े हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाए गए हैं.

6. हमारी राय में इस रिपोर्ट में विचार किया गया तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा 3(सी) में उल्लिखित लेखा मानकों, जहां तक वे बैंक पर लागू होते हैं, का पालन करते हैं.

7. हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि:

   (i) इस रिपोर्ट में विचार किये गये बैंक का तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों और विवरणियों से मेल खाते हैं.

   (ii) हमारी राय में बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी हैं जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है.

   (iii) दुबई शाखा के वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट की लेखा-परीक्षा अन्य लेखा परीक्षक ने की है तथा इसे हमारे द्वारा उपयुक्त समझी गई रीति से हमारी रिपोर्ट तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है.

4. The Balance Sheet and Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 211 of the Companies Act, 1956.

5. We report that :

   (i) We have obtained all the information and explanations, which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

   (ii) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

   (iii) The returns/data generated from the offices and branches of the Bank through core banking application have been found adequate for the purposes of our audit.

6. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report comply with the Accounting Standards referred to in sub-section 3(C) of Section 211 of the Companies Act, 1956 read with guidelines issued by the Reserve Bank of India in so far as they apply to the Bank.

7. We further report that:

   (i) the Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and the returns;

   (ii) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as appears from our examination of these books;

   (iii) the report on the financial statement of the Dubai branch audited by other auditor has been dealt with in preparing our report in the manner considered appropriate by us;

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार केंद्र सरकार ने आज की तारीख तक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 ए के अंतर्गत कोई उपकर देय निर्धारित नहीं किया है.

(v) भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग द्वारा 21 अक्तूबर 2003 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 829 (ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(जी) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं.

8. हमारे अभिमत में और हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीणरणों के अनुसार और दुबई लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, उक्त वित्तीय विवरण और उन पर टिप्पणियां बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित जानकारी बैंकिंग कंपनियों के लिए अपक्षित रूप में देते हैं तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धातों के अनुरूप निम्नलिखित की सच्ची एवं सही स्थिति दर्शाते हैं:

(i) तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च 2011 को बैंक के कामकाज की स्थिति;

(ii) लाभ-हानि लेखे के मामले में उसी तारीख़ को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ; और

(iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उसी तारीख़ को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह.

कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कं.	**कृते चोकशी एंड चोकशी**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
पवन के गुप्ता	निलेश आर. जोशी
साझेदार	साझेदार
सदस्यता संख्या : 92529	सदस्यता संख्या : 114749
फर्म पंजीयन संख्या: 000346N	फर्म पंजीयन संख्या: 101872W

स्थान : मुंबई
दिनांक : 19 अप्रैल 2011

(iv) as per information and explanation given to us the Central Government has, till date, not prescribed any cess payable under Section 441A of the Companies Act, 1956.

(v) provisions of Section 274(1)(g) of the Companies Act, 1956 are not applicable in terms of Notification No. G.S.R.829 (E) dated-October 21, 2003 issued by Department of Company Affairs, Government of India.

8. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and on consideration of report of the auditor of Dubai branch, the said financial statements read with the notes thereon give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 as well as the Companies Act, 1956, in the manner so required for banking companies and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India.

(i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2011;

(ii) in the case of the Profit and Loss Account, of the profit of the Bank for the year ended on that date; and

(iii) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

For **S.P. Chopra & Co.**	For **Chokshi & Chokshi**
Chartered Accountants	Chartered Accountants
Pawan K.Gupta	**Nilesh R. Joshi**
Partner	Partner
Membership No. 92529	Membership No. 114749
Firm Regn. No.000346N	Firm Regn. No.101872W

Place : Mumbai
Date : April 19, 2011

31 मार्च को 2011 को तुलन पत्र / Balance Sheet as at March 31, 2011

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
पूंजी एवं देयताएं **CAPITAL AND LIABILITIES**			
पूंजी / Capital	1	984 56 81	724 86 19
रिज़र्व और अधिशेष/ Reserves and Surplus	2	13582 02 47	9438 39 79
कर्मचारी स्टॉक विकल्प (मंजूरियां) बकाया Employees' Stock Options (Grants) Outstanding		98 58	1 58 25
जमाराशियां / Deposits	3	180485 78 85	167667 07 76
उधार राशियां / Borrowings	4	51569 65 25	47709 47 86
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	6753 77 32	8031 35 17
कुल / TOTAL		253376 79 28	233572 75 02
परिसंपत्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	19559 04 67	13903 47 08
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	1207 02 65	679 36 46
निवेश / Investments	8	68269 17 78	73345 46 29
अग्रिम / Advances	9	157098 06 64	138201 85 32
अचल परिसंपत्तियां / Fixed Assets	10	3037 34 14	2996 95 53
अन्य परिसंपत्तियां / Other Assets	11	4206 13 40	4445 64 34
कुल / TOTAL		253376 79 28	233572 75 02
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	12	134242 01 15	124755 79 83
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		4032 76 81	3209 63 64
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां जो लेखों के अभिन्न भाग के रूप में हैं. Significant Accounting Policies and Notes forming an integral part of the Balance Sheet	17 & 18		

बोर्ड के आदेशनुसार
BY ORDER OF THE BOARD

सुभाष तुली
(Subhash Tuli)
निदेशक
Director

के. नरसिम्ह मूर्ति
(K.Narasimha Murthy)
निदेशक
Director

बी. पी. सिंह
(B.P. Singh)
उप प्रबंध निदेशक
Dy.Managing Director

(आर. एम. मल्ला)
(R.M. Malla)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

आज की तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

कृते एस. पी. चोपड़ा एंड कं.
For S. P. Chopra & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(पवन के. गुप्ता)
(Pawan K. Gupta)
साझेदार
Partner
सदस्यता सं. 92529
Membership No.92529
फर्म रजि. सं.
Firm Regn.No.000346N

कृते चोकशी एंड चोकशी
For Chokshi & Chokshi
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(निलेश आर. जोशी)
(Nilesh R Joshi)
साझेदार
Partner
सदस्यता सं. 114749
Membership No.114749
फर्म रजि. सं.
Firm Regn.No.101872W

(पी. सीताराम)
(P. Sitaram)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

मुंबई, 19 अप्रैल, 2011
Mumbai, April 19, 2011

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा
Profit And Loss Account for the year ended March 31, 2011

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010
I आय / INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest earned	13	18600 82 29	15261 31 86
अन्य आय / Other income	14	2083 64 68	2301 73 39
कुल / TOTAL		20684 46 97	17563 05 25
II व्यय / EXPENDITURE			
ब्याज खर्च / Interest expended	15	14271 92 65	13005 21 69
परिचालन व्यय / Operating expenses	16	2254 69 34	1831 42 53
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies		2507 53 04	1695 27 68
कुल / TOTAL		19034 15 03	16531 91 90
III लाभ / PROFIT			
वर्ष का निवल लाभ / Net profit for the year		1650 31 94	1031 13 35
आगे लाया गया लाभ/ Profit brought forward		470 40 14	71 19 51
कुल / TOTAL		2120 72 08	1102 32 86
IV विनियोग/ APPROPRIATIONS			
सांविधिक रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		413 00 00	258 00 00
पूंजीगत रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		1 55 00	0
सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve		600 00 00	100 00 00
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अन्तर्गत विशेष रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Special Reserve under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		100 00 00	25 00 00
प्रस्तावित लाभांश / Proposed dividend		344 59 88	217 45 86
प्रस्तावित लाभांश पर कर / Tax on proposed dividend		55 27 40	31 46 86
तुलन पत्र में ले जाई गई शेष राशि / Balance carried over to balance sheet		606 29 80	470 40 14
कुल / TOTAL		2120 72 08	1102 32 86

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा
Profit And Loss Account for the year ended March 31, 2011

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010
प्रति शेयर आय (₹)(अनुसूची 18 टिप्पणी क 6 देखें) Earnings per share (₹) (Refer Schedule 18 Note A.6)			
- मूल / Basic		18.37	14.23
- न्यूनीकृत /Diluted		18.36	14.22
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां जो लेखों के अभिन्न भाग के रूप में हैं. Significant Accounting Policies and Notes forming an integral part of the Profit and Loss Account	17 & 18		

बोर्ड के आदेशनुसार
BY ORDER OF THE BOARD

सुभाष तुली
(Subhash Tuli)
निदेशक
Director

के. नरसिम्ह मूर्ति
(K.Narasimha Murthy)
निदेशक
Director

बी. पी. सिंह
(B.P. Singh)
उप प्रबंध निदेशक
Dy.Managing Director

(आर. एम. मल्ला)
(R.M. Malla)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

आज की तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

कृते एस. पी. चोपड़ा एंड कं.
For S. P. Chopra & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(पवन के. गुप्ता)
(Pawan K. Gupta)
साझेदार
Partner
सदस्यता सं. 92529
Membership No.92529
फर्म रजि. सं.
Firm Regn.No.000346N

कृते चोकशी एंड चोकशी
For Chokshi & Chokshi
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(निलेश आर. जोशी)
(Nilesh R Joshi)
साझेदार
Partner
सदस्यता सं. 114749
Membership No.114749
फर्म रजि. सं.
Firm Regn.No.101872W

(पी. सीताराम)
(P. Sitaram)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

मुंबई, 19 अप्रैल, 2011
Mumbai, April 19, 2011

लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां /Schedules forming part of accounts

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 1 - पूंजी SCHEDULE 1 - CAPITAL	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
प्राधिकृत पूंजी **Authorised capital**		
10 रुपये प्रत्येक के 200 00 00 000 (125 00 00 000) इक्विटी शेयर 200 00 00 000 (125 00 00 000) Equity Shares of Rs.10/- each	2000 00 00	1250 00 00
	2000 00 00	1250 00 00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी **Issued, Subscribed & Paid up Capital**		
10 रुपये प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 98 45 68 099 (72 48 61 921) इक्विटी शेयर 98 45 68 099 (72 48 61 921) Equity Shares of Rs.10/- each - fully paid up	984 56 81	724 86 19
(अनुसूची 18 टिप्पणी. 10.2 (i) और (ii)) देखें) (Refer Schedule 18 Note A.10.2(i) & (ii)		
कुल / TOTAL	984 56 81	724 86 19

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
I **सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve**		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1128 08 18	870 08 18
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	413 00 00	258 00 00
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	1541 08 18	1128 08 18
II **रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45 आईसी के अंतर्गत अनुरक्षित सांविधिक रिज़र्व** **Statutory Reserve Maintained Under Section 45 IC of RBI Act**		
विलय के निमित्त परिवर्धन / Addition on account of merger	18 61	0
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	18 61	0
III **पूंजीगत रिज़र्व / Capital Reserve**		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	298 81 78	298 81 78
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	1 55 00	0
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	300 36 78	298 81 78
IV **पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve**		
प्रारंभिक शेष (अनुसूची 18 टिप्पणी क 1 देखें) Opening balance (Refer Schedule 18 Note A.1)	1937 71 93	1979 56 30
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	0	0
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	41 94 76	41 84 37
	1895 77 17	1937 71 93

लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी)/Schedules forming part of accounts (Contd.)

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
V शेयर प्रीमियम / Share Premium		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1761 21 13	1760 45 36
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	2861 42 18	75 77
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	4622 63 31	1761 21 13
VI राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserves		
क/a **सामान्य रिज़र्व / General Reserve**		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	3401 80 48	3301 80 48
विलय के निमित्त परिवर्धन / Addition on account of merger	3 80 00	0
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	600 00 00	100 00 00
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	4005 60 48	3401 80 48
ख/b **स्टाफ कल्याण निधि/ Staff Welfare Fund**		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	29 01 11	29 09 11
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	0	0
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	8 00
	29 01 11	29 01 11
ग/c **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अन्तर्गत विशेष रिज़र्व** **Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	6 35 04	6 35 04
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	0	0
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	6 35 04	6 35 04
घ/d **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अन्तर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व** **Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	405 00 00	380 00 00
विलय के निमित्त परिवर्धन / Addition on account of merger	61 00 00	0
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	100 00 00	25 00 00
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	566 00 00	405 00 00
VII लाभ-हानि लेखे में शेष राशि / Balance in Profit and Loss Account		
वर्ष के लाभ-हानि लेखे के अनुसार / As Per Profit and Loss Account for the year	606 29 80	470 40 14
विलय के निमित्त परिवर्धन (निवल) / Addition on account of Merger (net)	7 95 96	0
लाभांश कर (2009-10) के निमित्त परिवर्धन Addition on account of Dividend Tax (2009-10)	76 03	0
	615 01 79	470 40 14
कुल (I से VII) / TOTAL (I TO VII)	13582 02 47	9438 39 79

लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी)/Schedules forming part of accounts (Contd.)

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 3 - जमाराशियां SCHEDULE 3 - DEPOSITS	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
क A.		
I. **मांग जमाराशियां** **Demand Deposits**		
(i) बैंकों से / From banks	1597 30 29	569 48 70
(ii) अन्य से / From others	22144 85 61	15103 71 16
	23742 15 90	15673 19 86
II. **बचत बैंक जमाराशियां / Saving Bank Deposits**	13935 79 82	8787 31 10
III. **सावधि जमाराशियां / Term Deposits**		
(i) बैंकों से / From banks	11525 59 50	9890 20 66
(ii) अन्य से / From others	131282 23 63	133316 36 14
	142807 83 13	143206 56 80
कुल / TOTAL	180485 78 85	167667 07 76
ख B.		
(i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches in India	180082 73 92	167648 12 48
(ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India	403 04 93	18 95 28
कुल / TOTAL	180485 78 85	167667 07 76

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 4 - उधार राशियां SCHEDULE 4 - BORROWINGS	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
I **भारत में उधार राशियां / Borrowings in India**		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	0	0
(ii) अन्य बैंक / Other banks	671 30 00	2860 50 00
(iii) अन्य संस्थाएं और एजेंसियां / Other institutions and agencies		
क भारत सरकार से उधार (a) Government of India borrowings	0	33 33
ख भारत सरकार को जारी टीयर - I बांड (b) Tier I bonds issued to Government of India	2130 50 00	2130 50 00
घ टीयर - I (आईपीडीआई) (c) Tier I (IPDI)	1708 80 00	1463 70 00
घ अपर टीयर - II बांड (d) Upper Tier II Bonds	4286 20 00	3286 20 00
(iv) अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टीयर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	6836 68 03	5818 59 00
(v) भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड/ Bonds guaranteed by Government of India	1176 50 00	2242 90 00
(vi) अन्य / Others	26126 30 45	26148 41 53
II **भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India**	8633 36 77	3758 34 00
कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	51569 65 25	47709 47 86

ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां - ₹ 9998 59 41 हजार (₹ 7693 33 17 हजार)
Secured borrowings included in I and II above- ₹ 9998 59 41 Thousand (₹ 7693 33 17 Thousand)

लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी)/Schedules forming part of accounts (Contd.)

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
I देय बिल / Bills payable	1002 07 07	1901 28 10
II अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter- office adjustments(net)	15 57 96	51 58 85
III उपचित ब्याज / Interest accrued	2106 06 68	1970 72 54
IV **अन्य / Others**		
(क) प्राप्त अग्रिम भुगतान (a) Advance payments received	630 59 05	1500 20 26
(ख) विविध लेनदार (b) Sundry Creditors	325 69 40	339 62 76
(ग) विविध जमाराशियां (c) Sundry Deposits	26 34 44	27 11 76
(घ) विविध (d) Miscellaneous	451 30 73	433 53 95
V **अन्य प्रावधान / Other Provisions**		
(क) मानक परिसंपत्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान (a) Prudential provisions against standard assets	660 36 25	540 62 02
(ख) इक्विटी शेयरों पर देय लाभांश (b) Dividend and dividend tax payable	399 87 28	251 30 74
(ग) देय सेवा कर / टीडीएस / अन्य कर (c) Service tax/TDS/Other taxes payable	31 93 02	59 87 36
(घ) अन्य प्रावधान (d) Other Provisions	1103 95 44	955 46 83
कुल / TOTAL	6753 77 32	8031 35 17

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
I हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	1234 68 04	655 66 48
II भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India		
(i) चालू खातों में / in Current Accounts	18324 36 63	13247 80 60
(ii) अन्य खातों में / in Other Accounts	0	0
कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	19559 04 67	13903 47 08

लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी)/Schedules forming part of accounts (Contd.)

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि **SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICES**	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
I भारत में / In India		
(i) बैंकों के पास शेष / Balances with banks		
(क) चालू खातों में *		
(a) in Current Accounts*	313 90 67	255 32 21
(ख) अन्य जमा खातों में		
(b) in Other Deposit Accounts	54 35 01	50 30 01
(ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at call and short notice		
(क) बैंकों के पास		
(a) with banks	0	224 50 00
(ख) अन्य संस्थाओं के पास		
(b) with other institutions	0	99 93 84
कुल I / Total I	368 25 68	630 06 06
II भारत से बाहर / Outside India		
(i) चालू खातों में / in Current Accounts	19 99 52	49 30 40
(ii) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	753 65 55	0
(iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice	65 11 90	0
कुल II / Total II	838 76 97	49 30 40
कुल योग (I और II) GRAND TOTAL (I and II)	1207 02 65	679 36 46

इसमें गैर-संपर्ककर्ता बैंकों के माध्यम से शाखाओं द्वारा विप्रेषित ₹ 31 16 91 हजार (₹ 16 58 24 हजार) शामिल है.

* includes ₹ 31 16 91 Thousand (₹ 16 58 24 Thousand) remitted by branches through non correspondent banks.

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 8 - निवेश **SCHEDULE 8 - INVESTMENTS**	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
I भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government securities	54017 19 92	60809 53 34
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	2 79 90	4 38 66
(iii) शेयर / Shares	3230 26 36	2653 11 83
(iv) डिबेंचर और बांड / Debentures and Bonds	2272 57 98	2118 63 09
(v) सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and / or joint ventures	566 50 87	753 98 55
(vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट आदि) Others (CP's, units in MF's etc.)	8179 78 22	7005 76 29
कुल I / Total I	68269 13 25	73345 41 76

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 8 - निवेश **SCHEDULE 8 - INVESTMENTS**	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
II भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government securities (including local authorities)	0	0
(ii) सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and / or joint ventures	0	0
(iii) अन्य निवेश (शेयर) Other investments (shares)	4 53	4 53
कुल II / TOTAL II	4 53	4 53
कुल योग (I और II) / GRAND TOTAL (I and II)	68269 17 78	73345 46 29
III भारत में निवेश / Investments in India		
निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	69325 91 79	73912 96 16
घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision / depreciation	1056 78 54	567 54 40
निवल निवेश / Net investments	68269 13 25	73345 41 76
IV भारत से बाहर / Investments outside India		
निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	4 53	4 53
घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision / depreciation	0	0
निवल निवेश / Net investments	4 53	4 53

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 9 - अग्रिम SCHEDULE 9 - ADVANCES	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
क A.		
(i) खरीदे और भुताए / पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted / rediscounted	2659 16 39	3074 44 94
(ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	33098 49 98	20267 59 54
(iii) मीयादी ऋण / Term Loans*	121340 40 27	114859 80 84
कुल / TOTAL	157098 06 64	138201 85 32
ख B.		
(i) मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत** / Secured by tangible assets**	145612 29 27	118730 59 22
(ii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित *** / Covered by Bank / Government guarantees***	369 12 97	917 27 10
(iii) अप्रतिभूत / Unsecured	11116 64 40	18553 99 00
कुल / TOTAL	157098 06 64	138201 85 32
ग C.		
I भारत में अग्रिम / Advances in India		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority Sector	42205 70 83	31004 94 05
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector	15949 42 44	7315 47 21
(iii) बैंक / Banks	368 97 97	57 55 94
(iv) अन्य / Others	96733 54 15	99540 10 72
कुल / TOTAL	155257 65 39	137918 07 92
II भारत से बाहर अग्रिम / Advances outside India		
(i) बैंकों से प्राप्य / Due from banks	0	0
(ii) अन्य से प्राप्य / Due from others	0	0
(क) खरीदे तथा भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	61 55 21	23 24 10
(ख) समूहित ऋण (b) Syndicated loans	0	0
(ग) अन्य (c) Others	1778 86 04	260 53 30
कुल / TOTAL	1840 41 25	283 77 40
कुल योग (ग I और ग II) / GRAND TOTAL (C I and C II)	157098 06 64	138201 85 32

* अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र शामिल हैं / Includes Inter Bank Participatory Certificate

** बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं / includes advances against book debts.

*** अन्य बैंकों द्वारा जारी साख-पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं / includes advances against letters of credit issued by other banks.

लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी)/Schedules forming part of accounts (Contd.)

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 10 - अचल परिसंपत्तियां SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
I परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी क 1 देखें) / Premises (Refer Schedule 18 note A.1)		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	2591 98 78	2591 71 03
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	142 14 69	27 75
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year*	1 00 00	0
आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	201 07 84	150 18 18
कुल / TOTAL	2532 05 63	2441 80 60
II अन्य अचल परिसंपत्तियां (फर्नीचर व फिक्सचर सहित) Other fixed assets (including Furniture & Fixtures)		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	849 71 95	638 24 10
विलय के निमित्त परिवर्धन / Addition on account of merger	12 75 17	0
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	162 08 91	224 37 96
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	26 15 20	12 90 11
आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	561 18 15	456 60 57
कुल / TOTAL	437 22 68	393 11 38
III पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां / Assets given on Lease		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	643 55 77	645 76 28
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	2 20 51
आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	641 79 25	641 79 25
गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान / Provisions for Non-Performing assets	1 76 52	1 76 52
कुल / TOTAL	0	0
IV चालू पूंजीगत कार्य / Capital work-in-progess	68 05 83	162 03 55
कुल / TOTAL (I+II+III+IV)	3037 34 14	2996 95 53

* परिसर की बिक्री पर ₹ 10 53 हजार का पुनर्मूल्यन रिज़र्व शामिल है.
Includes Revaluation Reserve of ₹ 10 53 Thousands on sale of Premises

लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी)/Schedules forming part of accounts (Contd.)

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 11 - अन्य परिसंपत्तियां SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustment (net)	0	0
II	उपचित ब्याज / Interest accrued	1690 24 12	1538 58 22
III	अग्रिम कर भुगतान / स्रोत पर कर कटौती (निवल) Tax paid in advance / tax deducted at source (net)	1565 31 95	1570 88 35
IV	लेखन सामग्री और स्टॉम्प / Stationery and Stamps	13 27	90 00
V	दावों की तुष्टि में प्राप्त गैर-बैंकिंग परिसंपत्तियां Non Banking Assets acquired in satisfcation of claims	0	0
VI	दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को अंतरित मामलों के संबंध में व्यय/संवितरण Expenses / Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilisation fund (SASF)	2 58 45	14 31
VII	**अन्य / Others**		
	(क) आस्थागित कर परिसंपत्ति (निवल) (a) Deferred Tax Asset (Net)	442 91 36	332 72 85
	(ख) आबंटन के लिए लंबित शेयर / बांड (b) Shares/ Bonds Pending allotment	25 00	212 48 73
	(ग) विविध जमाराशियां व अग्रिम (c) Sundry deposit and advances	78 64 38	78 09 81
	(घ) प्राप्य दावे (d) Claims receivable	305 30 65	581 08 07
	(ङ) विविध (e) Miscellaneous	120 74 22	130 74 00
	कुल / TOTAL	4206 13 40	4445 64 34

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		यथा 31 मार्च 2011 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 31-03-2010
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims against the Bank not acknowledged as debts	375 62 88	688 26 19
II	अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	0	29 16
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	32057 70 75	32392 26 52
IV	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) भारत में (a) in India	46120 76 13	35940 64 14
	(ख) भारत से बाहर (b) outside India	2535 89 66	2001 48 46
V	स्वीकृतियां, परांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	25963 16 60	23485 95 29
VI	मुद्रा स्वैप / Currency Swaps	6034 10 97	3240 07 87
VII	ऑप्शन / Options	1530 54 65	2352 38 49
VIII	ब्याज दर स्वैप / Interest Rate Swaps	18501 11 10	23313 47 00
VIII	वायदा दर करार / Forward Rate Agreements	0	0
IX	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के निमित्त On account of disputed Income tax, Interest Tax, penalty and interest demands	1122 70 58	1304 56 71
X	अन्य / Others	37 83	36 40 00
	कुल / TOTAL (I to X)	134242 01 15	124755 79 83

लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी)/Schedules forming part of accounts (Contd.)

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010
I	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा / Interest / discount on advances / bills	13750 39 40	10774 75 40
II	निवेशों से आय / Income on investments	4811 52 51	4224 14 22
III	रिज़र्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank	17 66 17	10 04 90
IV	अन्य / Others	21 24 21	252 37 34
	कुल / TOTAL	18600 82 29	15261 31 86

(₹ हजार में / ₹ in '000s)

अनुसूची 14 - अन्य आय SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	1470 02 06	1225 44 83
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on sale of investments (net)	142 77 39	747 70 28
III	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on revaluation of investments (net)	(19 91 58)	(51 54 00)
IV	भूमि, भवन तथा अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	(2 68 86)	(1 43 19)
V	विनिम्य लेन-देनों / डेरिवेटिवों पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on exchange transactions / Derivatives (net)	189 75 67	98 40 35
VI	भारत में स्थित सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend income from subsidiary companies and / or joint ventures in India	33 43 21	18 36 26
VII	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली / Recovery from written off cases	144 17 70	121 09 14
VIII	विविध आय / Miscellaneous Income	126 09 09	143 69 72
	कुल / TOTAL	2083 64 68	2301 73 39

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010
I	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	9988 67 61	9183 15 50
II	रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज Interest on RBI/ inter bank borrowings	978 23 90	468 83 81
III	अन्य / (अनुसूची) 18 टिपण्णी क. 10.2 (iii) देखें) Others (Refer Schedule 18 Note A.10.2 (iii))	3305 01 14	3353 22 38
	कुल / TOTAL	14271 92 65	13005 21 69

लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी)/Schedules forming part of accounts (Contd.)

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1026 50 01	756 98 99
II	किराया, कर और बिजली / Rent, taxes and lighting	207 83 11	178 16 42
III	मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	35 47 94	29 29 64
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	46 33 72	45 83 56
V	बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यह्रास / Depreciation on bank's property *	127 03 79	90 98 31
VI	निदेशकों की फीस और व्यय / Director's fees, allowances and expenses	30 78	72 21
VII	लेखा परीक्षकों की फीस, भत्ते और व्यय / Auditors' fees and expenses	1 83 46	1 30 07
VIII	विधि प्रभार / Law Charges	7 27 80	4 64 71
IX	डाक खर्च, तार, टेलीफोन, आदि / Postage, Telegram, Telephone, etc.	51 08 93	64 06 49
X	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	95 70 13	84 47 98
XI	बीमा / Insurance	151 60 60	114 21 96
XII	बैंकिंग व्यय / Banking expenses	56 95 32	46 76 10
XIII	कार्ड और एटीएम व्यय / Card & ATM expenses	99 08 01	68 07 70
XIV	परामर्श व्यय / Consultancy expenses	5 92 42	8 25 37
XV	बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय Expenses for recovery of write off cases	3 88 52	4 01 69
XVI	अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यय / International banking expenses	9 51	1 26 00
XVII	आउटसोर्सिंग व्यय / Outsourcing expenses	174 44 45	153 03 95
XVIII	आईटी / IT expenses	23 92 57	25 38 75
XIX	स्टाफ प्रशिक्षण और अन्य व्यय / Staff training & other expenses	19 74 30	16 45 23
XX	यात्रा और वाहन प्रभार / Travelling and conveyance charges	22 86 12	18 36 15
XXI	ट्रेज़री व्यय / Treasury expenses	2 33 63	2 50 39
XXII	उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय / Fee and other expenses for borrowing	28 59 56	73 94 41
XXIII	अन्य व्यय / Other expenditure	65 84 66	42 66 45
	कुल / TOTAL	2254 69 34	1831 42 53

* ₹ 41 84 23 हजार (₹ 41 84 37 हजार) के पुनर्मूल्यन रिज़र्व को घटाकर
* Net of revluation reserve of ₹ 41 84 23 thousand (₹ 41 84 37 thousand)

अनुसूची - 17 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. तैयार करने का आधार:

Basis of Preparation

संलग्न वित्तीय विवरण परंपरागत आधार पर तैयार किए गए हैं और ये सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के मामले में भारत में सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड, लेखांकन मानक (एएस) और बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियां शामिल हैं.

The accompanying financial statements have been prepared on historical basis and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards (AS) and prevailing practices in Banking industry.

2. अनुमानों का उपयोग

Use of Estimates

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान एवं धारणाएं बनाये जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई परिसंपत्तियों, देयताओं, व्ययों, आय की और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान एवं धारणाएं तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं. तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं, लेखा अनुमानों में किसी भी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3. राजस्व निर्धारण

Revenue Recognition

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि बैंक को आर्थिक लाभ होगा तथा राजस्व की विश्वसनीय ढंग से गणना की जा सकती है.

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Bank and the revenue can be reliably measured:

i. ब्याज आय तथा लीज किराये की गणना उपचय आधार पर की जाती है जबकि गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों के मामले में रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद गणना की जाती है.

   Interest income and lease rentals are accrued except in the case of non performing assets where it is recognised upon realisation as per the prudential norms of the RBI.

ii. साख पत्र / गारंटी पर कमीशन की गणना उपचित आधार पर की जाती है तथा जिन मामलों में कमीशन ₹ 1 लाख से अधिक नहीं है, उनमें अपफ्रंट और अन्य मामलों में यह साख पत्र / गारंटी की अवधि में उपचित आधार पर माना जाता है.

Commissions on LC/ guarantee are reckoned as accrued, upfront in cases where the commission does not exceed ₹ 1 lakh and, in other cases, accrued over the period of LC/ Guarantees.

iii. शुल्क आधारित आय को प्राप्ति की सुनिश्चितता के आधार पर उपचित किया जाता है और ग्राहक के साथ करार की शर्तों के अनुसार हासिल उपलब्धि पर आधारित होता है.

Fee based income are accrued on certainty of receipt and is based on milestones achieved as per terms of agreement with the client.

iv. बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि के अनुसार माना जाता है.

Income on discounted instruments is recognised over the tenure of the instrument on a constant yield basis.

v. लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश की गणना उपचय आधार पर की जाती है.

Dividend is accounted on an accrual basis when the right to receive the same is established.

4. अग्रिम और प्रावधान / Advances and Provisions:

i. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों के लिए किये गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है.

Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances.

ii. जहाँ बही ऋणों सहित मूर्त प्रतिभूति पर अग्रिमों का न्यूनतम 10% भाग विनिर्दिष्ट / सृजित किया जाता है, वहाँ अग्रिमों को 'मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि पर प्रभार को 'मूर्त परिसंप्पत्तियाँ' नहीं माना जाता है.

Advances are classified as `Secured by Tangible Assets' when security of at least 10% of the advance has been stipulated/created against tangible security including book debts. Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc are not considered as `Tangible Assets'.

5. निवेश / Investments:

वर्गीकरण / Classification:

रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

In terms of extant guidelines of the RBI, the entire investment portfolio is categorized as

i. परिपक्वता तक धारित / Held To Maturity,

ii. बिक्री के लिए उपलब्ध तथा / Available For Sale and

iii. क्रय-विक्रय के लिए धारित / Held For Trading.

प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत निवेश को निम्न रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाता है:

Investments under each category are further classified as

i. सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other Approved Securities

iii. शेयर / Shares

iv. डिबेंचर तथा बांड / Debentures and Bonds

v. सहायक संस्थाएं / संयुक्त उद्यम / Subsidiaries/ Joint Ventures

vi. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, आदि) /Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units, etc.).

वर्गीकरण का आधार / Basis of Classification:

क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.

ख) खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर फिर से बिक्री के लिये मूलतः धारित रखे गये निवेशों को 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

b) Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as 'Held For Trading'.

ग) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available For Sale'.

घ) किसी निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में इन श्रेणियों के बीच में इनकी अदला-बदली विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है.

d) An investment is classified as 'Held To Maturity', 'Available For Sale' or 'Held For Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with regulatory guidelines.

ङ) सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

e) Investments in subsidiaries and joint ventures are classified as 'Held To Maturity'.

च) अग्रिम स्वरूप के माने गए डिबेंचर / बांड / अधिमान शेयर अग्रिमों के लिए लागू परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने के सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं.

f) The debentures/ bonds/ preference shares deemed to be in the nature of advance, are subject to the usual prudential norms of asset classification and provisioning that are applicable to advances.

मूल्यांकनः / Valuation:

i) किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में:

In determining the acquisition cost of an investment:

क) सेंकडरी बाज़ार से खरीदे गये इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को आय से प्रभारित किया जाता है.

a) Brokerage, commission, stamp duty and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect

of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to revenue.

ख) प्रतिभूतियों में अभिदान पर प्राप्त अप फ्रंट प्रोत्साहन राशि आय रूप में ली जाती है.

b) Upfront incentives received on subscription to securities are recognized as income.

ग) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त / प्राप्त ब्याज को अर्जन लागत / बिक्री में से निकाला जाता है और ब्याज व्यय/आय के रूप में माना जाता है.

c) Broken period interest paid/ received is excluded from the acquisition cost/ sale and treated as interest expense/ income.

घ) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है.

d) Cost is determined on the weighted average cost method.

ii) 'परिपक्वता तक धारित' निवेशों को जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हो, अर्जन लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है. ऐसे मामले में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है. इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप की कमी के अलावा होने वाली अन्य कमी के संबंध में प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है. इस श्रेणी में निवेशों की बिक्री से हुए लाभ को पहले लाभ-हानि खाते में जमा किया जाता है और वर्ष के अंत में पूंजी रिज़र्व खाते में समायोजित किया जाता है. बिक्री से हुई हानि की लाभ-हानि खाते में पहचान की जाती है.

Investments 'Held To Maturity' are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortised on straight line basis over the remaining period of maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries/ joint ventures under this category is provided for each investment individually. Profits on sale of investments in this category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated net of applicable taxes to the Capital Reserve Account at the year/period end. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account.

iii) क्रय-विक्रय के लिए धारित तथा बिक्री के लिए उपलब्ध निवेशों को स्क्रिप-वार बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुई निवल-कमी, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जबकि किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया जाता है.

Investments 'Held For Trading' and 'Available For Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognized in the Profit and Loss account, while the net appreciation, if any, is ignored.

क) ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक तथा जमा प्रमाण-पत्रों, जो बट्टाकृत लिखत होते हैं, का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है.

a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost,

ख) क्रय-विक्रय/उद्धृत किये गये निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध क्रय-विक्रय / भाव-सूची से लिया जाता है. सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार मूल्यों अथवा भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) के साथ मिलकर भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा घोषित मूल्यों के आधार पर लिया जाता है.

b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges. Government Securities are valued at market prices or prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA)

ग) अनुद्धृत शेयरों/यूनिटों का मूल्य विश्लेषित मूल्य/पुनर्खरीद मूल्य अथवा अद्यतन तुलन-पत्र उपलब्ध होने पर निवल परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर निकाला जाता है, अन्यथा रिजर्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 1 प्रति कंपनी की दर से निकाला जाता है. नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम)

दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. ऐसे कीमत - लागत अंतर व वाईटीएम दरों को एफ़आईएमएमडीए में प्रकाशित संबंधित दरों सें लागू किया जाता है.

c) The unquoted shares/ units are valued at break-up value/ repurchase price or at Net Asset Value if the latest balance sheet is available, else, at ₹ 1/- per company, as per relevant RBI guidelines. The unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by FIMMDA.

घ) निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ - हानि लेखे (निवेशों की बिक्री) में जमा/नामे किया जाता है.

d) Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account (Sale of Investments).

iv) निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शायी जाती है.

Investments are shown net of provisions.

v) निवेशों की राशि ऋण लेने के लिए दी गयी प्रतिभूतियों को घटाकर दर्शाई जाती है तथा इसमें क्रमशः रेपो / रिवर्स रेपो व्यवस्थाओं के अंतर्गत दिये गये उधारों के प्रति प्राप्त प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है.

Investments are shown net of securities given against borrowing and include securities received against lending under Repo/ Reverse Repo arrangements respectively.

6. डेरिवेटिव लेन-देन / Derivative Transactions:

i. 'प्रतिरक्षा' (हेज) के रूप में नामित लेनदेनों में :

In Transactions designated as 'Hedge':

क. डेरिवेटिव लेनदेनों पर भुगतानयोग्य / प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है.

a. Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.

ख. हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/हानि को स्वैप की शेष अनुबंधित अवधि या परिसंपत्ति/देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो; के आधार पर माना जाता है.

b. On premature termination of Hedge swaps, any profit/ losses are recognised over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.

ग. अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज स्वैपों को पुनः अभिनामित करने की गणना के लिए इसे एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है.

c. Redesignation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.

घ. हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि उसके अंतर्निहित मूल्य को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया गया हो. बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित हेज संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ - हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

d. Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognized in the profit and loss account.

ii. **'क्रय-विक्रय' के रूप में नामित लेनदेनों में / In Transactions designated as 'Trading':**

क्रय-विक्रय के लिए नामित बकाया डेरिवेटिव लेनदेनों की गणना उनके अंकित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर मुस्वैप, विदेशी मुद्रा स्वैप, विदेशी मुद्रा विकल्प एवं वायदा दर करार शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ / हानि को लाभ - हानि लेखे में दिखाया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता / निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and forward rate agreements, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

7. **अचल परिसंपत्तियां एवं मूल्यह्रास / Fixed Assets and depreciation:**

i. अचल परिसंपत्तियों को, पुनर्मूल्यांकित मामलों को छोड़कर, परम्परागत लागत (संस्थापन लागत सहित) पर लिया जाता है. पुनर्मूल्यांकन पर यदि कोई वृद्धि हुई हो तो उसे 'पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व' खाते में जमा किया जाता है. पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के मामलों में पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप हुए अतिरिक्त मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Fixed assets are carried at historical cost (inclusive of installation cost) except wherever revalued. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the `Revaluation Reserve' Account. In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation Reserve to the Profit and Loss account.

ii. ₹ 5000 से कम लागत की अलग-अलग अचल परिसंपत्तियों पर उन्हें शामिल करने के वर्ष में ही संपूर्णतः मूल्यह्रासित कर दिया जाता है.

Fixed assets individually costing less than ₹ 5000 are fully depreciated in the year of addition.

iii. मूल्यह्रास परिवर्धन की तारीख से सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) द्वारा लगाया जाता है. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में दी गयी मूल्य-हास की दरों को न्यूनतम दरें माना जाता है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार किसी परिसंपत्ति को अर्जित करते समय उस अचल परिसंपत्ति के अनुमानित जीवन काल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल / बाकी उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की ऊंची दर लगायी जाती है. इस नीति के चलते मूल्यह्रास का प्रावधान निम्नलिखित दरों के अनुसार किया गया है :

Depreciation is provided on Straight Line Method (SLM) from the date of addition. The rates of depreciation prescribed in Schedule XIV of the Companies Act, 1956 are considered as the minimum rates. If the management's estimate of the useful life of a fixed asset at the time of acquisition of the asset or of the remaining useful life on a subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimates of the useful life/ remaining useful life. Pursuant to this policy, depreciation has been provided using the following rates:

परिसंपत्तियां **Asset**	**मूल्यह्रास दर** **Depreciation Rate**
परिसर / Premises	1.63%
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture and fixtures	8.33%
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी / Electrical installation and machinery	8.33%
मोटर वाहन / Motor vehicles	20%
कंप्यूटर (समाकलित सॉफ्टवेयर सहित) / Computers (including integral software)	33.33%
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	12.50%
वी-सैट उपकरण / VSAT equipment	10%
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer durables with employees	20%

iv. वर्ष के दौरान परिवर्धित / बेची गयी अचल परिसंपत्तियों पर वास्तविक अवधि के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है.

Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the actual period.

v. लीज वाली भूमि को लीज की अवधि में परिशोधित किया जाता है.

Leasehold land is amortised over the period of lease.

vi. ₹ 2.5 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (गैर-समाकलित) को पूंजीकृत किया जाता है और इसे इसके उपयोगी जीवनकाल में मूल्यह्रासित किया जाता है जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होती है.

Computer Software (non-integral) individually costing more than ₹ 2.50 lakh is capitalised and depreciated over its useful life, not exceeding 5 years.

8. लीज पर दी गयी परिसंपत्तियां / Assets given on lease

i. 31 मार्च 2001 को या इससे पूर्व बैंक द्वारा वित्त लीज पर दी गयी परिसंपत्तियों को 'अचल परिसंपत्तियों' के अंतर्गत 'लीज पर दी गयी परिसंपत्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. इन पर कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में दी गयी दरों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है. 'लीज समकरण' राशि, जो वार्षिक लीज प्रभार और मूल्यह्रास के बीच के अंतर को दर्शाती है, को लाभ एवं हानि लेखे में समायोजित किया जाता है.

Assets given on finance lease by the Bank on or before March 31, 2001 are classified as "Leased Assets" under "Fixed Assets". Depreciation thereon is provided on SLM basis at the rates prescribed under Schedule XIV of the Companies Act, 1956. The amount of "Lease Equalisation" representing the difference between the annual lease charge and the depreciation is adjusted in the Profit & Loss Account.

ii. 31 मार्च 2001 के बाद वित्त लीज के अंतर्गत दी गयी परिसंपत्तियों को लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है और इसे 'अग्रिमों' के अंतर्गत शामिल किया जाता है.

Assets given under finance lease after March 31, 2001 are accounted in accordance with the provisions of AS 19 and included under "Advances".

9. प्रतिभूतिकरण लेन-देन / Securitisation Transactions:

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतिकरण से इन परिसंपत्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं (एसटीवी) को बिक्री होती है, जो इसके बदले निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब बैंक का नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः हटा दिया जाता है. बैंक खातों को बिक्री के समय होने वाली किसी भी हानि के लिए और बिक्री से होने वाले लाभ / प्रीमियम के लिए एसपीवी द्वारा, जिन्हें परिसंपत्तियां बेची गयी हैं, जारी की गयी या जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.

Securitisation of various loans result in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognised when the control of the contractual rights in the securitised assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortised over the life of the securities issued or to be issued by the SPV to which the assets are sold.

10. प्रतिभूतिकरण कंपनियों / पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री

Sale of financial assets to Securitization Companies/ Reconstruction Companies:

प्रतिभूतिकरण कंपनियों / पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री की गणना प्राप्त प्रतिभूति रसीदों (एसआर) / पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) के शोधन मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति के निवल बही मूल्य में से, जो कम हो, के आधार पर की जाती है. ऐसी बिक्री अथवा वसूली पर होने वाले लाभ को

लाभ-हानि लेखे में दर्ज नहीं किया जाता बल्कि उन्हें एससी या आरसी को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री अथवा अन्य एसआर / पीटीसी की वसूली से होने वाली हानि /कमी को पूरा करने के लिए प्रावधानों के तौर पर अलग से दर्शाया जाता है. ऐसी बिक्री अथवा वसूली से होने वाली हानियों को पूर्ववर्ती लाभों से सृजित प्रावधानों के शेष, यदि कोई हैं, में से समायोजित किया जाता है और शेष हानि राशि लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की जाती है. पीटीसी को उनकी बिक्री अथवा वसूली तक ऊपर निर्धारित मूल्य पर लिया जाता है. एसआर को उनके सकल रूप में बही मूल्य अथवा अद्यतन एनएवी, जो भी कम हो, पर लिया जाता है.

Sale of financial assets to Securitisation Companies (SCs)/ Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass Through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset. Gains arising on such sale or realisation are not recognised in the profit and loss account but earmarked as provisions for meeting the losses/ shortfall arising on sale of other financial assets to SCs/ RCs or sale/ realisation of other SRs/ PTCs. Losses arising on such sale or realisation are first set off against balance of provisions, if any, created out of earlier gains and residual amount of losses are charged to profit and loss account. The PTCs are carried at the value as determined above, till their sale or realisation. The SRs are carried, in the aggregate, at book value or at latest NAV, whichever is lower.

11. विदेशी मुद्रा लेन - देन / Foreign Currency Transactions:

i. विदेशी मुद्रा लेन-देनों का आरंभिक अभिनिर्धारण होने पर उन्हें लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित अंतिम दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.

Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognised in the profit and loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognised as income or expense in the period in which they arise.

ii. ऐसी विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यापार या सट्टे के लिए नहीं की गई हैं, के शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा की समयावधि में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है. अन्य विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं पर प्रीमियम या बट्टे को दर्शाया नहीं जाता हैं.

Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading or speculation is amortised as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognised.

iii. ऐसी बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यापार या सट्टे के लिए नहीं हैं, का पुनर्मूल्यन अंतिम फेडाई दरों पर किया जाता है. अन्य बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं का पुनर्मूल्यन फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. इससे होने वाले लाभ / हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है.

Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading or speculation are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are revalued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profit/ losses are included in the profit and loss account.

iv. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं की समय-पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ / हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या बट्टा, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख पर हिसाब में लिया जाता है.

Profit/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognised on the date of termination.

v. बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विदेशी मुद्रा की संविदागत दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की अंतिम दरों पर की जाती है.

Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts is calculated at the contracted rates of exchange and in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

vi. विदेशी शाखा के परिचालन 'एकीकृत विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं तथा इन्हें बैंक के उन्हीं सिद्धांतों व प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए परिणत किया जाता है.

Operations of foreign branch are classified as `Integral Foreign Operations' and are translated using the same principles and procedures as those of the bank.

12. कर्मचारी लाभ / Employee Benefits

i. रोजगार-पश्चात् लाभ योजनाएं / Post-employment benefit plans

क) निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं में भुगतान को देय होने के आधार पर खर्च के रूप में प्रभारित किया जाता है.

a) Payments to defined contribution schemes are charged as expense as they fall due.

ख) निर्दिष्ट लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण 'अनुमानित इकाई जमा विधि' का प्रयोग कर किया जाता है तथा बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ-हानि लेखे में पूरा दिखाया जाता है जिसमें लाभ या हानि होती है. पिछली सेवा लागत की उतनी राशि तत्काल हिसाब में ली जाती है जितने लाभ पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और अन्यथा सीधी रेखा आधार पर लाभ के निहित होने तक औसत अवधि में परिशोधित किया जाता है.

b) For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognized in full in the profit and loss account for the period in which they occur. Past Service cost is recognized immediately to the extent that the benefits are already vested and otherwise is amortised on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested.

ii. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ / Short-term employee Benefit:

कर्मचारी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बदले अदा किये जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अबट्टाकृत राशि को उस अवधि के दौरान हिसाब में लिया जाता है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.

The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

iii. अंतर्वर्ती देयता / Transitional Liability

बैंक ने 1 अप्रैल 2007 से लेखांकन मानक 15 (संशोधित 2005) - 'कर्मचारी लाभ' को अपनाया है. इसको अपनाने से उत्पन्न होने वाली अंतर्वर्ती देयता को एएस-15 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2007-08 से आरंभ होने वाली पांच वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जायेगा.

The Bank has adopted Accounting Standard-15 (Revised 2005), 'Employee Benefits' with effect from April 1, 2007. The transitional liability arising on such adoption is amortised over a period of five years commencing from the financial year 2007-08 in accordance with the provisions of AS-15.

iv. कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना (इसॉप) के अंतर्गत ऑप्शनों का आंतरिक मूल्य इसॉप की निहित अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर व्यय किया जाता है.

The intrinsic value of options under Employee Stock Option Plan (ESOP) is expensed on a straight-line basis over the vesting period of the ESOP.

13. आय कर / Income Tax

i. कर व्यय में चालू तथा आस्थगित कर शामिल हैं.

Tax expense comprises of current and deferred tax.

ii. न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) क्रेडिट को केवल तभी और उस सीमा तक एक परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है जब इस बात का पर्याप्त साक्ष्य हो कि बैंक विर्निदिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगा.

Minimum Alternate Tax (MAT) credit is recognized as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that the Bank will pay normal income tax during the specified period.

iii. वर्ष के बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को उन कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है जो तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये हों. समय अंतरालों से उत्पन्न होनेवाली आस्थागित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक हिसाब में लिया जाता है कि यह पर्याप्त रूप से निश्चित हो कि इनकी भविष्य में वसूली हो जाएगी.

Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

iv. अनवशोषित हानियों के मामले में आस्थगित कर परिसंपत्तियां तभी मानी जाती हैं जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसूल की जा सकती हैं.

Deferred tax assets in case of unabsorbed losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.

विभागीय अपीलों सहित प्रावधान न किये गये विवादित करों को ''आकस्मिक देयताओं'' के अंतर्गत शामिल किया जाता है.

Disputed taxes not provided for including departmental appeals are included under Contingent Liabilities.

14. प्रति शेयर आय / Earnings Per Share:

i. बैंक लेखांकन मानक 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर आय की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल आय की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.

The Bank reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

ii. प्रति शेयर न्यूनीकृत आय उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाती है जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता हैं. प्रति शेयर न्यूनीकृत आय की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अन्त में बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है.

Diluted Earnings Per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end.

15. परिसंपत्तियों की अनर्जकता / Impairment of Assets

जब कभी घटनाएं अथवा परिस्थितियों में परिवर्तन से ऐसे संकेत मिलते हैं कि परिसंपत्ति की रखाव-लागत वसूलीयोग्य नहीं है तो अचल परिसंपत्तियों की अनर्जकता की समीक्षा की जाती है. धारित और इस्तेमाल की जाने वाली परिसंपत्तियों की वसूली हो सकने का आकलन उसकी वर्तमान वसूलीयोग्य मूल्य की तुलना में उसकी रखाव लागत से किया जाता है. यदि इन परिसंपत्तियां को अनर्जक माना जाता हैं तो अभिनिर्धारित अनर्जकता का आकलन इससे हो सकेगा कि परिसंपत्तियों की रखाव राशि उसके वसूलीयोग्य मूल्य से कितनी अधिक है.

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset.

16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां / Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों संबंधी एएस 29 के अनुपालन में, बैंक द्वारा कोई प्रावधान तब किया जाता है जब किसी पिछले संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त देयता के निपटान के लिए कुछ राशियों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

   In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

ii. प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता और उनका निर्धारण तुलनपत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.

   Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

iii. किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में अपेक्षित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.

   Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognised only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

iv. आकस्मिक परिसंपत्तियों को हिसाब में नहीं लिया जाता है,

   Contingent Assets are not recognized.

अनुसूची 18: 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

SCHEDULE 18: NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2011

अ. लेखाकन मानकों के अनुसार प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं

A Disclosure Requirements as per Accounting Standards

1. परिसर (एएस-10) / PREMISES (AS-10)

i. परिसर में ₹ 1339,70,11 हजार (₹ 1339,70,11 हजार) की लीज़ पर ली गई भूमि (पुनर्मूल्यांकित) शामिल है जिसका वर्ष 2006-07 में पुनर्मूल्यांकन किया गया था.

Premises include Leasehold Land (revalued) of ₹ 1339,70,11 Thousand (₹ 1339,70,11 Thousand) which was revalued in the year 2006-07.

ii. वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान बैंक ने स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और आवासीय / कार्यालय भवन का पुनर्मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया. पुनर्मूल्यांकन के कारण निवल मूल्य वृद्धि ₹ 2063 91 00 हजार हुई है जो 31 मार्च 2007 को ₹ 529 02 00 हजार के निवल बही मूल्य और ₹ 25 92 9300 हजार की पुनर्मूल्यांकित राशि का अंतर है, जिसे पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व में जमा कर दिया गया है.

Bank revalued its Freehold Land & Residential/ Office building based on valuations made by independent valuers during the financial year 2006-07. The net appreciation of ₹ 2063 91 00 Thousand arising on revaluation, being the difference between the net book value of ₹ 529 02 00 Thousand and revalued amount of ₹ 2592 93 00 Thousand as on March 31, 2007, was credited to Revaluation Reserve.

2. समामेलन (एस-14) / AMALGAMATION (AS-14)

कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 8 अप्रैल 2011 को अनुमोदित बैंक की पूर्ववर्ती, पूर्णस्वामित्व वाली सहायक संस्था अर्थात् आईडीबीआई होम फाइनेंस लि, (आईएचएफएल), एक आवास वित्त कंपनी और आईडीबीआई गिल्ट्स लि. (आईजीएल), प्रतिभूतियों में एक प्राथमिक व्यापारी, (इसमें इसके पश्चात 'अंतरक' कंपनियों रूप में निर्दिष्ट) की समामेलन योजना के अनुसरण में, अंतरक कंपनियों की समस्त परिसंपत्तियां तथा देयताएं 01.01.2011 से आइडीबीआई बैंक लि. (इसमें इसके पश्चात् 'अंतरिती' बैंक के रूप में निर्दिष्ट) को अंतरित तथा में निहित कर दी गई.

Pursuant to the scheme of amalgamation of the erstwhile, wholly owned subsidiary of Bank namely IDBI Home Finance Ltd.(IHFL) a housing finance company and IDBI Gilts Ltd. (IGL), a Primary Dealer in securities. (hereinafter referred as 'transferor' Companies) approved by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India on April 8, 2011 all assets and liabilities of transferor Companies were transferred and vested in IDBI Bank Ltd. (hereinafter referred as 'transferee' Bank) effective 01.01.2011.

समामेलन को इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक - 14 'समामेलन के लिए लेखांकन' द्वारा निर्धारित 'हित का समूहन' पद्धति के अंतर्गत हिसाब में लिया गया है. तद्नुसार 1 जनवरी 2011 को अंतरक कंपनियों की परिसंपत्तियों तथा देयताओं को अंतरिती बैंक के वित्तीय विवरणों में उसी ढंग तथा रूप में शामिल किया गया है जिस रूप में वे अंतरक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में दी गई है. तथापि, अंतरक कंपनी अर्थात् आईडीबीआई गिल्ट्स लि. की कुल ₹ 39,70,93 हजार की संचित हानि अंतरिती बैंक के रिज़र्व में समायोजित की गई है.

The amalgamation has been accounted for under the 'Pooling of Interest' method as prescribed by the Accounting Standard - 14 'Accounting for Amalgamations' issued by the Institute of Chartered Accountants of

India. Accordingly, assets and liabilities of transferor Companies as at January 1, 2011 have been incorporated in the financial statements of transferee Bank in the same manner and form as they appear in the financial statements of the transferor Companies. However the accumulated losses of a transferor Company namely IDBI Gilts Ltd. of ₹ 39,70,93 Thousand has been adjusted against reserve of the transferee Bank.

समामेलन योजना के अनुसार अंतरक कंपनियों के शेयरधारकों को अंतरिती बैंक का कोई भी शेयर जारी नहीं किया जाना है क्योंकि बैंक की पूर्णतः स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों का समामेलन किया गया है.

In terms of Scheme of Amalgamation no shares of the transferee Bank are required to be issued to the shareholders of the transferor Companies as the amalgamation has been effected of the wholly owned subsidiaries of the Bank.

अंतरक कंपनियों द्वारा धारित कुछ निवेश तथा हक विलेख अंतरिती बैंक के नाम में अंतरित किए जाने की प्रक्रिया में है.

Some of the investments and title deeds held by transferor Companies are in the process of being transferred in the name of the transferee Bank.

3. **कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित) / Employee benefits (AS-15) (Revised):**

i. **अंतर्वर्ती देयता / Transitional Liability**

आईडीबीआई बैंक के मामले में लेखांकन मानक 15 (संशोधित 2005) के अपनाने के फलस्वरूप अंतर्वर्ती देयता-कर्मचारी लाभ ₹ 63,22,00 हजार (पेंशन - ₹ 31,09,00 हजार, ग्रेच्यूटी - ₹ 16,41,00 हजार), अपंगता सहायता ₹ 13,28,00 हजार एवं छुट्टी नकदीकरण ₹ 2,44,00 हजार) (₹ 63,22,00 हजार) है. इसमें से ₹ 12,50,00 हजार (₹ 12,50,000 हजार) की राशि वर्ष के दौरान लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की गई है. अभिनिर्धारित में न ली गई शेष ₹ 12,50,00 (₹ 25,00,00) की देयता को आगे ले जाया गया है और उसे अगले वर्ष में प्रभारित किया जाएगा.

The transitional liability arising on account of adoption of Accounting Standard-15 (Revised 2005) on "Employee Benefits" is ₹ 63,22,00 Thousand (Pension – ₹ 31,09,00 Thousand, Gratuity - ₹ 16,41,00 Thousand, Disability Assistance – ₹ 13,28,00 Thousand and Leave encashment – ₹ 2,44,00 Thousand) (₹ 63,22,00 Thousand). Out of this, an amount of ₹ 12,50,00 Thousand (₹ 12,50,00 Thousand) has been charged to Profit & Loss Account during the year. The balance unrecognized liability of ₹ 12,50,00 Thousand (₹ 25,00,00 Thousand) have been carried forward and the same will be charged off in the next year.

ii. **निर्दिष्ट अशंदान योजनाएं / Defined Contribution Scheme**

बैंक के कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत शामिल हैं, जिसके लिए बैंक मूल वेतन के निर्धारित प्रतिशत के रूप में निश्चित अंशदान देता है, भविष्य निधि योजना का संचालन ''आईडीबीआई भविष्य निधि ट्रस्ट / आईडीबाआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट'' के प्रशासकों द्वारा किया जाता है. आईएचएफएल तथा आईजीएल के कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किये जाते हैं.

Bank's employees are covered by Provident Fund to which the Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary. The Provident Fund plan in the case of Bank is administered by the Administrators of 'IDBI Provident Fund Trust'/'IDBI Bank Employees Provident Fund Trust'. In respect of the employees of IHFL and IGL provident fund contributions are made to Regional Provident Fund Commissioner.

वर्ष के दौरान ₹ 4,26,73 हजार (₹ 2,34,09 हजार) की राशि लाभ-हानि लेखे को प्रभारित की गई.

During the year an amount of ₹ 4,26,73 Thousand (₹ 2,34,09 Thousand) has been charged to Profit and Loss Account.

iii. निर्दिष्ट लाभ योजनाएं / Defined Benefit Schemes

क. बैंक कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देयता के लिए ''आईडीबीआई कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट/आईडीबाआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट'' में अशंदान देता है. आईएचएलएफ तथा आईजीएल के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी निधि समूह ग्रेच्युटी के अंतर्गत एलआईसी के पास जारी है.

a. The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees, to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'. The Gratuity Fund of employees of IHFL and IGL is continued with LIC under Group Gratuity Scheme.

ख. बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के भी पात्र है, जिसका प्रशासन 'आईडीबाआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा किया जाता है.

b. Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.

इन निर्दिष्ट लाभ देयताओं तथा संबंधित चालू सेवा लागत की गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति से की जाती है तथा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है.

The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method with actuarial valuation being carried out at each balance sheet date.

iv. अन्य दीर्घावधि लाभ / Other long term benefits

बैंक के कर्मचारी अपनी अर्जित / विशेषाधिकार छुट्टी का संचय करने के लिए पात्र हैं जिसमें अधिकारी अधिकतम 180 दिन और अन्य स्टाफ 300 दिन तक की छुट्टी का संचय कर सकते है. प्रतिवर्ष अधिकतम 15 दिन कि छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है. कुछ कर्मचारी अशक्तता सहायता के लए पात्र हैं, जिसे अशक्तता की घटना होने पर बैंक वहन करता है.

Employees of the Bank are entitled to accumulate their earned/ privilege leave upto a maximum of 180 days for officers and 300 days for other staff. A maximum of 15 days leave is eligible for encashment in each year. Some of the employees are eligible for Disability Assistance which is borne by the bank as and when the disability events occur.

आईएचएफएल के संबंध में कर्मचारी अपने संवर्ग के अनुसार अधिकतम 180 दिन / 240 दिन की छुट्टी का संचय करने के लिए पात्र है. तथा आईजीएल के संबंध में 240 दिन की छुट्टी संचित की जा सकती है.

In respect of IHFL the employees are entitled to accumulate leave upto maximum of 180 days/240 days based on their cadre and in respect if IGL leave upto 240 days can be accumulated.

इन लाभों का बीमांकिक मूल्यांकन अनुमानित यूनिट-क्रेडिट पद्धति से किया गया और वर्ष के दौरान ₹ 39,54,98 हजार (₹ 36,13,93 हजार) की राशि लाभ - हानि लेखे में प्रभारित की गई है.

Actuarial valuation of these benefits has been carried out using the Projected Unit Credit Method and an amount of ₹ 39,54,98 Thousand (₹ 36,13,93 Thousand) has been charged to Profit and Loss Account during the year.

लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी) /Schedules forming part of accounts (Contd.)

निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और दिनांक 31 मार्च 2011 को समूह के वित्तीय विवरण में दर्शायी गई राशियों की स्थिति प्रस्तुत करती है जो ए एस - 15 (संशोधित) के अनुसार है.

The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognised in the Bank's financial statements as at March 31, 2011 which is as per AS-15(R).

		(₹ करोड़) (₹ in Crore)			
		पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity
		31 मार्च 2011 As at March 31, 2011	31 मार्च 2011 As at March 31, 2011	31 मार्च 2010 As at March 31, 2010	31 मार्च 2010 As at March 31, 2010
क) a)	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन :** **Change in benefit obligations:**				
	वर्ष के आरंभ में (1 अप्रैल 2010) अनुमानित लाभ संबधी दायित्व Projected benefit obligation, beginning of the year (April 1, 2010)	696.53	160.78	543.35	143.99
	विलय के निमित्त परिवर्धन (आईएचएफएल) Addition on account of merger (IHFL)	0.00	0.31	NA	NA
	विलय के निमित्त परिवर्धन (आईजीएल) Addition on account of merger (IGL)	0.00	0.06	NA	NA
	ब्याज लागत / Interest cost	57.46	13.27	32.26	9.38
	चालू सेवा लागत / Current Service cost	9.63	19.54	9.53	13.62
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान व्यय की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	0.00	96.89	0.00	0.00
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(37.55)	(11.00)	(30.28)	(2.51)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि / Actuarial (gain)/loss	94.86	3.35	141.67	(3.70)
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ / दायित्व **Projected benefit/obligation, end of the year**	**820.93**	**283.20**	**696.53**	**160.78**
ख) b)	**योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन :** **Change in plan assets:**				
	वर्ष के आरंभ में (1 अप्रैल 2010) योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year (April 1, 2010)	685.50	155.91	456.53	85.22
	विलय के निमित्त परिवर्धन (आईएचएफएल) Addition on account of merger (IHFL)	0.00	0.23	NA	NA
	विलय के निमित्त परिवर्धन (आईजीएल) Addition on account of merger (IGL)	0.00	0.05	NA	NA
	योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on plan assets	54.84	12.48	52.93	12.25
	नियोक्ता का अंशदान / Employer's contributions	66.94	111.85	220.28	69.12
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(37.55)	(11.00)	(30.28)	(2.51)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि / Actuarial (gain)/loss	(5.08)	5.19	(13.96)	(8.17)
	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य **Fair value of plan assets at the end of the year**	**764.65**	**274.71**	**685.50**	**155.91**

लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी) /Schedules forming part of accounts (Contd.)

					(₹ करोड़) (₹ in Crore)
		पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity
		31 मार्च 2011 As at March 31, 2011	31 मार्च 2011 As at March 31, 2011	31 मार्च 2010 As at March 31, 2010	31 मार्च 2010 As at March 31, 2010
ग) c)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य का समाधान और योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य** **Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets**				
	31 मार्च 2011 को लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at March 31, 2011	820.93	283.20	696.53	160.78
	भविष्य में अभिनिर्धारित / उपबंधित की जानेवाली परिवर्ती (देयता) Transitional (Liability) to be recognized/provided in future	(6.15)	(3.24)	(12.30)	(6.49)
	31 मार्च 2011 को लाभ दायित्व का निवल वर्तमान मूल्य Net Present value of benefit obligation at March 31, 2011	814.78	279.96	684.23	154.29
	31 मार्च 2010 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets at March 31, 2011	764.65	274.71	685.50	155.91
	अधिशेष/ (घाटा) / Surplus/(Deficit)	**(50.13)**	**(5.25)**	**1.27**	**1.62**
घ) d)	**31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लागत** **Net cost for the year ended March 31, 2011**				
	सेवा लागत / Service Cost	9.63	19.54	9.53	13.62
	ब्याज लागत / Interest cost	57.46	13.27	32.26	9.38
	योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल / Expected return on plan assets	(54.84)	(12.48)	(52.93)	(12.25)
	निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि / Net Actuarial (gain)/loss	99.94	(1.84)	155.63	4.47
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान निर्धारित की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	0.00	96.89	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान निर्धारित परिवर्ती देयता / Transitional liability recognized during the year	6.15	3.25	6.15	3.25
	निवत लागत / Net cost	**118.34**	**118.63**	**150.64**	**18.47**
ङ) e)	**31 मार्च 2011 को परिसंपत्तियों की श्रेणी** **Category of Assets as at March 31, 2011**				
	भारत सरकार की परिसंपत्तियां / Government of India Assets	382.85	0.00	303.43	50.50
	कॉरपोरेट बांड / Corporate Bonds	370.62	0.00	379.50	63.34
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां / Insurer Managed Funds	0.00	273.27	0.00	36.52
	अन्य / Others	11.18	1.44	2.57	5.55
	कुल / Total	**764.65**	**274.71**	**685.50**	**155.91**
च f)	**लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं** **Assumptions used in accounting:**				
	बट्टा दर / Discount rate	8.25%	8.25%	8.25%	8.25%
	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की दर / Rate of return on plan assets	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
	वेतन बढ़ोतरी दर / Salary escalation rate	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
	ह्रास दर / Attrition Rate	4.82%	4.82%	4.82%	4.82%
	मृत्यु दर / Mortality Rate	एलआईसी (1994-66) अंत LIC (1994-66) Ultimate			

3. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17) /

SEGMENT REPORTING (AS-17)

i. बैंक तीन खंडों - थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग और ट्रेजरी सेवाओं परिचालन करता है. बैंक की योजनाओं एवं सेवाओं का स्वरूप और जोखिम प्रोफाइल, ग्राहकों के लक्ष्य समूह की प्रोफाइल, संगठनात्मक ढांचा और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद खंड रिपोर्टिंग पर लेखा मानक 17 के अनुसार इन खंडों की पहचान की गई है. बैंक ने कारोबार खंड का प्राथमिक खंड के रूप में प्रकटन किया है. चूंकि बैंक भारत में परिचालन करता है, अतः बैंक के बारे में यह माना गया है कि यह केवल देशी खंड में परिचालन करता है और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.

The bank operates in three segments wholesale banking, retail banking and treasury services. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the bank. The bank has disclosed business segment as the primary segment. The bank primarily operates in India, hence the bank has been considered to operate predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.

ii. खंड राजस्व, परिणामों, परिसंपत्तियों और देयताओं में वे राशियां शामिल हैं जो प्रत्येक खंड के लिए अभिनिर्धारित करने योग्य हैं, साथ ही प्रबंधन के अनुमान के अनुसार आबंटित हैं. ऐसी परिसंपत्तियां और देयताएं जिनकी पहचान खंडवार रूप में नहीं की जा सकती, उन्हें अनाबंटित परिसंपत्तियों और देयताओं में समूहित किया जाता है.

Segment revenue, results, assets and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities.

खंडवार प्रकटन / Segment Disclosure: (₹ हजार) (₹ in '000s)

क्रम सं Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended Mar 31, 2011	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year ended Mar 31, 2010
क	**खंड राजस्व**	-	
a.	**Segment Revenue**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	19190 74 42	17701 02 99
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	11086 04 11	8143 28 38
	ट्रेजरी / Treasury	287 88 03	185 18 19
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations		
	कुल / Total	**30564 66 56**	**26029 49 56**
	घटाएं : अंतर खंड राजस्व / Less :- Inter-segment revenue	9880 19 59	8466 44 31
	परिचालनों से निवल बिक्री / आय		
	Net sales / income from operations	**20684 46 97**	**17563 05 25**

लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी) /Schedules forming part of accounts (Contd.)

(₹ हजार) (₹ in '000s)

क्रम सं Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended Mar 31, 2011	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year ended Mar 31, 2010
ख	**खंड परिणाम - कर पूर्व लाभ / (हानि)**		
b.	**Segment Results - Profit/(loss) before tax**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	1879 45 12	761 89 86
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	273 63 34	192 51 26
	ट्रेजरी / Treasury	127 89 54	90 30 77
	कुल / Total	**2280 98 00**	**1044 71 89**
	अविनिधानीय व्यय / Unallocable expenditure		
	अविनिधानीय आय / Unallocable income		
	घटाएं: अविनिधानीय आय को घटाते हुए अन्य अविनिधानीय व्यय Less: Other unallocable expenditure net of unallocable income		
	कर पूर्व कुल लाभ / Total profit before tax	**2280 98 00**	**1044 71 89**
	आय कर / Income taxes	630 66 06	13 58 54
	निवल लाभ / Net profit	**1650 31 94**	**1031 13 35**
ग	**खंड परिसंपत्तियां**		
c.	**Segment assets**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	169306 36 56	169802 41 67
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	78369 05 14	58617 39 85
	ट्रेजरी / Treasury	4125 14 10	3582 05 15
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	1576 23 48	1570 88 35
	कुल परिसंपत्तियां / Total assets	**253376 79 28**	**233572 75 02**
ग	**खंड देयताएं**		
d.	**Segment liabilities**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	159033 60 18	152805 49 01
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	78644 18 16	65858 71 22
	ट्रेजरी / Treasury	732 54 38	4745 28 81
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	2324 65 56	1966 73 04
	कुल देयताएं / Total liabilities	**240734 98 28**	**225376 22 08**

नोट : विदेशी परिचालन 10% की निर्दिष्ट अधिकतम सीमा से कम है, अतः सेकंडरी खंड से संबंधित जानकारी नहीं दी गई है.

Note: Overseas operations are less than the threshold limit of 10% and hence secondary segment information is not furnished.

4 **संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18) / RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)**

i. संयुक्त रुप से नियंत्रित संस्था / Jointly controlled entity

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्युरंस कंपनी लि. / IDBI Federal Life Insurance Co Ltd.

ii. बैंक के प्रमुख प्रबंध कार्यपालक / Key management personnel of the bank

क. श्री आर. एम. मल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (9 जुलाई 2010 से)
Shri R.M Malla, Chairman & Managing Director (w.e.f July 9, 2010)

ख. श्री योगेश अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (5 जून 2010 तक)
Shri Yogesh Agarwal, Chairman & Managing Director (upto June 5, 2010)

ग. श्री बी पी सिंह, उप प्रबंध निदेशक
Shri B.P.Singh, Deputy Managing Director

iii. संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन / के पास शेष
Transactions/balances with related parties:

(₹ हजार) (₹ in '000s)

विवरण Particulars	संयुक्त उद्यम Joint Venture	प्रमुख प्रबंध कार्यपालक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंध कार्यपालकों के संबंधी Relatives of key management personnel	कुल Total
प्राप्त जमाराशियां / Deposits Received	49,35,00 (51,07,65)	1,38,32 (24,78)	2,26,18 (20,20)	52,99,50 (51,52,63)
अन्य बकाया देयताएं / जमा राशियां Other Liabilities/ Deposits Outstanding	75,29,79 (24,59,65)	1,82,68 (57,70)	2,45,08 (23,20)	79,57,55 (25,40,55)
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमाराशियां Maximum amount of deposits outstanding during the year	68,35,65 (68,37,01)	2,32,66 (1,00,47)	2,54,17 (44,34)	73,22,48 (69,81,82)
निवेश Investments	336,00,00 (216,00,00)	0 (0)	0 (0)	336,00,00 (216,00,00)
दिए गए अग्रिम Advances given	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
बकाया अग्रिम Advances outstanding	0 (0)	35,67 (37,90)	0 (11,53)	35,67 (49,43)
वर्ष के दौरान देय अधिकतम अग्रिम राशि Maximum amount of advance due during the year	0 (0)	37,90 (56,46)	11,53 (11,53)	49,43 (67,99)
अग्रिमों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on advances	0 (0)	61 (6,39)	3 (2)	64 (6,41)
अग्रिमों पर उपचित ब्याज Interest accured on advances	0 (0)	0 (3,64)	0 (3)	0 (3,67)
जमाराशियों पर ब्याज Interest on Deposits	2,82,49 (5,98,29)	9,25 (2,26)	1,36 (1,41)	2,93,10 (6,01,96)
पारिश्रमिक Remuneration	0 (0)	41,98 (84,30)	0 (0)	41,98 (84,30)
अन्य आय Other income	38,06,49 (28,73,53)	3,21 (0)	0 (0)	38,09,70 (28,73,53)
वर्ष के दौरान हानि का हिस्सा Share of loss during the year	58,45,61 (50,37,39)	0 (0)	0 (0)	58,45,61 (50,37,39)

5. 1 अप्रैल 2001 को या उसके बाद हुए वित्त पट्टा संव्यवहार (अग्रिमों में शामिल), (एएस-19)
Finance lease transactions entered into on or after April 1, 2001(included in Advances), (AS-19)

i. सकल निवेश और प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य का समाधान
Reconciliation of gross investment and present value of minimum lease payments receivable.

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2011 को शेष राशियां Balance as at March 31,2011	परिपक्वता प्रोफाइल/ Maturity profile		
		1 वर्ष तक Upto 1 year	1 से 5 वर्ष तक Between 1 to 5 years	5 वर्ष से अधिक More than 5 years
बकाया सकल निवेश Gross investment outstanding	0.64	0.64	-	-
अनर्जित वित्त आय Unearned finance income	0.02	0.02	-	-
बकाया न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य Present value of minimum lease payments outstanding	0.62	0.62	-	-

- बैंक के हित में कोई अगारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य उपचित नहीं है.
  There are no unguaranteed residual values accruing to the benefit of the Bank.
- कोई अवसूलनीय प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतान नहीं है.
  There are no uncollectable minimum lease payments receivable.
- 31 मार्च 2011 की अवधि के लिए लाभ-हानि लेखे में कोई आकस्मिक किराया अभिनिर्धारित नहीं किया गया है.
  No contingent rent has been recognised in the profit and loss account for the period ended March 31, 2011
- बैंक ने उपर्युक्त पट्टा संव्यवहारों के अंतर्गत कंप्यूटरों के लिए वित्त पोषण किया है.
  The bank has financed computers under the above lease transactions.

ii. वर्ष के दौरान निरसन योग्य परिचालनगत पट्टे पर प्रदत्त / देय पट्टा प्रभारों हेतु लाभ-हानि लेखें में ₹ 161,25,46 हजार (₹ 126,37,91 हजार) का प्रभार लगाया गया.
Amount of ₹ 161,25,46 Thousand (₹ 126,37,91 Thousand) has been charged to the Profit and Loss Account during the year towards lease charges paid/payable on cancellable operating lease.

6. प्रति शेयर आय (ईपीएस) (एएस-20) / EARNINGS PER SHARE (EPS) (AS-20)

	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2011	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2010
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ (₹ हजार) Net profit considered for EPS calculation (₹ in Thousand)	1650,31,94	1031,13,35
मूल ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिये गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Basic EPS	89,84,29,626	72,47,92,498
जोड़ें : मंजूर किए गए कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईसॉप) का न्यूनीकृत प्रभाव Add: Dilutive impact of ESOP granted	2,49,572	2,36,901
न्यूनीकृत ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिये गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	89,86,79,198	72,50,29,399
ईपीएस (मूल) / EPS (Basic) (₹)	18.37	14.23
ईपीएस (न्यूनीकृत) / EPS (Diluted) (₹)	18.36	14.22
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य / Face value per Equity share (₹)	10	10

7. **आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-20) / ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS-22):**

i. **आस्थगित कर परिसंपत्तियां / देयताएं / Deferred Tax Assets/Liabilities**

(₹ हजार) (₹ in '000s)

	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2011	**31 मार्च 2011 को शेष राशियां Balance as on March 31, 2011**	**31 मार्च 2010 को शेष राशियां Balance as on March 31, 2010**
आस्थगित कर देयता / Deferred tax liability			
अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on fixed assets	(8,56,11)	53,38,29	61,94,40
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित एवं संचालित विशेष आरक्षित निधि / Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961	49,10,78	183,63,87	134,53,09
कुल (क) / Total (A)	**40,54,67**	**237,02,16**	**196,47,49**
आस्थगित कर परिसंपत्ति / Deferred tax Asset			
आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत न किए गए एनपीए प्रावधान / NPA provisions not allowed under Income tax Act, 1961	115,76,64	353,98,56	238,21,92
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी, 40 (ए) (iए) के अंतर्गत शामिल न किए गए Disallowance u/s. 43B, 40(a)(ia) etc. of the Income-tax Act, 1961	17,81,17	104,88,31	87,07,14
पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान / Provision for Restructured Advances	17,15,36	221,06,65	203,91,28
कुल (ख) / Total (B)	**150,73,17**	**679,93,52**	**529,20,34**
आस्थगित कर देयता / (परिसंपत्ति) (निवल) (क) - (ख) **Deferred tax liability/ (asset) (net) (A) – (B)**		**(442,91,36) ***	**(332,72,85)**

* आईएचएफएल और आईजीएल की ₹ 5,90,98 हजार की आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल सहित) शामिल है.

* includes Deferred Tax Asset (net) of ₹ 5,90,98 thousands of IHFL and IGL.

ii. **कराधान के लिए प्रावधान**
Provision of Taxation

(₹ हजार) (₹ in '000s)

		31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31,2011	**31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31,2010**
क.	आय कर		
a.	Income Tax	734,93,58	346,31,39

8. संयुक्त उद्यम (एएस-27) / JOINT VENTURES (AS-27)

निवेशों में निम्नलिखित संयुक्त उद्यम में बैंक के हित से संबंधित ₹ 336 करोड़ (₹ 216 करोड़) शामिल हैं.
Investments include ₹ 336 crores (₹ 216 crores) representing Bank's interest in the following joint venture.

कंपनी का नाम Name of the Company	निवास का देश Country of Residence	धारिता % Holding %
आईडीबीआई फेडरल लाईफ इंश्युरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	भारत India	48 % 48 %

एएस-27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में बैंक के हितों से संबंधित सभी परिसंपत्तियों, देयताओं, आय, व्ययों, आकस्मिक देयताओं और वचनबद्धताओं की कुल राशियों का प्रकटन निम्नानुसार प्रस्तुत है.

As required by AS-27, the aggregate amount of each of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank`s interests in jointly controlled entity are disclosed as under.

(₹ हजार) (₹ in '000s)

विवरण Particulars	31 मार्च 2011 को As at March 31, 2011	31 मार्च 2010 को As at March 31, 2010
देयताएं / Liabilities		
पूंजी एवं रिजर्व / Capital & Reserves	336,00,00	216,00,00
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities & Provisions	214,83,17	139,38,35
कुल / Total	**550,83,17**	**355,38,35**
परिसंपत्तियां / Assets		
नकदी और बैंक शेष राशियां / Cash and Bank Balances	37,48,62	52,09,33
निवेश / Investments	154,49,64	93,56,04
अचल परिसंपत्तियां / Fixed Assets	8,17,67	8,26,20
अन्य परिसंपत्तियां / Other Assets	175,71,23	85,59,33
विविध व्यय / संचित हानि Miscellaneous Expenditure/Accumulated Losses	174,96,01	115,87,45
कुल / Total	**550,83,17**	**355,38,35**
पूंजी वचनबद्धताएं / Capital Commitments	—	—
अन्य आकस्मिक देयताएं / Other Contingent Liabilities	—	—
आय / Income		
निवेशों से आय / Income from Investments	7,03,81	9,40,12
अन्य आय / Other income	1,88	5
कुल / Total	**7,05,69**	**9,40,17**
व्यय / Expenditure		
बीमा कारोबार से हानि / Losses from Insurance Business	64,85,26	59,03,31
परिचालनगत व्यय / Operating expenses	65,94	73,84
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions & Contingencies	10	41
कुल / Total Total	**65,51,30**	**59,77,56**
वर्ष के लिए हानि / Loss for the Year	**58,45,61**	**50,37,39**

टिप्पणी : 31 मार्च 2011 के अनुसार आंकड़े गैर-लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं.
Note: The figures as at March 31, 2011 are based on unaudited financial statements

9. परिसंपत्तियों की अनर्जकता (एएस-28) / IMPAIRMENT OF ASSETS (AS-28)

बैंक द्वारा अर्जित अचल परिसंपत्तियों को 'कॉरपोरेट परिसंपत्ति' माना जाता है तथा उन्हें एएस-28 द्वारा परिभाषित 'नकदी सृजित करनेवाली इकाई' नहीं माना जाता है. प्रबंधन के मतानुसार, बैंक की अचल परिसंपत्तियों में कोई परिसंपत्ति अनर्जक नहीं हुई हैं.

Fixed assets acquired by the bank are treated as `Corporate Assets' and are not `Cash Generating Unit' as defined by AS-28. In the opinion of the management there is no impairment of any of the fixed assets of the Bank.

10. अन्य प्रकटन / OTHER DISCLOSURES

10.1 कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना (ईसॉप) / Employees' Stock Option scheme (ESOP)

i. शेयर धारकों के अनुमोदन के अनुसरण में यथा संशोधित ईसॉप के अनुसार 31 मार्च 2011 को पात्र कर्मचारियों को मंजूर 1,31,98,965 ऑप्शन (1,31,98,965 ऑप्शन) बकाया थे जिनका विवरण नीचे दिया गया है.

In terms of the ESOP, as amended, pursuant to the approval of the shareholders, 1,31,98,965 options (1,31,98,965 options) granted to eligible employees were outstanding as at March 31, 2011, as detailed herein below:

समाप्त वर्ष / Year Ended	मंजूर ऑप्शनों की संख्या / Number of Options Granted
31 मार्च 2001 / March 31, 2001	16,76,951
31 मार्च 2002 / March 31, 2002	25,54,352
31 मार्च 2003 / March 31, 2003	32,77,542
31 मार्च 2004 / March 31, 2004	21,47,669
31 मार्च 2005 / March 31, 2005	19,58,451
31 मार्च 2006 / March 31, 2006	8,85,000
31 मार्च 2007 / March 31, 2007	-
31 मार्च 2008 / March 31, 2008	6,99,000
31 मार्च 2009 / March 31, 2009	-
31 मार्च 2010 / March 31, 2010	-
31 मार्च 2011 / March 31, 2011	-
कुल /Total	**1,31,98,965**

ii. ऑप्शनों का विवरण /Detail of Options:

मंजूरी की तारीखें Grant dates	ऑप्शनों की संख्या Number of options	प्रयोग मूल्य Exercise Price (₹)	31 मार्च 2010 को बकाया ऑप्शन Options Outstanding as at March 31, 2010	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रयोग किए गए ऑप्शन Exercised During the Year ended March 31, 2011	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान समाप्त ऑप्शन Lapsed During the year ended March 31, 2011	31 मार्च 2011 को बकाया ऑप्शन Options Outstanding as on March 31, 2011	31 मार्च 2011 तक ऑप्शन Options upto March 31, 2011	
							प्रयुक्त Exercised	समाप्त Lapsed
श्रृंखला I :22 अगस्त 2000 Tranche I : August 22, 2000	83,317	26.64	—	—	—	—	83,317	—
श्रृंखला II :1 अक्तूबर 2000 Tranche II : October 1, 2000	1,426,035	28.49	—	—	—	—	963,171	462,864
श्रृंखला III :1 जनवरी 2001 Tranche III : January 1, 2001	167,599	30.54	—	—	—	—	128,867	38,732

मंजूरी की तारीखें Grant dates	ऑप्शनों की संख्या Number of options	प्रयोग मूल्य Exercise Price (₹)	31 मार्च 2010 को बकाया ऑप्शन Options Outstanding as at March 31, 2010	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रयोग किए गए ऑप्शन Exercised During the Year ended March 31, 2011	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान समाप्त ऑप्शन Lapsed During the year ended March 31, 2011	31 मार्च 2011 को बकाया ऑप्शन Options Outstanding as on March 31, 2011	31 मार्च 2011 तक ऑप्शन Options upto March 31, 2011	
							प्रयुक्त Exercised	समाप्त Lapsed
श्रृंखला IV :1 अप्रैल 2001								
Tranche IV : April 1, 2001	2,134,225	29.73	-	-	-	-	1,597,867	536,358
श्रृंखला V : 1 अक्तूबर 2001								
Tranche V : October 1, 2001	420,127	26.20	-	-	-	-	297,219	122,908
श्रृंखला VI :1 अप्रैल 2002								
Tranche VI : April 1, 2002	3,223,415	23.88	5,001	4,500	501	-	2,504,118	719,297
श्रृंखला VII :1 दिसंबर 2002								
Tranche VII : December 1, 2002	54,127	28.50	-	-	-	-	47,881	6,246
श्रृंखला VIII : 1 अप्रैल 2003								
Tranche VIII : April 1, 2003	2,147,669	30.30	1,748	1,748	-	-	1,503,876	643,793
श्रृंखला IX : 1 अप्रैल 2004								
Tranche IX : April 1, 2004	1,641,549	50.95	23,638	16,690	400	6,548	977,807	657,194
श्रृंखला X :1 जुलाई, 2004								
Tranche X : July 1, 2004	316,902	58.06	-	-	-	-	281,691	35,211
श्रृंखला XI :1 अक्तूबर 2005								
Tranche XI : Oct 1, 2005	885,000	98.11	237,020	43,205	2,440	191,375	160,197	533,428
श्रृंखला XII : 25 अगस्त 2007								
Tranche XII : Aug 25, 2007	699,000	75.70	372,085	130,925	5,700	235,460	185,910	277,630

10.2 अन्य / OTHERS

i. भारत सरकार ने 31 जुलाई 2010 को ₹ 110.19 प्रति शेयर के प्रीमियम पर 259509110 ईक्विटी शेयरों के अधिमान्य आबंटन के जरिए ₹ 3119.04 करोड़ की पूंजी प्रदान लगायी.

Government of India has infused capital of ₹ 3119.04 crores by way of preferential allotment of 259509110 equity share at a premium of ₹ 110.19 per share on July 31, 2010.

ii. वर्ष के दौरान ईसॉप के प्रयोग पर 197068 (80497) ईक्विटी शेयरों का आबंटन किया गया.

197068 (80497) equity shares allotted during the year against ESOPs exercised.

iii. बैंकों / संस्थाओं से कतिपय उधार राशियों के संबंध में बैंक को भारत सरकार से अंतर ब्जाज की प्रतिपूर्ति की जाती है. जिसे संपूर्ण मंजूर राशि की प्राप्ति पर अब बन्द कर दिया गया है. तदनुसार लाभ-हानि लेखे में प्रभारित ब्याज वर्ष के लिए अंतर ब्याज के प्रति प्रतिपूर्ति के संबंध में शून्य जमा (₹ 3,26,35 हजार) को हिसाब में लेने के बाद का है.

The Bank is reimbursed differential interest by Government of India (GOI) in respect of certain borrowings from Banks/Institutions which has since been discontinued on availment of the entire sanctioned amount. Accordingly, the interest charged to Profit & Loss Account is after considering Nil credit (₹ 3,26,35 Thousand) on account of reimbursement towards differential interest for the year.

iv. भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित योजनाओं की 31 मार्च 2011 की स्थिति निम्नानुसार है:

The status as at March 31, 2011 of the following schemes as formulated by Government of India is as under.

क. कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008

a. Agriculture Debt Waiver & Debt Relief Scheme, 2008

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

योजना Scheme	प्रस्तुत दावे Claims lodged	प्राप्त दावे Claims Received	दावे की प्राप्य राशि* Claim Receivable*
कृषि ऋण माफी योजना, 2008 Agriculture Debt Waiver Scheme, 2008	27.28	27.28	0.00
कृषि ऋण राहत योजना, 2008 Agriculture Debt relief Scheme, 2008	7.63	7.63	0.00
प्रस्तुत किया जानेवाला अतिरिक्त कृषि ऋण राहत दावा Additional Agriculture Debt relief claim to be lodged	0.59	0.00	0.59

* अनुसूची 9 - 'अग्रिमों' में शामिल / *included in Schedule 9 - 'Advances'.

ख. चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना, 2007

b. Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertakings, 2007

(₹ करोड़) / (₹ In Crores)

फरवरी 2011 तक दावा की गई राशि / Amount claimed till February, 2011	45.07
मार्च 2011 के लिए दावा की जानेवाली राशि / Amount to be claimed for March, 2011	0.83
दावे की कुल राशि / Total amount of claim	45.90
वसूली के आधार पर प्राप्त और लेखांकित राशि / Received and accounted on realization basis	29.52
भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशो के अनुसार मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत अग्रिम	
Advances classified as Standard Asset in terms of RBI Guidelines	81.14

v. 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अंतर्गत 'उद्यमों' की स्थिति के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसा कोई सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम नहीं है जिसके प्रति बैंक की ओर से कोई देयता बकाया हो जो कि 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान 45 दिनों से अधिक अवधि की हो, अतः वर्ष के अंत तक उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त / देय ब्याज सहित अप्रदत्त राशियों का प्रकटन नहीं किया गया हैं.

Based on the information to the extent received from 'enterprises' regarding their status under the 'Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006' there is no Micro, Small & Medium enterprise to which the Bank owes dues, which are outstanding for more than 45 days during the year ended March 31, 2011 and hence disclosure relating to amounts unpaid as at the year end together with interest paid/payable as required under the said Act have not been given.

vi. निष्पादन के लिए शेष रही संविदाओं के संबंध में अनुमानित पूंजी राशि (अग्रिमों को घटाकर), जिसके लिए प्रावधान नही किया गया, ₹ 85,45,97 हजार (विगत वर्ष ₹ 149,01,02 हजार)

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital amount (net of advances) and not provided for is ₹85,45,97 Thousand (Previous Year ₹ 149,01,02 Thousand)

आ. रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकटन
B. Disclosures required as per RBI guidelines

I पूंजी / Capital

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

		बासेल I के अनुसार As per Basel I		बासेल II के अनुसार As per Basel II	
	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1	सीआरएआर / CRAR (%)	12.16%	10.83%	13.64%	11.31%
2	सीआरएआर - टीयर I पूंजी / CRAR - Tier I Capital (%)	7.14%	5.97%	8.03%	6.24%
3	सीआरएआर - टीयर II पूंजी / CRAR - Tier II Capital (%)	5.02%	4.86%	5.61%	5.07%
4	बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत Percentage of the shareholding of the Government of India in the Bank	65.13%	52.67%	65.13%	52.67%
5	आईपीडीआई के निर्गम द्वारा जुटाई गई राशि Amount raised by issue of IPDI	245.10	1131.70	245.10	1131.70
6	अपर - टीयर II लिखतों के निर्गम द्वारा जुटाई गई राशि Amount raised by issue of Upper Tier II instruments	1000.00	1786.20	1000.00	1786.20
7	लोअर टीयर II लिखतों के निर्गम द्वारा जुटाई गई राशि Amount raised by issue of Lower Tier II instruments	1198.10	942.50	1198.10	942.50

II निवेश / Investments

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

क्र. सं. Sr. No.	मदें Items	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(1)	निवेश का मूल्य / Value of Investments		
	(i) निवेश का सकल मूल्य / Gross Value of Investments		
	(क) भारत में / (a) In India	69325.92	73912.96
	(ख) भारत से बाहर / (b) Outside India	0.05	0.05
	(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान / Provisions for Depreciation		
	(क) भारत में / (a) In India	1056.78	567.54
	(ख) भारत से बाहर / (b) Outside India	0.00	0.00
	(iii) निवेश का निवल मूल्य / Net Value of Investments		
	(क) भारत में / (a) In India	68269.14	73345.42
	(ख) भारत से बाहर / (b) Outside India	0.05	0.05
(2)	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में घट - बढ़		
	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	(i) प्रारंभिक शेष / Opening Balance	567.54	319.59
	(ii) जोडें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान / Add: Provisions during the year	584.62	260.32
	(iii) घटायें : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गये / पुनरांकित किये गये आधिक्य प्रावधान / Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	95.38	12.37
	(iv) अंतिम शेष / Closing balance	1056.78	567.54

लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी) /Schedules forming part of accounts (Contd.)

III रेपो लेन-देन / Repo Transactions

(₹ करोड़) / (₹ In Crores)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया Daily Average outstanding during the year	यथा 31 मार्च 2011 As on March 31, 2011
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां / Government securities	1.18	849.00	25.40	शून्य Nil
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां /Corporate debt securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under reverse repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां / Government securities	45.00	285.00	26.39	शून्य Nil
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां /Corporate debt securities	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil

IV गैर - एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो
Non- SLR Investment Portfolio

1 गैर - एसएलआर निवेश की निर्गमकर्ता संरचना
Issuer composition of Non-SLR investments

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

क्र. सं. Sr. No.	निर्गमकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी नियोजन की मात्रा Extent of Private Placement	'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	'बिना रेटिंग' वाली प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'Unrated' Securities	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / PSUs	411.19	135.46	0.00	22.48	16.28
(ii)	वित्तीय संस्थाएं / FIs	201.61	189.73	12.50	12.50	187.40
(iii)	बैंक /Banks	479.64	72.50	0.00	4.92	6.25
(iv)	निजी कंपनियां / Private corporate	4370.48	1802.21	145.53	775.80	2474.83
(v)	सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम Subsidiaries / Joint ventures	566.51	198.41	0.00	0.00	566.51
(vi)	अन्यOthers	9276.50	106.66	171.04	1383.31	3193.60
(vii)	मूल्यह्रास के लिए किया गया प्रावधान Provision held towar¸ds depreciation	(1056.75)				
	योग / Total	**14249.18**	**2504.97**	**329.07**	**2199.01**	**6444.87**

टिप्पणी : इक्विटी में निवेश को बिना रेटिंग वाली प्रतिभूतियां नही माना गया है.

Note – Investment in Equities are not treated as unrated securities

2 **गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश**
Non-performing Non-SLR investments

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

विवरण Particulars	राशि Amount
प्रारंभिक शेष (यथा 1 अप्रैल 2010 को) / Opening balance (as on April 1, 2010)	298.42
लेखा वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	101.12
वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the year	70.47
अंतिम शेष (यथा 31 मार्च 2011 को) / Closing balance (as on March 31 2011)	**329.07**
धारित कुल प्रावधान (निष्पादक गैर-एसएलआर निवेशों के मूल्य में कमी के लिए ₹ 687.22 करोड़ के प्रावधान तथा ऋण के अधिमान्य शेयरों में परिवर्तन के दौरान अंतरित ₹ 55.11 करोड़ के प्रावधान को छोड़कर) Total provisions held (excludes provision of ₹ 687.22 crore for diminution in the value of performing Non SLR investments and ₹ 55.11 crore on account of provision transferred during conversion of loan into preference share)	314.42

V **डेरिवेटिव / Derivatives**

1 **वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप / Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap**

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year		पिछला वर्ष Previous Year	
		हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps	हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps
(i)	स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	1964.37	18709.52	1964.68	22703.71
(ii)	करारों के अंतर्गत यदि काउंटर पार्टी अपने दायित्व के निर्वहन में असफल रहती हैं तो उसके कारण होनेवाली हानियां Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	224.77	166.56	144.12	353.04
(iii)	स्वैप करने के बाद बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति (नीचे (क) देखें) Collateral required by the bank upon entering into swaps (refer (a) below)	—	—	—	—
(iv)	स्वैप से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का संकेंद्रण (नीचे (ख) देखें) Concentration of credit risk arising from the swaps (refer (b) below)	—	—	—	—
(v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य The fair value of the swap book	175.61	6.30	110.91	(2.13)

क) यदि मार्क टु मार्केट (एमटीएम) हानि अनुमोदित सीमा (बैंक द्वारा निर्धारित) से अधिक है तो ग्राहकों द्वारा नकद जमा / संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में मार्जिन रखने की आवश्यकता होती है.

a) Margin by way of cash deposit/Collateral is required to be maintained by clients, in case Mark to Market (MTM) loss exceed the approved limit (set by the Bank)

ख) 31 मार्च 2011 को 5 शीर्ष कॉरपोरेट ग्राहकों का ऋण जोखिम का संकेन्द्रण (बैंक के लिए वर्तमान ऋण सहायता) बैंक के कॉरपोरेट ग्राहकों से कुल वर्तमान ऋण सहायता का 74.40% (72.71%) है.

b) Concentration of credit risk (Current exposure to the Bank) to top 5 corporate clients as at March 31 2011 is at 74.40% (72.71%) of the total current exposure from Corporate Clients to the bank.

ग) वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप की अवधि 10 वर्ष तक है.

c) Terms of the forward rate agreement/ interest rate swap are upto 10 years.

2 **बाजार में लेन-देन वाले ब्याज दर डेरिवेटिव**

Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	राशि Amount
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज में लेन-देन किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव (फ्यूचर्स) की आनुमानिक मूलधन राशि Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives (future) undertaken during the year	शून्य Nil
(ii)	31 मार्च 2011 को एक्सचेंज में लेन-देन किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूलधन राशि Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31, 2011	शून्य Nil
(iii)	एक्सचेंज में लेन-देन किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव लेकिन जो ''उच्च प्रभावी '' नहीं हैं, की आनुमानिक मूलधन राशि Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	शून्य Nil
(iv)	एक्सचेंज में लेन-देन किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव तथा जो ''उच्च प्रभावी '' नहीं हैं, का मार्क-टु-मार्केट मूल्य Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	शून्य Nil

3 **डेरिवेटिव में ऋण जोखिम का प्रकटन - गुणात्मक प्रकटन**

Disclosures on risk exposure in derivatives- Qualitative disclosures

(i) बैंक हेजिंग तथा साथ ही ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए डेरिवेटिव का इस्तेमाल करता है. ऐसे डेरिवेटिवों के इस्तेमाल से विभिन्न जोखिम जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोघिम, परिचालन संबंधी जोखिम, विधिक जोखिम आदि बढ़ जाते हैं.

The Bank uses derivatives for Hedging as well as for Trading purposes. The use of such derivatives gives rise to various risks like credit risk, market risk, operational risk, legal risk etc.

(ii) बैंक के पास इन जोखिमों के प्रबंध के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा है जिसमें जोखिम नीति, जोखिम प्रबंध संगठन, जोखिम आकलन और निगरानी प्रक्रिया, सीमा संरचना तथा प्रणालीगत बुनियादी संरचना शामिल हैं. बैंक में एक स्वतंत्र जोखिम आकलन और निगरानी प्रक्रिया, सीमा संरचना तथा प्रणालीगत बुनियादी संरचना शामिल हैं. बैंक में एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंध समूह है जिसेक प्रमुख मुख्य महाप्रबंधक हैं. जोखिम प्रबंध समूह, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट नीतियों, प्रक्रियाओं, मानदंडों और सीमाओं तथा लागू विनायमक दिशा-निर्देशों के अनुसार जोखिम के आकलन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए कार्यात्मक रूप से जिम्मेदार है. परिसंपत्ति देयता प्रबंध समिति के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत जोखिम का प्रबंध किया जाता है इसकी रिपोर्टिंग बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति और बोर्ड को नियमित रूप से की जाती है.

The Bank has a well defined structure to manage these risks, consisting of risk policy, risk management organisation, risk measurement and monitoring process, limit structure and system infrastructure. The Bank has an independent Risk Management Group, headed by a Chief General Manager. The Risk Management Group is functionally responsible for measurement, monitoring and reporting of risks in accordance with the policies, processes, parameters and limits defined by the Board as well as the applicable regulatory guidelines. Risk is managed under the overall supervision of Asset Liability Management Committee with regular reporting to Risk Management Committee of the Board as well as to the Board.

(iii) ऋण जोखिम, बाजार जोखिम परिचालन तथा विधिक जोखिम पर नियंत्रम करने के लिए संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही अर्थों में डेरिवेटिव लेन-देनों में ऋण जोखिम का आकलन/मूल्यांकन किया जाता है. डेरिवेटिव लेन-देन करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहक / दूसरे पक्ष को लेन-देन की आवश्यक समझ हो. बाजार जोखिम का आकलन और प्रबंध स्थितियों, समय-सीमा अथवा अवधि, बाजार दरों के प्रति संवेदनशीलता, अंतराल, ग्रीक्स, जोखिम-मूल्य, हानि-रोध आदि उपायों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. पर्याप्त प्रणालीगत बुनियादी संरचना और नियंत्रण प्रणाली को व्यवस्थित रखकर परिचालनगत जोखिमों का समाधान किया जाता है. आवश्यक विधिक करारों के निष्पादन और दस्तावेजीकरण के जरिये विधिक जोखिमों का ध्यान रखा जाता है.

Risk exposures in derivatives transactions are measured/assessed in both quantitative and qualitative terms to capture credit risk, market risk and operational & legal risk. Prior to the execution of derivative transaction, it is ensured that credit risk exposure to the client/counterparty, measured in terms of Loan Equivalent Risk (LER), is within the approved limit and the client/counterparty has the necessary understanding of the transaction. Market risk exposure is measured and managed in terms of positions, duration or tenor, sensitivities to market rates, gaps, Greeks, Value-at-Risk, stop loss etc. measures. Operational risks are addressed by having adequate system infrastructure and control mechanism in place. Legal risks are taken care of by execution of necessary legal agreements and documentation.

(iv) डेरिवेटिव के लिए लेखांकन नीति रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है जिसके विवरण अनुसूची सं. 17 ''बैंक की महत्वपूर्ण लेखा नीति'' में दिये गए हैं.

The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, the details of which are contained in Schedule No.17 "Significant Accounting Policies of the Bank".

4 डेरिवेटिव में ऋण जोखिम का प्रकटन - मात्रात्मक प्रकटन

Disclosures on risk exposure in derivatives- Quantitative disclosures

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

		चालू वर्ष Current Year		पिछला वर्ष Previous Year	
क्रम सं. Sr. No.	**विवरण Particulars**	**मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives**	**ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives**	**मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives**	**ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives**
(i)	डेरिवेटिव (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional principal amount)				
	(क) हेजिंग के लिए (a) For hedging	-	1964.37	-	1964.68
	(ख) ट्रेडिंग के लिए (b) For trading	3831.06	18709.52	4237.54	22703.71
(ii)	मार्क-टु-मार्केट स्थितियां Marked to Market Positions				
	(क) परिसंपत्तियां (+) (a) Assets (+)	57.96	391.33	111.86	497.16
	(ख) देयताएं (-) (b) Liability (-)	(65.84)	(209.42)	(118.71)	(388.38)

लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी) /Schedules forming part of accounts (Contd.)

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

		चालू वर्ष Current Year		पिछला वर्ष Previous Year	
क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
(iii)	ऋण जोखिम / Credit exposure				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर				
	(a) On hedging derivatives	-	240.58	0.00	170.09
	(ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर				
	(b) On trading derivatives	569.59	241.42	347.67	506.86
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100* पीवी01)				
	Likely impact of one percent change in interest rate (100*PV01)				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर				
	(a) On hedging derivatives	-	30.48	0.00	29.04
	(ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर				
	(b) On trading derivatives	0.13	0.81	0.12	0.08
(v)	वर्ष के दौरान पाये गये 100*पीवी01 के अधिकतम एवं न्यूनतम				
	Maximum and minimum of 100* PV01 observed during the year				
	हेजिंग पर				
	On hedging				
	- अधिकतम				
	- Maximum	-	30.48	-	33.17
	- न्यूनतम				
	- Minimum	-	21.77	-	11.57
	ट्रेडिंग पर				
	On trading				
	- अधिकतम				
	- Maximum	1.02	28.34	1.22	4.46
	- न्यूनतम				
	- Minimum	0.00083	0.04	0.007	0.33

VI परिसंपत्ति गुणवत्ता / Asset Quality

1. गैर-निष्पादक परिसंपत्ति (ऋण और अग्रिम तथा उन पर उपचित ब्याज)
Non-Performing Asset (Loans & Advances, interest accrued thereon)

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

	मदें Items	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i)	**निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)** **Net NPAs to Net Advances (%)**	1.06	1.02
(ii)	**एनपीए में उतार-चढ़ाव (सकल)** **Movement of NPAs (Gross)**		
	(क) प्रारंभिक शेष (a) Opening Balance	2129.38	1435.69
	(ख) विलय के कारण परिवर्धन (b) Addition on account of merger	29.72	NA
	(ग) वर्ष के दौरान परिवर्धन (c) Addition during the year	1957.60	1483.18
	(घ) वर्ष के दौरान कमी (d) Reduction during the year	1331.97	789.49
	(ड़) अंतिम शेष (e) Closing balance	2784.73	2129.38
(iii)	**निवल एनपीए में उतार - चढ़ाव** **Movement of Net NPAs**		
	(क) प्रारंभिक शेष (a) Opening Balance	1406.32	948.96
	(ख) विलय के कारण परिवर्धन (b) Addition on account of merger	13.05	NA
	(ग) वर्ष के दौरान परिवर्धन (c) Addition during the year	547.37	734.71
	(घ) वर्ष के दौरान कमी (d) Reduction during the year	288.83	277.35
	(ड़) अंतिम शेष (e) Closing balance	1677.91	1406.32
(iv)	**एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव** **Movement of provisions for NPAs** (मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधानों को छोड़कर) (excluding provisions on standard assets)		
	(क) प्रारंभिक शेष (a) Opening balance	723.06	486.73
	(ख) विलय के कारण परिवर्धन (b) Addition on account of merger	16.67	NA
	(ग) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान (b) Addition during the year	1410.38	771.99
	(घ) बट्टे खाते डाले गये / पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान (c) Write-off/write back of excess provision	1043.29	535.66
	(ड़) अंतिम शेष (d) Closing balance	1106.82	723.06
(v)	**रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार परिकलित कवरेज अनुपात का प्रावधान** **Provisioning Coverage Ratio computed in accordance with the RBI guidelines**	**74.66**	**74.86**

2. **यथा 31 मार्च 2011 को पुनर्संरचनाधीन ऋण परिसंपत्तियों का ब्योरा**

Details of Loan Assets subjected to Restructuring as on March 31 2011

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

		सीडीआर व्यवस्था CDR Mechanism	एसएमई ऋण पुनर्संरचना SME DEBT Restructuring	अन्य Others
पुनर्संरचित मानक अग्रिम Standard advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या / No. of Borrowers	23	-	167
	बकाया राशि / Amount Outstanding	3237.75	-	6599.58
	त्याग (उचित मूल्य में कमी) / Sacrifice (diminution in the fair value)	126.81	-	251.49
पुनर्संरचित अवमानक अग्रिम Sub Standard advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या / No. of Borrowers	1	-	9
	बकाया राशि / Amount Outstanding	2.33		179.61
	त्याग (उचित मूल्य में कमी) / Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00		4.31
पुनर्संरचित संदिग्ध अग्रिम Doubtful advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या / No. of Borrowers	7	-	7
	बकाया राशि / Amount Outstanding	208.31		467.81
	त्याग (उचित मूल्य में कमी) / Sacrifice (diminution in the fair value)	2.07		2.89
कुल / TOTAL	उधारकर्ताओं की संख्या / No. of Borrowers	31		183
	बकाया राशि / Amount Outstanding	3448.39		7247.00
	त्याग (उचित मूल्य में कमी) / Sacrifice (diminution in the fair value)	128.88		258.69
जिनमें से: पुनर्संरचना के बाद अनर्जक हो गए खाते Out of which: Account that have turned Non-performing subsequent to restructuring	उधारकर्ताओं की संख्या / No. of Borrowers	7		16
	बकाया राशि / Amount Outstanding	200.64		647.42
	त्याग (उचित मूल्य में कमी) / Sacrifice (diminution in the fair value)	22.70		7.20

3. पुनर्संरचित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटन (संकलित और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)

Additional disclosures regarding restructured accounts (as compiled and certified by the management)

क्रम सं. S. No	प्रकटन Disclosures	संख्या Number	राशि (₹ करोड़) Amount (in crore of ₹)
1	जो खाते 1 सिंतबर 2008 को मानक थे, उनके संबंध में पुनर्संरचना के लिए 31 मार्च 2009 तक प्राप्त आवेदन Application received up to March 31, 2009 for restructuring, in respect of accounts which were standard as on September 1, 2008.	127	8671
2	उक्त (1) में से ऐसे प्रस्ताव, जो यथा 31 मार्च 2009 तक अनुमोदित और कार्यान्वित हो गए तथा तदनुसार विशेष नियामक उपाय के पात्र हो गए एवं तुलन पत्र की तारीख को मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत हो गए. Of (1), proposals approved and implemented as on March 31, 2009 and thus became eligible for special regulatory treatment and classified as standard assets as on the date of the balance sheet.	82	3131
2अ 2A	उक्त (1) में से ऐसे प्रस्ताव, जो यथा 31 मार्च 2009 तक अनुमोदित और कार्यान्वित हो गए तथा तदनुसार विशेष नियामक उपाय के पात्र हो गए एवं तुलन पत्र की तारीख को मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत हो गए. Of (1), proposals approved and implemented as on March 31, 2009 and thus became eligible for special regulatory treatment and classified as standard assets as on the date of the balance sheet.		
3	उक्त (1) में से ऐसे प्रस्ताव, जो यथा 31 मार्च 2009 को अनुमोदित व कार्यान्वित तो हो गए, किंतु मानक श्रेणी में उन्नयित नहीं किए जा सके Of (1), proposals approved and implemented as on March 31, 2009 but could not be upgraded to the standard category.		
4	उक्त (1) में से प्रक्रिया / कार्यान्वयन के अधीन ऐसे प्रस्ताव, जो यथा 31 मार्च 2009 को मानक थे Of (1), proposals under process/implementation which were standard as on March 31, 2009.	*	
5	उक्त (1) में से प्रक्रिया / कार्यान्वयन के अधीन ऐसे प्रस्ताव, जो यथा 31 मार्च 2009 को एनपीए थे, किंतु जिनके पैकेज का पूर्ण कार्यान्वयन होने के बाद मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत होने की संभावना है. Of (1), proposals under process/implementation which turned NPA as on March 31, 2009 but are expected to be classified as standard assets on full implementation of the package.		

* आंकड़े नही दिये गए हैं क्योंकि ये चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित नहीं हैं.

* Data not given as it does not pertain to current financial year

4. परिसंपत्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण पुनर्संरचना / पुनर्संस्चता कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों का ब्यौरा
Details of financial assets sold to Securitisation/Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवणर Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
(i)	खातों की संख्या No. of Accounts	2	5
(ii)	एस सी / आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	2.51	4.22
(iii)	सकल प्रतिफल Aggregate Consideration	2.86	7.70
(iv)	पूर्ववर्ती वर्षों में अतंरित खातों के संदर्भ में वसूल किए गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-
(v)	निवल बही मूल्य पर सकल लाभ / (हानि) Aggregate gain(loss) over net book value	0.35	3.48

5. खरीदी गई गैर-निष्पादक वित्तीय परिसंपत्तियों का ब्यौरा
Details of non-performing financial assets purchased

क्रम सं. Sr. No.		मदे Items	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
(i)	(a)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या No. of accounts purchased during the year	0	0
	(b)	कुल बकाया राशि Aggregate outstanding	0	0
(ii)	(a)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या Of these, number of accounts restructured during the year	0	0
	(b)	कुल बकाया राशि Aggregate outstanding	0	0

6. बेची गई गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों का ब्यौरा
Details of non-performing financial assets sold

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

क्रम सं. Sr. No.	मदें Items	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
(i)	बेचे गए खातों की संख्या No. of accounts sold	3	2
(ii)	कुल बकाया राशि Aggregate outstanding	17.60	0
(iii)	प्राप्त कुल प्रतिफल Aggregate consideration received	18.64	20.92

7. **मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान**
Provision on Standard Asset

(₹ करोड़)
(₹ in Crore)

मदें Items	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
(i) मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान / Provisions towards Standard Assets	104.19	104.16
(ii) संचयी शेष (तुलन पत्र की अनुसूची 5 'अन्य देयताएं व प्रावधान' के अंतर्गत शामिल) Cumulative Balance (included under `Other Liabilities & Provisions' in Schedule 5 to the Balance sheet)	660.36	540.62

VII कारोबार अनुपात
Business Ratios

क्रम सं. Sr. No.	मदें Items	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
1.	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय Interest income as a percentage to working funds	8.28%	7.75%
2.	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय Non-interest income as a percentage to working funds	0.93%	1.16%
3.	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ Operating profit as a percentage to working funds	1.85%	1.38%
4.	परिसंपत्तियों पर प्रतिफल Return on assets	0.73%	0.53%
5.	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा राशियां तथा अग्रिम (हजार ₹) Business (Deposits plus advances) per employee [₹ in 000's]	234641	241742
6.	प्रति कर्मचारी लाभ (हजार ₹) Profit per employee [₹ in 000's]	1193	844

VIII संवेदनशील क्षेत्र को ऋण
Lending to Sensitive Sector

(i) संपदा क्षेत्र को ऋण सहायता
Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

श्रेणी Category	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
1. प्रत्यक्ष सहायता **Direct exposure**		
(क) आवासीय बंधक- **(a) Residential Mortgages –**		
आवासीय संपत्ति, जो उधारकर्ता के कब्जे में है / होगी या किराये पर दी गई है, पर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत ऋण Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	21103.96	18277.84
उपर्युक्त में से 20 लाख ₹ तक ऋणवाले व्यक्ति Of above individual having loans upto ₹ 20 lakh	8497.80	7766.20

लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी) /Schedules forming part of accounts (Contd.)

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

श्रेणी Category	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
(ख) वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र - **(b) Commercial Real Estate –**		
वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण Lendings secured by mortgages on commercial real estates	5009.20	5693.58
उपर्युक्त में से गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं Of above non-fund based (NFB) limits	-	-
(ग) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण सहायता **(c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –**		
क. आवासीय a. Residential,	14.99	20.76
ख. वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र b. Commercial Real Estate	0.00	0.00
(ii) अप्रत्यक्ष ऋण सहायता / Indirect Exposure		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि-आधारित और गैर निधि आधारित ऋण सहायता **Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)**	4995.37	6833.75
कोई अन्य अप्रत्यक्ष सहायता **Any other - Indirect Exposure**	167.77	181.07
कुल / Total	**31291.29**	**31007.00**

2 **पूंजी बाजार में निवेश / Exposure to Capital Market**

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

क्रम सं. Sr. No	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ऐसे इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में सीधे निवेश, जिनकी मूल निधि को केवल कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं किया जाता है. Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1699.42	1212.06
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईसॉप सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर या बेजमानती आधार पर अग्रिम Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	581.70	495.97

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

क्रम सं. Sr. No	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(iii)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जिनमें शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है. Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	528.49	32.91
(iv)	अन्य किसी उद्देश्य के लिए अग्रिम, जो शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के युनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हैं अर्थातृ जिनमें शेयरों / परिवर्तनीय बांडों / परिवर्तनीय डिबेंचरों / इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के अलावा अन्य प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरा कवर नहीं करती है. Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	837.26	212.31
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	571.00	741.00
(vi)	शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या बेजमानती आधार पर संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी के प्रमोटरों के अंशदान को पूरा करने के लिए कंपनियों को मंजूर ऋण Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter`s contribution to the equity of new companies in anticipation of rising resources;	0.00	190.00
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह / निर्गम पर कंपनियों को पूरक ऋण Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	-	-
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा की गई हामीदारी वचनबद्धताएं Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures of units of equity oriented mutual fund;	-	-
(ix)	स्टॉक ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण Financing to stockbrokers for margin trading;	-	-
(x)	उद्यम पूँजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत, दोनों) में किए गए सभी निवेश इक्विटी के समान समझे जाएंगे. अतः पूंजी बाजार निवेश सीमा (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, दोनों) के अनुपालन के लिए इनको हिसाब में लिया जाएगा. All exposures to venture capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceilings (both direct and indirect)	305.48	228.37
	पूंजी बाजार में कुल निवेश / Total Exposure to Capital Market	**4523.35**	**3112.62**

3. **जोखिम श्रेणी-वार देश को ऋण सहायता**

Risk Category wise Country Exposure

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च 2011 को ऋण (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2011	31 मार्च 2011 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2011	31 मार्च 2010 को ऋण (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2010	31 मार्च 2010 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2010
नगण्य / Insignificant	797.55	0.00	318.94	0.00
निम्न / Low	831.48	0.00	355.90	0.00
मध्यम / Moderate	12.64	0.00	37.66	0.00
उच्च / High	0.72	0.00	9.91	0.00
बहुत उच्च / Very High	-	0.00	1.87	0.00
नियंत्रित / Restricted	-	0.00	0.00	0.00
ऑफ क्रेडिट / Off-credit	-	0.00	0.00	0.00
कुल / Total	**1642.39**	0.00	**724.28**	**0.00**

IX विवेकपूर्ण ऋण सहायता सीमाएं

Prudential Exposure Limits

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान एकल उधारकर्ताओं तथा समूह उधारकर्ताओं को दी गयी बैंक की ऋण सहायता रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण सहायता सीमाओं के भीतर थीं, सिवाय दो मामलों के जहां निदेशक मंडल के अनुमोदन से 15% की एकल उधारकर्ता सीमा से अधिक सहायता दी गयी थी. इन मामलों के संबंध में 31 मार्च 2011 को मंजूर सीमाएं तथा बकाया राशियां (गैर-निधिक ऋण सहायता सहित) निम्नलिखित थीं:

During the year ended March 31, 2011, the Bank's exposure to single borrowers and group borrowers were within the prudential exposure limits prescribed by RBI, except in two cases where single borrower limit of 15% was exceeded with the approval of the Board of Directors. In respect of these cases, the sanctioned limits and outstanding (including non-funded exposure) were as follows, as on March 31, 2011:

एकल / समूह उधारकर्ता का नाम Name of the single borrower/ group	31 मार्च 2011 को मंजूर सीमाएं पूंजी निधि के % के रूप में Sanctioned limits as on March 31, 2011, as % of Capital Fund	31 मार्च 2011 को बकाया राशि पूंजी निधि के % के रूप में Outstanding as on March 31, 2011, as % of Capital Fund
(i) एकल उधारकर्ता का नाम Name of the single borrower		
एस्सार ऑयल लिमिटेड Essar Oil Limited	12.24	10.17
भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड Bharat Heavy Electricals Limited	10.66	8.00
(ii) समूह का नाम **Name of the group**		
कोई नहीं NIL	**शून्य NIL**	**शून्य NIL**

X लाभ-हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाए गये 'प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं' का विवरण

Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account:

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current year	पिछला वर्ष Previous year
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Provision for depreciation on Investment	377.02	247.42
गैर-निष्पादक परिसंपत्ति के लिए प्रावधान Provision towards NPA	371.58	236.34
मानक परिसंपत्ति के लिए प्रावधान Provision towards Standard Asset	104.19	104.16
पुनर्संरचित परिसंपत्तियों (एफआईटीएल सहित) के लिए प्रावधान Provision for Restructured Assets (including FITL)	122.60	599.36
करों के लिए प्रावधान Provision made towards Taxes	734.94	346.31
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) Deferred Tax Assets (Net)	(104.28)	(332.73)
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण Bad debts written off	883.57	486.29
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Other Provision and Contingencies	17.91	8.13
कुल / Total	**2507.53**	**1695.28**

XI अप्रतिभूत अग्रिम / Unsecured Advances:

उन अग्रिमों की कुल राशियां ₹ 50 करोड़ हैं जिनके लिए अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ली गई हैं तथा 31 मार्च 2011 को अमूर्त प्रतिभूतियों का समरूप प्रभार पर अनुमानित मूल्य ₹ 1257.82 करोड़ था.

Total amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. has been taken is ₹ 50 crore and the estimated value of intangible security as on March 31, 2011 is ₹ 1257.82 crore on Pari – passu basis.

XII अस्थायी प्रावधान / Floating Provisions:

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current year	पिछला वर्ष Previous year
1	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष Opening balance in the floating provisions account	शून्य NIL	शून्य NIL
2	वर्ष के दौरान किये गये अस्थायी प्रावधानों की राशि The quantum of floating provisions made during the year	शून्य NIL	शून्य NIL
3	वर्ष के दौरान आहरण में कमी की राशि Amount of draw down during the year	शून्य NIL	शून्य NIL
4	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष Closing balance in the floating provisions account	शून्य NIL	शून्य NIL

लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी) /Schedules forming part of accounts (Contd.)

XIII शिकायतों / अधिनिर्णयों का प्रकटन

Disclosure of Complaints/Awards

1. ग्राहक शिकायतें
Customer Complaints

(i)	वर्ष के प्रारभ में शिकायतों की संख्या No. of Complaints at the beginning of the year	1081
(ii)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या No. of Complaints received during the year	69223
(iii)	वर्ष के दौरान निपटायी गयी शिकायतों की संख्या No. of Complaints redressed during the year	68364
(iv)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या No. of Complaints pending at the end of the year	1940

2. बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णय
Awards passed by the Banking Ombudsman

(i)	वर्ष के प्रारंभ के कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या No. of unimplemented awards at the beginning of the year	शून्य NIL
(ii)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिये गये अधिनिर्णयों की संख्या No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	6
(iii)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या No. of Awards implemented during the year	6
(iv)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या No. of unimplemented Awards at the end of the year	शून्य NIL

XIV प्रतिभूतिकरण

SECURITISATION

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने कुछ खुदरा ऋणों के समूह को प्रतिभूतिकृत करवाया.

During the year ended March 31, 2011, the Bank securitised a few pools of retail loans.

बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों का विवरण नीचे दिया गया है:

The detail of securitisation activity of the Bank is given below :

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
प्रतिभूतिकृत की गई ऋण परिसंपत्तियों / प्रतिभूतिकृत किये गये खुदरा ऋणों के समूहों की कुल संख्या Total number of loan assets securitised/Pools of retail loans securitised #	शून्य Nil	4
प्रतिभूतिकृत ऋण परिसंपत्तियों का कुल बही मूल्य Total book value of loan assets securitised	शून्य Nil	245.08
प्रतिभूतिकृत ऋण परिसंपत्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल Sale consideration received for the securitised assets	शून्य Nil	247.72

लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी) /Schedules forming part of accounts (Contd.)

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
प्रतिभूतिकरण के कारण निवल लाभ / (हानि) * Net gain / (loss) on account of securitization*	शून्य Nil	2.64
निम्नलिखित के रूप में प्रदत्त सेवाओं का विवरण Details of services provided by way of :		
बकाया ऋण वृद्धि (द्वितीय हानि ऋण सुविधा) Outstanding credit enhancement (second loss credit facility)	36.27	30.98
बकाया चलनिधि सुविधा ** Outstanding liquidity facility **	65.39	65.39
बकाया शोधन देयता Outstanding servicing Liability	शून्य Nil	शून्य Nil

खुदरा ऋणों के समूह

Pools of retail loans

* लाभ (व्यय घटाकर) : ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 2.53 करोड़)

* Gain (net of expense) - ₹ Nil crore (previous year ₹ 2.53 crore).

** प्रत्यक्ष समनुदेशन के मामलों के लिए ₹ 32.14 करोड़ सहित, जिनमें से ₹ 9.07 करोड़ गारंटी के रूप में हैं.

* *Includes ₹ 32.14 crore for direct assignment cases, of which ₹ 9.07 crore is in the form of a guarantee.

XV बैंक ने वर्ष के दौरान कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है (पिछले वर्ष शून्य)

The bank has not issued any letter of comfort during the year (Previous year NIL).

XVI बैंकएश्योरेंस कारोबार के संदर्भ में प्राप्त शुल्क और पारिश्रमिक

Fees and Remuneration Received in respect of Bancassurance Business

(करोड़ ₹) (₹ in Crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
आईडीबाआई फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस कं. लि. IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.	33.12	20.61
बजाज अलायंस जनरल इन्श्योरेंस कं. लि. Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	4.74	2.32
	37.86	**22.93**

XVII वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक पर कोई दंड नहीं लगाया है.

During the year the Reserve Bank of India has not imposed any kind of penalty on the Bank.

लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी) /Schedules forming part of accounts (Contd.)

XVIII परिसंपत्ति देयता प्रबंध

Asset Liability Management

परिसंपत्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप (यथा 31 मार्च 2011)

Maturity Pattern of certain items of assets & liabilities (as on March 31, 2011)

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

	पहला दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 माह तक 29 days to 3 months	3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months and upto 6 months	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक Over 6 months and upto 1 year	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year and upto 3 years	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years and upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 yrs	कुल Total
जमाराशि / Deposits1	2283.59	7321.13	3172.91	7783.91	22807.63	15018.47	46303.42	60559.18	6631.70	8603.85	180485.79
अग्रिम / Advances1	1208.15	3141.61	2312.73	5931.39	6741.97	9890.63	7522.80	63330.56	23374.62	33643.61	157098.07
निवेश / Investments	9.51	6394.51	1235.34	1485.87	1540.72	890.85	1178.62	5885.20	8380.01	41268.55	68269.18
उधार / Borrowings 1	2.94	273.48	5.00	112.21	4937.12	3712.91	6007.35	13369.97	8476.06	14672.61	51569.65
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 2 Foreign Currency Assets 2	234.85	1733.49	140.84	169.04	6772.05	6417.84	6308.71	2343.03	1037.19	1692.53	26849.57
विदेशी मुद्रा देयताएं 3 Foreign Currency Liabilities 3	199.25	1124.01	437.32	637.04	6926.63	6623.61	5485.27	2028.31	2736.17	298.44	26496.05

1. विदेशी मुद्रा शेष राशियां शामिल हैं / *includes foreign currency balances.*
2. 20606.63 करोड़ ₹ की समतुल्य विदेशी मुद्रा-रुपया क्रय-विक्रय परिसंपत्तियां और विदेशी मुद्रा अग्रिम शामिल हैं.
   includes foreign currency – Rupee buy-sell assets equivalent to ₹ 20606.63 crore and foreign currency advances
3. 16555.47 करोड़ ₹ की समतुल्य विदेशी मुद्रा-रुपया स्वैप देयताएं और विदेशी मुद्रा जमाराशियां तथा उधार राशियां शामिल हैं.
   includes foreign currency – Rupee sell – buy swap liabilities equivalent to ₹ 16555.47 crore and foreign currency deposits and borrowings

XIX <u>जमाराशियों, अग्रिमों, ऋण सहायता तथा गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण</u>

<u>Concentration of Deposits, Advances, Exposure and NPAs</u>

1 <u>जमाराशियों का संकेंद्रण / Concentration of Deposits</u>

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां / Total Deposits of twenty largest depositors	41244.14
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	22.85%

2 <u>अग्रिमों का संकेंद्रण / Concentration of Advances</u>

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

बीस बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम / Total Advances to twenty largest borrowers	49758.80
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	15.45%

3 <u>ऋण सहायता का संकेंद्रण / Concentration of Exposures</u>

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल ऋण सहायता Total Exposure of twenty largest borrowers/customers	50410.86
उधारकर्ताओं / ग्राहकों को बैंक की कुल ऋण सहायता में बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को ऋण सहायता का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	15.02%

4 **एनपीए का संकेंद्रण / Concentration of NPAs**

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

चार शीर्ष एनपीए खातों को कुल ऋण सहायता / Total Exposure to top four NPA accounts	488.62

XX **क्षेत्रवार एनपीए / Sector-wise NPAs**

क्रम सं. Sr. No.	क्षेत्र Sector	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में एनपीए का प्रतिशत Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप / Agriculture & allied activities	1.57
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम तथा बृहद) / Industry (Micro & small, Medium and Large)	1.95
3	सेवाएं / Services	0.88
4	वैयक्तिक ऋण / Personal Loans	1.13

XXI **एनपीए में उतार-चढ़ाव / Movement of NPAs**

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	
1 अप्रैल 2010 को सकल एनपीए (आरंभिक शेष) / Gross NPAs as on 1st April, 2010 (Opening Balance)	2129.38
विलय के निमित्त परिवर्धन / Addition on account of merger	29.72
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए) / Additions (Fresh NPAs) during the year	1957.60
उप-जोड़ (अ) / Sub-Total (A)	**4116.70**
घटाएं / Less :-	
(i) उन्नयन / Upgradations	277.42
(ii) वसूलियां (उन्नत किये गये खातों से की गयी वसूलियों को छोड़ कर) / Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	170.98
(iii) बट्टे खाते डाली गई राशि / Write-offs	883.57
उप-जोड़ (आ) / Sub-Total (B)	**1331.97**
यथा 31 मार्च 2011 को सकल एनपीए (अंतिम शेष) (अ-आ) Gross NPAs as on 31st March 2011 (Closing Balance) (A-B)	**2784.73**

XXII **समुद्रपारीय परिसंपत्तियां, एनपीए और राजस्व / Overseas Assets, NPAs and Revenue**

(₹ करोड़) (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	
कुल परिसंपत्तियां / Total Assets	4081.57
कुल एनपीए / Total NPAs	-
कुल राजस्व / Total Revenue	56.19

लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी) / Schedules forming part of accounts (Contd.)

XXIII प्रायोजित एसपीवी जो तुलन पत्र में शामिल नहीं हैं (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है)

Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per Accounting norms

प्रायोजित एसपीवी के नाम / Name of the SPV sponsored	
देशी / Domestic	विदेशी / Overseas
शून्य / NIL	शून्य /NIL

XXIV रिज़र्व बैंक के दिनांक 11 मई 2009 के परिपत्र के अनुसार नोस्ट्रो एवं प्रतिरूप लेखे में समाधान न की गई प्रविष्टियों के लिए जमा शेष (निवल) के संदर्भ में लाभ-हानि लेखे में शून्य (₹ 64.88 हजार) राशि जमा की गई है. इसके अलावा, इन राशियों को सामान्य रिज़र्व में विनियोजित किया गया है और इन राशियों को लाभांश की घोषणा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है.

In terms of RBI Circular dated May 11, 2009 Nil amount (₹ 64,88 thousand) has been credited to Profit and Loss account in respect of credit balance (net) towards unreconciled entries in nostro and mirror account. Further, these amounts have been appropriated to General Reserve and are not made available for declaration of dividend.

XXV (क) चालू अवधि के आंकड़ों में दो पूर्ववर्ती सहायक संस्थाओं आईडीबाआई होम फाइनेंस लि. और आईडीबाआई गिल्ट्स लि. के बैंक में विलय के फलस्वरूप उनके 01.01.2011 से 31.03.2011 तक के कार्य परिणाम शामिल हैं. तदनुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों से तुलना नहीं की जा सकती. पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित तथा पुर्नव्यवस्थित किया गया है ताकि चालू वर्ष के आंकड़ों से उनकी तुलना की जा सके.

(a) The figures of the current period include the working results of the two erstwhile wholly owned subsidiary of the bank namely IDBI Home Finance Ltd. and IDBI Gilts Ltd. for the period from 01.01.2011 to 31.03.2011 consequent on merging with the bank. Accordingly, the figures of the previous year are not strictly comparable. Figures for the previous year have been regrouped and rearranged wherever considered necessary to make them comparable with current year's figures.

(ख) कोष्ठक में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं.

(b) Figures in brackets pertain to the previous year.

लेखों की अनुसूची '1' से '18' के लिए हस्ताक्षर

Signatures to schedules '1' to '18' of Accounts

बोर्ड के आदेशनुसार
BY ORDER OF THE BOARD

सुभाष तुली	के. नरसिम्ह मूर्ति	बी. पी. सिंह	(आर. एम. मल्ला)
(Subhash Tuli)	(K.Narasimha Murthy)	(B.P.Singh)	(R.M Malla)
निदेशक	निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Director	Director	Dy.Managing Director	Chairman & Managing Director

(पी. सीताराम)
(P.Sitaram)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण
Cash Flow Statement For The Year Ended March 31, 2011

(₹ हजार) (₹ in '000)

	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010
क परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
A. Cash flow from Operating Activities		
(1) कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ		
Net profit before tax and extra-ordinary items	2280 98 00	1044 71 89
(2) गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन		
Adjustments for non cash items:		
– अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से (लाभ) / हानि (निवल)		
– (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets (Net)	2 68 86	1 43 19
– मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व का निवल)		
– Depreciation (Net of Revaluation Reserve)	127 03 79	90 98 31
– ऋणों / निवेशों के लिए प्रावधान / बट्टे खाते डालना		
– Provisions/Write off of Loans and Investments etc.	1876 86 98	1681 69 14
– वीआरएस व्यय		
– VRS Expenses	-	5 54 33
– स्टाफ कल्याण		
– Staff Welfare Fund	-	(8 00)
	4287 57 63	2824 28 86
(3) परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी के लिए समायोजन		
Adjustments for (increase)/decrease in operating assets:		
– निवेश		
– Investments	4723 96 39	(23545 27 91)
– अग्रिम		
– Advances	(18522 66 86)	(35480 00 56)
– अन्य परिसंपं		
– Other Assets	393 52 84	(49 16 53)
– करों का रिफंड / भुगतान		
– Refund/(payment) of taxes	(727 88 80)	443 08 13
(4) परिचालन देयताओं में (वृद्धि) / कमी के लिए समायोजन		
Adjustments for increase/(decrease) in operating liabilities:		
– उधार राशियां		
– Borrowings	1993 05 65	3292 43 96
– जमाराशियां		
– Deposits	12841 26 71	55266 06 49
– अन्य देयताएं एवं प्रावधान		
– Other liabilities and provisions	(1472 95 48)	1127 96 73
परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी		
Net Cash used in/generated from Operating activities	3515 88 08	3879 39 17
ख निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
B. Cash Flow from Investing activities		
– नकदी / बैंक शेष से प्राप्ति (विलय के निमित्त)		
Receipt of Cash/Bank balances (on account of Merger)	5 27 01	-
– अचल परिसंपत्तियों की खरीद / के लिए अग्रिम (निवल)		
Purchase of/Advance towards fixed assets	(210 25 89)	(309 12 97)
– अचल परिसंपत्तियों की बिक्री		
Sale of Fixed Assets	1 76 49	2 02 55
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी		
Net cash used in / raised from Investing activities	(203 22 39)	(307 10 42)

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण
Cash Flow Statement For The Year Ended March 31, 2011

(₹ हजार) (₹ in '000)

		31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010
ग C.	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह** **Cash Flow from Financing activities**		
	– ईक्विटी शेयरों का निर्गम (शेयर प्रीमियम सहित) – Issue of Equity Shares (Including Share Premium)	3121 12 80	83 81
	– प्रदत्त लाभांश तथा लाभांश कर / Dividend and dividend tax paid	(250 54 71)	(209 60 93)
	वित्तपोषण कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी **Net cash used in / raised from Financing activities**	2870 58 09	(208 77 12)
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) **NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS**	6183 23 78	3363 51 63
	प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य **OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS**	14582 83 54	11219 31 91
	अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य **CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS**	20766 07 32	14582 83 54

नकदी प्रवाह के लिए टिप्पणी:
Note to Cash Flow Statement:

नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में निम्नलिखित तुलन-पत्र मदें शामिल हैं:
Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष Cash & Balances with Reserve Bank of India	19559 04 67	13903 47 08
बैंको के पास शेष राशि तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks & money at call and short notice	1207 02 65	679 36 46
कुल/ Total	20766 07 32	14582 83 54

टिप्पणी: जहां कहीं आवश्यक समझा गया, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनर्समुहित किया गया है.
Figures for the previous year have been regrouped, wherever considered necessary.

बोर्ड के आदेशनुसार
BY ORDER OF THE BOARD

सुभाष तुली
(Subhash Tuli)
निदेशक
Director

के. नरसिम्ह मूर्ति
(K.Narasimha Murthy)
निदेशक
Director

बी. पी. सिंह
(B.P.Singh)
उप प्रबंध निदेशक
Dy.Managing Director

(आर. एम. माल्ला)
(R.M Malla)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

आज की तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

कृते एस. पी. चोपड़ा एंड कं.
For S P Chopra & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(पवन के गुप्ता)
(Pawan K Gupta)
साझेदार
Partner
सदस्यता सं. 92529
Membership No.92529
फर्म पंजीयन संख्या
Firm Regn.No.000346N

कृते चोकशी एंड चोकशी
For Chokshi & Chokshi
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(निलेश आर. जोशी)
(Nilesh R Joshi)
साझेदार
Partner
सदस्यता सं. 114749
Membership No.114749
फर्म पंजीयन संख्या
Firm Regn.No.101872W

(पी. सीताराम)
(P.Sitaram)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

मुंबई, 19 अप्रैल 2011
Mumbai, April 19, 2011

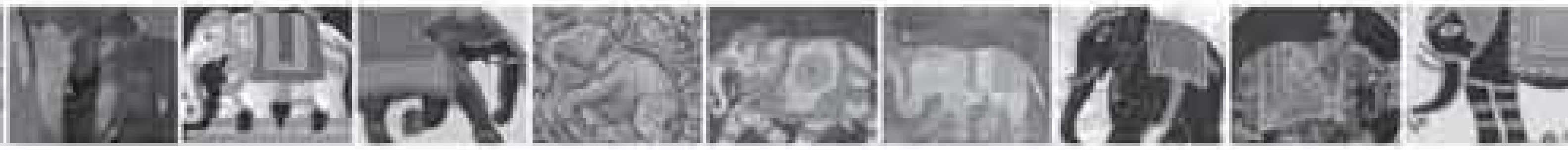

समेकित लेखे

CONSOLIDATED ACCOUNTS

प्रति

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का
निदेशक मंडल

आईडीबीआई बैंक लि., इसकी सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यम के समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में प्रस्तुत जानकारी

1. हमने **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** (बैंक) और इसकी सहायक संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यम (जिन्हें सामूहिक रूप से 'समूह' के नाम से जाना जाता है) के 31 मार्च 2011 के संलग्न समेकित तुलन-पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके साथ संलग्न समेकित लाभ-हानि लेखों तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है. इन वित्तीय विवरणों के लिए बैंक का प्रबंधन उत्तरदायी है और इन्हें प्रबंधन द्वारा अलग-अलग वित्तीय विवरणों तथा घटकों से संबंधित अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है. हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है.

2. हमने यह लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतया मान्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है. इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखा परीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सभी महत्वपूर्ण मामलों में अभिनिर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार किये गये हैं और इनमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी भ्रामक नहीं है. लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल है. लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त लेखाकंन सिद्धान्तों एवं प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के अलावा समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए एक तर्कसंगत आधार पदान करती है.

3. हमने बैंक की सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की है जो यथा 31 मार्च 2011 को ₹ 349,35,18 हजार की कुल परिसंपत्तियां, तत्समय समाप्त वर्ष के लिए ₹ 201,40,67 हजार के कुल राजस्व और

TO

THE BOARD OF DIRECTORS OF
IDBI BANK LIMITED

ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF IDBI BANK LTD, ITS SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURE

1. We have examined the attached Consolidated Balance Sheet of **IDBI Bank Limited** (the Bank) and its Subsidiaries and Joint Venture (Collectively known as 'the Group') as at March 31, 2011, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow statement for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information regarding components. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with generally accepted auditing standards in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are prepared, in all material respects in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material misstatement. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. We did not audit the financial statements and other financial information of wholly owned Subsidiaries of the Bank which reflect total assets of ₹ 349,35,18 thousands as at March 31, 2011, total revenues of ₹ 201,40,67 thousands and cash flow of ₹ (4,68,55)

(₹ 4,68,55) हजार के नकदी प्रवाह दर्शाते हैं, जैसे समेकित वित्तीय विवरणों में इन्हें हिसाब में लिया गया है. इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है और उनकी रिपोर्टें हमें प्रस्तुत की गई हैं और हमारी राय में सहायक कंपनियों के संबंध में शामिल की गई राशियों का जहाँ तक संबंध है ये पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं.

4. हमने बैंक की दुबई शाखा के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है जो यथा 31 मार्च 2011 को ₹ 4081,57,39 हजार की कुल परिसंपत्तियां, तत्समय समाप्त वर्ष के लिए ₹ 56,19,48 हजार के कुल राजस्व और ₹ 759,38,70 हजार के नकदी प्रवाह दर्शाते हैं. इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा उक्त शाखा के निगमन के देश में लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् योग्यता प्राप्त अन्य लेखा परीक्षक द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमने बैंक के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय बनाने के लिए उनका आधार लिया है.

5. अपनी राय को विशेषित किए बिना हम अनुसूची 18 की टिप्पणी सं. 10 और 11 की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, जो बैंक के एक संयुक्त उपक्रम और संपूर्ण स्वामित्ववाली दो सहायक संस्थाओं के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के संबंध में है, जो यथा 31 मार्च 2011 को ₹ 407,45,96 हजार की कुल परिसंपत्तियां, बैंक की ₹ 83,11,75 हजार की कुल परिसंपत्तियां, बैंक की ₹ 83,11,75 हजार के हानि अंश और उक्त अवधि को समाप्त वर्ष के लिए ₹ (15,39,22) हजार का नकदी प्रवाह दर्शाता है.

6. हम रिपोर्ट करते हैं कि बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 21 (समेकित वित्तीय विवरण) तथा लेखांकन मानक 27 (संयुक्त उद्यमों में हितों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग) की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किये गये हैं.

7. हमारी लेखा परीक्षा और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों और पैरा (3), (4) एवं (5) में किए गए संदर्भ अनुसार सहायक संस्थाओं और शाखा लेखा परीक्षकों के वित्तीय विवरणों तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिए गए

thousands for the year then ended as considered in the consolidated financial statements. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion, in so far as it relates to the amounts included in respect of the Subsidiaries are based solely on the report of the other auditors.

4. We did not audit the financial statements, of the Dubai branch of the bank, whose financial statements reflect total assets of ₹ 4081,57,39 thousands as at March 31, 2011 and total revenues of ₹ 56,19,48 thousands and cash flow of ₹ 759,38,70 thousands for the year then ended. These financial statements have been audited by another auditor, duly qualified to act as auditor in the country of incorporation of the said branch, whose report has been furnished to us and which was relied upon by us for our opinion on the financial statements of the Bank.

5. Without qualifying our opinion we draw attention to note No. 10 and 11 of Schedule 18 regarding incorporation of unaudited financial statements of a joint venture and two wholly owned subsidiaries of the bank which reflect total assets of ₹ 407,45,96 thousands as at March 31, 2011, the Bank's share of Loss of ₹ 83,11,75 thousands and cash flow of Rs. (15,39,22) thousands for the year then ended.

6. We report that the consolidated financial statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirements of Accounting Standard-21 (Consolidated Financial Statements) and Accounting Standard-27 (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures) issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

7. Based on our audit and on consideration of reports of other auditors on separate financial statements and the other financial information of the Subsidiaries and branch auditors referred to in para (3), (4) and (5) above, and to the best of our information and

स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमारी यह राय है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप निम्नलिखित की सच्ची एवं सही स्थिति दर्शाते हैं :

(क) समेककित तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च 2011 को समूह के कामकाज की समेकित स्थिति;

(ख) समेकित लाभ-हानि लेखे के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह का समेकित लाभ; और

(ग) समेकित नगदी प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के समूह का नकदी प्रवाह.

according to the explanations given to us, we are of the opinion that the attached consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with generally accepted accounting principles in India:

a) In the case of the Consolidated Balance Sheet, of the Consolidated state of affairs of the Group as at March 31, 2011;

b) In the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the consolidated Profit of the Group for the year ended on that date; and

c) In the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

कृते **एस.पी. चोपड़ा एंड कं.**
सनदी लेखाकार

पवन के. गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या : 92529
फर्म पंजीयन संख्या: 000346N
स्थान : मुंबई
तारीख : 19 अप्रैल 2011

कृते **चोकशी एंड चोकशी**
सनदी लेखाकार

निलेश आर. जोशी
साझेदार
सदस्यता संख्या : 114749
फर्म पंजीयन संख्या: 101872W

For **S.P. Chopra & Co.**
Chartered Accountants

Pawan K.Gupta
Partner
Membership No. 92529
Firm Regn. No.000346N
Place : Mumbai
Date : April 19,2011

For **Chokshi & Chokshi**
Chartered Accountants

Nilesh R. Joshi
Partner
Membership No. 114749
Firm Regn. No.101872W

31 मार्च को समेकित तुलन पत्र / Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2011

(₹ हजार / ₹ in '000s)

	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
पूंजी एवं देयताएं CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	984 56 81	724 86 19
रिज़र्व और अधिशेष/ Reserves and Surplus	2	13584 40 93	9566 18 81
कर्मचारी स्टॉक विकल्प (मंजूरियां) बकाया Employees' Stock Options (Grants) Outstanding		98 58	1 58 25
जमाराशियां / Deposits	3	180444 31 82	167587 44 84
उधार राशियां / Borrowings	4	51569 65 25	49987 71 42
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	6973 66 92	8234 38 01
कुल / TOTAL		253557 60 31	236102 17 52
परिसम्पत्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	19563 75 69	13919 35 99
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	1353 22 02	834 45 71
निवेश / Investments	8	68033 90 20	73106 51 63
अग्रिम / Advances	9	157098 06 64	140508 93 67
अचल परिसम्पत्तियां / Fixed Assets	10	3059 84 90	3021 11 92
अन्य परिसम्पत्तियां / Other Assets	11	4448 80 86	4711 78 60
कुल / TOTAL		253557 60 31	236102 17 52
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	12	134242 69 36	124983 37 58
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		4032 76 81	3209 63 64
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां जो लेखों के अभिन्न भाग के रूप में हैं. Significant Accounting Policies and Notes to Accounts form an integral part of the accounts	17 & 18		

बोर्ड के आदेशानुसार
BY ORDER OF THE BOARD

सुभाष तुली (Subhash Tuli) निदेशक Director	के. नरसिम्ह मूर्ति (K.Narasimha Murthy) निदेशक Director	बी. पी. सिंह (B.P. Singh) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director	(आर. एम. मल्ला) (R.M. Malla) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director

आज की तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

कृते एस. पी. चोपड़ा एंड कं. For S. P. Chopra & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते चोकशी एंड चोकशी For Chokshi & Chokshi सनदी लेखाकार Chartered Accountants	
(पवन के. गुप्ता) (Pawan K. Gupta) साझेदार Partner सदस्यता सं. 92529 Membership No.92529	(निलेश आर. जोशी) (Nilesh R Joshi) साझेदार Partner सदस्यता सं. 114749 Membership No. 114749	(पी. सीताराम) (P. Sitaram) मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer
Firm Regn. No.000346N	फर्म रजि. सं. Firm Regn. No. 101872W	

मुंबई, 19 अप्रैल 2011
Mumbai, April 19, 2011

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ-हानि लेखा
Consolidated Profit And Loss Account for the year ended March 31, 2011

(₹ हजार / ₹ in '000s)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010
I	**आय / INCOME**			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	18616 52 13	15531 20 35
	अन्य आय / Other income	14	2221 66 83	2285 79 56
	कुल / TOTAL		20838 18 96	17816 99 91
II	**व्यय / EXPENDITURE**			
	ब्याज खर्च / Interest expended	15	14270 23 21	13145 23 43
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	2491 87 18	1934 24 08
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies		2512 57 59	1716 99 86
	कुल / TOTAL		19274 67 98	16796 47 37
III	**लाभ (हानि) / PROFIT / (LOSS)**			
	वर्ष का निवल लाभ (हानि) / Net profit / (loss) for the year		1563 50 98	1020 52 54
	Profit / (loss) brought forward		243 76 31	(118 07 68)
	कुल / TOTAL		1807 27 29	902 44 86
IV	**विनियोग/ APPROPRIATIONS**			
	सांविधिक रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		413 00 00	258 00 00
	पूंजीगत रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		1 55 00	0
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve		601 50 00	108 34 63
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अन्तर्गत विशेष रिज़र्व में अंतरण Transfer to Special Reserve under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		100 00 00	37 73 02
	प्रस्तावित लाभांश / Proposed dividend		344 59 88	217 45 86
	प्रस्तावित लाभांश पर कर / Tax on proposed dividend		55 90 76	37 15 04
	तुलन पत्र में ले जाई गई शेष राशि / Balance carried over to balance sheet		290 71 65	243 76 31
	कुल / TOTAL		1807 27 29	902 44 86

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ-हानि लेखा
Consolidated Profit And Loss Account for the year ended March 31, 2011

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010
प्रति शेयर आय (₹)(अनुसूची 19 टिप्पणी 7 देखें) Earnings per share (₹) (Refer Schedule 18 Note 7)			
- मूल / Basic		17.40	14.08
- न्यूनीकृत /Diluted		17.40	14.08
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां जो लेखों के अभिन्न भाग के रूप में हैं. Significant Accounting Policies and Notes forming an integral part of the Profit and Loss Account	17 & 18		

बोर्ड के आदेशनुसार
BY ORDER OF THE BOARD

सुभाष तुली
(Subhash Tuli)
निदेशक
Director

के. नरसिम्ह मूर्ति
(K.Narasimha Murthy)
निदेशक
Director

बी. पी. सिंह
(B.P. Singh)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(आर. एम. मल्ला)
(R.M. Malla)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

आज की तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

कृते एस. पी. चोपड़ा एंड कं.
For S. P. Chopra & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(पवन के. गुप्ता)
(Pawan K. Gupta)
साझेदार
Partner
सदस्यता सं. 92529
Membership No.92529
फर्म रजि. सं.
Firm Regn.No.000346N
मुंबई, 19 अप्रैल 2011
Mumbai, April 19, 2011

कृते चोकशी एंड चोकशी
For Chokshi & Chokshi
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(निलेश आर. जोशी)
(Nilesh R Joshi)
साझेदार
Partner
सदस्यता सं. 114749
Membership No.114749
फर्म रजि. सं.
Firm Regn.No.101872W

(पी. सीताराम)
(P. Sitaram)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 1 - पूंजी SCHEDULE 1 - CAPITAL	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
प्राधिकृत पूंजी **Authorised Capital**		
10 रुपये प्रत्येक के 200 00 00 000 (125 00 00 000) इक्विटी शेयर 200 00 00 000 (125 00 00 000) Equity Shares of Rs.10 each	2000 00 00	1250 00 00
	2000 00 00	1250 00 00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी **Issued, Subscribed and Paid-up Capital**		
10 रुपये प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 98 45 68 099 (72 48 61 921) इक्विटी शेयर 98 45 68 099(72 48 61 921) Equity Shares of Rs.10/- each - fully paid up (अनुसूची 18 टिप्पणी 13 देखें) (Refer Schedule 18 Note 13)	984 56 81	724 86 19
कुल / TOTAL	984 56 81	724 86 19

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
I. सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1128 08 20	870 08 20
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	413 00 00	258 00 00
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	1541 08 20	1128 08 20
II. रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45 आईसी के अन्तर्गत अनुरक्षित सांविधिक रिज़र्व **Statutory Reserve Maintained Under Section 45 IC of RBI Act**		
प्रारंभिक शेष / Opening balance	18 61	18 61
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	0	0
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	18 61	18 61
III. पूंजीगत रिज़र्व / Capital Reserve		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	360 71 78	360 71 78
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	1 55 00	0
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	362 26 78	360 71 78
IV. पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve		
प्रारंभिक शेष (अनुसूची 18 टिप्पणी 1 देखें) Opening Balance (Refer Schedule 18 Note 1)	1937 71 93	1979 56 30
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	0	0
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	41 94 76	41 84 37
	1895 77 17	1937 71 93

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
V शेयर प्रीमियम / Share Premium		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1761 21 14	1760 45 38
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	2861 42 18	75 76
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	4622 63 32	1761 21 14
VI राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserves		
क/a **सामान्य रिज़र्व / General Reserve**		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	3641 06 70	3528 48 69
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	613 68 01	112 58 01
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	4254 74 71	3641 06 70
ख/b **स्टाफ कल्याण निधि/ Staff Welfare Fund**		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	29 01 11	29 09 11
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	0	0
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	8 00
	29 01 11	29 01 11
ग/c **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अन्तर्गत विशेष रिज़र्व** **Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	6 35 04	6 35 04
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	0	0
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	6 35 04	6 35 04
घ/d **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अन्तर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व** **Special Reserve created & maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	458 08 00	420 35 00
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	107 92 00	37 73 00
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	0
	566 00 00	458 08 00
VII लाभ हानि लेखे में शेष राशि / Balance in Profit and Loss Account		
वर्ष के लाभ हानि लेखे के अनुसार / As per Profit and loss Account for the year	290 71 65	243 76 31
विलय के निमित्त परिवर्धन / Addition on account of merger *	14 88 31	
लाभांश कर (2009-10) के निमित्त परिवर्धन / Addition on account of Dividend Tax (2009-10)	76 03	0
	306 35 99	243 76 31
कुल (I से VII) / TOTAL (I TO VII)	13584 40 93	9566 18 81

* इसमें आईडीबीआई होम फाइनेंस लि. और आईडीबीआई गिल्टस लि. के विलय-पूर्व अर्थात 01-04-2010 से 31-12-2010 अवधि के लाभ शामिल हैं.
Represents pre-merger profit of IDBI Home Finance Ltd. and IDBI Gilts Ltd. i.e. from 01-04-2010 to 31-12-2010

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 3 - जमाराशियां SCHEDULE 3 - DEPOSITS	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
क A		
I मांग जमा राशियां Demand Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	1597 30 29	569 48 71
(ii) अन्य से / From others	22136 19 71	15058 72 39
	23733 50 00	15628 21 10
II बचत बैंक जमाराशियां / Saving Bank Deposits	13935 79 82	8787 31 10
III सावधि जमाराशियां / Term Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	11525 59 50	9890 20 66
(ii) अन्य से / From others	131249 42 50	133281 71 98
	142775 02 00	143171 92 64
कुल / TOTAL	180444 31 82	167587 44 84
ख B		
(i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches in India	180041 26 90	167568 49 56
(ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India	403 04 92	18 95 28
कुल / TOTAL	180444 31 82	167587 44 84

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 4 - उधार राशियां SCHEDULE 4 - BORROWINGS	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
I भारत में उधार राशियां / Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	0	0
(ii) अन्य बैंक / Other banks	671 30 00	4242 51 09
(iii) अन्य संस्थाएं और एजेंसियां / Other institutions and agencies		
क भारत सरकार से उधार (a) Government of India borrowings	0	33 33
ख भारत सरकार को जारी टीयर - I बांड (b) Tier I bonds issued to Government of India	2130 50 00	2130 50 00
घ टीयर - I (आईपीडीआई) (c) Tier I (IPDI)	1708 80 00	1463 70 00
घ अपर टीयर - II बांड (d) Upper Tier II Bonds	4286 20 00	3286 20 00
(iv) अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टीयर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	6836 68 03	5948 59 00
(v) भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड/ Bonds guaranteed by Government of India	1176 50 00	2242 90 00
(vi) अन्य / Others	26126 30 45	26914 64 00
II भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India	8633 36 77	3758 34 00
कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	51569 65 25	49987 71 42

ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां - ₹ 9998 59 41 हजार (₹ 7693 33 17 हजार)

Secured borrowings included in I and II above- ₹ 9998 59 41 Thousand (₹ 7693 33 17 Thousand)

समेकित लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी) /Schedules forming part of consolidated accounts (Contd.)

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान **SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
I. देय बिल / Bills payable	1002 07 07	1901 28 11
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter- office adjustments(net)	15 57 96	51 58 85
III. उपचित ब्याज / Interest accrued	2104 59 75	1970 15 53
IV. **अन्य / Others**		
(क) प्राप्त अग्रिम भुगतान (a) Advance payments received	630 81 31	1500 74 70
(ख) विविध लेनदार (b) Sundry Creditors	410 43 51	425 29 40
(ग) विविध जमाराशियां (c) Sundry Deposits	26 37 22	27 25 18
(घ) विविध (d) Miscellaneous	582 05 41	532 30 52
V. **अन्य प्रावधान / Other Provisions**		
(क) मानक परिसंपत्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान (a) Prudential provisions against standard assets	660 36 25	540 94 70
(ख) इक्विटी शेयरों पर देय लाभांश (b) Dividend and dividend tax payable	400 50 64	254 60 90
(ग) देय सेवा कर / टीडीएस /अन्य कर (c) Service tax/TDS/Other taxes payable	31 93 02	59 14 00
(घ) अन्य प्रावधान (d) Other Provisions	1108 94 78	971 06 12
कुल / TOTAL	6973 66 92	8234 38 01

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष **SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	1239 39 06	659 89 03
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India		
(i) चालू खातों में / in Current Accounts	18324 36 63	13259 46 96
(ii) अन्य खातों में / in Other Accounts	0	0
कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	19563 75 69	13919 35 99

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICES	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
I भारत में / In India		
(i) बैंकों के पास शेष / Balances with banks		
(क) चालू खातों में *		
(a) in Current Accounts*	351 06 25	320 03 42
(ख) अन्य जमा खातों में		
(b) in Other Deposit Accounts	163 38 80	140 68 05
(ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at call and short notice		
(क) बैंकों के पास		
(a) with banks	0	224 50 00
(ख) अन्य संस्थाओं के पास		
(b) with other institutions	0	99 93 84
कुल I / Total I	514 45 05	785 15 31
II भारत से बाहर / Outside India		
(i) चालू खातों में / in Current Accounts	19 99 52	49 30 40
(ii) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	753 65 55	0
(iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice	65 11 90	0
कुल II / Total II	838 76 97	49 30 40
कुल योग (I और II) GRAND TOTAL (I and II)	1353 22 02	834 45 71

इसमें गैर-संपर्ककर्ता बैंकों के माध्यम से शाखाओं द्वारा विप्रेषित ₹ 31 16 91 हजार (₹ 16 58 24 हजार) शामिल हैं.

* includes ₹ 31 16 91 Thousand (₹ 16 58 24 Thousand) remitted by branches through non correspondent banks.

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 8 - निवेश SCHEDULE 8 - INVESTMENTS	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
I भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government securities	54053 24 39	60903 50 19
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	2 79 90	4 38 66
(iii) शेयर / Shares	3277 37 76	2698 30 52
(iv) डिबेंचर और बांड / Debentures and Bonds	2316 70 49	2141 43 67
(v) सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and / or joint ventures	39 08 05	39 08 05
(vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट आदि) Others (CP's, units in MF's etc.)	8344 65 08	7319 76 01
कुल I / Total I	68033 85 67	73106 47 10

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 8 - निवेश SCHEDULE 8 - INVESTMENTS (Contd.)	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
II भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government securities (including local authorities)	0	0
(ii) सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and / or joint ventures	0	0
(iii) अन्य निवेश (शेयर) Other investments (shares)	4 53	4 53
कुल II / TOTAL II	4 53	4 53
कुल योग (I और II) / GRAND TOTAL (I and II)	68033 90 20	73106 51 63
III. भारत में निवेश / Investments in India		
निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	69090 64 21	73674 01 50
घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision for depreciation	1056 78 54	567 54 40
निवल निवेश / Net investments	68033 85 67	73106 47 10
IV. भारत से बाहर / Investments outside India		
निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	4 53	4 53
घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision for depreciation	0	0
निवल निवेश / Net investments	4 53	4 53

समेकित लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी) /Schedules forming part of consolidated accounts (Contd.)

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 9 - अग्रिम SCHEDULE 9 - ADVANCES	यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
क A		
(i) खरीदे और भुनाए / पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted / rediscounted	2659 16 39	3074 44 94
(ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	33098 49 98	20249 59 12
(iii) मीयादी ऋण / Term Loans*	121340 40 27	117184 89 61
कुल / TOTAL	157098 06 64	140508 93 67
ख B		
(i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत** / Secured by tangible assets**	145612 29 27	122251 10 32
(ii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित ** / Covered by Bank / Government guarantees***	369 12 97	917 27 10
(iii) अप्रतिभूत / Unsecured	11116 64 40	17340 56 25
कुल / TOTAL	157098 06 64	140508 93 67
ग C		
I भारत में अग्रिम / Advances in India		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority Sector	42205 70 83	31004 94 05
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector	15949 42 44	7315 47 21
(iii) बैंक / Banks	368 97 97	57 55 94
(iv) अन्य / Others	96733 54 15	101847 19 07
कुल / TOTAL	155257 65 39	140225 16 27
II भारत से बाहर अग्रिम / Advances outside India		
(i) बैंकों से प्राप्य / Due from banks	0	0
(ii) अन्य से प्राप्य / Due from others	0	0
(क) खरीदे तथा भुनाए / पुनर्भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	61 55 21	23 24 11
(ख) समूहित ऋण (b) Syndicated loans	0	0
(ग) अन्य (c) Others	1778 86 04	260 53 29
कुल / TOTAL	1840 41 25	283 77 40
कुल योग (ग I और ग II) / GRAND TOTAL (C I and C II)	157098 06 64	140508 93 67

अन्य

* अंतर बैंक सभागिता प्रमाण पत्र शामिल हैं.
includes Inter Bank Participatory Certificate

** बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं.
includes advances secured against book debts.

*** अन्य बैंकों द्वारा जारी साखपत्रों पर अग्रिम शामिल हैं.
includes advances secured against letters of credit issued by other banks.

समेकित लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी) /Schedules forming part of consolidated accounts (Contd.)

(₹ हजार / ₹ in '000s)

		यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
	अनुसूची 10 - अचल परिसंपत्तियां **SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS**		
I	**परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी 1 देखें) / Premises (Refer Schedule 18 note 1)**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	2598 54 95	2598 27 20
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	142 14 69	27 75
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year*	1 00 00	0
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	203 61 69	152 50 86
	कुल / TOTAL	2536 07 95	2446 04 09
II	**अन्य अचल परिसंपत्तियां (फर्नीचर व फिक्सर सहित)** **Other fixed assets (including Furniture & Fixtures)**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	896 91 25	692 44 22
	विलय के निमित्त परिवर्धन Addition on account of merger	12 75 17	0
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	173 29 64	231 51 27
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	26 29 26	13 87 19
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	601 18 60	497 45 61
	कुल / TOTAL	455 48 20	412 62 69
III	**पट्टे पर दी गई आस्तियां / Assets given on Lease**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	643 55 77	645 76 28
	वर्ष कै दौरान कटौतियां / Deductions during the year	0	2 20 51
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	641 79 25	641 79 25
	गैर निष्पादक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान / Provisions for Non-Performing assets	1 76 52	1 76 52
	कुल / TOTAL	0	0
IV	**चालू पूंजीगत कार्य / Capital work-in-progess**	68 28 75	162 45 14
	कुल / TOTAL (I+II+III+IV)	3059 84 90	3021 11 92

* परिसर का बिक्री पर ₹ 1053 हजार के पुनर्मुल्यांकन रिज़र्व शामिल हैं

Includes Revaluation Reserve of ₹ 1053 Thousands on sale of Premises

समेकित लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी) /Schedules forming part of consolidated accounts (Contd.)

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 11 - अन्य परिसंपत्तियां SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
I	अंतर-कार्यालय समायोजन / Inter-office adjustment (net)	0	0
II	उपचित ब्याज / Interest accrued	1699 87 04	1547 56 28
III	अग्रिम कर भुगतान / स्रोत पर कर कटौती (निवल) Tax paid in advance / tax deducted at source (net)	1591 77 84	1597 30 90
IV	लेखन सामग्री और स्टॉम्प / Stationery and Stamps	13 27	90 00
V	दावों की तुष्टि में प्राप्त गैर - बैंकिंग परिसंपत्तियां Non Banking Assets acquired in satisfcation of claims	0	0
VI	दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को अंतरित मामलों के संबंध में व्यय/संवितरण Expenses / Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilisation fund (SASF)	2 58 45	14 31
VII	**अन्य / Others**		
	(क) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) (a) Deferred Tax Asset (Net)	441 42 14	340 20 58
	(ख) आबंटन के लिए लंबित शेयर / बांड (b) Shares/ Bonds Pending allotment	25 00	212 48 73
	(ग) विविध जमाराशियां व अग्रिम (c) Sundry deposit and advances	91 66 03	101 17 60
	(घ) प्राप्य दावे (d) Claims receivable	364 17 61	624 08 78
	(ङ) विविध (e) Miscellaneous	256 93 48	287 91 42
	कुल / TOTAL	4448 80 86	4711 78 60

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		यथा 31 मार्च 2011 As at 31-03-2011	यथा 31 मार्च 2010 As at 31-03-2010
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims against the Bank not acknowledged as debts	375 86 08	688 71 19
II	अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	0	29 16
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	32057 70 75	32392 26 52
IV	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) भारत में (a) in India	46120 82 23	35940 65 51
	(ख) भारत से बाहर (b) outside India	2535 89 66	2001 48 46
V	स्वीकृतियां, परांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	25963 16 60	23485 95 29
VI	मुद्रा स्वैप / Currency Swaps	6034 10 97	3240 07 87
VII	ऑप्शन / Options	1530 54 65	2352 38 49
VIII	ब्याज दर स्वैप / Interest Rate Swaps	18501 11 10	23538 47 00
IX	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के निमित्त On account of disputed Income tax, Interest Tax, penalty and interest demands	1123 09 50	1306 37 79
X	अन्य / Others	37 82	36 70 30
	कुल / TOTAL (I to X)	134242 69 36	124983 37 58

समेकित लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी) /Schedules forming part of consolidated accounts (Contd.)

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010
I	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा / Interest / discount on advances / bills	13750 39 40	10996 05 94
II	निवेशों से आय / Income on investments	4826 18 09	4248 17 47
III	रिज़र्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	17 66 17	22 75 22
IV	अन्य / Others	22 28 47	264 21 72
	कुल / TOTAL	18616 52 13	15531 20 35

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 14 - अन्य आय SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	1489 69 04	1258 62 88
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on sale of investments (net)	150 45 87	729 09 75
III	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on revaluation of investments (net)	(19 91 58)	(51 00 44)
IV	भूमि, भवन तथा अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	(2 69 44)	(1 51 42)
V	विनिमय लेन-देनों / व्युत्पन्नों पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on exchange transactions / Derivatives (net)	193 89 65	98 60 17
VI	भारत में स्थित सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend income from subsidiary companies and / or joint ventures in India	20 62 21	0
VII	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली / Recovery from written off cases	144 17 70	121 11 39
VIII	विविध आय / Miscellaneous Income	245 43 38	130 87 23
	कुल / TOTAL	2221 66 83	2285 79 56

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010
I	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	9987 16 93	9177 11 19
II	रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज Interest on RBI/ inter-bank borrowings	978 23 90	577 13 39
III	अन्य / Others	3304 82 38	3390 98 85
	कुल / TOTAL	14270 23 21	13145 23 43

(₹ हजार / ₹ in '000s)

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1083 97 68	803 11 93
II	किराया, कर और बिजली / Rent, taxes and lighting	211 90 73	184 98 46
III	मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	37 45 52	30 35 26
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	52 24 45	40 24 94
V	बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यह्रास / Depreciation on property *	130 50 44	94 95 57
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Director's fees, allowances and expenses	41 77	82 62
VII	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय / Auditors' fees and expenses	1 93 96	1 57 49
VIII	विधि प्रभार / Law Charges	7 27 80	4 64 71
IX	डाक खर्च, तार, टेलीफोन, आदि / Postage, Telegram, Telephone, etc.	53 57 62	67 76 11
X	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	96 33 29	86 30 14
XI	बीमा / Insurance	151 70 20	114 42 61
XII	बैंकिंग व्यय / Banking expenses	56 95 32	46 76 10
XIII	कार्ड और एटीएम व्यय / Card & ATM expenses	99 08 01	68 08 94
XIV	परामर्श व्यय / Consultancy expenses	9 84 03	17 18 77
XV	बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय Expenses for recovery of write off cases	3 88 52	4 01 69
XVI	अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यय / International banking expenses	9 51	1 26 00
XVII	आउटसोर्सिंग व्यय / Outsourcing expenses	268 36 63	153 15 04
XVIII	आईटी व्यय / IT expenses	26 78 97	8 48 69
XIX	स्टाफ प्रशिक्षण और अन्य व्यय / Staff training & other expenses	22 85 12	18 86 44
XX	यात्रा और वाहन प्रभार / Travelling and conveyance charges	26 91 36	21 34 28
XXI	ट्रेज़री व्यय / Treasury expenses	5 55 81	4 39 90
XXII	उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय / Fee and other expenses for borrowing	28 59 56	73 96 77
XXIII	अन्य व्यय / Other expenditure	115 60 88	87 51 62
	कुल / TOTAL	2491 87 18	1934 24 08

* ₹ 41 84 23 हजार (₹ 41 84 37 हजार) के पुनर्मूल्यन रिज़र्व को घटाकर

* Net of revluation reserve of ₹ 41 84 23 thousand (₹ 41 84 37 thousand)

अनुसूची - 17 महत्वपूर्ण समेकित लेखा नीतियां

Schedule 17: CONSOLIDATED PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES

1. तैयार करने का आधार:

Basis of Preparation:

संलग्न वित्तीय विवरण परंपरागत आधार पर तैयार किए गए हैं और ये सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के मामले में भारत में सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), संबधित क्षेत्र में प्रचलित लेखांकन मानक (एएस) और पद्धतियां शामिल हैं.

The accompanying financial statements have been prepared on historical basis and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), Accounting Standards (AS) and prevailing practices in the respective industry.

2. अनुमानों का उपयोग

Use of Estimates:

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान एवं धारणाएं बनाये जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई परिसंपत्तियों, देयताओं, व्ययों, आय की राशि और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान एवं धारणाएं तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं. तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं, लेखा अनुमानों में किसी भी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3. समेकन तैयार करना:

Preparation of Consolidation:

समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन मानक (एएस) 21 'समेकित वित्तीय विवरण' और एएस 27 'संयुक्त उद्यमों में हित के बारे मे वित्तीय रिपोर्टिंग' में परिभाषित किये अनुसार आईडीबीआई बैंक लि (मूल कंपनी - 'बैंक') और इसकी सभी सहायक संस्थाओं / संयुक्त उद्यम के लेखे शामिल हैं. समेकन में प्रयुक्त सहायक संस्थाओं / संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किये गये हैं जिस तारीख तक अर्थात 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं.

The consolidated financial statements include the accounts of IDBI Bank Limited (parent company – "the Bank") and all its subsidiaries / Joint Venture as defined in Accounting Standard (AS)-21 'Consolidated Financial Statements' and AS-27 `Financial Reporting of Interests in Joint Ventures'. The financial statements of the subsidiaries/joint venture used in the consolidation are drawn upto the same reporting date as that of the Bank i.e. year ended March 31, 2011.

बैंक के वित्तीय विवरणों को निम्न के साथ मिलाया गया है: (क) इसकी सहायक संस्थाओं की परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर जोड़कर. (ख) इसके संयुक्त उद्यम की परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के आनुपातिक बही मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर समेकित कर समेकन पर अंतर समूह लेन-देन हटा दिए गये हैं.

The financial statements of the Bank have been combined with: (a) its subsidiaries on a line by line basis by adding the book values of like items of assets, liabilities, income & expenses, (b) its joint venture on a line by line basis by consolidating the proportionate book values of like items of assets, liabilities, income & expenses. Intra Group transactions have been eliminated on consolidation.

समेकित लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी) /Schedules forming part of consolidated accounts (Contd.)

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई संस्थाएं निम्नलिखित हैं:

The entities considered in the consolidated financial statements are:

म.सं. Sr.No	कंपनी का नाम Name of the company	निगमन देश Country of Incorporation	निम्न तारीख को स्वामित्व हित का प्रतिशत % of ownership interest as at	
			31 मार्च 2011 March 31, 2011	31 मार्च 2010 March 31, 2010
क) A)	**सहायक वित्तीय संस्थाएं:** **Financial Subsidiaries:**			
	1) आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेस लिमिटेड IDBI Capital Market Services Limited.	भारत India	100	100
	2) आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड IDBI Asset Management Company Limited.	भारत India	100	100
	3) आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड IDBI MF Trustee Company Limited.	भारत India	100	100
	4) आईडीबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड IDBI Home Finance Ltd (see note below)	भारत India	-	100
	5) आईडीबीआई गिल्ट्स लिमिटेड (नीचे दी हुई टिप्पणी देखें) IDBI Gilts Ltd (see note below)	भारत India	-	100
ख) B)	**गैर-वित्तीय सहायक संस्था** **Non Financial Subsidiary:**			
	1) आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड IDBI Intech Limited	भारत India	100	100
ग) C)	**जीवन बीमा संयुक्त उद्यम** **Life Insurance Joint Venture:**			
	1) आईडीबीआई फोर्टिस लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Company Limited	भारत India	48	48

यद्यपि कुछ संस्थाओं में बैंक के पास 20% से अधिक का मताधिकार है, तथापि इन्हें एएस 23 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन' के अंतर्गत सहयोगी संस्था में निवेश नहीं माना जाता है, इसका मुख्य कारण या तो उल्लेखनीय प्रभाव की कमी है अथवा ऐसे निवेशों को समेकन करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश नहीं माना जाता है.

Though the Bank holds more than 20% of voting power in certain entities, the same are not treated as investment in an Associate under AS-23 `Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements', mainly either due to lack of significant influence or such investments are not considered as material investments requiring consolidation.

टिप्पणी: उक्त दोनों कंपनियों का यथा 01.01.2011 को बैंक में विलय हो गया.

Note: Both these companies got merged with the bank w.e.f. 01.01.2011.

4. राजस्व निर्धारण

Revenue Recognition:

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि समूह को आर्थिक लाभ होगा तथा राजस्व की विश्वसनीय ढंग से गणना की जा सकती है.

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured.

बैंक / Bank:

(i) ब्याज आय तथा लीज किराये की गणना उपचय आधार पर की जाती है जबकि गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों के मामले में रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद गणना की जाती है.

Interest income and lease rentals are accrued except in the case of non performing assets where it is recognised upon realisation as per the prudential norms of RBI.

(ii) साख पत्र / गारंटी कमीशन की गणना उपचित आधार पर की जाती है तथा जिन मामलों में ₹ 1 लाख तक कमीशन है, उनमें अपफ्रंट और अन्य मामलों में यह साख पत्र / गारंटी की अवधि में उपचित आधार पर माना जाता है.

Commissions on LC/ guarantee are reckoned as accrued, upfront in cases where the commission does not exceed Rs.1 lakh and, in other cases, accrued over the period of LC/ Guarantees.

(iii) शुल्क आधारित आय को प्राप्ति की सुनिश्चितता के आधार पर उपचित किया जाता है और ग्राहक के साथ करार की शर्तों के अनुसार हासिल उपलब्धि पर आधारित होता है.

Fee based income are accrued on certainty of receipt and is based on milestones achieved as per terms of agreement with the client.

(iv) बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि के अनुसार माना जाता है.

Income on discounted instruments is recognised over the tenure of the instrument on a constant yield basis.

(v) लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश की गणना उपचय आधार पर की जाती है.

Dividend is accounted on an accrual basis when the right to receive the same is established.

सहायक वित्तीय संस्थाएं / Financial Subsidiaries:

(i) कूपन दर वाली ऋण प्रतिभूतियों की एकमुश्त आधार पर खरीद अथवा बिक्री पर प्रदत्त अथवा प्राप्त कुल प्रतिफल को मुख्य प्रतिफल और उपचित ब्याज के रूप में अलग से निर्धारित किया जाता है. ऐसी प्रतिभूतियों की खरीद पर निवल ब्याज के रूप में प्रदत्त राशि तथा बिक्री पर प्राप्त राशि की निवल आधार पर गणना की जाती है और उसे ब्याज के जरिए व्यय अथवा आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

Total consideration paid or received on purchase or sale, on outright basis, of coupon-bearing debt securities is identified separately as principal consideration and accrued interest. Amount paid as accrued interest on purchase, and received on sale, of such securities is netted and reckoned as expense or income by way of interest.

(ii) तुलन-पत्र की तारीख को धारित नियत कूपन दर वाली ऋण प्रतिभूतियों पर खंडित अवधि के लिए कूपन दर पर ब्याज उपचित होता है. परिवर्तनीय दरवाली प्रतिभूतियों पर ब्याज निर्गम की शर्तों के अनुसार निर्धारित दरों पर उपस्थित होता है.

Interest on fixed coupon debt securities, held as on the Balance Sheet date, is accrued for the broken period at the coupon rate. Interest on floating rate securities is accrued at rates determined as per the terms of the issue.

(iii) हामीदारी निर्गमों के संबंध में इक्विटी शेयरों के न्यागत होने को निवेश माना गया है. इन निर्गमों पर हामीदारी आय को लाभ एवं हानि लेखे में जमा कर निवेशों के मूल्य में से घटा दिया जाता है.

Devolvement of equity shares in respect of issues underwritten are treated as investments. Underwriting income on these issues are credited to the Profit and Loss Account and netted against the value of investments.

गैर-वित्तीय सहायक संस्थाएं / Non Financial Subsidiary:

सॉफ्टवेयर संविदाओं से प्राप्त राजस्व को कार्य की प्रगति के आधार पर हिसाब में लिया जाता है. उत्पादों की बिक्री को सहमत शर्तों के अनुसार माल के स्वामित्व के अंतरण पर हिसाब में लिया जाता है. बेचे गए उन सॉफ्टवेयरों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है जिनपर स्वामित्व अधिकार कंपनी के पास ही बना रहता है. वार्षिक तकनीकी सेवा राजस्व को प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान आनुपातिक रूप से हिसाब में लिया जाता है. राष्ट्रीय संविदा केंद्र से प्राप्त राजस्व को बिक्री की पुष्टि प्राप्त होने पर हिसाब में लिया जाता है. ज्ञान प्रबंध आय को ज्ञान प्रबंध कार्यक्रम के प्रारंभ होने पर अपफ्रंट आधार पर हिसाब में लिया जाता है. अन्य आय को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है.

Revenue from software contracts is recognised on achievement of milestone basis. Sale of products is recognised on transfer of property of goods as per agreed terms. The softwares sold, on which propriety rights continue with the company, are not valued. Annual Technical Services revenue is recognised proportionately over the period in which the services are rendered. Revenue from National Contact Centre is recognised upon receipt of confirmation of sales. Knowledge Management income is recognized upfront on commencement of Knowledge Management program. Other Income is accounted on Accrual basis.

जीवन बीमा संयुक्त उद्यम / Life Insurance Joint Venture:

(i) **प्रीमियम / Premium:**

प्रीमियम (सेवा कर घटाकर) को देय होने पर आय के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है. व्यपगत पॉलिसियों के प्रीमियम को इन पॉलिसियों के फिर से सक्रिय होने पर आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है. संराशीकृत प्रीमियम को संराशीकरण वर्ष में देय माना जाता है और उसे नवीकरण प्रीमियम माना जाता है.

Premium (net of service tax) is recognized as income when due. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Commuted premium is considered as due in the year of commutation and is considered as renewal premium.

टॉप अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम माना जाता है.

Top up premiums are considered as single premium.

संबद्ध कारोबार के लिए संबद्ध यूनिटों के सृजन पर प्रीमियम को आय माना जाता है.

For linked business, premium is recognized as income when the associated units are created.

(ii) **संबद्ध निधि से आय / Income from Linked fund:**

संबद्ध निधियों से आय, जिसमें निधि प्रबंध शुल्क, नीति प्रशासन शुल्क, बीमा की लागत आदि शामिल हैं, को बीमा पॉलिसी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूला जाता है और उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है.

Income from linked funds which includes fund management charges, policy administration charges, cost of insurance, etc. are recovered from the linked fund in accordance with terms and conditions of policy and are accounted on accrual basis.

5. **अग्रिम और प्रावधान / Advances and Provisions:**

बैंक / Bank:

(i) अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए किये गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है.

Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances.

(ii) जहाँ बही ऋणों सहित मूर्त प्रतिभूति पर अग्रिमों का न्यूनतम 10% भाग विनिर्दिष्ट / सृजित किया जाता है, वहाँ अग्रिमों को 'मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि को 'मूर्त परिसंपत्तियां' नहीं माना जाता है.

Advances are classified as `Secured by Tangible Assets' when security of at least 10% of the advance has been stipulated/created against tangible security including book debts. Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc are not considered as `Tangible Assets'.

6. निवेश / Investments:

बैंक / Bank:

वर्गीकरण / Classification:

रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

In terms of extant guidelines of the RBI, the entire investment portfolio is categorized as:

(i) परिपक्वता तक धारित / Held To Maturity,

(ii) बिक्री के लिए उपलब्ध तथा / Available For Sale and

(iii) क्रय-विक्रय के लिए धारित / Held For Trading.

प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत निवेश को निम्न रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है:

Investments under each category are further classified as:

(i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities

(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other Approved Securities

(iii) शेयर / Shares

(iv) डिबेंचर तथा बांड / Debentures and Bonds

(v) सहायक संस्थाएं / संयुक्त उद्यम / Subsidiaries/ Joint Ventures

(vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड युनिट, आदि) / Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units,etc.).

वर्गीकरण का आधार / Basis of Classification:

क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में वर्गीकृत किया है.

a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.

ख) खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर मुख्यतया पुनः बिक्री के लिये धारित निवेशों को 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है.

b) Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as 'Held For Trading'.

ग) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है.

c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available For Sale'.

घ) निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और उसके बाद उन्हें विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रेणियों में अंतरित किया जाता है.

d) An investment is classified as 'Held To Maturity', 'Available For Sale' or 'Held For Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with regulatory guidelines.

ङ) सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है.

e) Investments in subsidiaries and joint ventures are classified as 'Held To Maturity'.

च) अग्रिम स्वरूप के माने गए डिबेंचर / बांड / अधिमान शेयर अग्रिमों के लिए लागू परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने के सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन है

f) The debentures/ bonds/ preference shares deemed to be in the nature of advance, are subject to the usual prudential norms of asset classification and provisioning that are applicable to advances.

मूल्यांकनः / Valuation:

i) किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में :

i) In determining the acquisition cost of an investment:

क) सेंकडरी बाज़ार से खरीदे गये इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को राजस्व से प्रभारित किया जाता है.

a) Brokerage, commission, stamp duty and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to revenue.

ख) प्रतिभूतियों में अभिदान पर प्राप्त अप फ्रंट प्रोत्साहन राशि आय के रूप में ली जाती है.

b) Upfront incentives received on subscription to securities are recognized as income.

ग) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त / प्राप्त ब्याज को अर्जन लागत / बिक्री में शामिल नहीं किया जाता है और उसे ब्याज व्यय/आय के रूप में माना जाता है.

c) Broken period interest paid/ received is excluded from the acquisition cost/ sale and treated as interest expense/ income.

घ) लागत को भारित औसत लागत पद्धति के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

d) Cost is determined on the weighted average cost method.

ii) परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किये गये निवेशों को 'परिवक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है. ऐसे निवेशों को जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हो, अर्जन लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है. ऐसे मामले में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है. इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप की कमी के अलावा होने वाली अन्य कमी के संबंध में प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है. इस श्रेणी में निवेशों की बिक्री से हुए लाभ को पहले लाभ-हानि खाते में जमा किया जाता है और वर्ष के अंत में पूंजी रिज़र्व खाते में समायोजित किया जाता है. बिक्री पर हानि को लाभ-हानि लेखे में मान्यता दी जाती है.

Investments 'Held To Maturity' are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortised on straight line basis over the remaining period of maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries/ joint ventures under this category is provided for each investment individually. Profits on sale of investments in this category are first credited to Profit and Loss account and thereafter appropriated net of applicable taxes to the Capital Reserve Account at the year / period end. Loss on sale is recognized in the Profit and loss Account.

iii) क्रय-विक्रय के लिए धारित तथा बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणियों के अंतर्गत निवेशों को स्क्रिप-वार मार्कु-टू-मार्केट में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुई निवल कमी, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जबकि किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को छोड़ दिया जाता है.

Investments Held For Trading and Available For Sale are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognized in the Profit and Loss account, while the net appreciation, if any, is ignored.

क) ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाणपत्रें, जो बट्टाकृत लिखत होते हैं, मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है.

a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposits being discounted instruments are valued at carrying cost.

ख) क्रय-विक्रय/उद्धृत किये गये निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध क्रय-विक्रय / भाव-सूची से लिया जाता है. सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार मूल्यों अथवा भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) के साथ मिलकर भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा घोषित मूल्यों के आधार पर लिया जाता है.

b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges. Government Securities are valued at market prices or prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA)

ग) अनुद्धृत शेयरों/यूनिटों का मूल्य विश्लेषित मूल्य/पुनर्खरीद मूल्य अथवा यदि अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध हो, तो निवल परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर अथवा रिज़र्व बैंक के तत्संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार 1 रुपये प्रति कंपनी की दर से निकाला जाता है. नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्य सामान परिपक्वता अवधि वाली केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. इस प्रकार के सीमांकन व वाईटीएम दरों को एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों के आधार पर लागू किया जाता है.

c) The unquoted shares/ units are valued at break-up value/ repurchase price or at Net Asset Value if the latest balance sheet is available else at Rs 1 per company , as per relevant RBI guidelines. The unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by FIMMDA.

घ) निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ और हानि को लाभ - हानि लेखे (निवेशों की बिक्री) में जमा/नामे किया जाता है.

d) Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account (Sale of Investments).

ङ) निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शायी जाती है.

e) Investments are shown net of provisions.

च) निवेशों की राशि ऋण लेने के लिए दी गयी प्रतिभूतियों को घटाकर दर्शाई जाती है तथा इसमें क्रमशः रेपो / रिवर्स रेपो व्यवस्थाओं के अंतर्गत दिये गये उधारों के प्रति प्राप्त प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है.

f) Investments are shown net of securities given against borrowing and include securities received against lending under Repo/ Reverse Repo arrangements respectively.

अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायक संस्थाएं / Other Financial and non financial Subsidiaries:

निवेशों को दीर्घावधि निवेश और वर्तमान निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और शासी प्राधिकरण और इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी निवेशों के लेखांकन लिए लेखा मानक (एएस-13) के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है.

Investments are classified as Long Term Investment and Current Investments and are valued in accordance with Governing Authority and Accounting Standards on Accounting for Investments (AS-13), issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

जीवन बीमा संयुक्त उद्यम / Life Insurance Joint Venture:

बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000 और आईआरडीए द्वारा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी विभिन्न अन्य परिपत्रों / अधिसूचनाओं के अनुसार निवेश किए जाते हैं.

Investments are made in accordance with the Insurance Act, 1938, the IRDA (Investment) Regulations, 2000, and various other circulars/notifications issued by the IRDA in this context from time to time.

निवेशों को खरीद की तारीख को लागत पर दर्ज किया जाता है जिसमें उपचित ब्याज को छोड़ कर दलाली और कर, यदि कोई हों, शामिल किए जाते हैं.

Investments are recorded at cost on the date of purchase, which includes brokerage and taxes, if any, and excludes accrued interest.

वर्गीकरण / Classification:

तुलन पत्र की तारीख से बारह महीने के भीतर परिपक्व होने वाले निवेश और तुलन पत्र की तारीख से बारह महीनों में निपटाने के विशेष इरादे से किए गए निवेशों को अल्पकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

Investments maturing within twelve months from the balance sheet date and investments made with the specific intention to dispose them off within twelve months from the balance sheet date are classified as current investments.

अल्पकालिक निवेशों के अलावा अन्य निवेशों को दीर्घकालिक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

Investments other than short-term investments are classified as long-term investments.

मूल्यांकन - शेयरधारकों के निवेश और गैर-संबद्ध पॉलिसीधारकों के निवेश

Valuation – shareholders' investments and non-linked policyholders' investments

सभी ऋण प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है. तदनुसार परंपरागत लागत अंकित की जाती हैं जो सीधी रेखा के आधार पर परिपक्वता / धारिता अवधि के दौरान या राजस्व खाते या लाभ-हानि लेखे में प्रीमियम के परिशोधन अथवा छूट पर वृद्धि के अधीन है.

All debt securities are considered as 'held to maturity' and accordingly stated at historical cost, subject to amortization of premium or accretion of discount in the revenue account or the profit and loss account over the period of maturity/holding on a straight line basis.

तुलन पत्र की तारीख को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को उनके उचित मूल्य पर अंकित किया जाता है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ('एनएसई') पर अंतिम मूल्य (जो प्रतिभूतियां एनएसई में सूचीबद्ध नहीं हैं, उनके मामले में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ('बीएसई') पर अंतिम मूल्य) होते हैं. म्यूचुअल फंड यूनिटों को तुलन पत्र की तारीख को पिछले दिन के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है. सूचीबद्धता की प्रतीक्षा में इक्विटी शेयरों को परंपरागत मूल्य पर अंकित किया जाता है जो इस तरह के निवेश मूल्य के प्रत्येक निवेश के लिए अलग से निर्धारित किया गया है और जो मूल्य में कमी, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान के अधीन है.

Listed equity shares as at the balance sheet date are stated at fair value being the closing price on the National Stock Exchange ('NSE') (In case of securities not listed on NSE, the closing price on the Bombay Stock Exchange ('BSE') is used). Mutual fund units as at the balance sheet date are valued at the previous day's net asset values. Equity shares awaiting listing are stated at historical cost subject to provision for diminution, if any, in the value of such investment determined separately for each individual investment.

सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्युचुअल फंड यूनिट के न लिए गए लाभ / हानि के कारण हुए परिवर्तन को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लिया जाता है और तुलनपत्र में आगे ले जाया जाता है.

Unrealized gains/losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares and mutual fund units are taken to "Fair Value Change Account" and carried forward in the balance sheet.

7. **डेरिवेटिव लेन-देन / Derivative Transactions:**

बैंक / Bank:

(i) **'बचाव' (हेज) के रूप में नामित लेनदेनों में / In Transactions designated as `Hedge':**

क. डेरिवेटिव लेनदेनों पर भुगतानयोग्य / प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है.

a. Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.

ख. हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/हानि को स्वैप की शेष अनुबंधित अवधि या परिसंपत्ति/देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर तय किया जाता हे.

b. On premature termination of Hedge swaps, any profit/ losses are recognised over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.

ग. अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज लेनेदेनों को पुनः अभिनामित करने की गणना के लिए इसे एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है.

c. Redesignation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.

घ. हेज करारों को तब तक बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया जाता है जब तक कि उसके अंतर्निहित को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया जाता. बाजार के लिए चिह्नित हेज करारों के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ एवं हानि खाते में दर्ज किया जाता है.

d. Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognized in the profit and loss account.

(ii) 'क्रय-विक्रय' के रूप में नामित लेनदेनों में / In Transactions designated as 'Trading':

क्रय-विक्रय के लिए नामित बकाया डेरिवेटिव लेनदेनों में, जिनमें ब्याज दर स्वैप, परस्परमुद्रा स्वैप, परस्परमुद्रा विकल्प एवं वायदा दर करार शामिल हैं, की उनके अंकित मूल्य पर गणना की जाती है. इसके फलस्वरूप हुए लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में दिखाया जाता है. ऑप्शनों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्ज किया जाता है और इसे परिपक्वता / निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and forward rate agreements, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

8. अचल परिसंपत्तियां एवं मूल्यह्रास / Fixed Assets and depreciation:

बैंक/ Bank:

अचल परिसंपत्तियों को जहां कहीं पुनर्मूल्यांकित किया गया हो, के अलावा परंपरागत लागत (संस्थापन लागत सहित) पर लिया जाता है. पुनर्मूल्यांकन पर यदि कोई वृद्धि हुई हो तो उसे 'पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व' खाते में जमा किया जाता है. पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के संबंध में पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप हुए अतिरिक्त मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Fixed assets are carried at historical cost (inclusive of installation cost) except wherever revalued. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the `Revaluation Reserve' Account. In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation Reserve to the Profit and Loss account.

₹ 5000 से कम लागत की अचल परिसंपत्तियों पर उनके अर्जन के वर्ष में पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है.

Fixed assets individually costing less than Rs. 5000 are fully depreciated in the year of addition.

मूल्यह्रास का प्रावधान परिवर्धन की तारीख से सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) के आधार पर किया जाता है. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची में दी गयी मूल्यह्रास की दरों को न्यूनतम दरें माना जाता है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार किसी परिसंपत्ति को अर्जित करते समय उस अचल परिसंपत्ति के अनुमानित जीवन काल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल / बाकी उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की ऊंची दर लगायी जाती है. इस नीति के चलते मूल्यह्रास का प्रावधान निम्नलिखित दरों के अनुसार किया गया है :

Depreciation is provided on Straight Line Method (SLM) from the date of addition. The rates of depreciation prescribed in Schedule XIV of the Companies Act, 1956 are considered as the minimum rates. If the management's estimate of the useful life of a fixed asset at the time of acquisition of the asset or of the remaining useful life on a subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimates of the useful life/ remaining useful life. Pursuant to this policy, depreciation has been provided using the following rates:

परिसंपत्ति Asset	मूल्यह्रास दर Depreciation Rate
परिसर / Premises	1.63%
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture and fixtures	8.33%
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी / Electrical installation and machinery	8.33%
मोटर वाहन / Motor vehicles	20%
कंप्यूटर (आंतरिक सॉफ्टवेयर सहित) / Computers (including integral software)	33.33%
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	12.50%
वी-सैट उपकरण / VSAT equipment	10%
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer durables with employees	20%

वर्ष के दौरान परिवर्धित / बेची गयी अचल परिसंपत्तियों पर वास्तविक अवधि के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है.

Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the actual period.

लीज वाली भूमि को लीज की अवधि में परिशोधित किया जाता है.

Leasehold land is amortised over the period of lease.

₹ 2.5 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (नॉन-इंटिग्रल) को पूंजीकृत किया जाता है और इसे इसके उपयोगी जीवनकाल में मूल्यह्रासित किया जाता है जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होती है.

Computer Software (non-integral) individually costing more than Rs.2.50 lakh is capitalised and depreciated over its useful life, not exceeding 5 years.

बैंक की वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायक संस्था / Bank's financial and non financial subsidiary

बैंक की सहायक संस्थाओं के मामले में मूल्यह्रास बट्टा खाता मूल्य विधि (डब्ल्यूडीवी) से किया जाता है. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में दी गयी मूल्यह्रास दरों को न्यूनतम दरें माना जाता है.

In case of Bank's Subsidiaries, depreciation is provided on Written Down value (WDV) Method. The rates of depreciation prescribed in Schedule XIV of the Companies Act, 1956 are considered as the minimum rates.

अमूर्त परिसंपत्तियों (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) को आईडीबीआई इंटैक लि. के मामले में पाँच वर्ष और आईडीबीआई केपिटल मैनेजमेंट सर्विसेज लि. के मामले में 3 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाता है. वेब ट्रेडिंग पोर्टल में यह परिशोधन 3 वर्ष के लिए और स्टॉक एक्सचेंज मेंबरशिप कार्ड 4.75% वार्षिक की दर से किया जाता है.

Intangible Assets (computer software) are amortised over a period of five years in case of IDBI Intech Ltd and 3 years in case of IDBI Capital management Services Ltd. Web Trading Portal in 3 years and Stock Exchange membership card at 4.75% PA.

नए निधि प्रस्तावों के विपणन व वितरण में हुए व्यय का परिशोधन निरंतर स्वरूप की निधियों में 36 माह की अवधि में और नियतकालिक निधियों में अवधि की समाप्ति पर किया जाता है.

Expenses incurred towards marketing and distribution of new fund offers are amortized over a period of 36 months in case of open ended funds and over the tenure of the close ended funds.

9. लीज पर दी गयी परिसंपत्तियां / Assets given on lease

बैंक / Bank:

(i) 31 मार्च 2001 को या इससे पूर्व बैंक द्वारा वित्त लीज पर दी गयी परिसंपत्तियों को 'अचल परिसंपत्तियों' के अंतर्गत 'लीज पर दी गयी परिसंपत्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. इन पर कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में दी गयी दरों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है. 'लीज समकरण' राशि, जो वार्षिक लीज प्रभार और मूल्यह्रास के बीच के अंतर को दर्शाती है, को लाभ-हानि लेखे में समायोजित किया जाता है.

Assets given on finance lease by the Bank on or before March 31, 2001 are classified as "Leased Assets" under "Fixed Assets". Depreciation thereon is provided on SLM basis at the rates prescribed under Schedule XIV of the Companies Act, 1956. The amount of "Lease Equalisation" representing the difference between the annual lease charge and the depreciation is adjusted in the Profit & Loss Account.

(ii) 31 मार्च 2001 के बाद वित्त लीज के अंतर्गत दी गयी परिसंपत्तियों को लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है और इन्हें 'अग्रिमों' के अंतर्गत शामिल किया जाता है.

Assets given under finance lease after March 31, 2001 are accounted in accordance with the provisions of AS 19 and included under "Advances".

10. प्रतिभूतिकरण लेन-देन / Securitisation Transactions:

बैंक / Bank

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतिकरण से इन परिसंपत्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं (एसटीवी) को बिक्री होती है, जो इसके बदले निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः अमान्य कर दिया जाता है. बैंक खातों को बिक्री के समय होने वाली किसी भी हानि के लिए और बिक्री से होने वाले लाभ / प्रीमियम के लिए एसपीवी द्वारा, जिन्हें परिसंपत्तियां बेची गयी हैं, जारी की गयी या जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.

Securitisation of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognised when the control of the contractual rights in the securitised assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortised over the life of the securities issued or to be issued by the SPV to which the assets are sold.

11. प्रतिभूतिकरण कंपनियों / पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री

Sale of financial assets to Securitization Companies/Reconstruction Companies:

बैंक / Bank

प्रतिभूतिकरण कंपनियों / पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री की गणना प्राप्त प्रतिभूति रसीदों (एसआर) पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) के शोधन मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति के निवल बही मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर की जाती है. ऐसी बिक्री अथवा वसूली पर होने वाले लाभ को लाभ-हानि लेखे में दर्ज नहीं किया जाता बल्कि उन्हें एससी या आरसी को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री अथवा अन्य एसआर /पीटीसी की वसूली से होने वाली हानि /कमी की प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधानों के तौर पर अलग से दर्शाया जाता है. ऐसी बिक्री अथवा वसूली से होने वाली हानियों को पूर्ववर्ती लाभों से सृजित प्रावधानों के शेष, यदि कोई हैं, में से समायोजित किया जाता है और हानि की शेष राशि लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की जाती है. पीटीसी को उपर्युक्त निर्धारण के अनुसार उनकी बिक्री अथवा वसूली तक लिया जाता है. प्रतिभूति रसीदों (एसआर) को समग्र रूप में बही मूल्य अथवा अद्यवत एनएवी में से जो भी कम हो उस पर लिया जाता है.

Sale of financial assets to Securitisation Companies (SCs)/ Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass Through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset. Gains arising on such sale or realisation are not recognised in the profit and loss account but earmarked as provisions for meeting the losses/ shortfall arising on sale of other financial assets to SCs/ RCs or sale/ realisation of other SRs/ PTCs. Losses arising on such sale or realisation are first set off against balance of provisions, if any, created out of earlier gains and residual amount of losses are charged to profit and loss account. The PTCs are carried at the value as determined above, till their sale or realisation. The SRs are carried, in the aggregate, at book value or at latest NAV, whichever is lower.

12. विदेशी मुद्रा लेन - देन / Foreign Currency Transactions:

बैंक / Bank

(i) विदेशी मुद्रा लेन-देनों का आरंभिक अभिनिर्धारण होने पर लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित अंतिम बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.

Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognised in the profit and loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognised as income or expense in the period in which they arise.

(ii) ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार या सट्टे के लिए नहीं की गई हैं, के शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है. अन्य वायदा विनिमय संविदाओं पर प्रीमियम या बट्टे को हिसाब में नहीं लिया जाता हैं.

Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading or speculation is amortised as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognised.

(iii) ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार या सट्टे के लिए नहीं हैं, का अंतिम फेडाई दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है. अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यन फेडाई द्वारा विर्निदिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. इससे होने वाले लाभ / हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है.

Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading or speculation are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are revalued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profit/ losses are included in the profit and loss account.

(iv) वायदा विनिमय संविदाओं की समय पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ / हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या बट्टा, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख पर हिसाब में लिया जाता है.

Profit/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognised on the date of termination.

(v) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की अंतिम दरों पर की जाती है.

Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts is calculated at the contracted rates of exchange and in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

(vi) विदेशी शाखा के परिचालनों को एकीकृत विदेशी परिचालनों में वर्गीकृत किया जाता है तथा लेनदेनों को इस संबंध में बैंक के ही सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुसार लागू किया जाता है.

Operations of foreign branch are classified as integral foreign operations' and the transactions are translated using the same principles and procedures as those of the bank.

बैंक की वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायक संस्थाएं तथा जीवन बीमा संयुक्त उद्यम:

Banks financial, non financial subsidiaries and life Insurance Joint Venture:

विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. वर्ष के अन्त में विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गीत मौद्रिक मदों को विनिमय की अंतिम दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है. उस पर और संबंधित वर्ष में विदेशी मुद्रा की वसूली / भुगतान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को आय अथवा व्यय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transaction. At the year end, monetary items denominated in foreign currency are reported using the closing rate of exchange. Exchange difference arising thereon and on realization / payments of foreign exchange are accounted as income or expenses in the relevant year.

13. कर्मचारी लाभ / Employee Benefits:

(i) **रोजगार-पश्चात् लाभ योजनाएं / Post-employment benefit plans**

क) निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं में भुगतान, देय होने के आधार पर खर्च के रूप में प्रभारित किया जाता है.

a) Payments to defined contribution schemes are charged as expense as they fall due.

ख) निर्दिष्ट लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण पूर्वानुमानित इकाई जमा विधि का प्रयोग कर किया जाता है तथा बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ-हानि लेखे में पूरा दिखाया

जाता है जिसमें लाभ या हानि होती है. गत सेवा लागत की उतनी राशि तत्काल हिसाब में ली जाती है जितने लाभ पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और अन्यथा सीधी रेखा आधार पर लाभों के निहित होने तक औसत अवधि में परिशोधित किया जाता है.

b) For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognized in full in the profit and loss account for the period in which they occur. Past Service cost is recognized immediately to the extent that the benefits are already vested and otherwise is amortised on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested.

(ii) **अल्पावधि कर्मचारी लाभ / Short-term employee Benefit:**

कर्मचारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बदले अदा किये जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अबट्टाकृत राशि को उस अवधि के दौरान हिसाब में लिया जाता है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.

The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

(iii) **अंतर्वर्ती देयता / Transitional Liability**

बैंक ने 1 अप्रैल 2007 से लेखांकन मानक 15 (संशोधित 2005) - कर्मचारी लाभ (एएस 15) को अपनाया है. इसको अपनाने से उत्पन्न होने वाली अंतर्वर्ती देयता को एएस-15 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2007-08 से आरंभ होने वाली पांच वर्षों की अवधि में परिशोधित किया गया है.

The Bank has adopted Accounting Standard-15 (Revised 2005), 'Employee Benefits' with effect from April 1, 2007. The transitional liability arising on such adoption is amortised over a period of five years commencing from the financial year 2007-08 in accordance with the provisions of AS-15.

(iv) कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना (इसॉप) के अंतर्गत ऑप्शनों का आंतरिक मूल्य इसॉप की निहित अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर व्यय किया जाता है.

The intrinsic value of options under Employee Stock Option Plan (ESOP) is expensed on a straight-line basis over the vesting period of the ESOP.

14. आय कर / Income Tax

(i) कर व्यय में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं.

Tax expense comprises of current and deferred tax.

(ii) न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) क्रेडिट को केवल तभी एक परिसंपत्ति के रूप में और उस सीमा तक माना जाता है जब इस बात का पर्याप्त साक्ष्य हो कि बैंक विर्निदिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगा.

Minimum Alternate Tax (MAT) credit is recognized as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that the Bank will pay normal income tax during the specified period.

(iii) वर्ष के बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को उन कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है जो तुलनापत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये हों. समय अंतरालों से उत्पन्न होनेवाली आस्थागित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक हिसाब में लिया जाता है जितनी उचित निश्चितता हो कि इनकी भविष्य में वसूली हो जाएगी.

Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

(iv) अनवशोषित हानियों के मामले में आस्थगित कर परिसंपत्तियां तभी मानी जाती हैं जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसूल की जा सकती है.

Deferred tax assets in case of unabsorbed losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.

(v) जिन विवादित करों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है.

Disputed taxes not provided for including departmental appeals are included under Contingent Liabilities.

15. प्रति शेयर आय / Earnings Per Share:

(i) समूह लेखांकन मानक 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर आय की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल आय की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.

The Group reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

(ii) प्रति शेयर न्यूनीकृत आय उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाती है जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता है. प्रति शेयर न्यूनीकृत आय की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अन्त में बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है.

Diluted Earnings Per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end.

16. परिसंपत्तियों की अनर्जकता / Impairment of Assets

जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन यदि इसका संकेत देते हैं कि किसी परिसंपत्ति की रखाव लागत वसूलीयोग्य नहीं रही तो अचल परिसंपत्तियों की अनर्जकता की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों की वसूलीक्षमता का आकलन अनुमानित चालू वसूलीयोग्य मूल्य की तुलना परिसंपत्ति की रखाव राशि से कर उनका मूल्य निर्धारित किया जाता है. यदि ऐसी परिसंपत्तियां अनर्जक मानी गयी हों तो अनर्जकता को उस परिसंपत्ति की दर्ज लागत से उसके चालू अनुमानित वसूलीयोग्य मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है.

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the estimated current realizable value .

17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां / Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

(i) एएस 29 के अनुरूप प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियों के मामले में समूह प्रावधानों को तभी हिसाब में लिया जाता है जब समूह यह अभिनिर्धारित करता है कि पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त देयता के निपटान के लिए कुछ राशियों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Group recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

(ii) प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता और उनका निर्धारण तुलनपत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.

Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

(iii) किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.

Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognised only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

(iv) आकस्मिक परिसंपत्तियों को हिसाब में नहीं लिया जाता है,

Contingent Assets are not recognized.

अनुसूची 18: 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

SCHEDULE 18: NOTES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2011

1. परिसर (एएस-10) / PREMISES(AS-10)

I परिसर में ₹ 1339,70,11 हजार (₹ 1339,70,11 हजार) की लीज़ पर ली गई भूमि (पुनर्मूल्यांकित) शामिल हैं जिसका वर्ष 2006-07 में पुनर्मूल्यांकन किया गया था.

Premises include Leasehold Land (revalued) of ₹ 1339,70,11 Thousand (₹ 1339,70,11 Thousand) which was revalued in the year 2006-07.

II बैंक ने वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और आवासीय / कार्यालय भवन का पुनर्मूल्यांकन किया. पुनर्मूल्यांकन किए जाने पर निवल मूल्य वृद्धि ₹ 2063 91 00 हजार की राशि, जो 31 मार्च 2007 को ₹ 529 02 00 हजार के निवल बही मूल्य और ₹ 25 92 9300 हजार की पुनर्मूल्यांकित राशि का अंतर है, पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व में जमा की गई है.

Bank revalued its Freehold Land & Residential/ Office building based on valuations made by independent valuers during the financial year 2006-07. The net appreciation of ₹ 2063 91 00 Thousand arising on revaluation, being the difference between the net book value of ₹ 529 02 00 Thousand and revalued amount of ₹ 2592 93 00 Thousand as on March 31, 2007, was credited to Revaluation Reserve.

2. समामेलन (एस-14) / AMALGAMATION (AS-14)

कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 8 अप्रैल 2011 को अनुमोदित बैंक की पूर्ववर्ती, पूर्णस्वामित्व वाली सहायक संस्था अर्थात् आईडीबीआई होम फाइनेंस लि, (आईएचएफएल), एक आवास वित्त कंपनी और आईडीबीआई गिल्ट्स लि. (आईजीएल), प्रतिभूतियों में एक प्राथमिक व्यापारी, (इसमें इसके पश्चात 'अंतरक' कंपनियों के रूप में निर्दिष्ट) की समामेलन योजना के अनुसरण में, अंतरक कंपनियों की समस्त परिसंपत्तियां तथा देयताएं 01.01.2011 से आइडीबीआई बैंक लि. (इसमें इसके पश्चात् 'अंतरिती' बैंक के रूप में निर्दिष्ट) को अंतरित तथा उसमें निहित कर दी गई.

Pursuant to the scheme of amalgamation of the erstwhile, wholly owned subsidiary of Bank namely IDBI Home Finance Ltd (IHFL) a housing finance company and IDBI Gilts Ltd (IGL), a Primary Dealer in securities. (hereinafter referred as 'transferor' Companies) approved by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India on April 8, 2011 all assets and liabilities of transferor Companies were transferred and vested in IDBI Bank Ltd. (hereinafter referred as 'transferee' Bank) effective 01.01.2011.

समामेलन को इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक - 14 'समामेलन के लिए लेखांकन' द्वारा निर्धारित 'हित का समूहन' पद्धति के अंतर्गत हिसाब में लिया गया है. तद्नुसार 1 जनवरी 2011 को अंतरक कंपनियों की परिसंपत्तियों तथा देयताओं को अंतरिती बैंक के वित्तीय विवरणों में उसी ढंग तथा रूप में शामिल किया गया है जिस रूप में वे अंतरक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में दी गई हैं. तथापि, अंतरक कंपनी अर्थात् आईडीबीआई गिल्ट्स लि. की कुल ₹ 39,70,93 हजार की संचित हानि अंतरिती बैंक के रिज़र्व में समायोजित की गई है.

The amalgamation has been accounted for under the 'Pooling of Interest' method as prescribed by the Accounting Standard-14 'Accounting for Amalgamations' issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Accordingly, assets and liabilities of transferor Companies as at January 01, 2011 have been incorporated in the financial statements of transferee Bank in the same manner and form as they appear in the financial statements of the transferor Companies. However the accumulated losses of a transferor Company namely IDBI Gilts Ltd. of ₹ 39,70,93 Thousand has been adjusted against reserve of the transferee Bank.

समामेलन योजना के अनुसार अंतरिती बैंक का कोई भी शेयर अंतरक कंपनियों के शेयरधारकों को जारी नही किया जाना है क्योंकि बैंक की पूर्णतः स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों का समामेलन किया गया है.

In terms of Scheme of Amalgamation no shares of the transferee Bank are required to be issued to the shareholders of the transferor Companies as the amalgamation has been effected of the wholly owned subsidiaries of the Bank.

अंतरक कंपनियों द्वारा धारित कुछ निवेश तथा हक विलेख अंतरिती बैंक के नाम में अंतरित किए जाने की प्रक्रिया में हैं.

Some of the investments and title deeds held by transferor Companies are in the process of being transferred in the name of the transferee Bank.

3. **कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित) / Employee Benefits (AS-15) (Revised):**

(i) **अंतर्वती देयता / Transitional Liability**

आईडीबीआई बैंक के मामले में लेखांकन मानक 15 (संशोधित 2005) के अपनाने के फलस्वरूप अंतर्वर्ती देयता-कर्मचारी लाभ ₹ 63,22,00 हजार रुपये (पेंशन - ₹ 31,09,00 हजार, ग्रेच्यूटी - ₹ 16,41,00 हजार), अपंगता सहायता ₹ 13,28,00 हजार एवं छुट्टी नकदीकरण ₹ 2,44,00 हजार) (₹ 63,22,00 हजार) है. इसमें से ₹ 12,50,00 हजार (₹ 12,50,000 हजार) की राशि वर्ष के दौरान लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की गई है.

In case of IDBI Bank, the transitional liability arising on account of adoption of Accounting Standard-15 (Revised 2005) on "Employee Benefits" is ₹ 63,22,00 Thousand (Pension – ₹ 31,09,00 Thousand, Gratuity - ₹ 16,41,00 Thousand, Disability Assistance – ₹ 13,28,00 Thousand and Leave encashment – ₹ 2,44,00 Thousand) (₹ 63,22,00 Thousand). Out of this, an amount of ₹ 12,50,00 Thousand (₹12,50,00 Thousand) has been charged to Profit & Loss Account during the year.

(ii) **निर्दिष्ट अशंदान योजनाएं / Defined Contribution Scheme**

समूह के कर्मचारी भविष्य निधि/अधिवर्षिता निधि के अंतर्गत शामिल हैं, जिसमें समूह मूल वेतन के नियत प्रतिशत के रूप में निर्धारित अंशदान करता है. अंशदानों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है और उन्हें लाभ-हानि लेखे में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.

The employees of the group are covered by Provident Fund/ Superannuation Fund etc. to which the group makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary. The contributions are accounted for on accrual basis and are recognized as an expense in the Profit and Loss Account.

(iii) **निर्दिष्ट लाभ योजनाएं / Defined Benefit Schemes**

सभी समूह संस्थाएं अलग-अलग ग्रेच्युटी और पेंशन योजनाएं चलाती हैं जो निर्दिष्ट लाभ योजनाएं हैं. कुछ समूह संस्थाएं अनुमानित यूनिट जमा पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रत्येक तुलन-पत्र पर किए गए बीमांकिक (एक्चूरियल) मूल्यांकन पर आधारित न्यासी / भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा संचालित न्यास / निधियों की इन योजनाओं में अंशदान करती हैं. जिन समूह संस्थाओं में कोई न्यास / निधियां नहीं हैं, उन मामलों में ऐसी योजना के प्रति देयता को बीमांकिक करती हैं. जिन समूह संस्थाओं में कोई न्यास / निधियां नहीं हैं, उन मामलों में ऐसी योजना के प्रति देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है. ऐसे मूल्यांकनों पर होने वाले बीमांकिक लाभ / हानि को लाभ व हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

The group entities operate separate gratuity and pension schemes, which are defined benefit schemes. Some of the group entities make the contributions towards these schemes in the Trust/Funds administered by the Trustee/Life Insurance Corporation of India (LIC) based on the actuarial valuation carried out at each balance sheet date using Projected Unit Credit Method. In the case of group entities where no Trust/Fund is maintained the liability towards such scheme is accounted for based on actuarial valuation. Actuarial gains/losses arising on such valuations are recognized in the Profit and Loss Account.

(iv) **अन्य दीर्घावधि लाभ / Other long term benefits**

समूह के कर्मचारीगण अपनी अर्जित / साधारण छुट्टियों को एक निर्धारित सीमा तक संचित करने के लिए पात्र हैं जिन्हें वे भविष्य में आगे ले जा सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं या सेवाकाल के दौरान या सेवानिवृत्ति / त्यागपत्र / वियोजन के समय नक़द प्रतिकर प्राप्त कर सकते हैं. बैंक के कुछ कर्मचारीगण अशक्तता की घटना होने पर बैंक द्वारा वहन की जाने वाली अशक्तता सहायता के लिए पात्र होंगे. ये लाभ दीर्घावधि लाभों की श्रेणी में आते हैं और इनका हिसाब अनुमानित यूनिट जमा पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रत्येक तुलन-पत्र पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है तथा ऐसे मूल्यांकनों पर होने वाले बीमांकिक लाभ / हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

The employees of the group are entitled to accumulate their earned/privilege leave upto a specific limit, which they can carry forward in future and utilize or receive cash compensation during the service period or at the time of their retirement/resignation/separation. Some of the employees of the Bank are eligible for Disability Assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur. These benefits are considered as long term benefits and are accounted for based on actuarial valuation carried out at each balance sheet date using Projected Unit Credit Method and actuarial gains/losses on such valuations are recognized in the Profit and Loss Account.

समेकित लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी) /Schedules forming part of consolidated accounts (Contd.)

निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और 31 मार्च 2011 को समूह के वित्तीय विवरण में दर्शायी गई राशियों की स्थिति प्रस्तुत करती है जो ए एस - 15 (संशोधित) के अनुसार है.

The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognised in the Group's financial statements as at March 31, 2011 which is as per AS-15 (Revised).

	विवरण Particulars	(₹ करोड़) (₹ In Crore)			
		पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रैच्युटी Gratuity
		31 मार्च 2011 As at March 31,2011	31 मार्च 2011 As at March 31,2011	31 मार्च 2010 As at March 31,2010	31 मार्च 2010 As at March 31,2010
क a)	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन :** **Change in benefit obligations:**				
	वर्ष के आरंभ में (1 अप्रैल 2010) अनुमानित लाभ Projected benefit obligation, beginning of the year (April 1, 2010)	696.53	162.85	543.35	145.41
	ब्याज लागत / Interest cost	57.46	13.38	32.26	9.49
	वर्तमान सेवा लागत / Current Service Cost	9.63	20.52	9.53	14.41
	अवधि के दौरान उपगत पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the period	0.00	96.89	0.00	0.00
	प्रदत्त लाभ / Benefits Paid	(37.55)	(11.51)	(30.28)	(2.76)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि / Actuarial (gain)/loss	94.86	3.46	141.67	(3.70)
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ / दायित्व /Projected benefit/obligation, end of the year	820.93	285.59	696.53	162.85
ख	**योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन :**				
b)	**Change in plan assets:**				
	वर्ष के आरंभ में (1 अप्रैल, 2010) योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year (April 1, 2010)	685.50	157.45	456.53	85.88
	योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल / Expected return on plan assets	54.84	12.61	52.93	12.34
	नियोक्ता का अंशदान / Employer's Contributions	66.94	113.14	220.28	70.24
	प्रदत्त लाभ / Benefits Paid	(37.55)	(11.51)	(30.28)	(2.76)
	बीमांकिक लाभ / (हानि) / Actuarial gain/(loss)	(5.08)	5.10	(13.96)	(8.25)
	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets at the end of the year	764.65	276.79	685.50	157.45
ग c)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य का समाधान और योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य** **Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets**				
	31 मार्च 2011 को लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at March 31,2011	820.93	285.59	696.53	162.85
	भविष्य में अभिनिर्धारित / उपबंधित की जानेवाली अंतर्वर्ती (देयता) Transitional (Liability) to be recognised/provided in future	(6.15)	(3.24)	(12.30)	(6.49)
	31 मार्च 2011 को लाभ दायित्व का निवल वर्तमान मूल्य Net Present value of benefit obligation at march 31,2011	814.78	282.35	684.23	156.36
	31 मार्च 2010 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets at March 31,2010	764.65	276.79	685.50	157.45
	अधिशेष/ (घाटा) / Surplus/(Deficit)	(50.13)	(5.56)	1.27	1.09

समेकित लेखों के भाग रूप में अनुसूचियां (जारी) /Schedules forming part of consolidated accounts (Contd.)

	विवरण Particulars	पेंशन Pension 31 मार्च 2011 As at March 31,2011	ग्रैच्युटी Gratuity 31 मार्च 2011 As at March 31,2011	पेंशन Pension 31 मार्च 2010 As at March 31,2010	ग्रैच्युटी Gratuity 31 मार्च 2010 As at March 31,2010
		(₹ करोड़) (₹ in Crore)			
घ	**31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लागत**				
d)	**Net cost for the year ended March 31, 2011**				
	सेवा लागत / Service Cost	9.63	20.52	9.53	14.41
	ब्याज लागत / Interest cost	57.46	13.38	32.26	9.49
	योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल / Expected return on plan assets	(54.84)	(12.61)	(52.93)	(12.34)
	निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि Net actuarial (gain)/loss	99.94	(1.64)	155.63	4.55
	अवधि के दौरान स्वीकार की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)				
	Past Service Cost [Vested Benefit] Recognised during the period	0.00	96.89	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान स्वीकार की गई अंतर्वर्ती देयता निवल लागत				
	Transitional Liability Recognised during the year	6.15	3.25	6.15	3.25
	निवल लागत / Net cost	118.34	119.79	150.64	19.36
ङ	**31 मार्च 2011 को परिसंपत्तियों की श्रेणी**				
e)	**Category of Assets as at March 31, 2011**				
	भारत सरकार की परिसंपत्तियां / Government of India Assets	382.85	0.00	303.43	50.50
	कॉरपोरेट बांड / Corporate Bonds	370.62	0.00	379.50	63.34
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां / Insurer Managed Funds	0.00	275.35	0.00	38.06
	अन्य / Others	11.18	1.44	2.57	5.55
	कुल / Total	764.65	276.79	685.50	157.45
च	**लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं**				
f)	Assumptions used in accounting:				
	बट्टा दर / Discount rate	8.25%	7.60 to 8. 25%	8.25%	7.00 to 8.25%
	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की दर / Rate of return on plan assets	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
	वेतन बढ़ोतरी दर / Salary escalation rate	5.00%	5.00 to 10.00%	5.00%	5.00 to 10.00%
	ह्रास दर / Attrition Rate	4.82%	4.82% to 80%	4.82%	4.82%
	मृत्यु दर / Mortality Rate	एलआईसी (1994-96) अंतिम LIC (1994-96) Ultimate			

आईडीबीआई इंटेक लि. तथा आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. से कर्मचारी लाभ जानकारी उपलब्ध नहीं है.

Employee Benefit information from IDBI Intech Ltd. and IDBI Asset Management Ltd. is not available.

4. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17) /

SEGMENT REPORTING (AS-17)

i. समूह चार खंडों - थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग, ट्रेजरी सेवाओं और संयुक्त उद्यम तथा सहायक कंपनियों के परिचालनों सहित अन्य बैंकिंग परिचालन में कार्य करता है. समूह की योजनाओं एवं सेवाओं का स्वरूप और जोखिम प्रोफाइल, ग्राहकों के लक्ष्य समूह की प्रोफाइले, संगठनात्मक ढांचे और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद खंड रिपोर्टिंग पर लेखा मानक 17 के अनुसार इन खंडों की पहचान की गई है. समूह ने कारोबार खंड का प्राथमिक खंड के रूप में प्रकटन किया है. चूंकि समूह भारत में परिचालन करता है, अतः समूह के बारे में यह माना गया है कि यह मुख्यतः केवल देशी खंड में परिचालन करता है और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.

The Group operates in four segments wholesale banking, retail banking, treasury services and other banking operations including operations of joint venture and subsidiaries. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Group. The Group has disclosed business segment as the primary segment. The Group primarily operates in India, hence the Group has been considered to operate predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.

ii. खंड राजस्व, परिणामों, परिसंपत्तियों और देयताओं में वे राशियां शामिल हैं जो प्रत्येक खंड के लिए अभिनिर्धारित करने योग्य हैं, साथ ही प्रबंधन के अनुमान के अनुसार आबंटित हैं. ऐसी परिसंपत्तियां और देयताएं जिनकी पहचान खंडवार रूप में नहीं की जा सकती, उन्हे अनाबंटित परिसंपत्तियों और देयताओं में समूहित किया जाता है.

Segment revenue, results, assets and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities.

समेकित खंडवार जानकारी

Consolidated Segment Information

(₹ हजार) (₹ in '000s)

क्रम सं Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended Mar 31, 2011	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year ended Mar 31, 2010
क	**खंड राजस्व**		
a.	**Segment Revenue**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	19190 74 42	17701 56 58
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	11086 04 11	8498 20 80
	ट्रेजरी / Treasury	310 15 94	207 01 52
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	189 88 51	166 52 28
	कुल / Total	**30776 82 98**	**26573 31 18**
	घटाएं : अंतर खंड राजस्व / Less :- Inter-segment revenue	9938 64 02	8756 31 27
	परिचालनों से निवल बिक्री / आय Net sales / income from operations	**20838 18 96**	**17816 99 91**

समेकित खंडवार जानकारी
Consolidated Segment Information

(₹ हजार) (₹ in '000s)

क्रम सं Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended Mar 31, 2011	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year ended Mar 31, 2010
ख b.	**खंड परिणाम - कर पूर्व लाभ / (हानि) Segment Results –Profit/(loss) before tax**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	1866 64 11	743 53 60
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	273 63 34	265 27 66
	ट्रेजरी / Treasury	149 93 37	91 44 20
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	(91 22 32)	(50 07 04)
	कुल / TOTAL	**2198 98 50**	**1050 18 42**
	घटाएं: अविनिधानीय आय को घटाते हुए अन्य अविनिधानीय व्यय Less: Other unallocable expenditure net of unallocable income		
	कर पूर्व कुल लाभ / Total profit before tax	**2198 98 50**	**1050 18 42**
	आय कर / Income taxes	635 47 52	29 65 88
	निवल लाभ / Net profit	**1563 50 98**	**1020 52 54**
ग c.	**खंड परिसंपत्तियां Segment assets**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	168776 86 84	167786 36 44
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	78369 05 14	62169 32 90
	ट्रेजरी / Treasury	4343 04 16	4236 31 12
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	427 88 43	266 41 45
	अविनिधानित कॉरपोरेट परिसंपत्तियां / Unallocated corporate assets	1640 75 74	1643 75 61
	कुल परिसंपत्तियां / Total assets	**253557 60 31**	**236102 17 52**
ग d.	**खंड देयताएं Segment liabilities**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	158970 99 53	153725 65 08
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	78644 18 16	66955 82 30
	ट्रेजरी / Treasury	732 39 14	4947 94 25
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	228 10 35	141 39 04
	अविनिधानित कॉरपोरेट देयताएं/ Unallocated corporate liabilities	2337 73 67	2007 04 89
	कुल देयताएं / Total liabilities	**240913 40 85**	**227777 85 56**

नोट : विदेशी परिचालन 10% की निर्दिष्ट अधिकतम सीमा से कम हैं, अतः सेकडरी खंड से संबंधित जानकारी नहीं दी गई है.

Note: Overseas operations are less than the threshold limit of 10% and hence secondary segment information is not furnished.

5. **संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18)**

RELATED PARTIES DISCLOSURE (AS-18):

i) **संस्था के प्रमुख प्रबंध कार्यपालक**

Details of Key Management Personnel

संस्था **Entity**	**प्रमुख प्रबंध कार्यपालक** **Key Management Personnel**
आईडीबीआई बैंक लि.	क. श्री आर. एम. मल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (09 जुलाई 2010 से) ख. श्री योगेश अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (5 जून 2010 तक) ग. श्री बी. पी. सिंह, उप प्रबंध निदेशक
IDBI Bank Ltd.	a. Shri R.M Malla, Chairman & Managing Director (w.e.f July 09, 2010) b. Shri Yogesh Agarwal, Chairman & Managing Director (upto June 05,2010) c. Shri B.P. Singh , Deputy Managing Director
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि.	श्री नगेंद्र भटनागर, प्रंबध निदेशक एवं सीईओ (30.12.2010 तक) श्री अभय बोंगिरवार, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (31.12.2010 से)
IDBI Capital Market Services Ltd.	Shri. Nagendra Bhatnagar, Managing Director & C.E.O (up to 30.12.2010) Shri. Abhay Bongirwar, Managing Director & C.E.O (from 31.12.2010)
आईडीबीआई होम फायनेंस लि. (नीचे नोट देखें)	श्री एम एच कुलकर्णी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (31.12.2010 तक)
IDBI Homefinance Ltd. (see note below)	Shri M H Kulkarni, Managing directors & C.E.O (up to 31.12.2010)
आईडीबीआई गिल्ट्स लि. (नीचे नोट देखे)	श्री जी ए तड़स, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (31.12.2010 तक)
IDBI Gits Ltd. (see note below)	Shri G A Tadas, Managing directors & C.E.O (up to 31.12.2010)
आईडीबीआई इंटेक लि.	श्री संजय शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
IDBI Intech Ltd.	Shri Sanjay Sharma, Managing Director & C.E.O
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी लि.	श्री जी वी नागेश्वर राव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	Shri G V Nageswara Rao, Managing Director & C.E.O
आईडीबीआई एम एफ ट्रस्टी कंपनी लि.	श्री कृष्णमूर्ति विजयन, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
IDBI MF Trustee Company Ltd.	Shri Krishnamurthy Vijayan, Managing Director & C.E.O
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि.	श्री कृष्णमूर्ति विजयन, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
IDBI Asset Management Company Ltd.	Shri Krishnamurthy Vijayan, Managing Director & C.E.O.

नोट: इन दोनों कंपनियों का यथा 01.01.2011 को बैंक में विलय हो गया.

Note: Both these companies got merged with Bank w.e.f. 01.01.2011

ii) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन
Transaction with related parties:

(₹ हजार) (₹ in '000s)

विवरण **Particulars**	**प्रमुख प्रबंध कार्यपालक** **Key Management Personnel**	**प्रमुख प्रबंध कार्यपालकों के संबंधी** **Relatives of key management personnel**	**कुल** **Total**
प्राप्त जमाराशियां Deposit Received	138,32 *(24,78)*	226,18 *(20,20)*	364,50 *(44,98)*
अन्य बकाया देयताएं / जमा राशियां Other Liabilities/ Deposits Outstanding	182,68 *(57,70)*	245,08 *(23,20)*	427,76 *(80,90)*
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमाराशियां Maximum amount of deposits outstanding during the year	232,66 *(1,00,47)*	254,17 *(44,34)*	486,83 *(1,44,81)*
दिए गए अग्रिम Advances given	(0) *(0)*	(0) *(0)*	(0) *(0)*
बकाया अग्रिम Advances outstanding	35,67 *(37,90)*	(0) *(11,53)*	35,67 *(49,43)*
वर्ष के दौरान देय अधिकतम अग्रिम राशि Maximum amount of advance due during the year	37,90 *(56,46)*	1153 *(11,53)*	49,43 *(67,99)*
अग्रिमों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on advances	61 *(6,39)*	3 *(2)*	64 *(6,41)*
अग्रिमों पर उपचित ब्याज Interest accured on advances	(0) *(3,64)*	(0) *(3)*	(0) *(3,67)*
जमाराशियों पर ब्याज Interest on Deposits	9,25 *(2,26)*	1,36 *(1,41)*	10,61 *(3,67)*
पारिश्रमिक / प्रतिपूर्तियां Remuneration/Reimbursements	374,00 *(2,72,94)*	(0) *(0)*	374,00 *(2,72,94)*
अन्य आय Other income	3,21 *(0)*	(0) *(0)*	3,21 *(0)*

6. 1 अप्रैल 2001 को या उसके बाद हुए वित्त पट्टा लेन-देन (अग्रिमों में शामिल), (एएस-19)

Finance lease transaction entered into on or after April 1, 2001(included in Advances),(AS-19)

i. **सकल निवेश का समाधान तथा प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य**

Reconciliation of gross investment and present value of minimum lease payments receivable.

(₹ करोड़) (₹ in crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2011 को शेष Balance as at March 31,2011	परिपक्वता रूपरेखा / Maturity profile		
		1 वर्ष तक Upto 1 year	1 से 5 वर्ष के बीच Between 1 to 5 years	5 वर्ष से अधिक More than 5 years
बकाया सकल निवेश Gross investment outstanding	0.64	0.64	-	-
अनर्जित वित्त आय Unearned finance income	0.02	0.02	-	-
बकाया न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य Present value of minimum lease payments outstanding	0.62	0.62	-	-

- बैंक के लाभार्थ उपचित होने वाला कोई अगारंटित अवशिष्ट मूल्य नहीं है.

  There are no unguaranteed residual values accruing to the benefit of the Bank.
- कोई असंग्रहणीय न्यूनतम पट्टा भुगतान प्राप्य नहीं है.

  There are no uncollectable minimum lease payments receivable.
- 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे में कोई आकस्मिक किराया नहीं दर्शाया गया है.

  No contingent rent has been recognised in the profit and loss account for the year ended March 31, 2011
- बैंक ने उपर्युक्त पट्टा लेन-देनों के अंतर्गत कंप्यूटरों का वित्त पोषण किया है.

  The bank has financed computers under the above lease transactions.

ii. निरस्तरणीय चालू पट्टे पर प्रदत्त / देय पट्टा प्रभारों के प्रति वर्ष के दौरान लाभ-हानि लेखें में ₹ 164,92,59 हजार (₹ 129,21,44 हजार) की राशि प्रभारित की गई है.

Amount of ₹ 164,92,59 Thousand (₹ 129,21,44 Thousand) has been charged to Profit and Loss Account during the year towards lease charges paid/payable on cancellable operating lease.

iii. समूह ने कुछ परिसंपत्तियों के लिए अनिरस्तणीय परिचालन पट्टा करार किया है. उक्त पट्टो के प्रति लाभ-हानि लेखे में दर्शाया गया कुल पट्टा भुगतान ₹ 44,28 हजार (₹ 29,80 हजार) रहा. उपर्युक्त के प्रति भावी पट्टा भुगतान निम्नलिखित है :

The Group has entered into non-cancellable operating leasing arrangements for certain assets. The total lease payments recognized in the Profit and Loss Account towards the said leases amounts to ₹ 44,28 Thousand (` 29,80 Thousand). The future lease payments towards the above are as follows:

एक वर्ष से पूर्व नहीं Not Later than One year	₹ 8100 हजार ₹ 8100 Thousand
एक वर्ष के बाद किंतु 5 वर्ष से पूर्व Later than one year but not later than five years	₹ 8345 हजार रुपये ₹ 8345 Thousand

7. प्रति शेयर आय (ईपीएस) (एएस-20) / EARNINGS PER SHARE (EPS) (AS-20)

विवरण Particulars	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2011	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2010
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ (₹ हजार) Net profit considered for EPS calculation (₹ in Thousand)	1563 50 98	1020 52 54
मूल ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिये गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for basic EPS	89,84,29,626	72,47,92,498
जोड़ें : मंजूर किए गए कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईसॉप) का न्यूनीकृत प्रभाव Add : Dilutive impact of employee stock options granted	2,49,572	2,36,901
न्यूनीकृत ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिये गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for diluted	89,86,79,198	72,50,29,399
प्रति शेयर आय (मूल) (₹) / Earning per share (Basic) (₹)	17.40	14.08
प्रति शेयर आय (न्यूनीकृत) (₹) / Earnings per share (Diluted) (₹)	17.40	14.08
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹) / Face value per Equity share (₹)	10	10

8 आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-20) / ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS-22):

i) आस्थगित कर परिसंपत्तियां / देयताएं / Deferred Tax Assets/Liabilities

(₹ हजार) (₹ in '000s)

विवरण Particulars	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31,2011	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष As at 31st March,2011	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष As at 31st March,2010
आस्थागित कर देयता / Deferred tax liability			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on fixed assets	(8 16 23)	54 49 28	62 63 84
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित एवं संचालित विशेष आरक्षित निधि Special Reserve created and maintained 36(1)(viii) of the Income -tax Act, 1961	49 10 78	183 63 87	134 53 09
विपणन एवं वितरण व्यय का परिशोधन Amortization of marketing & Distribution expenses	121 53	121 53	0
कुल (क) / Total (A)	**42 16 08**	**239 34 68**	**197 16 93**
आस्थागित कर परिसंपत्ति / Deferred tax Asset			0
आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत न किए गए एनपीए प्रावधान NPA provisions not allowed under Income tax Act, 1961	115 76 64	353 98 56	244 50 08
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान / Provision for Doubtful Advances	710	50 84	43 86
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी, 40 (ए) (iए) आदि के अंतर्गत अस्वीकृति Disallowance u/s 43b,40(a)(ia) etc. of the Income tax Act, 1961	17 89 82	104 96 95	87 33 11
आगे ले जाया गया घाटा / Carry Forward Loss	(104 79)	14 39	1 19 18
ग्रेच्युटी / Gratuity	0	0	0
प्रारंभिक व्यय का परिशोधन / Amortization of Preliminary Expenses	9 43	9 43	0
पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान / Provision for Restructured Advances	17 15 36	221 06 65	203 9128
कुल (ख) / Total (B)	**149 93 56**	**680 76 82**	**537 37 51**
आस्थगित कर देयता / (परिसंपत्ति) (निवल) (क) - (ख) Deferred tax liability/(asset)(net)(A)-(B)		**(441 42 14)***	**(340 20 58)**

*** आईएचएफएल तथा आईजीएल की ₹ 5,90,98 हजार की आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल) शामिल है.**

*** includes Deferred Tax Asset (net) of ₹ 5,90,98 thousands of IHFL and IGL.**

ii) **कराधान के लिए प्रावधान**
Provision of Taxation

(₹ हजार) (₹ in '000s)

क्रम सं. Sr No	विवरण Particulars	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31,2011	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31,2010
क.	आय कर		
a.	Income Tax	737,33,91	365,34,19
ख.	अनुषंगी (फ्रिंज) लाभ कर	शून्य	
b.	Fringe Benefit Tax	NIL	38
ग.	धन - संपदा कर		शून्य
c.	Wealth Tax	11	Nil

9. परिसंपत्तियों की अनर्जकता (एएस-28)
IMPAIRMENT OF ASSETS (AS-28)

समूह द्वारा अधिग्रहित अचल परिसंपत्तियों को 'कॉरपोरेट परिसंपत्ति' माना गया है तथा उन्हें एएस-28 द्वारा परिभाषित 'नकदी सृजित करने वाली इकाई' नहीं माना जाता है. प्रबंधन के मतानुसार, बैंक की अचल परिसंपत्तियों में कोई परिसंपत्ति अनर्जक नहीं हुई है.

Fixed assets acquired by the Group are treated as 'Corporate Assets' and are not 'Cash generating Unit' as defined by AS-28. In the opinion of the management there is no impairment of any of the fixed assets.

10. इन लेखों में शामिल किए गए आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षकों के साथ उक्त कंपनी के बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है, तथापि उनके बोर्ड की बैठक शीघ्र ही आयोजित की जानेवाली है जहां लेखों को बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा.

Financial Statements of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd as incorporated in these accounts have been reviewed by the Audit Committee of the Board of the said Company along with Auditors however, their Board meeting is scheduled to be held shortly where the accounts are to be adopted by the Board.

11. आईडीबीआई असेट्स मैनेजमेंट कंपनी लि. तथा आईडीबीआई म्यूच्युअल फंड ट्रस्टी कंपनी लि. को जनवरी 2010 में निगमित किया गया और उनके लेखा-परीक्षित लेखे 31 मार्च 2011 तक 15 महीनों के अवधि के लिए हैं. इस प्रकार इन समेकित विवरणों में शामिल की गई इन दो सहायक कंपनियों के अलेखा-परीक्षित आंकड़े 12 महीने की अवधि के लिए हैं.

IDBI Assets Management Company Ltd and IDBI Mutual Fund Trustee Company Ltd were incorporated in January, 2010 and their audited accounts are for the period of 15 months up to March 31, 2011. As such, in these consolidated financial statements the unaudited financial figures of these two subsidiaries incorporated are for a period of 12 months.

12. रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए अपेक्षित गुणवत्तात्मक और मात्रात्मक दोनों समेकित बासेल II (पिलर III)प्रकटन संलग्न अनुबंध 'अ' के अनुसार हैं.

Consolidated Basel II (Pillar III) disclosures as required by RBI, both qualitative and quantitative for the year 2010-11 are as per attached Annexure 'A'.

13. (i) भारत सरकार ने बैंक में 31 जुलाई 2010 को ₹ 110.19 प्रति शेयर के प्रीमियम पर 259509110 इक्विटी शेयरों के अधिमान्य आबंटन के जरिए 3119.04 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई.

Government of India has infused capital of ₹ 3119.04 crores by way of preferential allotment of 259509110 equity shares at a premium of ₹ 110.19 per share on July 31, 2010 in the Bank.

(ii) बैंक द्वारा प्रयोग किए गए ईसॉप के प्रति वर्ष के दौरान 197068 (80497) इक्विटी शेयर आबंटित किए गए.

197068 (80497) equity shares allotted during the year against ESOPs exercised by the Bank

14. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अंतर्गत 31 मार्च 2011 को सहयक कंपनियों की सारांशीकृत वित्तीय जानकारी निम्नलिखित है

Summarized financial information of the subsidiaries under Section 212 of the Companies Act, 1956 as at March 31, 2011 are as under:

(₹ हजार) (₹ in '000s)

विवरण Particulars	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. IDBI Capital Market Services Ltd.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. IDBI Asset Management Company Ltd
पूंजी / Capital	13 12 82	128 10 00	20 00	50 00 00
रिज़र्व / Reserves	9 38 90	171 06 60	3 13	(26 51 74)
कुल परिसंपत्तियां /Total Assets	45 40 93	310 71 65	26 64	30 92 74
कुल देयताएं (पूंजी एवं रिज़र्व को छोड़कर) / Total Liabilities (excluding Capital & Reserves)	22 89 21	11 55 05	3 52	7 44 48
निवेश / Investments	0	119 41 96	0	18 23 63
कुल कारोबार / Turnover	144 19 32	63 06 12	17 30	3 52 83
कर पूर्व लाभ / Profit before taxation	7 01 58	5 57 08	7 26	(23 26 57)
कर / Tax	2 32 39	92 54	1 04	1 45 84
कर पश्चात लाभ / Profit after taxation	4 69 19	4 64 54	6 22	(24 72 41)
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend	10%	2%	0	0

टिप्पणी : उपर्युक्त सहायक कंपनियों में से किसी की भी कोई सहायक कंपनी नहीं है.

Note: None of the above subsidiaries have any subsidiary.

15. आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए मूल, सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के पृथक् वित्तीय विवरणों में प्रकटित ऐसी अतिरिक्त सांविधिक जानकारी जिसका समेकित वित्तीय विवरणों को सही और उचित रूप से दर्शाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और उन मदों से संबंधित जानकारी जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, का प्रकटन समेकित वित्तीय विवरण में नहीं किया गया है.

Additional statutory information disclosed in separate financial statements of parent, subsidiaries and joint ventures having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statement in the view of general clarification issued by ICAI.

16. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. ने अपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) सदस्यता अधिकारों को बॉम्बे स्टॉक एक्सजेंच लि. (बीएसईएल) के क्रय-विक्रय अधिकारों तथा बीएसईएल के शेयरों में परिवर्तन के बाद, उक्त कंपनी ने परंपरागत लागत पर क्रय-विक्रय अधिकार और अंकित मूल्य पर शेयरों को जारी रखा. तथापि यह लेखाकन पद्धति इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईसी) द्वारा दिए गए अभिमत के अनुसार नहीं है. विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईसी) द्वारा दिए गए अभिमत के अनुसार नहीं हैं. विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि लेखांकन मानक परिसंपत्तियों के विनिमय को शामिल करने वाले लेन-देनों के मामले में परंपरागत लागत आधारित लेखांकन प्रक्रिया की परिकल्पना नहीं करते हैं.

IDBI Capital Market Services Ltd., after conversion of their Bombay Stock Exchange (BSE) membership rights into trading rights of Bombay Stock Exchange Ltd (BSEL) and shares of BSEL, the said Company continues to carry trading rights at historic cost and shares at face value. However this accounting treatment is not in accordance with the Opinion given

by Expert Advisory Committee (EAC) of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). EAC recommends that accounting standard does not envisage historical cost based accounting treatment in case of transactions involving exchange of assets.

17. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित तथा पुनर्व्यवस्थित / समायोजित किया गया है ताकि चालू वर्ष के आकड़ों से उनकी तुलना की जा सके.

Figures for the previous year have been regrouped and re arranged /adjusted wherever considered necessary to make them comparable with the current year figure.

18. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं.

Figures in brackets pertain to the previous year.

'1' से '18' लेखा अनुसूचियों के लिए हस्ताक्षर

Signatures to schedules '1' to '18' of Accounts

बोर्ड के आदेश द्वारा
BY ORDER OF THE BOARD

(सुभाष तुली)	(के. नरसिम्ह मूर्ति)	(बी.पी. सिंह)	(आर. एम. मल्ला)
(Subhash Tuli)	(K.Narasimha Murthy)	(B.P.Singh)	(R.M. Malla)
निदेशक	निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Director	Director	Dy. Managing Director	Chairman & Managing Director

(पी. सीताराम)
(P.Sitaram)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2011

(₹ हजार) (₹ in '000s)

	31-03-2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011	31-03-2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010
क परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
A. Cash flow from Operating Activities		
(1) कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ		
Net Profit before tax and extra-ordinary items	2198 98 50	1050 18 42
(2) गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन		
Adjustments for non cash items:		
– अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से (लाभ) / हानि (निवल) (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets (Net)	2 69 44	1 51 42
– निवेश के पुनर्भुल्यांकनपर हानि Loss on Revaluation of Investment	19 91 58	-
– मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व घटाकर) Depreciation (Net of Revaluation Reserve)	130 50 44	94 95 57
– ऋणों / निवेशों के लिए प्रावधान / बट्टे खाते डालना तथा अन्य प्रावधान Provisions/Write off of Loans/Investments & other provisions	1877 10 07	1687 33 98
– वीआरएस व्यय VRS Expenses	-	5 54 33
– स्टाफ कल्याण Staff Welfare	-	(8 00)
	4229 20 03	2839 45 72
परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी के लिए समायोजन		
Adjustments for (increase)/decrease in operating assets:		
– निवेश Investments	4675 67 53	(23193 40 83)
– अग्रिम Advances	(17844 51 45)	(36636 17 20)
– अन्य परिसंपत्तियां Other Assets	340 76 29	(187 70 81)
– कर वापसी / (भुगतान) Refund/(payment) of taxes	(731 80 85)	462 36 45
परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन		
Adjustments for increase/(decrease) in operating liabilities:		
– उधार राशियां Borrowings	1581 93 83	4277 56 50
– जमाराशियां Deposits	12856 86 99	55258 21 70
– अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other liabilities and provisions	(1598 36 68)	1040 47 09
परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी		
Net Cash used in/generated from Operating activities	3509 75 69	3860 78 61
ख निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
B. Cash Flow from Investing activities		
– अचल परिसंपत्तियों की खरीद / के लिए अग्रिम Purchase of/Advance towards fixed assets	(221 27 96)	(316 61 60)
– अचल परिसंपत्तियों की बिक्री Sale of Fixed Assets	740 36	6 32 59
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी		
Net cash used in / raised from Investing activities	(213 87 60)	(310 29 01)

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण (जारी)
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, (Contd.)

(₹ हजार) (₹ in '000s)

		31-03-2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011	31-03-2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010
ग C.	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Financing activities**		
	– इक्विटी शेयरों का निर्गम Issue of Equity Shares	3121 12 79	83 81
	– प्रदत्त लाभांश तथा लाभांश कर / Dividend and dividend tax paid	(253 84 87)	(229 04 24)
	वित्तपोषण कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी Net cash used in / raised from Financing activities	2867 27 92	(228 20 43)
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS	6163 16 01	3322 29 17
	प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS	14753 81 70	11431 52 53
	अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS	20916 97 71	14753 81 70

नकदी प्रवाह के लिए टिप्पणी:
Note to Cash Flow Statement:

नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में तुलन-पत्र की निम्नलिखित मदें शामिल हैं:
Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:

	31-03-2011	31-03-2010
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष Cash & Balances with Reserve Bank of India	19563 75 69	13919 35 99
बैंको के पास शेष राशि तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks & money at call and short notice	1353 22 02	834 45 71
कुल/ Total	20916 97 71	14753 81 70

टिप्पणी: जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है.
Figures for the previous year have been regrouped, wherever considered necessary.

बोर्ड के आदेशनुसार
BY ORDER OF THE BOARD

सुभाष तुली
(Subhash Tuli)
निदेशक
Director

के. नरसिम्ह मूर्ति
(K.Narasimha Murthy)
निदेशक
Director

बी. पी. सिंह
(B.P. Singh)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(आर. एम. मल्ला)
(R.M. Malla)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

आज की तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

कृते एस. पी. चोपड़ा एंड कं.
For S. P. Chopra & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(पवन के. गुप्ता)
(Pawan K. Gupta)
साझेदार
Partner
सदस्यता सं. 92529
Membership No.92529
फर्म रजि. सं.
Firm Regn.No.000346N

कृते चोकशी एंड चोकशी
For Chokshi & Chokshi
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
(निलेश आर. जोशी)
(Nilesh R Joshi)
साझेदार
Partner
सदस्यता सं. 114749
Membership No.114749
फर्म रजि. सं.
Firm Regn.No.101872W

(पी. सीताराम)
(P. Sitaram)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

मुंबई, 19 अप्रैल 2011
Mumbai, April 19, 2011

अनुबंध - अ / ANNEXURE - A

समेकित पिलर III प्रकटन
Consolidated Pillar III Disclosures

डीएफ-1: प्रयोज्यता का क्षेत्र

DF-1: Scope of Application

(क) **समूह के शीर्ष बैंक का नाम जिस पर रूपरेखा लागू होती है :** आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (इसमें इसके बाद बैंक कहा जाएगा।) मूल कंपनी है, जिस पर बासेल II रूपरेखा लागू है.

(a) **The name of the top bank in the group to which the Framework applies:** IDBI Bank Ltd (hereinafter referred to as the Bank) is the parent company to which the Basel II Framework applies.

(ख) **लेखांकन व विनियामक प्रयोजन हेतु समेकन के आधार में होने वाले अंतर की रूपरेखा समूह की संस्थाओं का संक्षिप्त ब्योरा देते हुए प्रस्तुत की गई है.** समेकन का कार्य सभी संव्यवहारों व समान परिस्थितियों की विभिन्न गतिविधियों के लिए समान लेखांकन नीतियों के आधार पर किया गया है. सांविधिक / विनियामक आवश्यकताओं के कारण जहां व्यावहारिक नहीं है, वहां संबंधित कानून / विनियामक प्राधिकारी द्वारा आदेशित लेखांकन नीतियां अपनाई गई हैं.

(b) **An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group.** The consolidation is done using uniform accounting policies for all transactions and other events in similar circumstances. Where it is not practical, due to statutory/ regulatory requirements, accounting policies as mandated by respective statues/ regulatory authorities are followed.

बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणपत्र भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनरूप हैं और जिसमें सांविधिक प्रावधानों, रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों और इकाई द्वारा जारी लेखांकन मानकों को शामिल किया गया है.

The consolidated financial statements of the Bank and its subsidiaries confirm with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise statutory provisions, RBI guidelines and Accounting Standards issued by the ICAI.

(i) **पूर्णतः समेकित संस्थाएं / Entities that are fully consolidated:**

क्र.सं. Sr.No.	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	कारोबार क्षेत्र Line of Business
1	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेस लिमिटेड IDBI Capital Market Services Ltd	कारोबार में स्टॉक ब्रोकिंग, वित्तीय योजनाओं का वितरण, मर्चेंट बैंकिंग, कॉरपोरेट सलाहकारी सेवाएं आदि शामिल हैं. Business includes stock broking, distribution of financial products, merchant banking, corporate advisory services etc.
2	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड IDBI Asset Management Limited	परिसंपत्तियों का प्रबंध करता है. Manages Assets.
3	आईडीबीआई एएमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड IDBI MF Trustee Company Limited	म्युच्युअल फंड कारोबार देखता है. Looks after Mutual Fund business

(ii) **समानुपातिक रूप से समेकित संस्थाएं : कोई नहीं.**

Entities that are pro-rata consolidated: Nil

(iii) ऐसी संस्थाएं, जिन पर घटाव समायोजन लागू हैं:

Entities that are given a deduction treatment:

क्र.सं. **Sr.No.**	**सहायक संस्थाएं** **Subsidiaries**	**कारोबार क्षेत्र** **Line of Business**
1	आईडीबाआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	जीवन बीमा संबंधी कारोबार करता है. Carry out business in the area of life insurance.
2.	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड IDBI Intech Ltd.	आईटी क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न. Undertakes activities in the IT sector.
3.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड IDBI Trusteeship Services Ltd.	विभिन्न स्वरूप की व्यापक कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप सेवाएं उपलब्ध कराती है. Provides a wide spectrum of corporate trusteeship services.

(iv) ऐसी संस्थाएं जो न तो समेकित हैं न उनमें घटाव है (अर्थात् जहां जोखिम भारित निवेश हों) : कोई नहीं

Entities that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted): Nil

(ग) सभी सहायक संस्थाओं में पूंजीगत कमियों की कुल राशि को समेकन में शामिल नहीं किया गया हो अर्थात् जिनमें घटाव समायोजन किया गया हो तथा उनके नाम : कोई नहीं.

(c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries- Nil

(घ) बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हितों की सकल राशि (उदाहरण वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम भारित हों, साथ ही उनके नाम, उनके निगमन या निवास का देश, स्वामित्व हित का अनुपात और हित, यदि अलग हों और उन संस्थाओं में मताधिकार का अनुपात. इसके अलावा इस पद्धति बनाम कटौती या वैकल्पिक समूह-वार पद्धति को अपनाने पर विनियामक पूंजी पर प्रभाव - कुछ नहीं.

(d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, the impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction or alternate group-wide method- Nil

2. डीएफ 2: पूंजी संरचना

DF 2: Capital structure

क) सारांश

Summary

रिज़र्व बैंक के पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार पूंजीगत निधियां टीयर I व टीयर II में वर्गीकृत की गई हैं.

The capital adequacy norms of RBI classify capital funds into Tier I and Tier II capital.

टीयर I पूंजी में निम्न घटक शामिल हैं : चुकता इक्विटी पूंजी, सांविधिक रिज़र्व, अन्य प्रकटित निर्बंध रिज़र्व, पूंजी रिज़र्व तथा टीयर I में शामिल होने के पात्र नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत.

Elements of Tier I capital include; paid up equity capital, statutory reserves, other disclosed free reserves, Capital reserves and Innovative Perpetual Debt Instruments eligible for inclusion in Tier I capital.

टीयर I पूंजी में निम्न घटक शामिल हैं : पुनर्मूल्यन रिज़र्व, सामान्य प्रावधान एवं हानि रिज़र्व, मिश्रित ऋण पूंजी लिखत तथा गौण ऋण.

Elements of Tier II capital include; Revaluation reserves, general provisions and loss reserves, hybrid debt capital instruments and subordinated debt.

टीयर I बांड :31 मार्च 2011 के अनुसार बैंक की टीयर I पूंजी में निम्नलिखित शामिल हैं :

Tier I Bonds: As on March 31, 2011 the Bank's Tier I capital includes;

(i) एनआईसी (एलटीओ) फंड एवं आईबीआरडी ऋण व्यवस्था के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के प्रति बैंक की देयताओं के संपरिवर्तन पर मार्च 2002 में भारत सरकार द्वारा अभिदान किये गये ₹ 2,130.50 करोड़ के टीयर I बांड. भारत सरकार द्वारा अभिदान किये गये उक्त टीयर I बांड की अवधि 20 वर्ष है, जिसके साथ इसे इक्विटी के रूप में संपरिवर्तित करने का अथवा बैंक के अनुरोध पर 20 वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ाने का विकल्प भी है. इसके अलावा जिस वर्ष बैंक घाटे में होगा, उस वर्ष के लिए इन बांडों पर देय ब्याज को माफ करने के संबंध में भारत सरकार सकारात्मक रूप से विचार करेगी. रिज़र्व बैंक ने इन बांडों को बैंक की टीयर I पूंजी के रूप में सम्मिलित किए जाने के लिए पात्र माना हैः तथा

Tier I bonds of ₹ 2,130.50 crore subscribed by the Government of India (GoI) in March 2002, on conversion of liability of the Bank towards RBI under NIC (LTO) fund & IBRD Lines of Credit. Tier I bonds subscribed by the GoI have a tenor of 20 years with an option for conversion into equity or for rolling it over for a further period of another 20 years, at the request of the Bank. Further, GoI would favourably consider foregoing the interest due on these bonds in the years in which the Bank incurs loss. RBI has made these bonds eligible for qualifying as Tier-I Capital of the Bank; and,

(ii) ऐसे लिखतों को जारी करने के लिए रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कतिपय किस्तों व तारीखों में ₹ 1,708.80 करोड़ के नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) जुटाये गये.

Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) of ₹ 1,708.80 crore raised in various tranches and dates in compliance with RBI guidelines for issue of such instruments.

आईपीडीआई लिखत बेमीयादी स्वरूप के होते हैं, जिनमें रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से 10 वर्ष के बाद कॉल ऑप्शन उपलब्ध होता है. बैंक का सीआरएआर सांविधिक आवश्यकताओं से कम होने पर इन बांडों पर ब्याज देय नहीं होता. इसके अलावा इन बांडों पर ब्याज संचयी नहीं होता. रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुसार इन बांडों पर स्टेप-अप विकल्प के साथ अधिकतम 100 आधार बिंदु वाले कूपन जारी किये जा सकते हैं और इस व्यवस्था का कॉल ऑप्शन के साथ केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है. तथापि रिज़र्व बैंक ने 20 जनवरी 2011 के अपने परिपत्र द्वारा इस प्रकार के स्टेप-अप विकल्प को नामंजूर कर दिया है.

IPDI instruments are perpetual in nature, having a call option after 10 years exercisable with the prior approval of RBI. Interest on these bonds is not payable if the Bank's CRAR is below the regulatory requirement and the unpaid interest is not cumulative. As per the then RBI guidelines, coupon on these bonds could carry a step-up option up to a maximum of 100 bps, which could be exercised only once, in conjunction with the call option. However, RBI vide its Circular dated January 20, 2011, has since disallowed such step-up option.

अनुबंध - अ (जारी) /ANNEXURE - A (Contd.)

अपर टीयर II बांड: ऐसे लिखतों को जारी करने के लिए रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कतिपय किस्तों व तारीख़ों में बैंक ने 15 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले (रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से 10 वर्ष के बाद कॉल ऑप्शन) ₹ 4,286.20 करोड़ के अप्रतिभूत प्रतिदेय अपर टीयर II बांड किस्तों में जुटाये थे. उक्त बांड टीयर II पूंजी के रूप में माने जाने के प्रयोजन से अवशिष्ट परिपक्वता के अंतिम 5 वर्ष के दौरान प्रगामी भुनाई के अधीन होंगे. रिजर्व बैंक के तत्कालीन दिशा-निर्देश के अनुसार इन बांडों के कूपन पर अधिकतम 100 आधार बिंदु तक का स्टेप-अप विकल्प होगा जो कॉल ऑप्शन के साथ केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकेगा. बैंक का सीआरएआर सांविधिक आवश्यकताओं सें कम होने पर इन बांडों पर ब्याज देय नहीं होता. ये बांड रिज़र्व बैंक के पूर्व-अनुमोदन पर ही प्रतिदेय हैं. तथापि रिज़र्व बैंक ने 20 जनवरी 2011 के अपने परिपत्र द्वारा इस प्रकार के स्टेप-अप विकल्प को नामंजूर कर दिया है.

Upper Tier II Bonds: Unsecured, redeemable Upper Tier II bonds of ₹ 4,286.20 crore with a maturity of 15 years (call option after 10 years exercisable with the prior approval of RBI) were raised by the Bank in various tranches and dates in adherence to norms prescribed by RBI in this regard. These bonds are subject to progressive discounting during the last 5 years of residual maturity, for the purpose of treatment as Tier II capital. According to the then RBI guidelines, coupon on these bonds could carry a step-up option up to a maximum of 100 bps, which could be exercised only once, in conjunction with the call option. However, RBI vide its Circular dated January 20, 2011, has since disallowed such step-up option.

यदि बैंक की सीआरएआर विनियामक अपेक्षाओं से कम होती है तो इन बाँडों पर ब्याज देय नहीं होता. तथापि बाद के वर्षों में उपर्युक्त विनियामक अनुपालन होने पर उक्त अदत्त ब्याज अदा कर दिया जाता है.

Interest on these bonds is not payable if the bank's CRAR is below the regulatory requirement. The unpaid interest may, however, be paid in later years subject to the aforesaid regulatory compliance.

गौण (निम्न) टीयर II बांड : 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले अप्रतिभूत, प्रतिदेय, गौण (निम्न) टीयर II बांड विभिन्न किस्तों और तारीख़ों में जुटाए गए हैं. 31 मार्च 2011 को ऐसे बांडों की कुल बकाया राशि ₹ 6,836.68 करोड़ (₹ 5438.81 के बट्टाकृत मूल्य के साथ) थी. इन लिखतों के संबंध में कम से कम 5 वर्ष तक प्रचलन के बाद रिज़र्व बैंक के पूर्व-अनुमोदन पर कॉल ऑप्शन का उपयोग, यदि कोई हो, किया जा सकता है. उक्त बांड भी टीयर II पूंजी के रूप में माने जाने के प्रयोजन से अवशिष्ट परिपक्वता के अंतिम 5 वर्ष के दौरान प्रगामी भुनाई के अधीन होंगे, रिज़र्व बैंक के तत्कालीन दिशा-निर्देश के अनुसार इन बांडों के कूपन पर अधिकतम 50 आधार बिंदु तक का स्टेप-अप विकल्प होगा जो कॉल ऑप्शन के साथ केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकेगा. तथापि रिज़र्व बैंक ने 20 जनवरी 2011 के अपने परिपत्र द्वारा इस प्रकार के स्टेप-अप विकल्प को नामंजूर कर दिया है.

Subordinated (lower) Tier II Bonds: Unsecured, Redeemable, Subordinated (lower) Tier II Bonds with a minimum maturity of 5 years have been raised in various tranches and dates. Outstanding balance of such bonds aggregated ₹6,836.68 crore (Discounted value of ₹ 5438.81 crore) as on March 31, 2011. Call option, if any, may be exercised for these bonds only with the prior approval of RBI, after the instrument has run for at least 5 years. These bonds are also subject to progressive discounting during the last 5 years of residual maturity, for the purpose of treatment as Tier II capital. As per the then RBI guidelines, coupon on these bonds could carry a step-up option up to a maximum of 50 bps, which could be exercised only once, in conjunction with the call option. However, RBI vide its Circular dated January 20. 2011 has since disallowed such step-up option.

बैंक की टीयर I और टीयर II पूंजी के रूप में शामिल होने वाले लिखत धारकों की पहल पर या रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होंगे.

Instruments eligible for inclusion as Tier I & Tier II capital of the Bank are not redeemable at the initiative of the holders or without the consent of RBI.

अनुबंध - अ (जारी) /ANNEXURE - A (Contd.)

ख) टीयर I व टीयर II पूंजी के रूप में गणना किए जाने वाले लिखतों की प्रमुख विशेषताएं
b) Main features of the instruments being reckoned as Tier I and Tier II capital

विवरण Particulars	जारी करने की तारीख Date of Issue	31.3.2011 को बकाया राशि (₹ करोड़) Amount Outstanding as on 31.3.2011 (₹ Crore)	औसत अवधि (वर्षों में) Average Tenor (years)	भारित औसत कूपन (% वार्षिक) Weighted average Coupon (% p.a.)	वर्तमान रेटिंग Present Rating
परिवर्तनीय टीयर I बांड (भारत सरकार द्वारा अभिदत्त) Convertible Tier I Bonds (subscribed by GoI)	30.03.2002 31.03.2002	1,157.02 973.48	20 20	8.00 11.88	
		2,130.50	20	9.77	
नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत Innovative Perpetual Debt Instruments	विभिन्न तारीखों को On various dates	1,708.80	बेमायादी (10 वर्ष के बाद कॉल ऑप्शन) Perpetual (Call option after 10 years)	9.40 #	क्रिसिल द्वारा 'एए/स्टेबल' इक्रा द्वारा 'एलएए' (स्थिर संभावना के साथ) 'AA/Stable' by CRISIL 'LAA' by ICRA (with stable outlook)
अपर टीयर II बांड Upper Tier II Bonds	विभिन्न तारीखों को On various dates	4,286.20	15 (10 वर्ष के बाद कॉल ऑप्शन) 15 (Call option after 10 years)	9.69 #	क्रिसिल द्वारा 'एए/स्टेबल' इक्रा द्वारा 'एलएए' (स्थिर संभावना के साथ) 'AA/Stable' by CRISIL 'LAA' by ICRA (with stable outlook)
गौण (निम्न) टीयर II बांड Subordinated (lower) Tier II Bonds	विभिन्न तारीखों को On various dates	6836.68*	9.68	9.06 @	क्रिसिल द्वारा 'एए/स्टेबल' इक्रा द्वारा 'एलएए' (स्थिर संभावना के साथ) 'AA+/Stable' by CRISIL'LAA+' by ICRA (with stable outlook)

कॉल ऑप्शन के संयोजन के साथ अधिकांश बॉंड श्रृंखलाओं में 50 आधार बिंदु का स्टेप-अप

With step up of 50 bps in most of the bond series, in conjunction with the call option

@ प्रयोज्य मामलों में कॉल ऑप्शन के प्रयोग के साथ 25 आधार बिंदु का सेट-अप

@With step up of 25 bps, in conjunction with the call option, in applicable cases

* ₹ 5438.81 करोड़ का बट्टाकृत मूल्य

* Discounted value of ₹ 5438.81 crore

ग) पूंजी संरचना
c) Composition of capital

यथा मार्च 2011 / As on March 2011	(₹ करोड़) (₹ Crore)
टीयर I पूंजी की राशि / Amount of Tier I Capital	
टीयर I पूंजी / Tier I Capital	
प्रदत्त शेयर पूंजी / Paid up share capital	984.57
रिज़र्व / Reserves	11801.64
नवोन्मेषी लिखत / Innovative instruments	1708.80
अन्य पूंजी लिखत (टीयर I बांड) / Other capital instruments (Tier I Bonds)	2130.50
सकल टीयर I पूंजी / Gross Tier I Capital	**16625.50**

अनुबंध - अ (जारी) /ANNEXURE - A (Contd.)

यथा मार्च 2011 / As on March 2011	**(₹ करोड़) (₹ Crore)**
कटौतियां / **Deductions:**	
सहायक संस्थाओं में निवेश / Investments in subsidiaries	174.76
अमूर्त परिसंपत्तियां / Intangible assets	89.52
आस्थगित कर परिसंपत्तियां / Deferred Tax asset	442.91
अन्य / Others	21.49
निवल टीयर I पूंजी (क) / Net Tier I Capital (a)	**15896.81**
टीयर II पूंजी की राशि / Amount of Tier II Capital	
टीयर II पूंजी / Tier II Capital	
पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व / Revaluation reserve	853.10
अपर टीयर II निवेश / Upper Tier II investments	4286.20
लोअर टीयर II निवेश / Lower Tier II investments	5438.81
सामान्य प्रावधान / General Provisions	660.36
सकल टीयर II पूंजी / Gross Tier II Capital	**11238.47**
कटौतियां / Deductions:	
सहायक / सहयोगी वित्तीय संस्थाओं की प्रदत्त इक्विटी में निवेश	
Investments in paid-up equity of financial subsidiaries / associates	174.76
अन्य कटौतियां / Other deductions	21.49
निवल टीयर II पूंजी (ख) / Net Tier II Capital (b)	11042.21
कुल पात्र पूंजी (क + ख) / Total Eligible capital (a+b)	**26939.02**
वर्ष 2010-11 के दौरान जुटायी गई पूंजी / Capital raised during the year 2010-11:	
टीयर I / Tier I	245.10
अपर टीयर II / Upper Tier II	1000.00
लोअर टीयर II / Lower Tier II	1198.10
कुल / Total	**2443.20**

डीएफ-3: पूंजी पर्याप्तता
DF-3: Capital Adequacy:

बैंक ऋण निवेश के मूल्य में हानि जोखिम के प्रति सुरक्षा प्रदान करने तथा जमाकर्ताओं और सामान्य ऋणदाताओं को हानियों से बचाने के लिए पूंजी रखता है. बैंक अपनी पूंजी आवश्यकता और पूंजी की भावी ज़रूरत को कारोबार रणनीति के तहत अपनी वार्षिक कारोबार योजना में रखता है. बैंक की पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने में तुलन पत्र विन्यास, पोर्टफोलियो मिश्र तथा प्रासंगिक भुनाई जैसे विस्तृत मानदंडों पर भी विचार करता है. इसके अलावा ब्याज दर और नकदी स्थिति के संबंध में बाजार के व्यवहार पर भी विचार किया जाता है. साथ ही पूर्वानुमानों में सुस्पष्टता दर्शाने के लिए ऋण विन्यास और रेटिंग मैट्रिक्स का भी उपादान किया जाता है.

Capital is maintained by the Bank as a cushion against risk of loss in the value of exposures and to protect the depositors and general creditors against probable losses. The Bank projects its capital requirement and its future need for capital as a part of its annual business plan, in accordance with the business strategy of the Bank. In calculating the capital requirements of the Bank, broad parameters viz. balance sheet composition, portfolio mix and relevant discounting are considered. In addition, views regarding market behaviour with regard to interest rate and liquidity positions are also taken into account. Further, the loan composition and rating matrix is factored in to reflect precision in projections.

बैंक ने वर्तमान व भावी जोखिमों को निर्धारित करने व उनके बारे में पूर्वानुमान लगाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता और आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति तैयार की है. इस नीति के अंतर्गत बैंक द्वारा अनुभूत की जानेवाली कई भावी व वास्तविक जोखिमों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया, वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव तथा जोखिम के नियंत्रण व पूंजी को पर्याप्त मात्रा में बनाए रखने हेतु रणनीति बताई गई है. दस्तावेज से बैंक

अनुबंध - अ (जारी) /ANNEXURE - A (Contd.)

को पूंजी की पर्याप्तता का आकलन करने और वर्तमान तथा भावी जोखिम की गणना करने तथा ऐसे जोखिम से निपटने के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करने में सहायता मिलती है.

To quantify and project current and future risks, the Bank has a Board approved Internal Capital Adequacy and Assessment Process (ICAAP) policy. The policy covers the process for addressing various potential and actual risks faced by the Bank, measuring their impact on the financial position and formulating appropriate strategies for risk containment and maintaining adequate levels of capital.

बैंक ने रिज़र्व बैंक के बासेल II संबंधी दिशा निर्देशों के पिलर I के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता का आकलन करने के लिए ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण तथा बाज़ार हेतु मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाया है. बैंक को जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में कुल पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) न्यूनतम 9 % (समेकित आधार पर) रखना अपेक्षित है, जिसमें से टीयर I पूंजी का अनुपात 6 % होना चाहिए. बैंक की सीआरएआर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर से अधिक अनुमानित की गई है. 31 मार्च 2011 को बैंक की सीआरएआर 13.64% थी तथा टीयर I अनुपात 8.03% था. 31 मार्च 2011 को समूह (समेकित) की सीआरएआर 13.78% थी तथा समूह के लिए टीयर I अनुपात 8.13% था. 31 मार्च 2011 को विभिन्न प्रकार के जोखिमों के लिए न्यूनतम 9 % की पूंजी आवश्यकताओं और बैंक की सीआरएआर की समेकित स्थिति निम्नानुसार है :

The Bank has adopted the standardised approach for Credit Risk, the basic indicator approach for Operational Risk and the standardised duration approach for Market Risk for calculating the Bank's capital adequacy under Pillar I of RBI guidelines on Basel II. The Bank is required to maintain a minimum Total Capital to Risk weighted assets (CRAR) ratio of 9% (on consolidated basis) comprising a minimum Tier I capital ratio of 6%. CRAR of the Bank is well above the minimum capital as stipulated by RBI. At a standalone level, the CRAR of the Bank as at March 31, 2011 is 13.64% and the Tier I ratio is 8.03%. The total CRAR of the Group (consolidated) at March 31, 2011, 13.78% and the Tier I for the group is 8.13%. The position of the Minimum Capital required (at 9%) for different types of risks and the CRAR of the Bank on a consolidated basis as on March 31, 2011 is as follows:

(₹ करोड़)(₹ Crore)

(क) ऋण जोखिम पूंजी : **(a) Credit risk Capital:**	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो / Portfolios subject to standardised approach	15916.29
प्रतिभूतिकरण / Securitisation	1.01
(ख) बाजार जोखिम पूंजी **(b) Market risk Capital:**	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण / Standardised duration approach	
ब्याज दर जोखिम / Interest Rate Risk	414.75
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) / Foreign exchange Risk (including Gold)	751.05
इक्विटी जोखिम / Equity Risk	31.50
(ग) परिचालन जोखिम पूंजी **(c) Operational risk Capital:**	
मूल संकेतक दृष्टिकोण / Basic indicator approach	478.78
कुल अपेक्षित न्यूनतम पूंजी / Total Minimum Capital required	17593.38
कुल एवं टीयर I पूंजी का अनुपात / Total and Tier 1 capital ratio:	
टीयर I (%) / Tier I (%)	8.13%
कुल (%) / Total (%)	13.78%

डीएफ 4 : ऋण जोखिम-सामान्य प्रकटन

DF 4: Credit Risk - General Disclosures

ऋण जोखिम एक प्रकार का हानि जोखिम है जो प्रतिपक्षी द्वारा वित्तीय संविदा के अंतर्गत देयताओं को पूरा न करने और शर्तों का पालन न कर पाने के कारण उत्पन्न होता है. इस तरह की किसी भूल-चूक का बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. बैंक में ऋण जोखिम उसके उधार और निवेश परिचालनों के जरिए उत्पन्न होता है. बैंक के समक्ष आने वाले ऋण जोखिमों के प्रभाव का सामना करने के लिए एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंध ढाँचा बनाया गया है.

Credit risk is the risk of loss that may occur from failure of the counterparty to meet its obligations and to abide by the terms of the financial contract. Any such failure has an adverse effect on the financial performance of the Bank. The Bank faces credit risk through its lending and investment operations. To counter the effect of the credit risks faced by the Bank, a robust risk management framework has been set up.

क) बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीति

a) Bank's Credit risk management policy

बैंक के पास एक कॉरपोरेट ऋण नीति है जो ऋण सहायता के परिमापन, निगरानी और नियंत्रण द्वारा एक उच्च गुणवत्तापूर्ण ऋण पोर्टफोलियो बनाने तथा उसे बनाए रखने के उद्देश्य के साथ संचालित है. यह नीति स्वीकार्य जोखिम समायोजित प्रतिफल के साथ अधिक सूक्ष्म कारकों जैसे कंपनियों, कारोबार समूह उद्योगों, भौगोलिक क्षेत्रों तथा ऋण उत्पादों में पोर्टफोलियो के विशाखन पर भी ध्यान देती है. मौजूदा कारोबार परिदृश्य तथा विनियामक शर्तों के आलोक में यह नीति कॉरपोरेट ग्राहकों को उधार देने के प्रति बैंक का दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है. कॉरपोरेट रणनीति की बोर्ड द्वारा हर वर्ष समीक्षा की जाती है और उसे अनुमोदित किया जाता है.

The Bank has a Corporate Credit Policy which is guided by the objective to build, sustain and maintain a high quality credit portfolio by measurement, monitoring and control of the credit exposures. The policy also addresses more granular factors such as diversification of the portfolio across companies, business groups, industries, geographies and credit products with an acceptable risk-adjusted yield. The policy reflects the Bank's approach towards lending to corporate clients in the light of prevailing business environment and regulatory stipulations. The Corporate Credit policy is reviewed annually and approved by the Board of Directors.

ऋण जोखिम का आकलन करने के लिए और ऋण जोखिम के संकेंद्रण से बचने के लिए, बैंक ने एकल उधारकर्ता, समूह कंपनियों के संबंध में ऋण सहायता मानदंड, संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण उद्योग को ऋण, सहायता और अप्रतिभूत ऋण सहायता के बारे में आंतरिक दिशानिर्देश लागू किये हैं. नये कारोबार प्राप्त करने के लिए और नये ग्राहकों की प्रारंभिक जांच के लिए भी मानदंड निर्दिष्ट किये गये हैं. बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, वाणिज्यिक रियल एस्टेट, पूंजी बाजार तथा बुनियादी क्षेत्र सहित किसी भी उद्योग को ऋण देने के संबंध में रिजर्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक निकायों द्वारा विशिष्ट रूप से जारी किये गये निदेशों का पालन करता है. इसके अलावा, विवेकपूर्ण विचारों के आधार पर कुछ विशिष्ट खंडों के लिए आंतरिक सीमाएं भी निर्धारित की गयी हैं.

To measure credit risk and to avoid concentration of credit risk, the Bank has in place internal guidelines on exposure norms in respect of single borrower, group companies, exposure to sensitive sector, industry exposure and unsecured exposures. Norms have also been detailed for soliciting new business as well as for preliminary scrutiny of new clients. The Bank abides by the directives specifically issued by RBI, SEBI and other regulatory bodies in respect of lending to any industry including NBFCs, Commercial Real Estate, Capital markets, and Infrastructure. In addition, internal limits have been prescribed for certain specific segments based on prudential considerations.

बैंक परिसंपत्ति पोर्टफोलियो की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जोखिम रेटिंग का एक प्रमुख साधन के रूप में इस्तेमाल करता है. शीर्ष स्तर पर रेटिंग समितियां आंतरिक ऋण रेटिंग को वैधीकृत करती हैं. ऋण मूल्यांकन तथा ऋण निगरानी प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए ऋण समीक्षा व्यवस्था (एलआरएम) का भी एक प्रभावी साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.

The Bank utilizes credit risk rating as one of the key tools to assist in maintaining quality asset portfolio. The Rating committees at the apex level validate the internal credit ratings. The Loan Review Mechanism (LRM) is also used as an effective tool to evaluate the effectiveness of credit evaluation and credit monitoring process.

कॉरपोरेट ऋण नीति के अलावा, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बैंक अग्रिम एक अलग एमएसई नीति द्वारा संचालित होते हैं. बैंक के पास देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में ऋण-निवेश से संबंधित प्रतिपक्षी जोखिम पर एक विशिष्ट नीति और विभिन्न देशों में ऋण-निवेश से संबंधित देश जोखिम प्रबंधन पर एक विशिष्ट नीति है.

Apart from Corporate Credit Policy, Bank's advances to Micro & Small enterprises are guided by a separate MSE policy. The Bank has a specific policy on Counter Party Risk pertaining to exposure on domestic & international banks and a specific policy on Country Risk Management pertaining to exposure on various countries.

बैंक के पास एक खुदरा ऋण नीति है जिसमें बैंक की खुदरा परिसंपत्तियों को बढ़ाने तथा उन्हें बनाये रखने के लिए मानक, प्रक्रियाएं तथा पद्धतियां निर्दिष्ट की गयी हैं. यह नीति विभिन्न खुदरा उत्पादों के लिए वैयक्तिक उत्पाद प्रोग्राम दिशानिर्देशों के प्रतिपादन को भी संचालित करती है. इस नीति की उस परिवेश (विनियामक एवं बाजार) की गतिकी की प्रत्याशा में या के प्रत्युत्तर में समीक्षा की जाती है जिसमें बैंक परिचालन करता है या रणनीतिक दिशा में परिवर्तन करता है या जोखिम सहनशीलता आदि में परिवर्तन करता है.

The Bank has a Retail Credit Policy which, details the standards, processes and systems for growing and maintaining the Retail Assets of the Bank. The policy also guides the formulation of Individual Product Program Guidelines for various retail products. The policy is reviewed either in anticipation of or in response to the dynamics of the environment (regulatory and market) in which the Bank operates or change in strategic direction or change in risk tolerance, etc.

ख) अनर्जक परिसंपत्तियों की परिभाषाएं

b) Definitions of non performing assets

रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अपने अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में करता है. इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) को ऐसे ऋण या अग्रिम के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां :

The Bank classifies its advances into performing and non-performing advances in accordance with extant RBI guidelines. The guidelines inter-alia, define a non performing asset (NPA) as a loan or an advance where;

- मीयादी ऋण में ब्याज और / अथवा मूलधन की किस्तें 90 से अधिक दिन से अतिदेय हों.

  interest and/ or installment of principal remains overdue for more than 90 days for a term loan,

- खाते में लगातार 90 से अधिक दिन तक ओवरड्राफ्ट / कैश क्रेडिट चलते रहने पर खाता 'अनियमित' माना जाता है. यदि खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा / आहरण अधिकार से लगातार अधिक रहती हों, तो उसे भी 'अनियमित' माना जाता है. जिन मामलों में मुख्य परिचालन खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा / आहरण अधिकार से कम है, किंतु उनमें यथा तुलन पत्र की तारीख तक लगातार 90 से अधिक दिन तक कोई राशि जमा नहीं होती है या जो जमाराशियां इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज के लिए पर्याप्त नहीं हैं, ऐसे खातों को भी 'अनियमित' माना जाता है.

  the account remains 'out of order' in respect of overdraft / cash credit continuously for 90 days. An account would be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

- बैंक द्वारा क्रय किए गए या बट्टाकृत बिल को 90 दिन बाद 'अतिदेय' माना जाता है.

  A bill purchased or discounted by the Bank remains 'overdue' for more than 90 days.

- कृषि ऋण के संबंध में अल्पावधि फसलों के मामले में ब्याज तथा / अथवा मूलधन की किस्तों की अदायगी दो फसल मौसम से अतिदेय होने और दीर्घावधि फसलों में एक फसल मौसम से अतिदेय होने पर.

  In respect of an agricultural loan, the interest and / or installment of principal remains overdue for two crop seasons for short duration crops and for one crop season for long duration crops.

अनुबंध - अ (जारी) /ANNEXURE - A (Contd.)

इसके अलावा रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए को अवमानक, संदिग्ध एवं हानि परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

Further, NPAs are classified in to substandard, doubtful and loss assets based on the criteria stipulated by RBI.

प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में, जहां ब्याज / मूलधन बकाया है, बैंक ऐसी प्रतिभूतियों पर आय को गणना में शामिल नहीं करता है तथा निवेश के मूल्य में कमी के लिए उचित प्रावधान करता है.

In respect of investments in securities, where interest / principal is in arrears, the Bank does not reckon income on such securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of investments.

ग) 31 मार्च 2011 के अनुसार ऋण सहायता

c) Credit Exposures as on March 31, 2011

i. ऋण जोखिम न्यूनीकरण कारकों के लिए लाभ पर विचार किए बिना कुल ऋण सहायता:

Total credit exposures without taking into account benefit for credit risk mitigants:

(₹ करोड़) (₹ Crore)

श्रेणी Category	बकाया राशि Amount Outstanding	
	देशी Domestic	विदेशी Overseas
निधि आधारित* / Fund Based*	155294.05	1840.41
गैर-निधि आधारित #/ Non Fund Based#	76015.26	908.58

* अग्रिमों से संबंधित

* refers to advances

एलसी, बीजी, एलईआर और स्वीकृतियों सहित

\# includes LC, BG, LER and acceptances

ii. सर्वाधिक सहायता प्राप्त 20 उद्योग

Top 20 Industry wise exposure

(₹ करोड़) (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	उद्योग Industry	निधि आधारित Fund based	गैर-निधि आधारित Non Fund Based	कुल ऋण सहायता Total exposure
1	बिजली / Power	18,727.50	15,108.88	33,836.37
2	खुदरा ऋण / Retail loans	26,870.30	0.00	26,870.30
3	लोहा एवं इस्पात / Iron and steel	15,264.83	8,517.78	23,782.61
4	सड़क, पुल / पोर्ट / Roads & Bridges / Ports	11,097.18	8,709.22	19,806.40
5	दूरसंचार सेवाएं / Telecom	13,195.89	4,772.05	17,967.94
6	तेल और गैस / पेट्रोलियम पदार्थ /Oil & Gas/ Petroleum products	9,680.55	7,084.73	16,765.27
7	एनबीएफसी /NBFC	14,144.58	435.99	14,580.58
8	कृषि एवं सम्बद्ध सेवा कार्यकलाप / Agriculture & Related service activities	12,962.59	1,072.38	14,034.96
9	सामान्य मशीनरी एवं उपकरण /General Machinery & Equipments	4,236.02	7,442.91	11,678.94
10	टेक्सटाइल / Textiles	8,784.61	1,555.95	10,340.56
11	निर्माण / Construction	2,648.09	7,675.02	10,323.11
12	व्यापार / Trading	3,611.82	3,773.91	7,385.73

अनुबंध - अ (जारी) /ANNEXURE - A (Contd.)

(करोड़ ₹) (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	उद्योग Industry	निधि आधारित Fund based	गैर-निधि आधारित Non Fund Based	कुल ऋण सहायता Total exposure
13	धातु पदार्थ / Metal products	2,902.04	4,446.07	7,348.11
14	सीमेंट / Cement	6,101.41	1,047.43	7,148.84
15	इंफ्रास्ट्रक्चर / Infrastructure other	3,038.42	4,079.18	7,117.60
16	रसायन और रसायन उत्पाद / Chemical & Chemical products	2,475.63	3,039.63	5,515.26
17	वाणिज्यिक रियल एस्टेट / Commercial Real Estate	4,388.90	620.30	5,009.20
18	आवास वित्त कंपनियां / Housing Finance Companies	4,995.37	0.00	4,995.37
19	बिजली मशीनरी एवं उपकरण / Electrical Machinery & Equipments	1,624.78	3,229.83	4,854.61
20	उर्वरक / Fertilizers	2,599.99	1,774.10	4,374.09
	कुल / Total	169,350.51	84,385.35	253,735.86

iii) 31 मार्च 2011 के अनुसार बैंक की एकल आधार पर परिसंपत्तियों तथा देयताओं का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण
Residual contractual maturity breakdown of assets and liabilities of the Bank on a standalone basis as on March 31, 2011

(₹ करोड़) (₹ Crore)

परिपक्वता संवर्ग Maturity Bucket	परिसंपत्तियां Assets					देयताएं Liabilities				
	नकदी एवं रिज़र्व बैंक व अन्य बैंकों के पास जमा शेष	निवेश	अग्रिम	अचल परि-संपत्तियां एवं अन्य परि-संपत्तियां	कुल परि-संपत्तियां	पूंजी एवं रिज़र्व	जमा-राशियां	उधार	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	कुल देयताएं
	Cash & Balances with RBI and Other Banks	**Investments**	**Advances**	**Fixed Assets & Other Assets**	**TOTAL ASSETS**	**Capital & Reserves**	**Deposits**	**Borrowings**	**Other Liabilities & Provisons**	**TOTAL LIABILITIES**
पहला दिन / Day 1	9,151	10	1,208	422	10,791	-	2,284	3	94	2,381
2 से 7 दिन / 2 to 7 days	709	6,395	3,142	54	10,298	-	7,321	273	243	7,837
8 से 14 दिन / 8 to 14 days	165	1,235	2,313	181	3,894	-	3,173	5	414	3,592
15 से 29 दिन / 15 to 28 days	397	1,486	5,931	159	7,973	-	7,784	112	93	7,989
29 दिन से 3 माह तक 29 days & upto 3 months	1,675	1,541	6,742	760	10,718	-	22,808	4,937	839	28,584
3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	848	891	9,891	387	12,016	-	15,018	3,713	428	19,159
6 माह से अधिक व 12 माह तक Over 6 months & upto 1 Yr	2,555	1,179	7,523	94	11,351	-	46,303	6,007	800	53,110
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3,432	5,885	63,331	19	72,667	-	60,559	13,370	1,103	75,032
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	667	8,380	23,375	1,861	34,283	-	6,632	8,476	-	15,108
5 वर्ष से अधिक / Over 5 yrs	1,167	41,269	33,644	3,307	79,386	14,568	8,604	14,673	2,741	40,585
कुल / Total	20,766	68,269	157,098	7,243	253,377	14,568	180,486	51,570	6,754	253,377

अनुबंध - अ (जारी) /ANNEXURE - A (Contd.)

घ) 31 मार्च 2011 के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियां
d) Non Performing Assets as on March 31, 2011

	(₹ करोड़) (₹ Crore)
एनपीए की राशि (सकल) / Amount of NPAs (Gross)	2784.73
क) अवमानक a. Substandard	1595.18
ख) संदिग्ध 1 b. Doubtful 1	730.99
ग) संदिग्ध 2 c. Doubtful 2	297.80
घ) संदिग्ध 3 d. Doubtful 3	57.52
ड़) हानि e. Loss	103.24
च) निवल एनपीए राशि f. Net NPAs	1677.91
छ) **एनपीए अनुपात** g. **NPA Ratios**	
• सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए / Gross NPAs to Gross Advances	1.76%
• निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए / Net NPAs to Net Advances	1.06%
ज) **एनपीए में घट-बढ़ (सकल)** h. **Movement of NPAs (Gross)**	
• आरंभिक शेष / Opening Balance	2129.38
• विलय के निमित्त परिवर्धन /Addition on account of merger	29.72
• परिवर्धन / Additions	1957.60
• कटौतियां / Reductions	1331.97
• अंतिम शेष / Closing Balances	2784.73
झ) **एनपीए के लिए प्रावधानों में घट-बढ़** i. **Movement of Provisions for NPAs**	
• आरंभिक शेष / Opening Balance	723.06
• विलय के निमित्त परिवर्धन /Addition on account of merger	16.67
• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान / Provisions made during the period	1410.38
• अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना / पुनरांकित करना Write off/ Write back of excess provisions	1043.29
• अंतिम शेष / Closing Balances	1106.82
ञ) **अनर्जक निवेशों की राशि** (j) **Amount of Non-performing Investments**	329.07
ट) अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि (k) Amount of provisions held for Non-performing Investments	314.42
ठ) निवेशों (बांड व डिबेंचर सहित) के मूल्य में कमी के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ (l) Movement of provisions for depreciation on investments (including bonds and debentures)	
आरंभिक शेष / Opening Balance	205.15
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान / Provisions made during the period	160.87
अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना / पुनरांकित करना / Write offs / Write Back of excess provisions	51.60
अंतिम शेष / Closing Balance	314.42

डीएफ-5: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो का प्रकटन:

DF-5: Credit Risk- Disclosures of Portfolios subject to the Standardised Approach.

बैंक पूंजी गणना के लिए अपनी ऋण सहायता पर धारित जोखिम की गणना करने के लिए रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग का प्रयोग करता है. रिज़र्व बैंक ने बासेल II के संबंध में अपने दिशा-निर्देशों में यह विनिर्दिष्ट किया है कि बैंक अपनी देशी ऋण सहायता का मूल्यांकन करने के लिए केयर, क्रिसिल, इक्रा और फिच (इंडिया) तथा विदेशी ऋण निवेशों के लिए फिच, मूडीज़ तथा एस एंड पी जैसी प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग का उपयोग कर सकते हैं.

The Bank uses the solicited ratings assigned by the rating agencies specified by RBI for calculating the risk weights on its exposures for capital calculations. In its guidelines on Basel II, the RBI has specified that banks may use the external ratings assigned by CARE, CRISIL, ICRA and FITCH (India) for their domestic exposures and by Fitch, Moodys and Standard and Poor's for overseas exposures.

प्रदत्त रेटिंग का प्रयोग तुलन-पत्र में तथा तुलन-पत्र से इतर; अल्पावधि व दीर्घावधि; सभी प्रकार की ऋण सहायता के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत रीति से किया जाता है. केवल उन्हीं रेटिंग पर विचार किया जाता है, जो जनता के लिए उपलब्ध हों तथा जो एजेंसी के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू हों.

The ratings assigned are used for all eligible exposures; on balance sheet and off balance sheet; short term and long term in the manner permitted by the RBI guidelines. Only those ratings that are publically available and in force as per the monthly bulletin of the rating agency are considered.

जोखिम धारिता के प्रयोजन से बाह्य ऋण मूल्यांकन के लिए बैंक की ऋण सहायता की समग्र राशि को लिया जाता है. बैंक एक वर्ष या इससे कम की संविदात्मक परिपक्वता वाली ऋण सहायता के लिए अल्पावधि रेटिंग तथा एक वर्ष से अधिक वाली ऋण सहायता के लिए दीर्घावधि रेटिंग का प्रयोग करता है.

To be eligible for risk weighting purposes, the entire amount of credit risk exposure to the Bank is taken into account for external credit assessment. The Bank uses short term ratings for exposures with contractual maturity of less than or equal to one year and long term ratings for those exposures which have a contractual maturity of over one year.

किसी कॉरपोरेट को प्रदान की गई रेटिंग को उस कॉरपोरेट की ऋण सहायता में अंतरित करने तथा उस ऋण सहायता में उचित जोखिम धारिता लागू करने की प्रक्रिया रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जाती है. जहाँ प्रदत्त सहायता के लिए एक से अधिक रेटिंग उपलब्ध हैं, वहाँ दो रेटिंग उपलब्ध होने पर निम्नतर रेटिंग तथा तीन या अधिक रेटिंग होने पर द्वितीय निम्नतर रेटिंग लागू की जाती है.

The process used to transfer the ratings assigned to a corporate to the exposure of that corporate and apply the appropriate risk weight to that exposure is as per the regulatory guidelines prescribed by RBI. In cases where multiple ratings are available for a given facility, the lower rating, where there are two ratings and the second lowest rating where there are three or more ratings is applied.

बैंकिंग बही में परिसंपत्तियों की बकाया राशि और विभिन्न ऋण जोखिम न्यूनीकरण कारकों के अंतर्गत जोखिम समूहों में निधि आधारित सुविधाओं की बकाया राशि निम्नानुसार है:

The amount of outstanding of Assets in banking book and non fund based facilities in various risk buckets net of credit risk mitigants is stated below.

(₹ करोड़) (₹ Crore)

जोखिम भार **Risk Weight**	**बकाया राशि** **Total Outstanding**
100% से कम / Less than 100%	170902.73
100%	110746.11
100% से अधिक / More than 100%	18458.38
पूंजी से कटौती / Deduction from Capital	42.99
कुल / Total	300150.21

डीएफ-6 : ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन

DF-6: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approach

संपार्श्विक प्रतिभूति उधारकर्ता द्वारा ऋण सुविधा को सुरक्षित करने के लिए उधारदाता को प्रदान की गई एक परिसंपत्ति या अधिकार है. बैंकों द्वारा संपार्श्विक पर अपनी पूर्णतः या अंशतः ऋण सहायता की बचाव व्यवस्था करने (हेज़िंग) के लिए वित्तीय तथा गैर-वित्तीय दोनों संपार्श्विक प्रतिभूतियों का इस्तेमाल किया जाता है. मुख्य वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों में नकदी, बैंक की स्वयं की जमा राशि, स्वर्ण, केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र तथा घोषित अभ्यर्पण मूल्य के साथ जीवन बीमा पॉलिसियां शामिल हैं. गैर-वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों में भूमि व भवन, संयंत्र एव मशीनरी तथा स्टॉक शामिल हैं.

A collateral is an asset or a right provided to the lender to secure a credit facility by the borrower. Both financial as well as non financial collaterals are used by the Bank to hedge its credit exposures in whole or in part against the collateral. The main financial collaterals include cash, Bank's own FDs, gold, securities issued by Central and State Governments, Kisan Vikas Patra, National Saving Certificate and Life Insurance Policies with a declared surrender value. The non financial collaterals include Land and Building, Plant and Machinery and Stock.

बैंक के पास ऋण जोखिम न्यूनीकरण तकनीक तथा संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंध के संबंध में एक बोर्ड अनुमोदित नीति है जिसमें स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों के बारे में दिशानिर्देश और ऐसी संपार्श्विक प्रतिभूतियों के वर्गीकरण तथा मूल्यांकन के लिए पद्धतियां एवं प्रक्रियाएं दी गयी हैं.

The Bank has a Board approved policy on Credit Risk Mitigation Techniques and Collateral Management of the Bank, which includes guidelines on acceptable collaterals and procedures and processes to enable classification and valuation of such collaterals.

बैंक संभावित ऋण जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं तथा तकनीकों का प्रयोग करता है. ऋण जोखिम न्यूनीकरण एक ऐसा साधन है जिसे रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट रूप में पात्र संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रदान किये गये जोखिम न्यूनीकरण की सीमा तक पूंजी आवश्यकता की गणना करते समय प्रतिपक्षी को बैंक के ऋण के जोखिम को कम करने के लिए तैयार किया गया है. संपार्श्विक प्रतिभूति के जोखिम न्यूनीकरण प्रभाव को हिसाब में लेने के लिए उपयुक्त मार्जिन लगाने के बाद प्रतिपक्षी की ऋण सहायता में विनिर्दिष्ट वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मूल्य के आधार पर कमी की जाती है. मार्जिन का प्रयोग ऋण सहायता तथा संपार्श्विक प्रतिभूति दोनों के लिए अस्थिरता समायोजित राशि प्रदान करेगा.

The Bank utilizes various processes and techniques to reduce the impact of the credit risk to which it is exposed. Credit Risk Mitigation is one such tool designed to reduce the Bank's credit exposure to the counterparty while calculating its capital requirement to the extent of the risk mitigation provided by the eligible collateral as specified in the RBI guidelines. The credit exposure to a counter party is reduced by the value of specified financial collaterals after applying appropriate haircuts to take account of risk mitigating effect of the collateral. The application of the haircuts will provide volatility adjusted amounts for both the exposure and the collateral.

उत्पाद के लिए उपयुक्त संपार्श्विक प्रतिभूति का निर्धारण उधारकर्ता के प्रकार, जोखिम रूपरेखा तथा सुविधा को हिसाब में लेने के बाद किया जाता है. बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों में बैंक की स्वयं की जमाराशियां, राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र, किसान विकास-पत्र तथा बीमा पॉलिसियां शामिल हैं. अधिकांश पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियां जहां बैंक ने सीआरएम तकनीक के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ प्राप्त किया है, बैंक की स्वयं की सावधि जमाराशियों के रूप में हैं और अतएव ऋण या बाजार जोखिम के अधीन नहीं हैं. रिटेल पोर्टफोलियो के अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूतियों को योजना के प्रकार के अनुसार परिभाषित किया जाता है, जैसे आवास ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति आवासीय बंधक होगी.

The appropriate collateral for a product is determined after taking into account the type of borrower, the risk profile and the facility. The main types of eligible financial collaterals accepted by the Bank are Bank's own deposits, National Savings Certificates, Kisan Vikas Patra and insurance policies. Most of the eligible financial collaterals where the Bank has availed capital benefits under CRM techniques are in the form of Bank's own FDs and hence not subjected to credit or market risk. Under the retail portfolio the collaterals are defined as per the type of product e.g. collateral for housing loan would be residential mortgage.

बैंक सिर्फ उन्हीं गारंटियों पर विचार करता है जो प्रत्यक्ष, स्पष्ट तथा अशर्त होती हैं. ऋण जोखिम न्यूनीकरण के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए गारंटी का संरक्षित हिस्सा गारंटीकर्ता का समनुदेशित जोखिम भार होता है.

The Bank only considers those guarantees which are direct, explicit and unconditional. For availing benefits under Credit Risk Mitigation, the protected portion of the guarantee is assigned the risk weight of the guarantor.

संप्रभु सरकारों, सरकारी संस्थाओं, बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों तथा उच्च रेटिंग प्राप्त कॉरपोरेट संस्थाओं को रिजर्व बैंक के बासेल II संबंधी दिशानिर्देशों में निर्धारित रूप में पूंजीगत अभिलाभ प्राप्त करने के लिए बैंक द्वारा पात्र गारंटीकर्ता माना जाता है.

अनुबंध - अ (जारी) /ANNEXURE - A (Contd.)

Sovereigns, sovereign entities, banks, primary dealers and highly rated corporate entities are considered as eligible guarantors by the Bank for availing capital benefits as stipulated in the RBI guidelines on Basel II.

सीआरएम तकनीक में शामिल बैंक की ऋण सहायता निम्नानुसार है :

The bank exposure where CRM techniques were applied are as follows:

(₹ करोड़) (₹ Crore)

विवरण Particulars	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित Non Fund Based
पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति में शामिल कुल ऋण सहायता Total Exposures covered by eligible financial collateral	8542.23	11662.35
पात्र संपार्श्विक प्रतिभूति का लाभ लेने के बाद ऋण सहायता Exposure after taking benefit of eligible collateral	3322.90	8020.63

जहां रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार कॉरपोरेट गारंटियों का सीआरएम तकनीक के रूप में प्रयोग किया गया वहां ऋण सहायता की राशि ₹ 546.21 करोड़ थी.

The exposure covered by corporate guarantees where CRM techniques as per RBI guidelines were applied amounted to ₹.546.21crores.

डीएफ-7 : प्रतिभूतिकरण ऋण निवेश : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन

DF-7: Securitisation exposure-Disclosure for Standardised Approach

बैंक अपनी जोखिम प्रबंध रणनीति के एक हिस्से के रूप में पूंजी के प्रभावी उपयोग, चलनिधि में वृद्धि और परिसंपत्तियों से अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए प्रतिभूतिकरण कार्यकलाप करता है. बैंक के मुख्य प्रतिभूतिकृत ऋण-निवेश पास थ्रु सर्टीफिकेटों (पीटीसी) के रूप में प्रतिभूतिकृत ऋण-पत्रों में किये गये निवेश और द्वितीय हानि तथा चलनिधि सुविधा के रूप में ऋण वृद्धि प्रदान करना है. बैंक कॉरपोरेट ऋणों, खुदरा ऋण समूहों और प्रतिभूतिकृत ऋण-पत्रों का क्रय-विक्रय करता है. इन ऋणों / प्राप्य राशियों को रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिभूतिकरण मार्ग से प्राप्त किया जाता है.

The Bank takes up securitisation activity for efficient use of capital, enhancing liquidity and churning of assets as part of the risk management strategy. The main securitsed exposures of the Bank are the investments made in securitized papers in the form of Pass Through Certificates (PTCs) and the providing of credit enhancements in the form of Second Loss and Liquidity facility. The Bank enters into purchase /sale of corporate loans, pool of retail loans and securitised paper. These loans/ receivables are acquired through the Securitisation route in accordance with the prevalent RBI guidelines.

बैंक प्रतिभूतिकरण लेन-देनों में निम्नलिखित में से कुछ या सभी भूमिकाएं अदा करता है:

The Bank plays either some or all of the following roles in securitisation transactions:

1. **निवेशक:** निवेशक जो विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) द्वारा जारी प्रतिभूतिकृत ऋण-पत्रों अर्थात् पास थ्रु सर्टीफिकेटों (पीटीसी) में निवेश करता है.

   Investor: As an investor who invests in the securitized papers viz. Pass Through Certificates (PTCs) issued by the Special Purpose Vehicle (SPV).

2. **ऋण वृद्धि प्रदाता:** भारत में खुदरा ऋणों के प्रतिभूतिकरण लेन-देन, जिसकी शुरुआत फरवरी 2006 में रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के लागू होने के बाद हुई, सामान्यतः चलनिधि सुविधा (एलएफ), प्रथम हानि ऋण सुविधा (एफएलसीएफ) तथा द्वितीय हानि ऋण सुविधा (एसएलसीएफ) द्वारा समर्थित हैं. इन सुविधाओं को सामूहिक रूप से ऋण वृद्धि कहा जाता है. चलनिधि सुविधा का प्रयोग समूहन अंतर्वाहों में अस्थायी असंतुलन को पूरा करने के लिए किया जाता है जबकि प्रथम हानि ऋण सुविधा और द्वितीय हानि ऋण सुविधा समूहन ऋण में कमियों को पूरा करने के लिए आशयित हैं.

अनुबंध - अ (जारी) /ANNEXURE - A (Contd.)

Provider of Credit Enhancement (CE): Securitisation transactions of retail loans in India, originated after introduction of extant RBI guidelines in February 2006, are generally backed by Liquidity Facility (LF), First Loss Credit Facility (FLCF) and Second Loss Credit Facility (SLCF), collectively known as Credit Enhancement. While LF is used for meeting temporary mismatch in pool inflows, FLCF and SLCF are meant for meeting pool delinquencies.

3. **प्रवर्तक:** एक प्रवर्तक के रूप में बैंक अपने ऋण पोर्टफोलियों की प्रतिभूतिकरण मार्ग के जरिए एसपीवी को एकल परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह की बिक्री के रूप में करता है.

Originator: As an originator the Bank sells its loan portfolios either a single asset or a pool of assets to an SPV through the securitisation route.

4. **सेवा प्रदाता:** प्रतिभूतिकृत समूहों के लिए, बैंक एसपीवी की ओर से प्रशासनिक कार्य करता है, एसपीवी की निधियों का प्रबंध करता है और निवेशकों को सेवाएं प्रदान करता है. भारत में, प्रवर्तक सामान्यतः अधिकांश लेन-देनों में सेवा प्रदाता की भूमिका अदा करता है.

Servicer: For pools securitized, the bank carries out administrative functions on behalf of the SPV, manages the SPV's funds and services the investors. In India, the originator generally plays the role of the servicer in most transactions.

क. a.	**बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन निम्नलिखित हैं:** **The general qualitative disclosures with respect to securitisation activities of the Bank are as follows:**	
	• प्रतिभूतिकरण कार्यकलाप के संबंध में बैंक का उद्देश्य, उस सीमा सहित जिस तक ये कार्यकलाप अंतर्निहित प्रतिभूतिकृत ऋणों के ऋण जोखिम को बैंक से अलग अन्य संस्थाओं को अंतरित करते हैं. the bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities.	शुल्क आधारित आय व पूंजीगत अभिलाभ अर्जित करने तथा प्रतिभूतिकृत कागजात प्राप्त करने / बेचने के लिए ऋणों को दायित्व-रहित आधार पर प्रतिभूतिकृत किया जाता है जिसके द्वारा अंतर्निहित ऋणों का ऋण जोखिम प्राप्तकर्ता को अंतरित हो जाता है. To generate fee based income and capital gains and acquisition/ sale of securitized papers. The loans are securitized on non-recourse basis whereby the credit risk of the underlying loans is fully transferred to the acquirers.
	• अन्य जोखिमों का स्वरूप the nature of other risks.	कुछ नहीं Nil
	• प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक द्वारा निभायी जाने वाली विभिन्न भूमिकाएं और इनमें से हरेक में बैंक की सहभागिता की सीमा का संकेत The various roles played by the bank in the securitisation process and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them;	वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान बैंक ने प्रवर्तक, निवेशक, ऋण वृद्धि, चलनिधि सुविधा प्रदाता और सेवा प्रदाता के रूप में निम्नलिखित भूमिकाएं अदा की हैं: During FY 2011, the Bank has played the roles of an Investor, Provider of Credit Enhancement and Liquidity Facility in Securitisation exposures as per the following details:

अनुबंध - अ (जारी) /ANNEXURE - A (Contd.)

क्र. सं. Sr. No	अदा की गई भूमिका Role played	लेन-देनों की संख्या No. of transactions	अंतर्निहित राशि (₹ करोड़) Amount involved (₹ Crore)
1	निवेशक Investor	4	89.35
2	ऋण वृद्धि प्रदाता (द्वितीय हानि सुविधा) Provider of Credit enhancement (Second Loss Facility)	1	36.27
3	चलनिधि सुविधा प्रदाता Provider of Liquidity Facility	2	33.25

	• प्रतिभूतिकरण ऋण निवेशों के ऋण तथा बाज़ार जोखिम में परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए लागू प्रक्रियाओं का विवरण a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitisation exposures.	प्रतिभूतिकरण ऋण-निवेश उन प्रतिभूतिकृत खुदरा ऋणों को समूहित करना है जहां प्रवर्तक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं. समूह को एएए (एसओ) रेटिंग दी जाती है और उन्हें पर्याप्त ऋण वृद्धि (सीई) द्वारा समर्थन दिया जाता है. बैंक वसूली निष्पादन, चुकौती, समय-पूर्व भुगतान, ऋण वृद्धि के उपयोग तथा रेटिंग पूल की आवधिक निगरानी करता है. The securitisation exposure is to Pools of secured retail loans where the originators are acting as servicers. The pools are rated AAA(SO) and supported by adequate credit enhancement (CE). The Bank periodically monitors the collection performance, repayments, prepayments, utilization of CE and rating of the pools.
	• प्रतिभूतिकरण ऋण-निवेशों के जरिए प्रतिधारित जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रयोग को नियंत्रित करने संबंधी बैंक की नीति का विवरण a description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitisation exposures;	बैंक मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण के संबंध में रिज़र्व बैंक के 1 फरवरी 2006 के परिपत्र में वर्णित दिशा-निर्देशों का अनुसरण करता है. बैंक रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित रूप में पर्याप्त ऋण वृद्धि के साथ प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों को अर्जित करता है. बैंक पर्याप्त ऋण वृद्धि वाले एएए (एसओ) रेटिंग प्राप्त प्रतिभूतिकृत समूहों में ही निवेश करता है. The Bank meticulously follows extant RBI guidelines on Securitisation of Standard Assets as outlined in RBI circular dated February 1, 2006. The Bank acquires securitized assets with adequate CE as stipulated by the rating agencies. The Bank's securitisation exposure is to AAA(SO) rated pools, where adequate credit enhancement have been provided.
ख **b**	**प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के लिए बैंक की लेखा नीतियों का सारांश, निम्नलिखित सहित:** **Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including:**	
	• लेन-देनों को बिक्री माना जाता है या वित्तपोषण whether the transactions are treated as sales or financings;	• प्रतिभूतिकरण को बिक्री माना जाता है. • प्रतिभूतिकृत कागजात का अर्जन निवेश माना जाता है. • Securitisation is treated as Sales. • Acquisition of securitized papers are treated as investments.
	• प्रतिधारित या क्रय की गई स्थितियों का मूल्यांकन करने में प्रयुक्त विधियां तथा मुख्य धारणाएं (निविष्टियों सहित) methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased	प्रतिभूतिकृत कागजात (पीटीसी) को रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार फिम्मडा मूल्यांकन के आधार पर मार्क-टु-मार्केट किया जाता है. The securitized papers (PTCs) are marked to market based on FIMMDA valuations as per extant RBI guidelines.

अनुबंध - अ (जारी) /ANNEXURE - A (Contd.)

	• गत अवधि से विधियों तथा मुख्य धारणाओं में परिवर्तन और परिवर्तनों का प्रभाव changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes;	शून्य NIL
	• उन व्यवस्थाओं के लिए तुलन-पत्र में देयताओं को दर्शाने के लिए नीतियां जो बैंक से प्रतिभूतिकृत परसंपत्तियों के लिए वित्तीय सहायता की अपेक्षा कर सकती हैं. policies for recognising liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitised assets.	रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार देयताएं तुलनपत्र में दर्शायी जाती हैं. Liabilities are recognized on the balance sheet in terms of RBI guidelines.
	बैंकिंग बही में, प्रतिभूतिकरण के लिए प्रयुक्त बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थाओं (ईसीएआई) के नाम और प्रतिभूतिकरण ऋण निवेश का प्रकार जिसके लिए हर एजेंसी का प्रयोग किया जाता है. In the banking book, the names of External Credit Assessment Institutions (ECAIs) used for securitisation and the types of securitisation exposure for which each agency is used.	बैंक ने वित्तीय वर्ष 2010-11 में किसी ऋण का प्रतिभूतिकरण नहीं किया. The Bank has not securitized any loan in FY 2010-11.
ग. c.	**बैंकिंग बही में बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में मात्रात्मक प्रकटन निम्नलिखित हैं: Quantitative disclosures with respect to securitisation activities of the Bank in the Banking book are as follows:**	
1.	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋणों की कुल राशि The total amount of exposures securitised by the bank	शून्य NIL
2.	वर्तमान अवधि के दौरान प्रतिभूतिकृत हानियों के लिए बैंक द्वारा हिसाब में ली गई ऋण सहायता For exposures securitized, losses recognised by the bank during the current period broken by the exposure type.	शून्य NIL
3.	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली परिसंपत्तियों की राशि Amount of assets intended to be securitised within a year	शून्य NIL
4.	इनमें से प्रतिभूतिकरण से एक वर्ष पूर्व उत्पन्न हुई परिसंपत्तियों की राशि. Of the above, the amount of assets originated within a year before securitisation.	शून्य NIL

अनुबंध - अ (जारी) /ANNEXURE - A (Contd.)

<table>
<tr>
<td>5.</td>
<td>प्रतिभूतिकृत ऋणों की कुल राशि (ऋण के प्रकार के अनुसार) और ऋण प्रकार के अनुसार बिक्री पर अभिलाभ या हानि न माने गये.

The total amount of exposures securitised (by exposure type) and unrecognised gain or losses on sale by exposure type.</td>
<td>शून्य

NIL</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>निम्न की कुल राशि :
Aggregate amount of:

• ऋण के प्रकार के अनुसार विभक्त प्रतिधारित या खरीदे गए तुलन पत्र में शामिल किये गये प्रतिभूतिकरण ऋण

on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and</td>
<td>(₹ करोड़) (₹ Crore)
<table>
<tr><td>प्रतिधारित / खरीदे गए
Retained/purchased</td><td>शून्य
NIL</td></tr>
<tr><td>द्वितीय हानि सुविधा
(1 प्रतिभूतिकरण लेन-देन के लिए)

Second Loss Facility
(for 1 securitisation transaction)</td><td>36.27</td></tr>
<tr><td>चलनिधि सुविधा
(2 प्रतिभूतिकरण लेन-देनों के लिए)

Liquidity Facility
(for 2 securitisation transactions)</td><td>33.25</td></tr>
<tr><td>कुल
Total</td><td>69.52</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• ऋण के प्रकार के अनुसार विभक्त तुलन पत्र में शामिल न किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण

off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type</td>
<td>शून्य

NIL</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋणों की कुल राशि और संबद्ध पूंजी प्रभार, ऋणों में विभक्त और हरेक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए अलग-अलग जोखिम भार दायरे में पुनः विभक्त

Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach</td>
<td>(₹ करोड़) (₹ Crore)
<table>
<tr><th>सुविधा
Facility</th><th>100 % सीसीआर पर राशि
Amt. At 100% CCR</th><th>रेटिंग
Rating</th><th>जोखिम भार
Risk Weight</th></tr>
<tr><td>चलनिधि सुविधा

Liquidity Facility</td><td>33.25</td><td>समूह रेटिंग एएए (एसओ) (फिच)

Pool rating AAA(SO) by FITCH</td><td>20%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

	• ऋण सहायता जिन्हें टीयर I पूंजी से पूरी तरह से घटाया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धिकारी बकाया लिखत और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital.	क. पीटीसी का आवास ऋण प्रतिभूतिकरण : ₹ 6.71 करोड़ a. Home Loan Securitisation of PTCs ₹. 6.71crore. ख. द्वितीय हानि सुविधा: ₹ 36.27 करोड़ b. Second Loss Facility ₹ 36.27 crore. (टीयर I तथा टीयर II, प्रत्येक से ₹ 21.29 करोड़ की कटौती) (₹ 21.49 crore. deducted from Tier I and Tier II each)
घ. **d.**	**व्यापारिक बही में बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में मात्रात्मक प्रकटन निम्नलिखित हैं :** **Quantitative disclosures with respect to securitisation activities of the Bank in the Trading book are as follows:**	
1.	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋण सहायता की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिमों को अपने पास रखा है और जो ऋण के प्रकार के अनुसार बाज़ार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन हैं. Aggregate amount of exposures securitised by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach, by exposure type.	शून्य NIL
2.	निम्न की कुल राशि : • ऋण के प्रकार के अनुसार अलग-अलग वर्णित प्रतिधारित या खरीदे गए तुलन पत्र में शामिल किये गये प्रतिभूतिकरण ऋण: तथा Aggregate amount of: • on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; and	क्रय किए गए (बकाया निवेश) - ₹ 89.35 करोड़ Purchased (Investments Outstanding)- ₹.89.35 crore.
	• ऋण के प्रकार के अनुसार अलग-अलग दिये गये तुलन-पत्रेतर प्रतिभूतिकरण ऋण. off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type.	शून्य NIL

अनुबंध - अ (जारी) /ANNEXURE - A (Contd.)

<table>
<tr><td>3.</td><td>निम्न के लिए अलग-अलग प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋणों की कुल राशिः
Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased separately for:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>• विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋणः तथा
securitisation exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and</td><td>शून्य
NIL</td></tr>
<tr><td></td><td>• विभिन्न जोखिम भार दायरों में विभक्त विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अधीन प्रतिभूतिकरण ऋण
securitisation exposures subject to the securitisation framework for specific risk broken down into different risk weight bands.</td><td>बकाया निवेश : ₹ 89.35 करोड़
Investments Outstanding-₹.89.35 crore.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>निम्न की कुल राशि :
Aggregate amount of:
• प्रतिभूतिकरण ऋणों के लिए पूंजी अपेक्षाएं, अलग-अलग जोखिम भार दायरे में विभक्त प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अधीन
the capital requirements for the securitisation exposures, subject to the securitisation framework broken down into different risk weight bands.</td><td>(₹ करोड़) (₹ Crore)
<table>
<tr><th>सुविधा
Facility</th><th>100 % सीसीआर पर राशि
Amt. At 100% CCR</th><th>रेटिंग
Rating</th><th>जोखिम भार
Risk Weight</th></tr>
<tr><td>बकाया निवेश
Investment Outstanding</td><td>89.35</td><td>एएए (एसओ) (क्रिसिल, केयर एवं फिच्च)
AAA(SO) (CRISIL, CARE & FITCH)</td><td>20%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>• ऋण जिन्हें टीयर I पूंजी से पूरी तरह से घटाया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धिकारी बकाया लिखत और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण
securitisation exposures that are deducted entirely from Tier I capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital.</td><td>शून्य
NIL</td></tr>
</table>

डीएफ-8: व्यापार बही में बाजार जोखिम:

DF-8: Market Risk in Trading Book

बाजार जोखिम का अर्थ है ब्याज दरों, इक्विटी दरों, विनिमय दरों और पण्य दरों जैसे बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों में उतार-चढ़ाव तथा अस्थिरता के कारण निवेश के मूल्य में होने वाली हानि की जोखिम है. बैंक को स्वयं के साथ-साथ ग्राहकों की ओर से भी किए जाने वाले कारोबारी कार्यकलापों के कारण बाजार जोखिम का सामना करना पड़ता है. बैंक इन कार्यकलापों से होने वाली वित्तीय ऋण सहायता पर अपनी जोखिम प्रबंध व्यवस्था के तहत निगरानी व प्रबंधन रखता है, जिसके तहत वित्तीय बाजारों की अप्रत्याशित प्रकृति पर नजर रखने के साथ-साथ शेयरधारकों की पूंजी पर पड़ने वाले किसी विपरीत प्रभाव को न्यूनतम करने का प्रयत्न किया जाता है.

Market Risk is the risk of loss in the value of an investment due to adverse movements in the level of the market variables such as interest rates, equity rates, exchange rates and commodity rates, as well as volatilities in them. The Bank is exposed to market risk through its trading activities, which are carried out on its own account as well as those undertaken on behalf of its customers. The Bank monitors and manages the financial exposures arising out of these activities as an integral part of its overall risk management system, which takes cognizance of the unpredictable nature of the financial markets and is striving in minimizing any adverse impact on the Shareholders wealth.

बैंक ने परिसंपत्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति, बाजार जोखिम नीति, निवेश नीति और डेरिवेटिव नीति जैसी नीतियां तैयार की हैं, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं. इन नीतियों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव के परिचालन उचित व मान्य कारोबार प्रथा के अनुरूप तथा विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाएं. इन नीतियों में वित्तीय लिखतों के लेन-देन के संबंध में सीमाएं तय की गई हैं. कारोबार आवश्यकताओं व आर्थिक परिवेश में होने वाले परिवर्तनों और संशोधित नीति-निर्देशों को देखते हुए इनमें आवश्यक परिवर्तन के लिए इन नीतियों की आवधिक रूप से समीक्षा भी की जाती है.

The Bank has formulated as Asset Liabilities Management (ALM) Policy, a Market Risk Policy, an Investment Policy and Derivative Policy, which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines. The policies contain the limit structure that governs transactions in financial instruments. The policies are reviewed periodically to incorporate changed business requirements, economic environment and revised policy guidelines.

बैंक की परिसंपत्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) में वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं और तुलन-पत्र जोखिमों का सुव्यवस्थित ढंग से प्रबंध करने के लिए इसकी नियमित रूप से बैठकें होती हैं. एल्को चलनिधि, ब्याज दर व विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम जैसे बाज़ार जोखिमों के प्रबंध पर विशेष ध्यान देती है. ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण बैंक की निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर ब्याज दरों में घट-बढ़ के पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करता है.

The Asset Liability Management Committee (ALCO) comprising top executives of the Bank meet regularly to manage balance sheet risks in a coordinated manner. ALCO focuses on the management of market risks viz., liquidity, interest rate and foreign exchange risks. Interest rate sensitivity analysis measures the impact of interest rate movements on Net Interest Income (NII) of the Bank.

बाज़ार जोखिम नीति बैंक द्वारा प्रबंधित किये जाने वाले ट्रेडिंग जोखिमों की पहचान करता है. इस नीति के अंतर्गत लेखा बही में जोखिम प्रबंध के उपयुक्त स्तर के लिए आवश्यक संगठनात्मक संरचना, विभिन्न साधनों, पद्धतियों, प्रक्रियाओं आदि को भी निर्धारित किया गया है. बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले प्रमुख जोखिम प्रबंधनों में ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का मार्क टु मार्केट (एमटीएम) प्रबंध, व्यवहार्य भावी ऋण सहायता, स्ट्रेस टेस्टिंग आदि शामिल है.

The Market Risk Policy identifies the trading risks to be managed by the Bank. It also lays down the organizational structure, tools, systems, processes, etc., necessary for appropriate levels of risk management in the trading book. The major risk management tools employed by the Bank are Marked to Market (MTM) of trading portfolio, Potential Future Exposure, stress testing etc.

निवेश एवं डेरिवेटिव नीति रिज़र्व बैंक के विभिन्न परिपत्रों के आधार पर तैयार की गई है. इस नीति के अंतर्गत लिखतों में निवेश के मानदंडों के अलावा ऐसे निवेश के प्रयोजन तथा बैंक से लेन-देन के लिए पात्र ग्राहकों के बारे में मानदंड निर्धारित किए गए हैं.

The Investment and Derivative policy has been drafted keeping in view the various circulars issued by RBI. The policy lays down the parameters for investments in instruments, the purpose for such investments and the eligible customers with whom Bank can transact.

अनुबंध - अ (जारी) / ANNEXURE - A (Contd.)

बैंक निम्न व्यापक उद्देश्यों के साथ अपनी बाज़ार जोखिम का प्रबंध करता है :

The Bank manages its market risk with the broad objectives of

1. निवेशों, विदेशी मुद्रा विनिमयों और डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में निहित ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम व इक्विटी जोखिम का प्रबंध

   Management of interest rate risk, currency risk and equity risk arising from the investments and foreign exchange and derivatives portfolio.

2. विभिन्न पोर्टफोलियो में लेन-देनों के संबंध में उचित वर्गीकरण, मूल्यांकन व लेखांकन.

   Proper classification, valuation and accounting of the transactions in various portfolios.

3. डेरिवेटिव, निवेश और विदेशी मुद्रा विनिमय उत्पादों से संबंधित लेन-देनों की उपयुक्त व उचित रिपोर्टिंग.

   Adequate and proper reporting of the transactions related to derivative, investment and foreign exchange products.

4. बाजार से संबंधित लेन-देनों के परिचालन व निष्पादन पर प्रभावी नियंत्रण

   Effective control over the operation and execution of market related transactions.

5. विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन

   Compliance with regulatory requirements.

ट्रेज़री परिचालनों में बाजार जोखिम की पहचान करने, मूल्यांकन करने, निगरानी रखने व रिपोर्टिंग का कार्य बाजार जोखिम समूह (एमआरजी) देखता है. यह समूह बाजार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए नीतियों व प्रक्रियाओं में संशोधन सुझाता है. इस समूह की प्रमुख रणनीतियां व प्रक्रियाएं निम्नानुसार हैं:

The Market Risk Group (MRG), is responsible for identification, assessment, monitoring and reporting of market risk in Treasury operations. The group also recommends changes in policies and methodologies for measuring market risk. The main strategies and processes of the group are

1. प्रत्यायोजनः ट्रेज़री परिचालनों के लिए अधिकारों का उपयुक्त प्रत्यायोजन किया गया है. निवेश संबंधी निर्णय बोर्ड की निवेश समिति करती है. एमआरजी विभिन्न सीमाओं की निगरानी करता है, जो नीतियों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई हैं.

   Delegation: Appropriate delegation of powers has been put in place for treasury operations. Investment decisions are vested with Investment Committee of the Board. MRG monitors the various limits, which have been laid down in the policies.

2. नियंत्रणः सिस्टम में पर्याप्त डाटा एकीकरण नियंत्रण हैं. इन नियंत्रणों का लेखापरीक्षा हेतु प्रयोग किया जाता है.

   Controls: The systems have adequate data integrity controls. The controls are used for audit purpose.

3. अपवर्जन संचालन प्रक्रियाः नीतियों के अंतर्गत तय की गई सीमाएं सिस्टम में शामिल कर ली गई हैं ताकि इन्हें अपवर्जन को न्यूनतम करने के लिए लागू किया जा सके. यदि कोई उल्लंघन / अपवर्जन हो, तो उसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा तुरंत दूर किया जाता है.

   Exception handling processes: The limits set in the policies have been inserted in the system for ensuring that the same is being enforced to minimize exceptions. The limit breaches/exceptions, if any, are ratified immediately from the concerned authorities.

   एमआरजी वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड की समिति के सदस्यों को फॉरेक्स, निवेश व डेरिवेटिव उत्पाद संबंधी जोखिमों के बारे में आवधिक रूप से रिपोर्ट देता है. बैंक भी विनियामकों को रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुरूप रिपोर्टिंग करता है.

   The MRG periodically reports on the forex, investment and derivative product related risk measures to the senior management and the committees of the Board. The Bank also reports to regulators as per the reporting requirements.

   बैंक ने रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न उत्पादों के लिए अलग-अलग जोखिम मानदंड तय किए हैं. इन जोखिम मानदंडों के बारे में एमआरजी स्वतंत्र रूप से आकलन व वरिष्ठ प्रबंध को रिपोर्टिंग करता है.

   The Bank has devised various risk parameters for different products in line with the guidelines issued by RBI from time to time. These risk parameters are measured and reported to the senior management independently by MRG.

अनुबंध - अ (जारी) /ANNEXURE - A (Contd.)

बैंक द्वारा अपनी जोखिमों पर निगरानी रखने के लिए अपनाए जाने वाले जोखिम मानदंडों में संशोधित अवधि, आधार बिंदु का मूल्य (पीवी 01), हानि-रोध, अंतर सीमा निवल आरंभिक राशि सीमा, ओपन ग्रीक आदि शामिल हैं. बैंक की जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर जोखिम मैट्रिक्स पर सीमाएं रखी जाती हैं तथा उन पर आवधिक आधार पर निगरानी रखी जाती है.

The risk parameters adopted by the Bank for monitoring its risks are modified duration, price value of basis point (PV01), stop loss, gap limits, net open position limits, option greeks etc. Based on the risk appetite of the Bank, limits are placed on the risk metrics which are monitored on a periodic basis.

ख) बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार का समूहन

b) Aggregation of capital charge for market risks

(₹ करोड़) (₹ Crore)

	जोखिम श्रेणी Risk Category	पूंजी प्रभार Capital charge
क a.	**जोखिम विशेष के कारण पूंजी प्रभार Capital Charge on account of specific risk**	**628.06**
i)	ब्याज दर संबंधी लिखतों पर / On interest rate related	252.54
ii)	इक्विटी पर / On equities	375.52
iii)	डेरिवेटिव पर / On derivatives	0
ख b.	**सामान्य बाजार जोखिम के कारण पूंजी प्रभार Capital charge on account of general market risk**	**569.24**
i)	ब्याज दर संबंधी लिखतों पर / On interest rate related instruments	160.03
ii)	इक्विटी पर / On equities	375.52
iii)	विदेशी मुद्रा विनिमय पर / On Foreign exchange	31.5
iv)	बहुमूल्य धातुओं पर / On precious metals	0
v)	डेरिवेटिव्स पर (एफएक्स विकल्प) / On derivatives (FX Options)	2.19
	व्यापारिक बही पर कुल पूंजी प्रभार (क + ख) Total Capital Charge on Trading Book (a+b)	1,197.30
	व्यापारिक बही पर कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियां Total Risk Weighted Assets on Trading Book	**13,303.33**

डीएफ-9 : परिचालन संबंधी जोखिम :
DF-9: Operational Risk

परिचालन संबंधी जोखिम प्रत्यक्ष या परोक्ष हानि का जोखिम है, जो आंतरिक कार्यकलापों, व्यक्तियों और पद्धतियों में खामियों या असफलताओं के कारण या बाहरी घटनाओं के कारण होता है. बैंक ने अपने वरिष्ठ एवं कनिष्ठ प्रबंधन को परिचालन संबंधी जोखिम को समझने व उनका प्रबंध करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से परिचालन जोखिम प्रबंध ढांचा तैयार किया है. बैंक ने परिचालन संबंधी जोखिम से जुड़े विभिन्न मामलों के लिए परिचालन जोखिम समूह (ओआरजी) का गठन किया है. परिचालन जोखिम विश्लेषण तथा इसकी स्थिति के संबंध में बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) को आवधिक रूप से अवगत कराया जाता है.

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events and is inherent in Bank's business activities. To keep a check on these risks, the Bank has developed an Operational risk management framework to support its senior and line management in better understanding and managing operational risk. The Bank has constituted an Operational Risk Group (ORG) to deal with various operational risk matters. Operational risk analysis and status are periodically presented to the Risk Management Committee (RMC) of the Board.

बैंक की एक सुपरिभाषित परिचालन जोखिम नीति है, जिसका उद्देश्य परिचालन संबंधी जोखिम की पहचान व उसका मूल्यांकन कर उसे न्यूनतम करना है. इस नीति का उद्देश्य बैंकिंग परिचालनों से संबंधित जोखिमों की पहचान कर उनका मूल्यांकन करना तथा इस पर निगरानी व न्यूनीकरण हेतु साधन, पद्धति व प्रक्रिया तैयार करना है.

The Bank has a well-defined Operational Risk Policy which aims to identify, measure and mitigate operational risks. The main objectives of the policy are identifying and assessing operational risks pertaining to banking operations and developing tools, systems and processes to monitor and mitigate these risks.

परिचालन जोखिम को समय पर ही न्यूनतम करने के लिए बैंक मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई) का उपयोग करता है तथा संवेदनशील पाए गए चुनिंदा कार्यों के लिए जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) संचालित करता है. केआरआई बैंक के परिचालनों के लिए मुख्य जोखिम संकेतक है तथा प्रत्येक केआरआई के लिए ट्रिगर सीमाएं तय की गई हैं. आरसीएसए एक प्रणाली है, जो बैंक को परिचालन जोखिम का आकलन व मूल्यांकन करने तथा प्रत्येक कारोबार प्रक्रिया के लिए प्रभावी नियंत्रण करने में सहायता प्रदान करती है. इससे बैंक को जोखिम स्तरों को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलती है और इस प्रकार प्रभावी नियंत्रण से परिचालन जोखिम का सशक्त प्रबंधन होता है. बैंक रिज़र्व बैंक के बासेल II संबंधी दिशा-निर्देशों में परिभाषित किए अनुसार कारोबार क्षेत्रों के लिए परिचालन हानि संबंधी आँकड़े भी संग्रहित करता है.

To ensure timely mitigation of operational risk, the Bank uses Key Risk Indicators (KRIs) and conducts Risk and Control Self Assessment (RCSA) for select functions which have been identified as critical. KRIs are the prime risk indicators in the operations of the Bank and trigger limits are set for each KRI. RCSA is a methodology which helps the Bank to assess and examine the operational risks faced and the effectiveness of the controls used for each business process. It enables the Bank to have a clear understanding of the risk levels and the effectiveness of controls thus ensuring sound operational risk management. The Bank also collects Operational loss data for business lines as have been defined by RBI guidelines on Basel II.

परिचालन संबंधी जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताओं की गणना के लिए बैंक बासेल- II दिशानिर्देशों के अनुसार फिलहाल मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) अपना रहा है. उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए बैंक ने अपने सिस्टम को उन्नत किया है और एक नया परिचालन जोखिम सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसमें आरसीएसए, केआरआई, हानि आँकड़ा संग्रहण और हानि आँकड़ा मॉडलिंग नामक चार मॉड्युल शामिल हैं.

The Bank currently follows the Basic Indicator Approach (BIA) as per RBI guidelines on Basel II for calculation of capital charge for operational risk. To migrate to advanced approaches the Bank has upgraded its systems and implemented a new operational risk software which comprises of four modules namely RCSA, KRI, Loss data collection and Loss data modeling.

बैंक ने कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) भी शुरू की है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है कि कोई आपदा होने पर व्यवधान कम-से-कम रहे.

The Bank also has in place a Business Continuity Plan (BCP), which is framed to ensure customer service with minimal interruptions in the event of a disaster.

डीएफ-10: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

DF-10: Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम से आशय ब्याज दर में होने वाले परिवर्तनों के कारण बैंक के अर्जन तथा परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्य पर पड़ने वाले संभाव्य प्रभाव से है. ब्याज दर में सामान्य परिवर्तन के अलावा विभिन्न उत्पादों / लिखतों में ब्याज दरों में घट-बढ़ (अर्थात सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ, मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर, अग्रिमों पर उधार दर आदि) भी ब्याज दर जोखिम का प्रमुख कारण है. ब्याज दरों में परिवर्तन से निवल ब्याज आय (ब्याज आय में से ब्याज व्यय घटाकर) में घट-बढ़ के माध्यम से बैंक की अर्जन पर तथा इसके साथ ही परिसंपत्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य में घट-बढ़ के माध्यम से इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर भी असर पड़ता है. अर्जन और इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन का परिमाण मुख्यतः परिपक्वता के आकार तथा बैंक की परिसंपत्तियों व देयताओं के पुनर्मूल्यन असंतुलन पर निर्भर करता है.

Interest rate risk in the banking book refers to the potential impact on the Bank's earning and economic value of assets and liabilities due to adverse movement in interest rates. Besides the general change in interest rate, variation in the magnitude of interest rate change among the different products/ instruments (e.g., yield on Government securities, interest rate on term deposits, lending rate on advances etc.,) is also a significant source of interest rate risk. Changes in interest rates affect the Bank's earning through variation in its net interest income (interest income minus interest expenses) and as well as economic value of equity through net variation in economic value of assets and liabilities. The

extent of change in earning and economic value of equity primarily depends on the nature and magnitude of maturity and re-pricing mismatches between the Bank's assets and liabilities.

ब्याद दर जोखिम प्रबंध के महत्व को समझते हुए बैंक ने एक उचित परिसंपत्ति देयता प्रबंध (एएलएम) सिस्टम तैयार किया है, जिसमें बोर्ड द्वारा अनुमोदित ब्याज दर जोखिम प्रबंध नीति तथा इस सिस्टम के लिए रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रक्रिया व सीमा संरचना शामिल की गई है. ब्याज दर जोखिम प्रबंध का उद्देश जोखिम के संसाधन की पहचान कर उपयुक्त प्रणाली से उनका परिमाण मापना तथा परिपक्वता संरचना, मूल्यन, उत्पाद व ग्राहक समूह मिश्र के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित समग्र ब्याज दर जोखिम क्षमता के तहत उचित निधीयन करना, उधार देना व तुलन-पत्र से परे रणनीतियां बनाना है. बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम के लिए बैंक की गुंजाइश निवल ब्याज आय और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर भावी प्रभाव के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई है. परिसंपत्ति देयता संबध समिति (एल्को) जोखिम के मापन, निगरानी व ब्याज दर जोखिम प्रबंध के लिए जोखिम नियंत्रण पहल को नियमित रूप से सुनिश्चित करती है. एएलएम असंतुलन की निगरानी व इसके प्रभावी प्रबंध के लिए एल्को को रणनीति की सिफारिश करने के लिए एक पृथक तुलन-पत्र प्रबंध समूह (बीएसएमजी) बनाया गया है. दैनिक आधार पर एएलएम रिपोर्ट जरनेशन के लिए उचित सूचना प्रणाली स्थापित की गई है.

Recognising the importance of interest rate risk management, the Bank has put in place appropriate Asset Liability Management (ALM) system which includes Board approved interest rate risk management policy, procedures and limit structure in line with the RBI guidelines for ALM system. The objectives of interest rate risk management are to identify the sources of risks and measure their magnitude in terms of appropriate methods, and follow appropriate funding, lending and off-balance sheet strategies with respect to maturity structure, pricing, product and customer group mix within the overall interest rate risk exposure appetite approved by the Board. The Bank's tolerance level for interest rate risk in the banking book is specified in terms of potential impact of net interest income and economic value of equity. Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank is responsible to ensure regular measurement, monitoring and risk control initiatives for the Bank's interest rate risk management. A separate Balance Sheet Management Group (BSMG) has been created to regularly measure and monitor ALM mismatches and recommend strategies to ALCO for effective management. Adequate information system has been put in place for system based ALM report generation on a daily basis.

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिमों के मापन व निगरानी का कार्य ब्याज दर संवेदनशीलता (मूल्य का पुनर्निर्धारण) अंतर, अवधि अंतर पद्धतियों द्वारा तथा अर्जन (निवल ब्याज आय पर असर) एवं आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य (इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर असर) जैसे दोनों ही परिदृश्य आधारित विश्लेषणों के जरिए किया जाता है. ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर रिपोर्ट की तैयार करते समय विभिन्न मूल्य-समूह की ब्याज दर जोखिम की दृष्टि से संवेदनशील परिसंपत्तियों व देयताओं को उनकी परिपक्वता की शेष रही अवधि या मूल्य पुनर्निर्धारण की अगली तारीख, जो भी पहले हो, के आधार पर रखा जाता है. इस रिपोर्ट के लिए अपनाई जानेवली धारणाओं में से सबसे प्रमुख बचत बैंक जमाराशियों को '3 माह से अधिक से 6 माह तक' के समूह में डालना तथा बीपीएलआर या आधार दर से संबंध्द अग्रिमों को '3 माह से अधिक से 6 माह तक' के समूह में डालना है, क्योंकि इन परिसंपत्तियों व देयताओं के मूल्य के पुनर्निर्धारण की कोई पूर्व-विनिर्दिष्ट तारीख़ नहीं होती. अवधि अंतर विश्लेषण ब्याज दर की दृष्टि से संवेदनशील परिसंपत्तियों व देयताओं की अवधि व भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना के आधार पर किया जाता है. परिदृश्य विश्लेषण निवल ब्याज आय तथा विभिन्न ब्याज दर परिदृश्य के अंतर्गत पूंजी के आर्थिक मूल्य पर होनेवाले असर का मापन करने के लिए किया जाता है.

Measurement and monitoring of interest rate risks in the banking book are carried out through the methods of Interest Rate Sensitivity (re-pricing) gap, Duration gap and Scenario based analysis covering both earning (impact on net interest income) and economic value perspective (impact on economic value of equity). Preparation of interest rate sensitivity gap report involves bucketing of all interest rate sensitive assets and liabilities into different time buckets based on their respective remaining term to maturity or next repricing date, whichever is earlier. Major assumptions made for this report are for bucketing of saving bank deposits into 'over 3 months to 6 months' and advances linked to BPLR or Base Rate into 'over 3 months – 6 months' as these liabilities and assets do not have prior-specified re-pricing date. Duration gap analysis is done based on computation of duration and present value of future cash flows of the interest rate sensitive assets and liabilities. Scenario analysis is done to measure impact on net interest income and economic value of capital under different interest rate scenario.

एल्को अपनी मासिक बैठकों में ब्याज दर जोखिम की नियमित रूप से निगरानी करती है तथा जमाराशियों व अग्रिमों के संयोजन व वृद्धि, जमाराशियों व अग्रिमों के मूल्य-निर्धारण तथा मुद्रा बाजार परिचालन व निवेश बहियों आदि के प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाती है / निर्देश देती है, ताकि बैंकिंग बही में आंतरिक सीमाओं के भीतर ही ब्याज दर जोखिम का प्रबंध किया जा सके. ब्याज दर जोखिम की स्थिति से नियमित रूप से बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति तथा रिज़र्व बैंक को अवगत कराया जाता है.

अनुबंध - अ (जारी) /ANNEXURE - A (Contd.)

ALCO regularly monitors the interest rate risk exposures at its monthly meeting and takes appropriate steps/ provides directions on composition and growth of deposits and advances, pricing of deposits and advances and management of money market operations and investment books etc., to control interest rate risks of the banking book within the internal limits. Interest rate risk position is periodically reported to Risk Management Committee of the Board and also to RBI.

31 मार्च 2011 के अनुसार अर्जन में भावी गिरावट (वृद्धि) तथा ऊर्ध्वमुखी (अधोमुखी) ब्याज दर आघात के संबंध में सामान्य पद्धति से बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का परिमाण निम्नानुसार है:

Magnitude of interest rate risks in the banking book in terms of the potential decline (increase) in earnings and economic value for upward (downward) interest rate shocks as per usual methods as on March 31, 2011 is given below:

ब्याज दर में 100 आधार बिंदुओं के समानांतर परिवर्तन का प्रभाव **Impact of parallel shift in Interest Rate by 100 basis points**	
	(₹ करोड़) (₹ Crore)
ब्याज दर परिवर्तन की तुलना में निवल ब्याज आय की संवेदनशीलता Sensitivity of Net Interest Income to Interest rate change (जोखिम पर अर्जन) (Earning at Risk)	ब्याज दर परिवर्तन की तुलना में इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) की संवेदनशीलता Sensitivity of Economic Value of Equity (EVE) to Interest rate change (जोखिम पर आर्थिक मूल्य) (Economic Value at Risk)
(समयावधि : 1 वर्ष) (Time Horizon: 1 year)	
एनआईआई पर प्रभाव Impact on NII	ईवीई पर प्रभाव Impact on EVE
36.80	2392.38